एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2013-14

समग्र विकास का संयोजक

एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives adding value
धातुएं

उर्वरक

कृषि उत्पाद

बहुमूल्य धातुएं

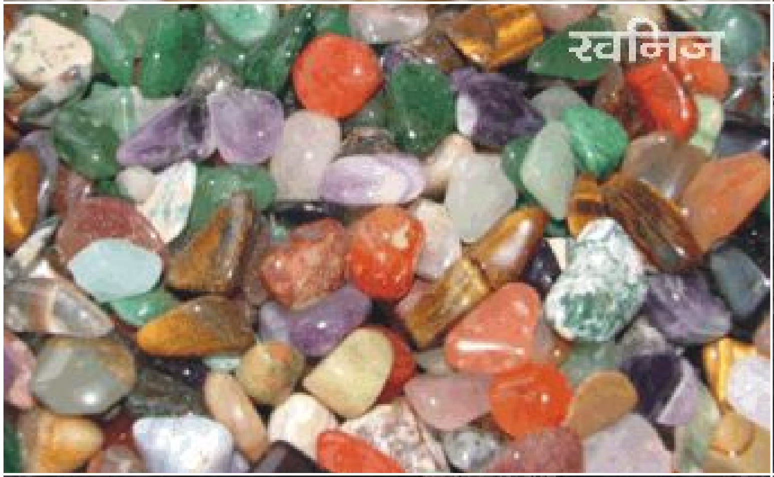
खनिज

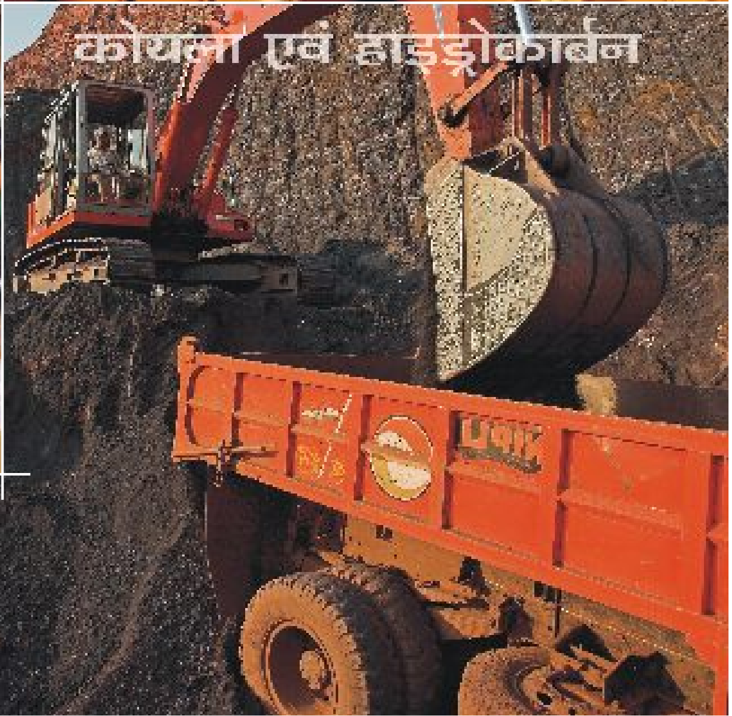
कोयला एवं हाइड्रोकार्बन

51 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2013-14

विषय सूची

कारपोरेट मिशन	2
कारपोरेट उद्देश्य/एमएमटीसी वर्तमान में/ रणनीतिक पहल	3
कार्यनिष्पादन एक नजर में	4
अध्यक्ष का वक्तव्य	5
निदेशक मंडल	8
निदेशकों की रिपोर्ट	10
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	19
कारपोरेट गवर्नेंस	24
व्यापार दायित्व रिपोर्ट	33
दशक पर एक नजर	48
निधियों के स्रोत एवं उनका उपयोग	50
वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों के विवरण	51
मूल्यसंवर्धन विवरण	52
वस्तुवार कार्य–निष्पादन	53
देशवार निर्यात और आयात	55
राजकोष में अंशदान	58
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	61
वार्षिक लेखे 2013–14	75
एमएमटीसी टांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर	115
समेकित वित्तीय विवरण	131
एमएमटीसी लेखापरीक्षक	173
एमएमटीसी बैंकर्स	174
एमएमटीसी कार्यालय	175

कारपोरेट मिशन

भारत की विशालतम व्यापारिक कंपनी तथा एशिया की व्यापारिक कंपनी होने के नाते अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता लाकर विकास की दीर्घकालिक तथा व्यवहारिक दर प्राप्त कर अपनी स्थिति और मजबूत करना तथा शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, कर्मचारियों तथा समाज को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करते हुए अधिकतम लाभ अर्जन करना एमएमटीसी का लक्ष्य है।

कारपोरेट उद्देश्य

- विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के माहौल में कार्यशील रहते हुए, विशेषकर थोक व्यापार के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित करना तथा लगाई गई पूंजी से समुचित लाभ कमाना।
- खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातुओं जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थान को बनाए रखना।
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को व्यावसायिकता तथा कुशलता के साथ उत्तम सेवाएं प्रदान करना।
- मध्यम व लघु उद्योगों को सहायक सेवाएं मुहैया कराना।
- वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर ही कारगर व्यवस्था स्थापित करना।
- व्यापार से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन देना।

एमएमटीसी आज के परिवेश में

- भारत की विशालतम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी।
- भारत में खनिजों के निर्यात के मामले में सबसे बड़ा निर्यातक, पिछले 21 वर्षों से लगातार कैपेक्सिल पुरस्कार प्राप्तकर्ता।
- देश में बुलियन तथा अलौह धातुओं का एकल सबसे बड़ा आयातक/सप्लायर। कृषि, उर्वरक, कोल एवं हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी।
- भारत में 56 स्थानों पर कार्यालय, वेयरहाउसिस, पोर्ट ऑफिस तथा रिटेल आउटलेट्स।
- सिंगापुर में सहायक कंपनी(एमटीपीएल) जिसे "ग्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम"(जीटीपी) का दर्जा प्राप्त है।
- प्रोमोटेड प्रोजेक्ट नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल) के 1.10 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाले ओडिशा स्थित आयरन एवं स्टील प्लांट के माध्यम से संवर्धित उत्पाद उपलब्ध कराता है।

रणनीतिक पहल

- इंडियाबुल्स के साथ मिलकर कमोडिटी एक्सचेंज की स्थापना।
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के साथ मिलकर सोने/चांदी के मेडालियन बनाने के लिए संयुक्त उद्यम के रूप में एक यूनिट स्थापित करना।
- मेडालियंस, ज्वेलरी तथा सांची सिल्वरवेयर की बिक्री के लिए भारत के विभिन्न शहरों में रिटेल स्टोर्स की चेन स्थापित करना।
- एन्नोर पोर्ट पर संयुक्त उद्यम के रूप में आयरन ओर की लोडिंग के लिए स्थायी बर्थ स्थापित करना।
- एमएमटीसी को आबंटित कोल ब्लॉक का अन्वेषण करना। संभव्यता अध्ययन जारी है।
- कर्नाटक में पवन आधारित पावर जेनरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ।
- पारादीप पोर्ट पर संयुक्त उद्यम के रूप में डीप ड्राट आयरन ओर की लोडिंग के लिए बर्थ विकसित करना।

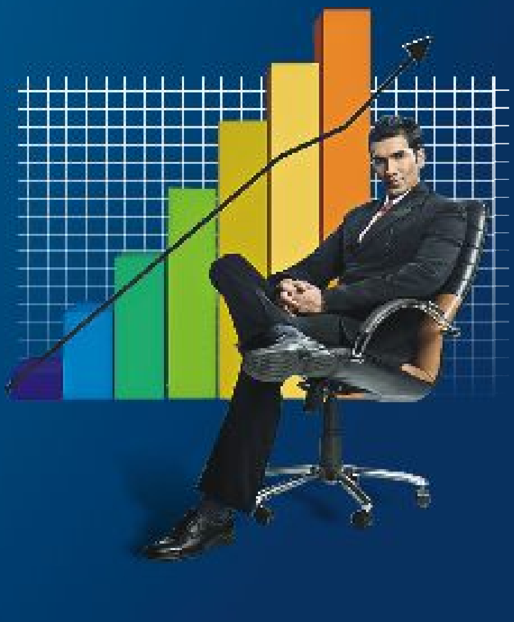

कार्यनिष्पादन पर एक नजर

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष	**2014**	2013	2012
कुल बिक्री	250746	284156	659291
जिसमें शामिल			
निर्यात	41270	29795	20454
आयात	187135	209544	610417
घरेलू	22341	44817	28420
व्यापारिक लाभ	3456	2997	2766
अन्य स्त्रोतों से आय	2328	3203	7284
कर पश्चात लाभ	186	(706)	707
वर्ष की समाप्ति			
कुल परिसम्पपत्तियां	46970	66981	127427
नेटवर्थ	13419	13407	14213
प्रति शेयर(रुपये)			
अर्जन	0.19	(0.71)	0.71
लाभांश	0.15	0.10	0.25
शेयर पूंजी के अनुपात में नेटवर्थ(गुना)	13.42	13.41	14.21
नियोजित पूंजी के अनुपात में कर पश्चात लाभ(%)	2.37	(8.82)	7.75
नेटवर्थ की तुलना में कर पश्चात लाभ(%)	1.39	(5.27)	4.97
प्रति कर्मचारी बिक्री(मिलियन रुपये)	163.89	177.04	394.08

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयर धारकों,

कंपनी की 51वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। आपकी कंपनी ने चौमुखी विकास तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन को बनाए रखा है तथा आज यह देश की सार्वजनिक उपक्रम की प्रमुख व्यापारिक कंपनियों में एक है।

वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी ने विषम परिस्थितियों से निकलते हुए अपने कामकाज में विकास को दर्शाया है जबकि इस दौरान राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर पिछले 25 वर्षो में सबसे कम रही है। ऊंची ब्याज दर, मुद्रास्फीति, कमजोर मांग, निवेश की प्रतिकूल परिस्थिति, राजनैतिक अस्थिरता, विश्व राजनैतिक तनाव तथा यूरोप व विश्व के दूसरे हिस्से में रही पूर्ण आर्थिक मंदी इत्यादि के कारणों से विश्व का आर्थिक व व्यापारिक पर्यावरण बहुत ही चुनौतीपूर्ण तथा अनिश्चित रहा। वर्ष 2013 के दौरान विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012 के 3.1 प्रतिशत की तुलना में 3.0 प्रतिशत की दर से ही वृद्धि हो पाई। अब वर्ष 2014 में इसके 3.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की अपेक्षा है। हम अपेक्षा करते हैं कि अब एक स्थायी सरकार के आ जाने से रचनात्माक गतिरोध दूर होंगे तथा अर्थव्यवस्था पर निरंतर सकारात्मक प्रभाव के चलते निवेशकों के मनोभाव में विकास के बदलाव होंगे।

कार्य निष्पादन

आपकी कंपनी ने विषम आर्थिक परिवेश का सफलतापूर्वक सामना करते हुए पिछले वर्ष 2012–13 में हुई रुपये 70.62 करोड़ की हानि की तुलना में इस वर्ष रुपये 18.64 करोड़ का सकल लाभ अर्जित किया है। वर्ष में व्यापार का कुल कारोबार रुपये 25,075 करोड़ का रहा जिसमें रुपये 18,713 का आयात, रुपये 4,127 करोड़ का निर्यात तथा रुपये 2,234 करोड़ घरेलू व्यापार शामिल है। विभिन्न व्यापार क्षेत्रों में कुल कारोबार इस प्रकार रहा – खनिज रुपये 2,320 करोड़, बहुमूल्य धातु रुपये 9,173 करोड़, उर्वरक एवं रसायन रुपये 3,987 करोड़, कोयला व हाइड्रोकार्बन रुपये 5,596 करोड़। हमारा बहुमूल्य धातु आयात भारत के कुल स्वर्ण आयात का 4.4 प्रतिशत रहा तथा वर्ष के दौरान कोयले के आयात में भी सुधार देखा गया।

व्यापार विविधीकरण के लिए उठाए गए कदम

विश्व व्यापार गतिशीलताएं तथा बहुपक्षीय व्यापार मंच द्वारा प्रदत् अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमें

अपनी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों तथा प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करते रहने की आवश्यकता होती है। आपकी कंपनी ने व्यापार में आयोजक तथा मददकर्ता की अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे निकलकर निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों के रूप में बहु–गुणवत्ता वर्धन के लिए कदम उठाए हैं। इससे कंपनी के भविष्य में और अधिक स्थिर बने रहने के अवसरों में वृद्धि होगी।

ओडिसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से प्रोनन्त आपकी कंपनी के नीलाचल स्टील प्लांट लिमिटेड (एनआईएनएल) को अनुमानतः 110 मिलियन टन के रिजर्व वाली आयरन ओर खनन की लीज मिली है इसके लिए पर्यावरण संबंधी वैधानिक अनुमति दिए जाने की प्रक्रिया अग्रिम स्तर पर है। एनआईएनएल के चरण – 2 में अब स्टील बिल्लटस का उत्पादन भी शुरू हो गया है जिसे कि अब संतुलित किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 में एनआईएनएल ने रुपये 1549 करोड़ का कारोबार किया। इस्पात के क्षेत्र में अपेक्षित कायापलट से एनआईएनएल के कामकाज में अब और अधिक विकास की संभावना है। एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमपीआईपीएल) मैडालियन मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट को एलबीएमए ने सोने व चांदी की रिफाइनरी के लिए 'गुड डिलीवरी' के रूप में भी प्रमाणित किया है तथा इसने अपने उत्कृष्ट कारोबार के चलते शेयर धारकों को 30 प्रतिशत लाभांश का भुगतान भी किया है। आपकी कंपनी द्वारा आई एल व एफएस के साथ मिलकर प्रोन्नत किए गए एसपीवी ने हल्दिया में एक अन्तर्राष्ट्रीय कारगो हब तथा कांडला में एक फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन की स्थापना की है। जिसके लिए एमएमटीसी को क्रमशः 200 एकड़ तथा 75 एकड़ भूमि का आबंटन किया जा चुका है।

सहायक कंपनी

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की शत प्रतिशत सबसिडी वाली कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर ने यू एस डालर 0.06 मिलियन के कर उपरान्त लाभ के साथ यू एस डालर 369 मिलियन के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त किया है। 31 मार्च 2014 को एमटीपीएल की शुद्ध संपत्ति 15. 51 मिलियन यूएस डालर रही है। शुद्ध संपत्ति में 15 गुणा वृद्धि के अतिरिक्त, एमटीपीएल द्वारा एमएमटीसी को यू एस डालर 1 मिलियन के अंशदान के विरूद्ध अभी तक 15.04 मिलियन यू एस डालर के लाभांश का भुगतान किया जा चुका है। एमटीपीएल, वर्ष 2000 से इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज, सिंगापुर द्वारा प्रदत्ति 'गलोबल ट्रेडर प्रोग्राम' की प्रतिष्ठित हैसियत को निरंतर कायम रखे हुए है। अफ्रीकी महाद्वीप में वृहत व्यापार की संभावनाओं को खोजने के उद्देश्य से आपकी कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका में कार्यालय खोला है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायी विकास

सही अर्थों में एक जिम्मेदार उपक्रम की भूमिका निभाते हुए एमएमटीसी अपने व्यापारिक निर्णय लेते समय उनसे अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले समुदायों के दीर्घकालिक सतत विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का पूरा बोध रखती है। बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संबंधी निरंतरता तथा प्राकृतिक आपदा के समय राहत एवं पुनः स्थापन इत्यादि के क्षेत्रों में समाज तथा पर्यावरण कल्याण के लिए कंपनी ने कई पहल की है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी 'ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क' की सदस्य भी है तथा इसके सीएसआर/एसडी के लिए उठाए गए कदम ग्लोबल कम्पैक्ट प्रिंसिपल के अनुसार हैं।

कारपोरेट गर्वनैंस

समर्थ कारपोरेट गवर्नैंस के सिद्धांतों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयास में, आपकी कंपनी ने भ्रष्ट गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पारदर्शिता, निष्पदक्षता, सार्वजनिक खरीद में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के उददेश्य से सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया है। इस उद्देश्‌य की पूर्ति के लिए ही स्वतंत्र बाहय मॉनिटरों को भी नियुक्त किया गया है। लागू दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय तथा स्टॉक एक्सचेंज को

नियमित रूप से त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाती है। व्यापार जोखिम से बचाव के लिए आपकी कंपनी में एक जोखिम प्रबंधन नीति भी लागू है।

आपकी कंपनी ने कारपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा अपनाई गई 'ग्रीन इनिशियटिव' का पुर जोर समर्थन किया है तथा वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रानिक डिलीवरी तथा शेयर होल्डरों के लिए ई–वोटिंग की सुविधा भी लागू की है।

भविष्य के लिए विजन

शेयर धारक, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी तथा समाज की संतुष्टि से जुड़ी अपनी सभी गतिविधियों में उत्कृष्टता लाते हुए आपकी कंपनी का दक्षिण एशिया की बड़ी व्यापारिक कंपनियों में स्थान बनाने का लक्ष्य है। टोप लाइन तथा बोटम लाइन में विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारा फोकस हमारे वर्तमान मूल सामर्थ्य के क्षेत्रों के साथ–साथ नए व्यापार विविधीकरण पर रहेगा। प्रतिबद्ध कार्य शक्ति के सहयोग से आपकी कंपनी ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करते हुए भविष्य् में कंपनी को सशक्त एवं सुदृढ बनाने के अपने समग्र लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।

आभार

मैं इस अवसर पर कंपनी के सभी शेयर धारकों के प्रति, निदेशक मंडल और प्रबंधन में निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूॅ। मैं कंपनी की ओर से अपने सभी वेंडरों, ग्राहकों और व्यवसाय सहयोगियों को कंपनी के विकास और वृद्धि में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूॅ। अंत में, मैं अपने सभी स्टॉकहोल्डर्स, सरकार मुख्यतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, रेलवे, पोर्ट, एनएमडीसी तथा बैंकों आदि को संगठन की गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

डी॰एस॰ढेसी

(डी एस ढेसी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

18 सितम्बर, 2014

निदेशक मंडल

डी एस ढेसी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सरकार द्वारा नामित निदेशक

मधुसूदन प्रसाद

अनीता अग्निहोत्री
16.06.14 तक

बी पी पाण्डेय
16.06.14 से

कार्यरत निदेशक

वेद प्रकाश
निदेशक (विपणन)

राजीव जयदेव
निदेशक (कार्मिक)

एम जी गुप्ता
निदेशक (वित्त)

आनंद त्रिवेदी
निदेशक (विपणन)

पी के जैन
निदेशक (विपणन)
15.05.13 से

निदेशक मंडल

स्वतंत्र निदेशक

अनिल राजदान
12.07.14 तक

जी एस वेदी
13.07.14 तक

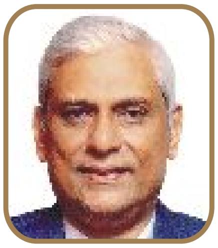

अरूण बालाकृष्णन
15.07.14 तक

अरविन्द कालरा
01.04.13 से

राना सोम
17.04.13 से

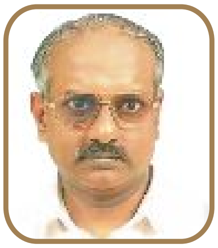

एन बाला भास्कर
22.04.13 से

सुवास पाणि
07.05.13 से

एस आर तायल
09.07.13 से

वरिष्ठ कार्यपालक

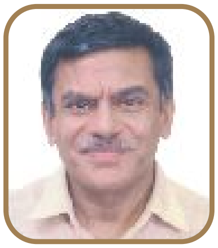

ए के गुप्ता
मुख्य सतर्कता अधिकारी

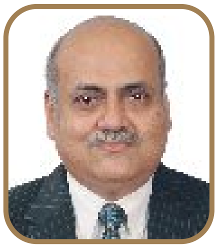

आशीष मजूमदार

प्रीति कौर
30.04.13 तक

विजय पाल

पी के दास

अश्विनी सोंधी

जे किशन

उमेश शर्मा

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,
एमएमटीसी लिमिटेड,
नई दिल्ली

निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कार्यनिष्पादन की 51वीं वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अंकेक्षित लेखा विवरण तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

कार्यनिष्पादन परिणाम

आपकी कंपनी, जो कि भारत की मुख्य व्यापारिक कंपनियों में एक है ने गत वर्ष के 284156.23 मिलियन रुपये के कुल कारोबार की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान 250746.31 मिलियन रुपये का कुल कारोबार दर्ज किया है। इस कुल व्यापार में 41270.27 मिलियन रुपये का निर्यात, 187134.51 मिलियन रुपये का आयात तथा 22341.53 मिलियन रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। अन्य व्यापार आय में रुपये 1948.78 मिलियन की राशि का योगदान शामिल है। आपकी कंपनी द्वारा अर्जित व्यापारिक लाभ गत वर्ष के 2997.48 मिलियन रुपये की तुलना में 3455.79 मिलियन रुपये रहा। पिछले वर्ष 706.24 मिलियन रूपये की सकल हानि की तुलना में कंपनी ने चालू वित वर्ष में 186.42 मिलियन रूपये का सकल लाभ दर्ज किया है।

वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(₹ मिलियन में)

	2013-14	2012-13
बिक्री	**250,746.31**	284,156.23
अन्य व्यापार अर्जन	**1948.78**	1827.36
प्रचालन से प्राप्त कुल राजस्व	**252,695.09**	285,983.59
बिक्री की लागत	**249,239.30**	282,986.11
व्यापारिक लाभ	**3,455.79**	2,997.48
जोड़ें: लाभांश एवं अन्य आय	**845.88**	382.58
घटाएं: स्थापना एवं प्रशासनिक उपरी व्यय तथा असाधारण मदें आदि	**2,597.39**	2639.80
घटाएं: ऋण / दावे बट्टे खाते में डाले गए	**10.74**	0.70
घटाएं: संदिग्ध ऋणों / दावों / अग्रिमों / निवेशों के लिए प्रावधान	**12.74**	62.53
ब्याज, मूल्यहरास पूर्वावधि व कर पूर्व लाभ	**1,680.80**	677.03
जोड़ें: अर्जित ब्याज (निवल)–(वित्तीय लागत घटाकर निवल अर्जित ब्याज)	**707.59**	601.81
मूल्यह्रास, पूर्वावधि व करों से पूर्व लाभ	**2,388.39**	1278.84
घटाएं: मूल्यह्रास	**124.22**	119.70
घटाएं: पूर्वावधि खर्चे	**15.17**	(6.12)
असाधारण मदों तथा करों से पूर्व लाभ	**2,249.00**	1165.26
घटाएं: असाधारण मदें	**2,104.42**	2,443.64
घटाएं: चालू करों के लिए प्रावधान	**765.48**	167.14
घटाएं: आस्थगित करों के लिए प्रावधान	**(807.32)**	(739.28)
कर पश्चात लाभ	**186.42**	(706.24)
जोड़ें: पूर्व वर्ष से आगे लाया गया शेष	**6,444.49**	7,257.19
शेष जिसे निदेशक मंडल ने निम्नानुसार नियोजित किया है:		
(I) प्रस्तावित लाभांश	**150.00**	100.00
(II) लाभांश कर	**25.49**	-
(III) सामान्य रिजर्व	**9.40**	-
(IV) स्थाई विकास रिजर्व	**(2.11)**	2.11
(V) कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व	**(4.23)**	4.36
(VI) अनुसंधान व विकास रिजर्व	**3.54**	-
आगे ले जाने के लिए छोड़ा गया शेष	**6,448.82**	6,444.48

आपकी कंपनी के विभिन्न व्यवसाय समूहों का कार्य निष्पादन प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट में दर्शाया गया है जो यहां संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अंग है।

पुरस्कार एवं रैंकिंग

वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार एवं रैंकिंग प्रदान की गई :

- कैनालाइज्ड एजेंसी / (मिनरल्स एंड ओर सैक्टर) के संबंध में वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी की निर्यात उपलब्धियों के लिए कैपिक्सल का सर्वोच्च निर्यात पुरस्कार – लगातार 21वीं बार
- मैटालर्जी ग्रुप के अंतर्गत पिग आयरन निर्यात में उत्तम प्रदर्शन तथा मिनरल्स ग्रुप के अंतर्गत आयरन ओर, क्रोम ओर व कन्संट्रेट के निर्यात के लिए वर्ष 2010–11 में उत्तम प्रदर्शन करने के लिए डायरेक्ट्रेट आफ एक्सपोर्ट प्रोमोशन एंड मार्केटिंग, ओडिशा सरकार द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र
- वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए राजभाषा ट्राफी, राजभाषा नीति लागू करने के लिए उत्कृष्टता में द्वितीय पुरस्कार।

इक्विटी शेयर पूंजी तथा लाभांश

निदेशक मंडल ने कंपनी की 1000 मिलियन रुपये की इक्विटी पूंजी पर कंपनी के लाभ से वर्ष 2013–14 के लिए 15% की दर से लाभांश घोषित करने की सिफारिश की है।

कर्मचारियों के लिए बिक्री के लिए आफर

सीसीईए के दिनांक 14.9.2012 के अनुमोदन तथा डिसइंवैस्टमेंट डिपार्टमेंट के दिनांक 10.10.2013 तथा 24.03.2014 के पत्राचार की शर्तो के अनुसार एमएमटीसी इक्विटी शेयर की सरकार द्वारा पात्र कर्मचारियों को बिक्री की आफर सफलतापूर्वक पूरी की गई तथा बिक्री से प्राप्त 4,16,80,566 रुपये की राशि भारत सरकार के खाते में जमा की गई। कुल 7,31,238 शेयर 309 कर्मचारियों को बेचे गए।

भारत सरकार द्वारा पात्र कर्मचारियों के शेयरों की बिक्री के परिणामस्वरूप एमएमटीसी ने भारत सरकार की इक्विटी होल्डिंग 90 प्रतिशत से घटाकर 89.93 रह गई है।

रिजर्व

दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को आपकी कंपनी के रिजर्व व अधिशेष में 12407.78 मिलियन रुपये की राशि उपलब्ध थी। कंपनी के निदेशकों ने निगम के पूर्व संचित लाभ से 15 प्रतिशत की दर से लाभांश के भुगतान का प्रस्ताव किया है। तदनुसार दिनांक 31 मार्च, 2014 को आपकी कंपनी के रिजर्व व अधिशेष में 12418.70 मिलियन रूपये उलब्ध होंगे।

विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन

वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी के विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गमन का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

	अर्जन		बहिर्गमन
	मिलियन ₹ में		मिलियन ₹ में
निर्यात	39,116.58	आयात	161,616.36
अन्य	89.98	ब्याज	21.41
		अन्य	1,050.41
कुल	39,206.56	कुल	1,62,688.18

सहायक कंपनी

आपकी कंपनी की, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) को सिंगापुर कानून के तहत अक्तूबर, 1994 में 1 मिलियन अमेरिकी डालर की शेयर पूंजी के साथ निगमित किया गया था। वर्ष 2013–14 के दौरान एमटीपीएल ने 369 मिलियन अमेरिकी डालर का कारोबार किया है। वर्ष 2013–14 के दौरान एमटीपीएल ने 0.06 मिलियन अमेरिकी डालर का कर पश्चात लाभ अर्जित किया। 31 मार्च, 2014 को एमटीपीएल का नेटवर्थ 15.51 मिलियन अमेरिकी डालर था। आपकी कंपनी द्वारा निवेश की गई 1 मिलियन अमेरिकी डालर की पूंजी की तुलना में एमटीपीएल 15.04 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि लाभांश के रूप में भुगतान कर चुकी है।

इंटरनेशनल इंटरप्राइज, सिंगापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2000 से प्रदान किए गए ''ग्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम'' (जीटीपी) प्रतिष्ठित दर्जे को एमटीपीएल अभी तक कायम किए हुए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुसरण में एमटीपीएल के अंकेक्षित वित्तीय विवरण तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है।

एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत प्रोजेक्ट – नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल)

आपकी कंपनी ने उड़ीसा सरकार एवं अन्य के साथ मिलकर 1.1 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाला आयरन एंड स्टील प्लांट, 0.8 मिलियन टन कोक ओवेन तथा कैप्टिव पावर प्लांट की सह उत्पाद यूनिट का नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड(एनआईएनएल) प्रोजेक्ट स्थापित किया है। प्रोजेक्ट को आयरन ओर की आपूर्ति किए जाने के लिए अनुमानित 110 मिलियन टन रिजर्व आयरन ओर के खनन के लीज अधिकार प्राप्त हैं। बेसिक आक्सीजन फर्नेस, आक्सीजन संयंत्र तथा एसएमएस के साथ–साथ इस्पात उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट के फेस–2 को मार्च 2013 में स्थापित कर दिया गया है तथा स्टील बिलेट्स का उत्पादन भी आरंभ हो चुका है। आर्थिक मंदी, विशेषकर स्टील क्षेत्र में आई मंदी के कारण वर्ष 2013–14 के दौरान एमटीपलएल ने 15481.92 मिलियन रुपये का कारोबार दर्ज किया जिसमें 1472.17 मिलियन रुपये की हानि दर्ज की। इस्पात उत्पाद के क्षेत्र में आने वाली संभावित स्थिरता तथा चालू वित वर्ष के अंत तक आयरन ओर खनन के आरंभ हो जाने के साथ एनआईएनएल के प्रदर्शन में एक स्थाई विकास देखे जाने की अपेक्षा है।

प्रोजेक्ट्स/संयुक्त उद्यम

मुक्त बाजार व्यवस्था में उभरते नये अवसरों का लाभ उठाने तथा नये व्यापार क्षेत्र से जुड़ने के लिए आपकी कंपनी ने पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के माध्यम से कुछ संयुक्त उद्यमों को प्रोन्नत किया है। इन मूल्य संवर्धक पहल का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

(i) आपकी कंपनी ने ''इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड'' के नाम व स्टाइल के तहत एक कमोडिटी एक्सचेंज प्रोन्नत किया है जिसने नवंबर 2009 से कार्य करना आरंभ कर दिया है। इस एक्सचेंज ने वर्ष 2012–13 के दौरान 102.60 मिलियन रुपये की निवल हानि की तुलना में वर्ष 2013–14 में 89.84 मिलियन रुपये की निवल हानि दर्ज की है। यह हानि देश में स्थित कामोडिटी एक्सचेंज मार्केट में व्यापत घोर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के कारण रही है।

(ii) आपकी कंपनी ने 'यूनाईटेड स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड' के नाम एवं स्टाईल के अधीन करेंसी फयूचर्स एक्सचेंज की इक्विटी में भागीदारी की है। सितम्बर 2010 में प्रचालन आरंभ करने वाले उक्त एक्सचेंज ने वर्ष 2012–13 के दौरान हुए 4.64 मिलियन रुपये के लाभ की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान 39.30 मिलियन रुपये की हानि हुई है।

(iii) आपकी कंपनी ने एक अंतर्राष्ट्रीय उत्पादक के साथ मिलकर गोल्ड/सिल्वर मेडालियन निर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की है जिसमें ''एमएमटीसी–पैम्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड'' के नाम व स्टाइल से एक गोल्ड रिफाइनरी भी शामिल है जो इसका एक अभिन्न अंग होगी। उक्त मडालियन निर्माण यूनिट जिसने अप्रैल 2011 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था, वर्ष 2013–14 के लिए 737.45 मिलियन रुपये का सकल लाभ अर्जित किया है तथा 30 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की है। वित वर्ष के दौरान एमपीआईपीएल को एलबीएमए से चांदी की रिफाइनरी के लिए गुड डिलीवरी के रूप में अधिकृत किया गया है जो कि इस दर्जे के लिए भारत की पहली और एक मात्र रिफाइनरी है।

(iv) उपर्युक्त यूनिट में तैयार होने वाले उत्पादों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आभूषणों की प्रभावी मार्किटिंग हेतु आपकी कंपनी एक प्रमुख भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी में भारत में विभिन्न स्थानों पर मेडालियंस, स्वर्ण आभूषणों तथा इसके अपने 'सांची' ब्रांड के सिल्वरवेयर्स की बिक्री के लिए रिटेल स्टोर्स की श्रृंखला स्थापित कर रही है। इसके लिए 'एमएमटीसी–गीतांजलि प्राइवेट लिमिटेड' नाम एवं स्टाइल के तहत एक संयुक्त उद्यम को प्रोन्नत किया गया है जिसके इस समय आठ आउटलैटस कार्यरत हैं। एमएमटीसी गीतांजलि प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2012–13 के दौरान 3.52 मिलियन रुपये के सकल लाभ की तुलना में वर्ष 2013–14 में 7.86 मिलियन रुपये का सफल हानि दर्ज की है।

(v) आपकी कंपनी ने सिकाल और एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ मिलकर मेसर्स सिकाल आयरन ओर टर्मिनल्स लिमिटेड(एसआईओटीएल) नाम व स्टाइल के अंतर्गत एन्नौर पोर्ट पर लौह अयस्क लोडिंग सुविधा युक्त बर्थ स्थापित किया है। निर्यात के लिए कर्नाटक राज्य के बेलारी होस्पेट सैक्टर से लौह अयस्क की अनुपलब्धता के कारण एसआईओटीएल का वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ नहीं हो सका। एन्नोर पोर्ट अथारिटीज के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी बातचीत कर रही है कि तमिलनाडू में ताप ऊर्जा संयंत्रों (थर्मल पावर प्लांटस) की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इस सुविधा को लौह अयस्क की अपेक्षा कोयला डिस्चार्ज हैडलिंग के लिए रुपांतरित कर दिया जाए।

(vi) आपकी कंपनी ने नोबल ग्रुप लिमिटेड तथा गैमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस लिमिटेड के साथ मिलकर मैसर्स ब्लू वाटर आयरन ओर टार्मिनल प्राइवेट लिमिटेड नाम एवं स्टाईल के अधीन पारादीप बंदरगाह (उड़ीसा) पर एक डीप ड्राफट आयरन ओर लोडिंग बर्थ के विकास के लिए भागीदारी की है। आवश्यक क्लियरेंस, लौह अयस्क निर्यात व्यापार परिदृश्य में परिवर्तन, लौह अयस्क के खनन पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों, पारादीप बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा छूट देने में इनकार आदि के कारण हुए अत्याधिक विलंब से परियोजना के अलाभकारी होने जाने को ध्यान में रखते हुए इसने निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो पाया तथा अब इसे बंद किया जा रहा है।

(vii) खनन अन्वेषण में निवेश के लिए आपकी कंपनी ने मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड के साथ मिलकर टी एम माईनिंग लिमिटेड(टीएमएमएल) नाम व स्टाईल के अधीन खनन अन्वेषण तथा समवर्गी कार्यकलापों के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। कार्य शुरू करने के लिए उपयुक्त प्रोजेक्ट की खोज में प्रयास जारी है।

(viii) दोतरफा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा स्पेशल इकॉनामिक ज़ोन की तर्ज पर हल्दिया तथा कांडला में आईएल एंड एफएस के साथ मिलकर फ्री ट्रेड तथा वेयरहाउसिंग जोन स्थापित करने के लिए एसपीवी प्रोन्नत किया है। एमएमटीयी द्वारा प्रोन्नत एसपीवी के लिए कांडला में फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन (एफटीडब्ल्यूजैड) स्थापित करने के लिए 75 एकड़ भूमि आबंटित कर दी गई है। कांडला एफटीडब्ल्यूजैड प्रोजेक्ट के प्रथम चरण के विकास का काम चल रहा है। हल्दिया में राज्य सरकार की नीति के अनुसार, एसईजैड अधिनियम की परिधि से बाहर एक अन्तर्राष्ट्रीय कारगो हब बनाने के लिए भी एसपीवी को 200 एकड़ भूमि का आबंटन किया जा चुका है। हल्दिया प्रोजेक्ट की भूमि पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बांड्री वाल के निर्माण का काम शुरू हो गया है। हल्दिया प्रोजेक्ट के लिए बिजनैस प्लान/डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंन्सलटैंट के चयन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।

(ix) आपकी कंपनी को झारखंड राज्य में एक कोयला ब्लॉक आबंटित किया गया है जिसमें कोयले का लगभग 251.18 मिलियन मीलियन टन रिजर्व है जिसे प्रमाणित वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रोसपेक्टिंग लाइसेंस जारी कर दिया गया है तथा पूर्व–व्यावहारिक स्टडी पूरी हो चुकी है। भारत सरकार के मानकों के अनुरूप विस्तृत ड्रिलिंग तथा अन्वेषण कार्य अप्रैल 2013 में पूरा हो चुका है तथा अंतिम भूगर्भीय रिपोर्ट बना ली गई है। उक्त कोयला ब्लॉक से कोयले के संयुक्त खनन के लिए मै. सिंगरेनी कोलियरीज लि. (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ आपकी कंपनी ने एक एमओयू भी निष्पादित किया है। एमएमटीसी को आबंटित कोल ब्लॉक ओएनजीसी को आबंटित सीबीएम ब्लॉक के साथ ओवरलैप कर रही है जिसे कोयला मंत्रालय, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ओएनजीसी/एसईसीएल के साथ संयुक्त रूप से मशवरा करके सुलझाया जा रहा है। माइनिंग प्लान तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का काम मै. एसईसीएल को दिया गया है।

औद्योगिक संबंध तथा मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष के दौरान बिना किसी श्रम दिवस की हानि के आपकी कंपनी में औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बने रहे। कंपनी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ नियमित रूप से बैठकें की गईं ताकि मानव संसाधन संबंधी मुद्दों को परस्पर सहमति के आधार पर हल किया जा सके।

दिनांक 31.03.2014 को कंपनी के कार्मिकों की कुल संख्या 1530 थी इसमें बोर्ड स्तर के कार्यकारी शामिल नहीं होने के अतिरिक्त, 567 अधिकारी तथा 963 कार्मिक शामिल थे। इस कर्मचारी संख्या में पूर्ववर्ती माइका ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका बीआईएफआर के आदेश के अनुसार आपकी कंपनी में विलय हो गया था, के 12 अधिकारी 131 स्टाफ/वक्रर शामिल हैं। कुल कर्मचारियों की मिश्रित संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 20.26%(310 महिला कर्मचारी) था तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व शारीरिक रूप से विकलांगों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 21.56%(330 कार्मिक), 8.49%(130 कार्मिक),

8.69%(133 कार्मिक) तथा 2.02%(31 कार्मिक) था। वर्ष के दौरान कैम्पस भर्ती के माध्यम से 21 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। भर्ती तथा पदोन्नति में एससी, एसटी, ओबीसी तथा पीडब्ल्यूडी के लिए सेवाओं में आरक्षण संबंधी राष्ट्रपति के अनुदेशों का पूर्णतया अनुपालन किया गया।

निरंतर बदलते व्यावसायिक परिदृश्य में कर्मचारियों की दक्षता में बढ़ोत्तरी/उन्नत करने हेतु वर्ष के दौरान 806 कार्मिकों को कंपनी के विभिन्न कार्यकलापों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण कंपनी के अपने अनुभवी विशेषज्ञों तथा बाहरी विख्यात संस्थानों/संगठनों द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों में 125 कर्मचारी अनुसूचित जाति, 55 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति तथा 187 महिला कर्मचारी शामिल थे। जहां तक मानव दिवस का प्रश्न है वर्ष 2013–14 के दौरान कुल प्रशिक्षण अवधि 1995 व्यक्ति दिवस की रही।

राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।वर्ष 2013–14 में आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उदेदश्य से अनवरत प्रयास किये हैं। इस उददेश्य की पूर्ति तथा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कारपोरेट कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़े का आयोजन किया गया।

वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई का निरीक्षण किया जहां माननीय समिति ने एमएमटीसी में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को संतोषजनक पाया। वर्ष के दौरान कंपनी को राजभाषा कार्यालय में किए गए उत्कृष्ट कार्यो के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राजभाषा ट्राफी के रूप में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

सतर्कता

मूल्य आधरित प्रथाओं के माध्यम से कंपनी की साख एवं भरोसे को निरंतर बनाए रखने तथा कंपनी का संचालन पेशेवर ढंग से करने हेतु इसकी स्थिति को मजबूत बनाने, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाला संगठन बनाए रखने की दिशा में आपकी कंपनी के सतर्कता ग्रुप ने निवारक सतर्कता पर विशेष बल दिया। वर्ष के दौरान सतर्कता प्रभाग द्वारा कुल 13 मामले (जिनमें 47 कर्मचारी लिप्त थे) निपटाए गए। आरंभ के 9 मामलों में 5 नए मामले और जुड़ गए (जिनमें 21 कर्मचारी लिप्त थे) निदेशक मंडल द्वारा सतर्कता प्रभाग के काम–काज/अनुशासनिक मामले पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। समीक्षा अवधि के दौरान एमएमटीसी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात सतर्कता अधिकारियों से 60 सतर्कता तथा 19 गैर सतर्कता रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। कारपोरेट रिस्क मैनेजमेंट पालिसी को लागू किया गया है। संदर्भ में ली गई अवधि के दौरान सतर्कता प्रभाग ने 36 शिकायतों पर कार्रवाई की जिनमें 18 पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है तथा शेष 18 पर कार्यवाही जारी है।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2014–15 के दौरान एनएसईएल में घटित 227 करोड़ रुपये के भुगतान न की गई राशि की वसूली के लिए नेशनल स्पोट एक्सचेंज लि. फाइनेंशियल टैक्नोलोजीज तथा अन्य के विरूद्ध माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया है। एनएसईएल ने अगस्त 2013 से किए गए साप्ताहिक भुगतान से आपकी कंपनी ने 14.23 करोड़ रुपये की राशि वसूल कर ली है। आपकी कंपनी ने इकोनोमिक ओफेंस विंग में एनएसईएल के विरूद्ध अपराधिक मामला भी दर्ज किया है। जुलाई 2014 में दिल्ली पुलिस तथा सीबीआई मुम्बई ने भी नियमित मुकदमा दायर किया है जिसमें तहकीकात जारी है। रिपोर्ट मिली है कि इकोनोमिक्स ओफेंस विंग, मुम्बई पुलिस ने महाराष्ट्र प्रोटेक्शन आफ इन्ट्रेस्ट आफ डिपोजिटरी एक्ट के तहत डिफाल्टर्स की 5100 करोड़ रुपये मूल्य की जायदाद जब्त की है। इसके अतिरिक्त एनएसईएल की तहकीकात प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय तथा फार्वर्ड माक्रिट कमीशन भी कर रहा है। आपकी कंपनी को आशा है कि वह 13000 दूसरे डिपोजिटर्स की 5600 करोड़ रुपये की राशि के साथ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों द्वारा जब्त डिफाल्टर्स की जायदाद की बिक्री से अपनी बकाया राशि वसूल कर लेगी।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के सतर्कता ग्रुप ने दिनांक 29.10.2013 से 02.11.2013 के दौरान एमएमटीसी के विभिन्न कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। सप्ताह की विषय वस्तु भी 'सुशासन का प्रचार – सतर्कता का सकारात्मक योगदान''था।

जोन के आधार पर सतक्रता अधिकारी तथा गैर सतक्रता अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं/प्रशिक्षण के कार्यक्रम को पुनः सूचीबद्ध करना, वर्तमान ईआरपी माडॅयूल में विद्यमान खामियों को दूर करने के लिए ईआरपी सिस्टम का अपग्रेडेशन करना, केवाईसी मानदंडों के आधार पर नए सर्राफा ग्राहकों/उनकी साख/फाइनेंशियल स्टैंडिंग की जांच, एमएमटीसी बुलियन ड्रिल के प्रावधानों के अनुसार किए जाने के लिए सभी कार्यालयों को निर्देश जारी करना तथा पर्याप्त वित्तीय स्क्यूरिटी लेने पर जोर देना आदि सतक्रता प्रभाग द्वारा की गई नई पहल में आते हैं।

सत्यनिष्ठा समझौता

वर्ष के दौरान कंपनी में सत्यनिष्ठा समझौते को लागू किया गया जिससे कि बिडर्स के बीच पारदर्शिता/निष्पक्षता को बढ़ावा मिल सके और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को निरस्त किया जा सके। सत्यनिष्ठा समझौता केन्द्रीय सतक्रता आयोग द्वारा सार्वजनिक सरकारी खरीद में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए किए गए उपायों की श्रृंखला का भाग है। श्री विजय चटर्जी, आईएएस(सेवानिवृत्त) को इंडिपेन्डेंट एक्सटर्नल मोनीटर (आईईएम) के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास

एक सच्चे उत्तरदायी उद्यम के रूप में आपकी कंपनी सदैव ही अपने सामाजिक दायित्व का यथासंभव सर्वोत्तम रूप से निर्वाह करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। वर्ष 2006–07 से कंपनी में समाज तथा पर्यावरण की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। सीएसआर संबंधी मामलों को निपटाने के लिए आपकी कंपनी ने भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम प्रभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति में बदलाव किए हैं। लागू सीएसआर दिशा निर्देशों की शर्तो में वर्ष 2012–13 में कंपनी द्वारा लाभ न कमाने के कारण सीएसआर/एसडी प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी राशि नहीं रखी गयी थी। तथापि विगत वर्षो में खर्च न की गई राशि को वर्ष 2013–14 में आगे लाकर ओडिशा के जाजपुर जिले में बढ़ती रोजगार मांग की पूर्ति के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन तथा दिल्ली में एमएमटीसी आवास कालोनी में उर्जा –सक्षम लाइटिंग सिस्टम लगाने के क्षेत्रा में सीएसआर तथा एसडी प्रोजेक्टस पर खर्च की गई।

आपकी कंपनी ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया की भी सदस्य है तथा सीएसआर/एसडी गतिविधियों के अतिरिक्त ग्लोबल कम्पैक्ट प्रिंसिपल के अनुसार कदम उठाती है। प्रतिवर्ष कंपनी अपनी प्रगति (सीओपी) की रिपोर्ट यू एन ग्लोबल कम्पैक्ट को भी सौंपती है।

कारपोरेट गवर्नेंस

कारपोरेट गवर्नेंस विशेष महत्व का क्षेत्र है जो सरकार तथा व्यापार के लिए ही नहीं अपितु उन सभी के लिए है जो संस्था के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हैं, चाहे वे निवेशक, निदेशक, कर्मचारी, सप्लायर्स, ग्राहक अथवा सामान्य समुदाय ही क्यूं न हो। आपकी कंपनी निरंतर विकास तथा कारपोरेट गवर्नेंस की प्रथाओं को अपनाने तथा उनके समर्पण के प्रति अपनी आस्था को पुनः दोहराती है।

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीकरण समझौते में दिए गए खंड 49 के अनुपालन में कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी एक पृथक रिपोर्ट तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं, जो रिपोर्ट के अभिन्न अंग हैं।

आचार संहिता

स्टॉक एक्सचेजों के साथ हुए सूचीकरण समझौते में निहित खंड 49(आई)(डी) के अनुसरण में बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के संबंध में एक विस्तृत आचार संहिता निर्धारित की गई है तथा इस संहिता को आपकी कंपनी की वेबसाइट पर दिया गया है। एक महाप्रबंधक(निलंबनाधीन) को छोड़कर बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ

प्रबंधन अधिकारियों जो दिनांक 31 मार्च, 2014 को कंपनी के नियमित रोल्स पर थे और जिन पर यह संहिता लागू होती है, ने 31 मार्च 2014 को समाप्त अवधि के लिए संहिता के अनुपालन के लिए वचनबद्धता प्रकट की है।

एक महाप्रबंधक(निलंबनाधीन) को छोड़कर बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों जो दिनांक 31 मार्च, 2014 को कंपनी के नियमित रोल्स पर थे और जिन पर यह संहिता लागू होती है, ने 31 मार्च 2014 को समाप्त अवधि के लिए संहिता के अनुपालन के लिए वचनबद्धता प्रकट की है।

अध्यक्षीय निदेश

एमएमटीसी लिमिटेड को वर्ष 2013–14 के दौरान आर्टिकल आफ एसोसिएशन के आर्टिकल 136 के अनुसरण में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के पत्र संख्या 28.9.2013 के माध्यम से अध्यक्षीय निदेश प्राप्त हुए जिसमें श्री वेद प्रकाश, वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक को श्री डी. एस.ढेसी, सीएमडी की अनुपस्थिति में दिनांक 30.9.2013 को आयोजित एजीएम के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का निदेश मिला।

बिजनेस दायित्व रिपोर्ट

सेबी के दिशा निर्देशों तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग एग्रीमेंट की धारा 55 के प्रावधानों के अनुरूप बीएसई द्वारा उपलब्ध करवाई गई 100 प्रमुख कंपनियों की सूची के आधार पर आपकी कंपनी ने वर्ष 2013–14 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए बिजनेस दायित्व रिपोर्ट तैयार की है। निगम की कारपोरेट सोशल दायित्व तथा सतत विकास गतिविधियों से संबंधित पर्यावरण, सामाजिक तथा गवर्नेंस मापदंडों के आकलन हेतु सेबी द्वारा सुझाए गए फ्रेमवक्र तथा सिद्वांतों का अनुसरण किया गया है। आपकी कंपनी की सर्वप्रथम बिजनेस दायित्व रिपोर्ट संलग्न है तथा यह वार्षिक रिपोर्ट का अंग है।

सार्वजनिक जमा योजना

दिनांक 1 अप्रैल, 2013 को कोई भी सार्वजनिक जमा राशि बकाया नहीं थी तथा कंपनी ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी सार्वजनिक जमा राशि आमंत्रित/स्वीकार नहीं की।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वर्ष 2013–14 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के प्रति प्रबंध तंत्र के उत्तर संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत कंपनी के लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियों तथा उस पर प्रबंध तंत्र का उत्तर, यदि कोई है को वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किया जायेगा।

ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी के माइका ग्रुप का वर्ष 2012–13 के दौरान किसी भी प्रकार का परिचालन कार्य नहीं हुआ। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(प)(ई) के अनुसरण में ऊर्जा संरक्षण का विवरण इस रिपोर्ट में संलग्न है।

कर्मचारियों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पठनीय कंपनी (कर्मचारी विवरण) नियम, 1975 समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं था जिसे वर्ष 2013–14 के दौरान 60 लाख रुपये से अधिक वर्ष भर में अथवा 5 लाख रुपये प्रतिमाह की राशि पारिश्रमिक के तौर पर प्राप्त हुई है।

निदेशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2एए) के प्रावधानों के अनुसरण में आपके निदेशकों का कथन हैः–

i) कि वार्षिक लेखों को तैयार करते समय मान्य लेखा मानकों का पालन किया गया है और सामग्री निर्गम से संबंधित उचित विवरण प्रस्तुत किये गये हैं।

ii) कि निदेशकों ने उन लेखा नीतियों का चयन किया तथा उन्हें निरंतर अपनाया और ऐसे निर्णय व आकलन किए जो वित्त वर्ष के लिए कंपनी के कार्यकलापों तथा दिनांक 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की हानि की सत्य व सही स्थिति दर्शाने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

iii) कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताएं रोकने तथा उनका पता लगाने के संबंध में लेखों का समुचित रिकार्ड रखने के लिए निदेशकों ने उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया।

iv) कि निदेशकों ने वार्षिक लेखों को प्रचलित प्रथाओं के आधार पर तैयार किया है।

निदेशक मंडल

दिनांक 1 अप्रैल 2013 से निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :–

- श्री अरविंद कालरा ने दिनांक 1 अप्रैल, 2013 को एमएमटीसी के बोर्ड में अंशकालिक नॉन आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री राना सोम ने दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को एमएमटीसी के बोर्ड में अंशकालिक नॉन आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री एन बाला भास्कर ने दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को एमएमटीसी के बोर्ड में अंशकालिक नॉन आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- डा. सुवास पाणि ने दिनांक 7 मई, 2013 को एमएमटीसी के बोर्ड में अंशकालिक नॉन आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री पी के जैन ने दिनांक 15 मई, 2013 को एमएमटीसी के बोर्ड में निदेशक(विपणन) का पदभार ग्रहण किया।
- श्री स्कन्द रंजन तायल ने दिनांक 9 जुलाई, 2013 को एमएमटीसी के बोर्ड में अंशकालिक नॉन आफिशियल(स्वतंत्र) निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्रीमती अनिता अग्निहोत्री, एएसएंडएफए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 16 जून, 2014 को एमएमटीसी के निदेशक मंडल से अंशकालिक निदेशक का पद छोड़ा।
- श्री भगवती प्रसाद पांडे, एएसएंडएफए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 16 जून, 2014 को एमएमटीसी के निदेशक मंडल में श्रीमती अनिता अग्निहोत्री के स्थान पर अंशकालिक निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- श्री अनिल राजदान ने दिनांक 12 जुलाई, 2014 को अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक का पद छोड़ा।
- श्री जी एस वेदी ने दिनांक 13 जुलाई, 2014 को अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक का पद छोड़ा।
- श्री अरूण बालाकृष्णन ने दिनांक 15 जुलाई, 2014 को अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक का पद छोड़ा।

निदेशक मंडल श्रीमती अनीता अग्निहोत्री, श्री अनिल राजदान, श्री जी.एस. वेदी और श्री अरूण बालाकृष्णन द्वारा प्रदान की गई प्रशंसनीय सेवाओं और योगदान के लिए आभार प्रकट करता है। निदेशक मंडल श्री बी.पी. पांडे का स्वागत करता है और विश्वास व्यक्त करता है कि कंपनी इनके बहुमूल्य तथा विविध अनुभवों से लाभान्वित होंगें।

कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 87 (4)(ए) के प्रावधान के अनुसार, जो निदेशकों के क्रमवार सेवानिवृति से संबंधित है, श्री पी.के. जैन, निदेशक(विपणन) और श्री आनंद त्रिवेदी, निदेशक(विपणन) वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगें और पात्र होने के कारण उन्होनें पुर्ननियुक्ति हेतु प्रस्ताव किया है।

आभार

आपके निदेशक सभी स्टेकहोल्डर्स–शेयरहोल्डर्स वाणिज्य मंत्रालय, सभी सरकारी एजेंसियों, आरबीआई और अन्य बैंक, रेलवे, कस्टम, पोर्ट, एनएमडीसी, ग्राहकों, आपूर्तिकारों और अन्य व्यवसायी भागीदारों के प्रति उनके द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त हुए उत्कृष्ट समर्थन एवं सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है। आपके निदेशकगण कंपनी के सभी कर्मचारियों के प्रभावी एवं कठिन परिश्रम तथा कंपनी की प्रगति में उनके द्वारा दिए गए सतत सहयोग की भी सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

(डी.एस.ढेसी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक 13.8.2014

प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट 2013–14

वैश्विक व्यापार और घटनाक्रम पर एक नजर

जनवरी 2014 से जारी आईएमएफ वर्ड इकोनामिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) से 2013 की दूसरी छमाही में 2014–15 में और अधिक सुधार होने की उम्मीद के साथ वैश्विक आर्थिक क्रियाकलाप को प्रमुखता से दर्शाता है। आउटलुक ने 2014 में 3.7 प्रतिशत और 2015 में 3.9 प्रतिशत वैश्विक वृद्धि को दर्शाया है। इसमें इस बात का भी उल्लेख है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के समर्थन के साथ विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार होगा क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अंतिम मांग में उच्च इंवेंट्री मांग का विस्तार हुआ है। दूसरी ओर उभरते हुए बाजारों में वित्तीय स्थिति इक्विटी मूल्यों के साथ पूरी तरह से वसूली नहीं हो पाने तथा यूएस द्वारा मई, 2013 में मूल्य कम करने की घोषणा के बाद दबाव में कटौती की वसूली नहीं हो पाने के कारण संकुचित रही है।

ईएमडीई में वर्ष 2014 में 3.1 प्रतिशत और 2015 में 5.4 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। वर्ष 2014 एवं 2015 में चीन की विकास दर 7.5 प्रतिशत तथा 7.3 प्रतिशत की दर से प्रोजेक्ट की गई है। निवेश में सुधार के कारण वर्ष 2013 की दूसरी छमाही में चीन की वृद्धि दर में उछाल आया है। भारत में अच्छे मानसून और निर्यात में बढोतरी के कारण वृद्धि हुई और मजबूत ढांचागत नीतियों के कारण और वृद्धि होने के आसार है।

डब्ल्यूटीओ ने भारत को वैश्विक व्यापार में 1.6 प्रतिशत शेयर के साथ विश्व का 19वां सबसे बडा मर्चेन्डाईज निर्यातक का दर्जा और 2.6 प्रतिशत शेयर के साथ 2012(एसटीओ के इंटरनेशनल स्टेटिक्स 2013) में विश्व आयात में 10वां सबसे बडा निर्यातक है। वाणिज्यिक सेवा व्यापार में विश्व बाजार के 3.4 प्रतिशत शेयर के साथ छठा सबसे बडा निर्यातक और विश्व बाजार के 3 प्रतिशत शेयर के साथ 7वां सबसे बडा आयातक है।

वर्ष 2013–14 के दौरान भारत के घटनाक्रम पर एक नजर

भारत के चालू लेखा घाटे में वर्ष 2012–13 में जीडीपी 4.7 प्रतिशत से नाटकीय रूप में सुधर कर वर्ष 2013–14 में 1 प्रतिशत हो गया है। मार्च 2013 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा रिजर्व 292 मि. यूएस डालर था जोकि मार्च 2014 के अंत में बढ़कर 304.2 मिलियन यूएस डालर हो गया। भारत की आर्थिक वृद्धि नियंत्रण में रहते हुए 2013–14 में 4.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 4.6 प्रतिशत रही जिसका विशेष कारण निर्माण व खनन उत्पादन में कमी थी। देश की अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2013–14 में 4.5 प्रतिशत रहा जोकि पिछले दशक में सबसे धीमी रफतार थी। वर्ष 2013–14 में वृद्धि दर केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के अग्रिम आकलन 4.9 प्रतिशत से भी कम रही। चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान प्रति यूएस डालर भारतीय रुपये में 53.7355 से 68.3611 रुपये तक घटता–बढ़ता रहा। नई सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पुर्नजीवित करने की आशा से बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा जो अर्थव्वस्था के लिए अच्छा माना जाता है।

एमएमटीसी 2013–14 का सिंहावलोकन

वित्तीय समीक्षा

आपकी कंपनी ने गत वर्ष के 28456.23 मिलियन रुपये के कुल व्यापार की तुलना में वर्ष 2013–14 में 250746.3 मिलियन रुपये का व्यापार किया। इस कुल व्यापार में 41270.29 मिलियन रुपये के निर्यात, 187134.51 मिलियन रुपये के आयात तथा 22341.53 मिलियन रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। अन्य व्यापार संबंधित अंशदान 1948.78 मिलियन रुपये का है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2012–13 में 2997.48 मिलियन रुपये की तुलना में इस वर्ष 3455.79 मिलियन रुपये का व्यापारिक लाभ अर्जित

किया है। कंपनी द्वारा वर्ष 2012–13 में सामान्य गतिविधियों से अर्जित कर पूर्व लाभ वर्ष 2012–13 के 1165.26 की तुलना मे 2249.00 मिलियन रुपये रहा। कंपनी ने पिछले वर्ष में 706.24 मिलियन रुपये की निवल हानि की तुलना में चालू वर्ष में 186.42 मिलियन रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। अतः उपरोक्त असाधारण गतिविधि के उपरांत वित्त वर्ष 2013–14 के लिए प्रत्येक 1/– रुपये अंकित मूल्य के शेयर पर लाभ सकारात्मक होकर 0.19 रुपये हो गया। कंपनी के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन से 707.59 मिलियन रुपये का सकल ब्याज अर्जन हुआ। वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी की कारपोरेट टैकस देयता 752.24 मिलियन रुपये थी। एमएमटीसी निरंतर जीरो दीर्घावधि ऋण वाली कंपनी बनी हुई है।

निधियों के स्त्रोत तथा इनका उपयोग

दिनांक 31 मार्च 2014 को कंपनी की निधियों के स्त्रोत में, 13407.78 मिलियन रुपये का शेयर होल्डसर फंड जिसमें 1000 मिलयन रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी तथा नॉन करंट एवं करंट देयताएं क्रमशः 1924.42 मि. रुपये तथा 31626.99 मिलियन रुपये शामिल हैं। इन निधियों का उपयोग अन्य के साथ–साथ दिनांक 31 मार्च 2014 को 8318.58 मिलियन रुपये नॉन करंट परिसंपत्तियों तथा 38651.53 मि. रुपये करंट परिसंपत्तियों में किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया

एमएमटीसी में दैनिक मामलों का प्रबंधन विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों पर सुपरिभाषित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा गठित संबंधित निदेशक समितियों, जिनका विवरण संलग्न कारपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट में दिया गया है, द्वारा प्रमुख मामलों पर सतर्कतापूर्ण निर्णय देने के लिए विचार विमर्श किया जाता है।

एमएमटीसी की एक सुव्यवस्थित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली तथा प्रक्रिया है जो इसकी विभिन्न गतिविधियों के अनुरूप है। निगम का एक प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग है जो पूरे वर्ष लेखा परीक्षा के लिए बाहरी लेखा परीक्षा करने वाली फर्मों के साथ मिलकर काम करता है। बुलियन लेन देन की समवर्ती परीक्षा, जहां आवश्यरक समझा गया पूर्व वर्षो के बुलियन लेन देन हेतु विशेष लेखा परीक्षा आरंभ करते हुए, आंतरिक लेखा परीक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक पहल की गईं। आंतरिक लेखा परीक्षा को और सशक्त बनाने के लिए अतिरिक्त मानव शक्ति की तैनाती करने के साथ–साथ आंतरिक नियंत्रणों को सशक्त बनाने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा संहिता (मैन्युल) को भी अद्यतन करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा आन्तरिक लेखा परीक्षकों के, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों पर विचार तथा टिप्पणी जानने के लिए, निरंतर संपर्क में रहती है।

सहायक कंपनी

वित्तीय रिपोर्टों पर कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों की चिंताओं एवं टिप्पणियों का निदान करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करती रहती है। लेखा परीक्षा समिति के निदेशों का प्रबंध तंत्र द्वारा कड़ाई से कार्यान्वयन किया जाता है। आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) को सिंगापुर कानून के तहत अक्तूबर, 1994 में 1 मिलियन अमेरिकी डालर की शेयर पूंजी के साथ निगमित किया गया था। कंपनी अपनी शुरूआत से ही कमोडिटी की ट्रेडिंग कर रही है और इसने सिंगापुर में अपने आपको विश्वसनीय और प्रतिष्ठित व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित किया है। वर्ष 2012–13 के दौरान एमटीपीएल ने 369 मिलियन अमेरिकी डालर का व्यापारिक कारोबार किया था। वर्ष 2013–14 के दौरान एमटीपीएल ने कर पश्चात 0.06 मिलियन अमेरिकी डालर का लाभ अर्जित किया है। 31 मार्च, 2014 को एमटीपीएल का नेथवर्थ 15.51 मिलियन अमेरिकी डालर था। सहायक कंपनी में निवेश किए गए 1 मिलियन अमेरिकी डालर का नेटवर्थ बढकर 15 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक हो जाने के अतिरिक्त आपकी कंपनी द्वारा लगाई गई 1 मिलियन अमेरिकी डालर की पूंजी के विरुद्ध एमटीपीएल अब तक 15.04 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि के लाभांश का भुगतान भी कर चुकी है।

वर्ष 2000 में सिंगापुर सरकार की संस्था इंटरनेशनल एंटरप्राइज द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित अवार्ड 'ग्लोब्ल ट्रेडर प्रोग्राम'(जीटीपी) को एमटीपीएल ने अभी भी बनाए रखा है।

वर्ष 2013–14 के लिए समूहवार बिजनेस समीक्षा

खनिज

लौह अयस्क के खनन तथा बेलारी हास्पेट सैक्टर से निर्यात पर प्रतिबंध, पूर्वी क्षेत्र से निर्यात के विनियमन, निर्यात के लिए रेल भाड़े में वृद्धि जो अयस्क के घरेलू संचलन से वर्तमान में लगभग तीन गुना अधिक है, अयस्क की घरेलू मांग में वृद्धि तथा उच्चतर कस्टम ड्यूटी आदि जैसे घटनाक्रम ने आस्ट्रेलिया एवं ब्राजील जैसे अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्त्ताओं की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान भारतीय लौह अयस्क के निर्यात को प्रभावित किया है। घरेलू स्टील उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण निर्यात के लिए क्रोम तथा मैगनीज अयस्क की उपलब्धता में कमी आई है। क्रोम अयस्क/कंसंट्रेट पर निर्यात शुल्क में 30 प्रतिशत एड वैलोरम आधार पर की गई हाल ही में वृद्धि ने निर्यात के लिए इन अयस्कों की उपलब्ध्ता को वित्त वर्ष 2012–13 में और भी कम कर दिया है । इसके बावजूद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतियोगिता होते हुए भी आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान खनिजों के प्रमुख निर्यातक का दर्जा बनाए रखा।

उपरोक्त बाधाओं के बावजूद आपकी कंपनी के अयस्क समूह ने वर्ष 2013–14 के दौरान 23204 मिलियन रुपये के कुल व्यापार का अंशदान किया है जिसमें 20372.7 मिलियन रुपये के निर्यात, 50.7 मिलियन रुपये का आयात तथा 2781.1 मिलियन रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है। इस समूह द्वारा किए गए निर्यात में 16702.6 मिलियन रुपये मूल्य के लौह अयस्क, 3325.70 मिलियन रुपये के क्रोम अयस्क/कंसंट्रेट तथा 144.40 मिलियन रुपये के मैगनीज अयस्क शामिल है। समूह ने 50.7 मिलियन रुपये के मैगनीज अयस्क का दक्षिणी अफ्रीका से आयात किया है । इस

समूह के घरेलू व्यापार में 2511.9 मिलियन रुपये का लौह अयस्क तथा 89.8 मिलियन रुपये के डोलोमाईट, तथा 65.9 मिलियन रू0 का लाइमस्टोन शामिल हैं।

जापान स्टील मिल्स तथा पोहांग आयरन एण्ड स्टील कंपनी दक्षिण कोरिया के साथ लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि सविदा के अंतर्गत चालू वर्ष में लौह अयस्क का आयात जारी रहा जो वित्त वर्ष 2014–15 तक वैद्य है।

भारत में स्टील उत्पाद / उपभोग में वृद्धि से घरेलू उद्योग में लौह अयस्क की मांग बढेगी जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में लौह अयस्क की उपलब्धता पर असर पड सकता है।

बहुमूल्य धातुएं रत्न व आभूषण

भारतीय बुलियन व्यापार में आपकी कंपनी की स्थिति बाजार में अग्रणी है जो देश भर में फैले अपने विभिन्न केन्द्रों से कार्यकलाप में संलग्न है, इसके साथ–साथ अपने स्थायी संबंध बनाए रखते हुए यह टिकाउ उत्पाद सेवाएं देती है। बुलियन के मूल्यों के साथ–साथ अमरीकी डालर की भारतीय रुपये में विनिमय दरों में तीव्र उतार चढ़ावों के बावजूद वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी के बहुमूल्य धातु समूह का कुल व्यापार 91731.4 मिलियन रुपये का हुआ। समूह ने यह कारोबार अपने कार्यकलापों में विविधीकरण लाकर प्राप्त किया जिसमें 84115.9 मिलियन रुपये सोने तथा चांदी का आयात शामिल है।

आपकी कंपनी का बहुमूल्य धातु समूह ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार के लिए प्रयासरत है तथा वर्ष 2013–14 के दौरान भारत के स्वर्ण व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 4.4 प्रतिशत है। बहुमूल्य–धातु समूह मूल्यसंवर्धित उत्पादों जैसे आभूषण, मेडालियंस तथा सिल्वरवेयर की बिक्री में सुधार करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। कंपनी के संयुक्त उद्यम एमपीआईपीएल में वर्ष 2012 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था इस उद्यम ने वर्ष 2013–14 में 737.4 मिलियन रुपये का लाभ अर्जित किया। वित्त वर्ष 2013–14 की अंतिम तिमाही के दौरान घरेलू उपयोग के लिए सोने के आयात पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न उपाय किए जिससे भारत के बढते हुए चालू वित्त घाटे के गैप को कम किया जा सके। हाल ही में भारत सरकार ने गोल्ड ट्रेडिंग के खेप माडल को वापिस लेकर लिए नामित एजेंसियों को सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया और दूसरी ओर सोने के आयात पर कस्टम ड्यूटी को 10 प्रतिशत पर बनाए रखा जो कि हाल के वर्षों में सबसे अधिक है। आरबीआई के 14 फरवरी 2014 के परिपत्र के कारण एमएमटीसी की सोने के आयात की मात्रा भी सीमित हो गई है, जिसके अनुसार एमएमटीसी के किसी भी केंद्र द्वारा सोने के आयात की अधिकतम सीमा किसी भी पहले या दूसरे लॉट में किए गए सोने के आयात पर निर्भर करती है। आशा की जाती है कि वर्ष 2014–15 के दौरान सोने की खपत बढेगी क्योंकि निवेश की मांग धीरे–धीरे वापिस आ रही है और भारत में आभूषणों की मांग निरंतर यथावत बनी हुई है।

नई सरकार के बनने तथा भौगोलिक तथ्य के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए 2014–15 में बुलियन की मांग में वृद्धि होने की आशा है तथापि सोने और चांदी के मूल्य तथा एक्सचेंज दरों में अस्थिरता का दबाव बना रहेगा। भारत सरकार चालू लेखा घाटे को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों से सोने के आयात पर नियंत्रण के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी। चालू वर्ष में आभूषणों की फुटकर बिक्री में ग्राहकों की उपलब्ध प्रयोज्य आय और भारत की जनसंख्यीय रूपरेखा को देखते हुए वृद्धि होने की संभावना है। कंपनी को बुलियन सैक्टर में मूल्यवर्धित उत्पादों और सेवाओं में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

भारत विश्व में हीरा प्रसंस्करण के लिए एक सबसे बडे केंद्र के रूप में उभरकर आया है, विश्व में अपने प्रतिस्पर्धी स्थान को बनाए रखने के लिए और एसएमई को बल प्रदान करने के लिए कच्चे हीरों तक पहुंच बनाना नितांत आवश्यक है। भारत में हीरा प्रसंस्करण उदयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एमएमटीसी प्रमुख आयातक बनने के लिए इस अवसर को प्रभावी बना सकता है।

धातुएं तथा औद्योगिक कच्चा माल

वर्ष 2013–14 के दौरान एमएमटीसी के कुल व्यापार में धातु समूह का 15191.2 मिलियन रुपये का योगदान रहा। इस समूह के योगदान में एनआईएनएल, एमएमटीसी द्वारा प्रोन्नत लौह व इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित 10992.3 मिलियन रुपये के पिग आयरन का निर्यात, 17.7 मिलियन रुपये के स्लैग का निर्यात, 1779.1 मिलियन रुपये की अलौह धातुओं एवं 66.7 मिलियन रुपये के औद्योगिक कच्चे माल का आयात तथा 2335.4 मिलियन रुपये की घरेलू बिक्री शामिल है।

जहां तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम आदि के घरेलू बाजार में देसी उत्पादकों का प्रभुत्व है वहीं एनएफएम का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में अस्थिरता के कारण मांग में कमी खासकर यूरोपियन यूनियन ऋण संकट तथा विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अन्य तथ्य, जिन्होंने वर्ष 2013–14 के दौरान अलौह धातु व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया, उनमें एल्यूमिनियम, कापर, लैड और जिंक के घरेलू निर्माताओं द्वारा उत्पादन में वृद्धि के कारण अलौह धातुओं का आयात बाजार सिकुड गया तथा वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान उद्योगों में व्याप्त मंदी, प्रतिस्पर्धी होते हुए बाजार, एमएमटीसी द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के उपाय करने पर कायम रहने के कारण ग्राहकों ने नए आपूर्तिकारों को ढूंढ लिया तथा सीधे आयात करने लग गए। भविष्य की रणनीतियों में एफटीडब्ल्यूजेड द्वारा एनएफएम की बिक्री की संभावनाओं की तलाश, कारपोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर एनएफएम के विपणन के लिए उचित और प्रशिक्षित कार्मिकों की तैनाती, छोटी धातु और फैरो एलोय बाजारों में व्यापार का विस्तार, आपूर्ति के स्रोतों में विविधीकरण लाना तथा कमोडिटी एक्सीचेंज में हेजिंग शामिल हैं।

कृषि उत्पाद

वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी के कृषि उत्पाद समूह ने 24696.8 मिलियन रुपये का रिकार्ड व्यापार किया जिसमें 7539.4 मिलियन रुपये मूल्य का गेहूं निर्यात, 12120.6 मिलियन रुपये के खाद्य तेलों का आयात, 18.7 मिलियन रुपये की दालें/डनपीस के साथ–साथ स्पॉट कमोडिटी एक्सचेंज पर कृषि उत्पादों की घरेलू ट्रेडिंग भी शामिल है।

वर्ष के दौरान एमएमटीसी ने दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, फिलीपीन्स, अफ्रीका आदि के खरीददारों को सफलतापूर्वक गेहूं का निर्यात किया। राज्यू सरकारों की पीडीएस की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ–साथ निजी उद्योगों के लिए भी मुख्य्तः मलेशिया और इंडोनेशिया से खाद्य तेल का आयात किया गया। राज्य सरकारों के अनुरोध पर पीडीएस के माध्यम से वितरण हेतु खाद्य तेलों की आपूर्ति भी की गई।

कृषि उत्पादों का व्यापार मुख्यतः सरकारी नीतियों, जलवायु का रुख, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात, रुपये– अमेरिकी डालर विनिमय दर में विषमता इत्यादि विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करता है। सरकारी नीतियां मुख्यतः घरेलू बाजारों इत्यादि में खादय स्फीति, कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से तैयार की जाती हैं। जैसे ही रुपये का अवमूल्यन होता है निर्यात करना व्यवहार्य हो जाता है और आयात करना मंहगा हो जाता है। समूह ने सरकार के निर्देशों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ कंपनी की लाभप्रदता में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत सरकार द्वारा समय पर सब्सिडी का भुगतान नहीं करना भी समूह के लिए समस्या बनी हुई है। खाद्य सुरक्षा बिल आरंभ होते ही, सरकार ज्यों ही आदेश करती है तो एमएमटीसी खाद्य वस्तुओं के आयात हेतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए पूर्णतः तैयार है। कंपनी के कृषि उत्पाद समूह ने एग्रो व्यापार की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी योजनायें व रणनीतियों को तैयार कर रखा है।

उर्वरक तथा रसायन

उर्वरक एवं रसायन समूह ने 39871.8 मिलियन रुपये का कारोबार किया है। यह कारोबार यूरिया, एमओपी, सल्फरर, टेक्नीकल ग्रेड यूरिया, काम्पलेक्स उर्वरक और अमोनियम सल्फेमट के व्यवसाय में हासिल किया है।

वर्ष के दौरान भारत सरकार की ओर से 34463.7 मिलियन रुपये मूल्य के 1.7 मी.टन यूरिया का आयात किया गया। एमएमटीसी ने अपने निर्यात कार्यकलाप को जारी रखते हुए नेपाल को लगभग 2348.3 मिलियन रुपये के 0.7 मी.टन उर्वरक का निर्यात किया। वर्ष के दौरान एमएमटीसी ने लगभग 3011 मिलियन रुपये मूल्य के उर्वरक (गैर सरणीकृत) का आयात किया।

एमएमटीसी अमोनियम सल्फेट का घरेलू व्यापार भी करती है जो उड़ीसा सरकार के साथ एमएमटीसी द्वारा प्रोनन्त संयुक्त उपक्रम आयरन एवं स्टील प्लांट (एमआईएनएल) के परिचालन का सह–उत्पाद है। कारोबार में इसका कुल 49 मिलियन रुपये का योगदान है।

हाल ही के वर्षों से भारत में उर्वरक उद्योग कठिन दौर से गुजर रहा है। समीक्षाधीन वर्ष सामान्यतः उर्वरक उद्योग के लिए कठिन दौर रहा क्योंकि विभिन्न उर्वरकों के आयात मूल्यों में काफी असमानता रही जोकि एमआरपी की तुलना में एवं घरेलू तौर पर उपलब्ध अनुदान के बाद भी बहुत ही उच्च स्तर पर बनी रही। मूल्यों में असमानता के कारण यूरिया को छोड़कर सभी उर्वरकों के मामले में मांग में भारी कमी आई है।

उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के भारत सरकार के प्रयासों के बावजूद भारत अभी भी उर्वरकों के आयात पर निर्भर है। देश में यूरिया के घरेलू उत्पादन में सुधार आने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। देश में विभिन्न उर्वरकों का उत्पादन, विभिन्न कच्चे माल जैसे अमोनिया, रॉक फास्फेट, फास्फोरिक एसिड, गैस इत्यादि की लागत तथा उपलब्धता पर निर्भर करता है। एमओपी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत पूरी तरह विदेशी आपूर्तिकारों पर निर्भर है। भारत सरकार की न्यूट्रंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम लागू होने से विभिन्न काम्पलेक्स उर्वरकों को अनुदान योजना के अंतर्गत लाया गया है। इस योजना के आने से कंपनी को अवसर मिलेंगे जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि कृषि क्षेत्र मानसून के रूख और भारत सरकार की उर्वरक नीतियों में परिवर्तन पर निर्भर करता है।

विश्व पटल पर उर्वरक उद्योग की व्याख्या आपूर्ति की ओर समेकन के द्वारा की गई है। दूसरी ओर भारतीय उद्योग समय–समय पर आयात, वितरण और बिक्री पर जारी सरकारी सहायता नियम और दिशा निर्देशों पर निर्भर करता है। भारत सरकार, उर्वरक विभाग के उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों में भारतीय उर्वरक उद्योग की सभी कंपनियों को निर्देश दिए जाते हैं। केवल यूरिया आयात के लिए सरणीकृत आईटम रह गया है और बाकी सभी उर्वरक ओजीएल के अंतर्गत आते हैं। पूर्व में अपनाई गई नीति के उलट जहां अधिकतम फूटकर मूल्य को सीमित करते हुए न्यूट्रियंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के आने के साथ उत्पादन लागत या आयात लागत में उतार चढ़ाव को देखते हुए अनुदान को परिवर्तनीय रखा गया है, बाजार की स्थितियों को देखते हुए सहायता अनुदान को सीमित करते हुए एमआरपी को परिवर्तनीय बनाया गया है। ऐसा विचार किसानों की उर्वरकों तक पहुंच बनाने, उर्वरक के पोषण तत्वों का मिटटी में अधिकतम उपभोग के लिए आया है ताकि जमीन को और अधिक उर्वरक बनाया जा सके और सरकारी अनुदान को कम किया जा सके।

उर्वरक व्यापार मानसून के रूख और सरकारी नीति पर निर्भर करता है। विश्व अर्थव्यवस्था चुनौतियों का समाना कर रही है परन्तु यह उभरती हुई प्रतीत हो रही है। भारत समेत पूरे विश्व में खाद्य स्फीति के साथ विकासशील देशों के लिए कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। तथापि सभी प्रमुख उर्वरकों की विश्व में आपूर्ति की स्थिति में यूरिया, डीएपी और एमओपी में बढ़ोत्तरी होने से सुधार हुआ है।

वर्तमान उत्पादों के क्षेत्र में व्यवसाय बढाने के लिए तथा नए उर्वरक उत्पादों के व्यापार की संभावनाओं की तलाश के लिए निरंतर प्रयास जारी है। एमओपी के बाजार शेयर को बढाने के लिए वर्ष 2014–15 में एक कार्ययोजना बनाई गई है। इस कार्ययोजना में वर्तमान ग्राहकों के अतिरिक्त नए ग्राहकों को कंपनी के साथ जोडने के साथ साथ वर्ष 2014–15 में डीओएफ से अधिक यूरिया के आबंटन के लिए अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त लाभ को बढाने के लिए टैक्निकल ग्रेड के

यूरिया को बढाने के लिए आयात को अधिकतम ग्राहकों तक पहुंचाने तथा व्यापार व लाभ को बढाने पर ध्यान दिया गया है। इसमें नेपाल को निर्यात में वृद्धि करने के साथ–साथ ग्राहकों तथा आपूर्तिकारों में विविधीकरण की भी योजना है।

कोयला एवं हाइड्रोकार्बन

आपकी कंपनी द्वारा इस वर्ष अर्जित कुल व्यापार में कोल एवं हाइड्रोकार्बन समूह ने 55963.5 मिलियन रुपये का योगदान किया। जिसमें 41536.7 मिलियन रुपये का स्टीम कोल और 9971.2 मिलियन रुपये का कोकिंग कोल शामिल है। कोल एंड हाइड्रोकार्बन समूह के घरेलू व्यापार में 4455.6 मिलियन रुपये, 1951.2 मिलियन रुपये मूल्य का स्टीम कोल, 565.6 मिलियन रुपये मूल्य का क्रूड टार, 2.1 मिलियन रुपये के सीपीसी तथा 1939.7 मिलियन रुपये के लैम कोक शामिल है। वर्ष 2013–14 के दौरान, कंपनी नए बाजारों/उत्पादों में कंपनी के लिए अतिरिक्त राजस्व पैदा करने के लिए उभरते अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास जारी रखेगी। समूह स्त्रोत नेटवर्क के विस्तार द्वारा, लागत प्रभावी शिपिंग और भारत में प्रमुख उर्जा उपयोगिताओं जिसमें एनटीपीसी, डीवीसी, टीएएनजीईडीसीओ, एमएएचएजीईएनसीओ, एपीजीईएनसीओ, एनएसपीसीएल, एपीसीपीएल शामिल हैं, को उचित डिलीवरी स्ट्रक्चर द्वारा कोल व्यापार में सुधार लाना जारी रखा है। एमएमटीसी आयातित कोयला खासकर इंडोनेशिया और कुछ हद तक दक्षिण अफ्रीका से मंगाकर भारतवर्ष में विभिन्न केन्द्रीय व प्रदेशीय उपयोगिताओं तथा निजी उद्यमों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। एमएमटीसी ने भारतवर्ष में विभिन्न उभरते हुए बंदरगाहों से कोल का व्यापार शुरू किया है ताकि संभारतंत्र की मान्यता का पता चल सके और वर्ष के दौरान कम लागत पर आपूर्तिकर्ता बन सकें। इसके परिणामस्वरूप एमएमटीसी ने कोयला क्षेत्र में पूरे देश में अपनी उपस्थिति में वृद्धि दर्ज की है। उर्जा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के बाद, एमएमटीसी सीमेंट व स्पोंलज आयरन इकाइयों में बड़े पैमाने पर प्रवेश कर उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए तत्पर है।

भारत का कोल आयात 2013–14 में 170 मी.टन और 2012–13 में 135 मी.टन था और मांग तथा देश में कोल आपूर्ति में अंतर के कारण विकास की संभावना है। देश की आधे से अधिक 243.0 गीगावाट प्रतिस्थापित क्षमता कोल फायर्ड प्लांट से पूरी होती है। इस परिदृश्य में भारत भविष्य में बढ़ते हुए कोल फायर्ड उर्जा क्षमता के लिए पूरी तरह आयातित कोल पर निर्भर होगा। कोल मंत्रालय और योजना आयोग भी मानता है कि वह अपने उर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुमानित आपूर्ति और मांग के बढ़ते हुए अंतर को पूरा करने के लिए भारत को वर्ष 2017 तक 185 मी. टन कोल आयात करने की आवश्यकता होगी। पिछले पांच वर्षो की अवधि में 55 गीगावाट की तुलना में भारत द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता को मार्च 2017 को समाप्त पांच वर्षो में 88.54 गीगावाट तक बढाने की योजना है। घरेलू उत्पादन से उर्जा क्षेत्र, इस्पात, उर्वरक तथा अन्य भारी उद्योगों के लिए नॉन कोकिंग कोल की बढ़ती मांग तथा आपूर्ति के भारी अंतर को पूरा करने के लिए देश को बड़े स्तर पर आयात का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा निर्माणाधीन कोल फायर्ड जेनरेशन संयंत्रों के कारण भविष्य में स्टीम कोल की मांग में अत्याधिक वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण आपकी कंपनी के इस समूह के लिए व्यवसाय के नये अवसर प्राप्त होंगे। आपकी कंपनी का कोल एंड हाइड्रोकार्बन समूह भविष्य में उर्जा, इस्पात, उर्वरक, रसायन, सीमेंट तथा स्पांज आयरन यूनिटों की कोल व कोक की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाते हुए आयात करेगा। इस समूह द्वारा विस्तृत आपूर्ति आधार बनाने के लिए तथा कोकिंग कोल के अधिक आबंटन हेतु एलटीए आपूर्तिकर्ताओं को जोड़ने की भी योजना है।

माइका

जैसा कि गत वर्षो की रिपोर्टों में पहले सूचित किया जा चुका है, विश्व स्तेर पर परिवर्तित बाजार आवश्यकता तथा माइका प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में हुए तकनीकी विकास के कारण माइका प्रभाग का कार्यकलाप वर्ष 2002–03 से बंद है। माइका प्रभाग के अभ्रक नगर, जिला कोडरमा, झारखंड में स्थित अप्रचलित प्लांट व मशीनरी को निपटाने हेतु उपाय किये जा रहे हैं।

अन्य

कंपनी के कुल व्यापार में अन्य उत्पादों का योगदान 87.1 मिलियन रुपये का है जिसमें कर्नाटक में मार्च 2007 में स्थापित किए गए 15 मैगावाट के विंड पावर फार्म में उत्पादित उर्जा की बिक्री से किए गए 87.1 मिलियन रुपये का घरेलू व्यापार शामिल है।

वर्ष 2014–15 के दौरान कंपनी नए बाजारों/उत्पादों से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाते हुए कंपनी के लिए अतिरिक्त व्यापारिक राजस्व जुटाना जारी रखेगी।

सचेतक वक्तव्य

प्रबंधतंत्र की चर्चा में वक्तव्य तथा विश्लेषण कंपनी के अनुमान, आशाएं, लागू नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत 'फारवर्ड लुकिंग स्टेंटमेंट' हो सकती है। वास्तविक परिणाम भौतिक रूप से अभिव्यक्त अथवा उपलक्षित किए गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। निगम के कार्यकलापों में अंतर लाने वाले महत्वपूर्ण कारकों में मांग/आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक परिस्थितियां तथा निगम के व्यापार क्षेत्र में घरेलू एवं विदेशी बाजारों में मूल्यों के हालात, सरकारी विनियमों/नितियों, कर कानूनों, अन्य सांविधिक तथा अन्य प्रासंगिक कारकों में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

कारपोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट

एमएमटीसी में कारपोरेट गवर्नेन्स

एमएमटीसी पारदर्शिता के सर्वोच्च स्तर, विश्वास, सत्यता, निष्पादन अभिमुखता, जिम्मेदारी और जवाबदेही, व्यवसायिकता, सामाजिक दायित्व, नैतिक व्यापार आचरण और स्व–अनुशासन संहिता के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता के अनुपालन के माध्यम से स्वस्थ कारपोरेट गवर्नेन्स नियमों के सिद्धान्त को प्रोन्नत तथा सशक्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है ताकि स्टेक होल्डरों जिसमें निवेशकों, निदेशकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों अथवा व्यापक समुदाय का निरंतर मूल्यवर्धन होता रहे।

निदेशक मंडल

एमएमटीसी के निदेशक मंडल में कार्यकारी व गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल है। इस रिपोर्ट को जारी किए जाने की तिथि को वर्तमान निदेशक मडंल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव जो अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं, तीन पूर्णकालिक निदेशक(विपणन), एक पूर्णकालिक निदेशक(कार्मिक), एक पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित दो अशंकालिक निदेशक तथा पाच गैर–सरकारी अशंकालिक (स्वतंत्र) निदेशक हैं। एमएमटीसी के समस्त निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को छोड़कर शेष सभी निदेशक क्रमवार सेवानिवृत्त होते रहते हैं और प्रतिवर्ष कम से कम एक तिहाई सेवानिवृत्त होते हैं और यदि पात्र हों तो पुनः नियुक्ति पा सकते हैं।

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के मामले में निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक के पारिश्रमिक प्राप्त करने के अतिरिक्त कंपनी के साथ अथवा इसके प्रोमोटर्स व इसकी सहायक कंपनियों के साथ ऐसा कोई विशेष आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नहीं रखते हैं जो निदेशक मंडल के विचार से निदेशकों के निर्णय की स्वायत्तता को प्रभावित कर सके।

वर्ष 2013 –14 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी:–

क्रम सं.	निदेशक का नाम	कार्यकारी / गैर–कार्यकारी	धारित पद	31.03.2014 को अन्य निदेशक मंडलों में डायरेक्टरशिप की संख्या	बोर्ड समितियों की संख्या जिसके सदस्य / अध्यक्ष है। *
1.	श्री डी एस ढेसी	कार्यकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष – 2	सदस्य – 1
2.	श्री पी के जैन (15.05.2013 से)	कार्यकारी	निदेशक(विपणन)	निदेशक – 1	शून्य
3.	श्री वेद प्रकाश	कार्यकारी	निदेशक(विपणन)	अध्यक्ष – 1 निदेशक–4	शून्य
4.	श्री राजीव जयदेव	कार्यकारी	निदेशक(कार्मिक)	निदेशक–1	शून्य
5.	श्री एम.जी. गुप्ता	कार्यकारी	निदेशक(वित्त)	निदेशक–4	सदस्य–1
6.	श्री आनन्द त्रिवेदी	कार्यकारी	निदेशक (विपणन)	निदेशक –5	शून्य
7.	श्री मधुसूदन प्रसाद	गैर–कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	शून्य	सदस्य– 1
8.	सुश्री अनिता अग्निहोत्री	गैर–कार्यकारी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	निदेशक– 2	अध्यक्ष –1 सदस्य– 1
9.	श्री अरविंद कालरा (1.04.2013 से)	गैर–कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–7	सदस्य– 1
10.	श्री राना सोम (17.04.2013 से)	गैर–कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–8	शून्य
11.	श्री एन बाला भास्कर (22.04.2013 से)	गैर–कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–2	शून्य
12.	श्री अनिल राजदान	गैर–कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–3	अध्यक्ष–2
13.	श्री जी एस वेदी	गैर–कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–2	अध्यक्ष–1 सदस्य– 2
14.	डॉ. सुवास पाणि (07.05.2013 से)	गैर–कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	शून्य	शून्य
15.	श्री स्कंद रंजन तायल (09.07.2013 से)	गैर–कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–1	सदस्य– 1
16.	श्री अरूण बालाकृष्णन	गैर–कार्यकारी	गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	निदेशक–9	अध्यक्ष–3 सदस्य– 4

*केवल लेखा परीक्षा समिति, और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के शेयरहोल्डर्स की शिकायत समिति पर विचार किया गया।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

दिनांक 1 अप्रैल, 2013 को आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :–

- श्री अरविन्द कालरा, ने एमएमटीसी निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक का प्रभार 1 अप्रैल, 2013 से ग्रहण किया।
- श्री पी के जैन ने एमएमटीसी के निदेशक मंडल में निदेशक (विपणन) का प्रभार 15 मई, 2013 से ग्रहण किया।
- श्री राना सोम ने एमएमटीसी निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक का प्रभार 17 अप्रैल, 2013 से ग्रहण किया।
- श्री एन बाला भास्कर ने एमएमटीसी निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक का प्रभार 22 अप्रैल, 2013 से ग्रहण किया।
- डॉ. सुवास पाणि ने एमएमटीसी निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक का प्रभार 7 मई, 2013 से ग्रहण किया।
- श्री स्कंद रंजन तायल ने एमएमटीसी निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक का प्रभार 09 जुलाई, 2013 से ग्रहण किया।
- श्रीमती अनिता अग्निहोत्री एएस एंड एफए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने एमएमटीसी के निदेशक मण्डल से 16 जून, 2014 से कार्यभार त्याग दिया।

- श्री भगवती प्रसाद पांडेय, एएस एंड एफए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एमएमटीसी के निदेशक मंडल में श्रीमती अनीता अग्निहोत्री के स्थान पर 16 जून, 2014 से पदभार ग्रहण किया ।
- श्री अनिल राजदान ने अंशकालिक गैर–सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक पद को 12.07.2013 से त्याग दिया।
- श्री जी एस वेदी ने अंशकालिक गैर–सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक पद को 13.07.2014 को त्याग दिया।
- अरूण बालाकृष्णन ने अंशकालिक, गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक पद को 15.07.2014 को त्याग दिया।

निदेशकों का पारिश्रमिक

एमएमटीसी भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके निदेशक मंडल के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रशासनिक मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है जो अन्य बातों के साथ–साथ इन पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक, संबंधित नियुक्ति आदेश/वेतन निर्धारण आदेशों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के सेवाकाल या अधिवर्षिता आयु पूरी करने की तिथि तक अथवा सरकार के अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, नियुक्त किये जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार नियुक्त निदेशक किसी भी प्रकार की नोटिस अवधि/सेवरेंस फीस के पात्र नहीं होते हैं। निदेशक मंडल के कार्यशील सदस्य लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परफार्मेंस रिलेटिड पे पाने के पात्र हैं। नॉन आफिशियल अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त समितियों की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहने के लिए वर्तमान में रु.15,000/– की दर से सिटिंग फीस का भुगतान पाने के पात्र हैं। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ किसी प्रकार का आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नहीं है।

वर्ष 2013–14 के दौरान प्रत्येक निदेशक को भुगतान किये गये/देय पारिश्रमिक का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

निदेशक क नाम	वेतन तथा लाभ (रु./ लाख)	वर्ष 2013–14 के दौरान कार्य – निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन (प्रावधान) (रु/लाख)	बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन, सेवरेंस फीस	31.3.2014 को एमएमटीसी के धारित शेयरों की संख्या
कार्यकारी निदेशक				
श्री डी एस ढेसी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री वेद प्रकाश	32.17	शून्य	शून्य	05
श्री राजीव जयदेव	37.42	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एम जी गुप्ता	26.86	शून्य	शून्य	05
श्री आनन्द त्रिवेदी	25.39	शून्य	शून्य	शून्य
श्री पी के जैन (15.05.2013 से)	18.63	शून्य	शून्य	शून्य
गैर–कार्यकारी पदेन निदेशक				
सुश्री अनिता अग्निहोत्री (22.05.2012 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री मधूसूदन प्रसाद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
गैर सरकारी निदेशक(स्वतंत्र)				
श्री अरविंद कालरा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राना सोम (17.04.2013 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री एन बाला भास्कर (22.04.2013 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री अनिल राजदान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
श्री जी.एस. वेदी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री सुवास पाणि (17.05.2013 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री स्कंद रंजन तायल (09.07.2013 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री अरूण बालाकृष्णन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः निगम के पंजीकृत कार्यालय में ही आयोजित की जाती हैं तथा उनके आयोजन की तिथि का निर्णय पर्याप्त समय रहते लिया जाता है। एमएमटीसी के निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य आयोजित की जाती है। बोर्ड की बैठकों का संचालन निर्धारित कार्य–सूची के अनुसार होता है तथा बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी मामले को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। सभी मुख्य मुद्दों से संबंधित, अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित विस्तृत कार्य–सूची दस्तावेज सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि बोर्ड सूचनापरक तथा स्वतंत्र निर्णय ले सके।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की छह बैठकें हुई, जो 12.04.2013, 03.05.2013, 14.08.2013, 12.11.2013, 14.02.2014 तथा 12.03.2014 को आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की इन बैठकों तथा 30 सितम्बर, 2013 को आयोजित गत वर्ष की वार्षिक आम बैठक से संबंधित निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	निदेशक का नाम	उस अवधि में हुई बोर्ड की बैठकों की संख्या जिसके दौरान बोर्ड के निदेशक थे	बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिनमें उपस्थित रहे	दिनांक 30.09.2011 को आयोजित गत वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
(क)	**कार्यकारी निदेशक**			
	श्री डी एस ढेसी	6	6	नहीं
	श्री वेद प्रकाश	6	5	हां
	श्री राजीव जयदेव	6	5	हां
	श्री एम.जी. गुप्ता	6	6	हां
	श्री आनन्द त्रिवेदी	6	6	हां
	श्री पी के जैन, (15.03.2013 से)	5	5	नहीं
(ख)	**अंशकालिक पदेन निदेशक (सरकार द्वारा नामित)**			
	श्रीमती अनिता अग्निहोत्री	6	4	नहीं
	श्री मधूसूदन प्रसाद	6	4	नहीं
(ग)	**गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक**			
	श्री अरविंद कालरा	6	6	हां
	श्री राना सोम (17.04.2013 से)	5	4	नहीं
	श्री एन बाला भास्कर (22.04.2013 से)	5	3	नहीं
	श्री अनिल राजदान	6	6	हां
	श्री जी.एस. वेदी	6	6	हां
	श्री सुवास पाणि (17.05.2013 से)	5	5	नहीं
	श्री स्कंद रंजन तायल (19.04.2013 से)	4	4	हां
	श्री अरूण बालाकृष्णन	6	3	हां

बोर्ड की समितियां

निगम के मामलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने, अतिशीघ्र आधार पर विचार–विमर्श करने तथा निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल ने विभिन्न भूमिकाओं, दायित्वों तथा प्राधिकारों के साथ निम्नलिखित समितियों का गठन किया है :

क) निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति

ख) शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

ग) निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

घ) कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति

च) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति

छ) निदेशकों की कार्यकारी प्रबंधन समिति

ज) सीएसआर सतत विकास पर निदेशकों की समिति

निदेशकों की लेखा–परीक्षा समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित वर्तमान लेखा परीक्षा समिति में तीन गैर–सरकारी (स्वतंत्र) अंशकालिक निदेशक तथा एक अंशकालिक सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की गई। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव बने रहे। लेखा परीक्षा समिति द्वारा लेखा–परीक्षा कार्यों का निरीक्षण, अति महत्वपूर्ण जॉच की पुनरीक्षा, लेखा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणों को स्वीकृति प्रदान करना इसके प्रमुख कार्य हैं। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकारों में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन तथा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण अनुबंध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

वर्ष 2013–14 में समिति की दस बैठकें आयोजित हुईं, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

क्रमांक	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1.	06.04.2013	श्री अनिल राजदान श्रीमती अनिता अग्निहोत्री श्री जी एस वेदी श्री अरूण बालाकृष्णन	श्री अनिल राजदान
2.	10.04.2013	श्री अनिल राजदान श्री जी एस वेदी श्री अरूण बालाकृष्णन	श्री अनिल राजदान
3.	12.04.2013	श्री अनिल राजदान श्री जी एस वेदी श्रीमती अनिता अग्निहोत्री	श्री अनिल राजदान
4.	30.05.2013	श्री अनिल राजदान श्री जी एस वेदी श्री अरूण बालाकृष्णन श्रीमती अनिता अग्निहोत्री	श्री अनिल राजदान
5.	01.07.2013	श्री अनिल राजदान श्री जी एस वेदी श्रीमती अनिता अग्निहोत्री श्री अरूण बालाकृष्णन	श्री अनिल राजदान
6.	05.08.2013	श्री अनिल राजदान श्री जी एस वेदी श्री अरूण बालाकृष्णन श्रीमती अनिता अग्निहोत्री	श्री अनिल राजदान
7.	14.08.2013	श्री अनिल राजदान श्री जी एस वेदी श्री अरूण बालाकृष्णन श्रीमती अनिता अग्निहोत्री	श्री अनिल राजदान
8.	12.11.2013	श्री अनिल राजदान श्री जी एस वेदी श्रीमती अनिता अग्निहोत्री	श्री अनिल राजदान
9.	06.02.2014	श्री अनिल राजदान श्रीमती अनिता अग्निहोत्री श्री जी एस वेदी	श्री अनिल राजदान
10.	14.02.2014	श्री अनिल राजदान श्री जी एस वेदी	श्री अनिल राजदान

लेखा परीक्षा समिति के विचार विमर्श में सहायता हेतु निगम के अन्य कार्यरत निदेशक तथा सांविधिक लेखा परीक्षक भी उपरोक्त बैठकों में उपस्थित रहे। उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति

वर्ष 2013–14 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा गठित शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायत समिति में सरकार द्वारा नामित गैर कार्यकारी निदेशक (अपर सचिव तथा वित्त परामर्शदाता, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार) को अध्यक्ष तथा एमएमटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा एमएमटीसी के निदेशक (वित्त) को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। कंपनी सचिव समिति के सचिव बने रहे। समिति शेयर अंतरण, रिमैटेरियलाइजेशन व डिमैटेरियलाइजेशन आदि के निवेश पर शीघ्रतापूर्वक विचार एवं स्वीकृति प्रदान करती है तथा शेयरहोल्डरों/ अन्य निवेशकों की शिकायतों पर निर्णय की निगरानी करती है।

निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

निदेशक मण्डल द्वारा गठित निदेशकों की वर्तमान पारिश्रमिक समिति में श्री जी.एस. वेदी, अंशकालिक गैर सरकारी(स्वतंत्रा) निदेशक को अध्यक्ष, श्री अरूण बालाकृष्णन, अंशकालिक गैर सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक तथा भारत सरकार द्वारा नामित गैर–कार्यकारी दोनों निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। स्टाक एक्सचेजों के साथ हस्ताक्षरित सूचीकरण करार की धारा 49 तथा दिनांक 26 नवम्बर 2008 को जारी डीपीई के दिशा निर्देशों में वर्णित सभी कार्यों तथा दायित्वों का निर्वाह करने के साथ–साथ ये अधिकारी इनमें वर्णित उक्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।

निदेशकों की कार्यशील प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल द्वारा गठित निदेशकों की 'कार्यशील प्रबंधन समिति' में एमएमटीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष, सभी कार्यरत निदेशक समिति के सदस्य तथा कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में शामिल हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956/अन्य विधिक मामलों के अधीन विनिर्दिष्ट, निदेशक मंडल की बैठक में विचार एवं निर्णय लिए जाने वाले मामलों और/अन्य शेयरधारकों तथा अन्य विनिर्दिष्ट मामलों और बोर्ड द्वारा निर्णय अथवा विचारार्थ आरक्षित मामलों और एमएमटीसी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 99 के अधीन निदेशक मंडल द्वारा गठित किसी अन्य समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को छोड़कर समय–समय पर निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को प्रदत्त शक्तियों के उपर सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान समिति की 51 बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के सूचनार्थ प्रस्तुत किए गए।

कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति

सेवा नियमों तथा अन्य कार्मिक नीतियों में संशोधन/बनाने पर विचार करने के साथ– साथ समय समय पर संशोधित एमएमटीसी कर्मचारी आचार अनुशासन एवं अपील नियम 1975 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए निदेशक मंडल ने वर्ष 2013–14 के दौरान कार्मिक नीतियों पर निदेशकों की समिति का गठन किया है जिसमें वर्तमान में श्री जी एस वेदी, अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक इसके अध्यक्ष हैं तथा श्री अनिल राजदान, अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतत्र) निदेशक एवं अंशकालिक सरकार द्वारा नामित निदेशक (अपर सचिव– वाणिज्य विभाग) इसके सदस्य हैं । कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान इस समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के कार्यवृत्त सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा एसोसिएट कंपनियों पर निदेशकों की समिति

निवेशों/विनिवेशों पर विचार करने तथा स्वीकृति का अनुपालन करने, मौलिक मानदंडों/चार्टर/समझौतों और उनमें निदेशक मंडल द्वारा किसी परिवर्तन की स्वीकृति और कार्यशील प्रबंधन के साथ पुनरीक्षा करने तथा एमएमटीसी के निवेश के संबंध में रणनीतिक मामलों पर सलाह करने और परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन/संयुक्त उद्यमों/एसोसिएट कंपनियों/विदेशी कार्यालयों/एमएमटीसी की सहायक कंपनियों के लिए निदेशक मंडल ने एक ''सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एशोसिएट कंपनियों'' पर निदेशकों की समिति का गठन किया है।

वर्ष 2013–14 के दौरान श्री अरूण बालाकृष्णन, अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक समिति के अध्यक्ष, श्री अनिल राजदान तथा श्री जी एस वेदी अंशकालिक गैर सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में शामिल हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं तथा इन बैठकों के कार्यवृत्त सूचनार्थ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

सी एस आर एवं सतत विकास पर निदेशकों की समिति

दिनांक 14 अगस्त 2013 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में एसडी एव सीएसआर समिति का विलयन करते हुए इसे नया नाम सीएसआर एवं सतत विकास के साथ सीएसआर एवं सतत विकास पर निदेशकों की समिति का गठन किया है। यह समिति कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लागू प्रावधानों एवं डीपीई द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सीएसआर एवं सतत विकास के क्रियाकलापों का अनुमोदन एवं कार्यान्वयन की मानीटरिंग करती है।

वर्ष 2013–14 के दौरान समिति के गठन के समय श्री अरूण बालाकृष्णन, अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक समिति के अध्यक्ष के साथ श्री राजीव जयदेव, निदेशक(कार्मिक), श्री एम जी गुप्ता, निदेशक(वित्त), श्री वेदप्रकाश तथा श्री आनंद त्रिवेदी, निदेशक (विपणन) सदस्य के रूप में शामिल हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान इस समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं जिनके कार्यवृत्त सूचनार्थ निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए गए ।

आम सभा बैठकें

निगम की आम सभा की बैठक, निगम के पंजीकृत कार्यालय से निकवर्ती स्थान पर आयोजित की जाती है। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी आम सभाओं के विवरण नीचे दिये गए हैं :–

बैठक की प्रकृति	दिनांक तथा समय	पारित विशेष संकल्प
48वीं वार्षिक आम सभा	30.09.2011 को 1200 बजे	–
49वीं वार्षिक आम सभा	28.09.2012 को 12.00 बजे	–
50वीं वार्षिक आम सभा	30.09.2013 को 11.30 बजे	–

आगामी वार्षिक आम सभा तक डाकमतों द्वारा किसी विशेष संकल्प का प्रस्ताव नहीं है।

प्रकटीकरण

क) निदेशक मण्डल के किसी भी सदस्य का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन–देन नही है।

ख) विशेष रूप से संबंधित पक्षकारों के बीच कोई लेन देन नहीं हुआ है अर्थात कंपनी का अपने प्रोमोटर्स, निदेशकों अथवा प्रबंधन, सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ ऐसी कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का लेन–देन नहीं हुआ है जिससे कंपनी के हित प्रभावित होने की शंका हो। ''संबंधित पक्ष लेन–देन'' के अन्य वितरण वार्षिक रिपोर्ट में लेखों के अंश के नोट में प्रकट किये गये हैं।

ग) लिस्टिंग एग्रीमेंट के धारा 41 के अधीन अपेक्षित विनिर्दिष्ट मामलों को कंपनी के सीईओ/सीएफओ ने बोर्ड के समक्ष सत्यापित कर दिया है।

घ) कंपनी ने इम्पलाइज स्टाक आप्शन स्कीम नहीं अपनाया है।

ड) कंपनी ने ''व्हिसल ब्लोअर पालिसी'' तैयार की है जिसे एमएमटीसी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

च) कंपनी के विरूद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान उल्लंघन का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है तथा विगत तीन वर्षों में पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर किसी प्रकार का अर्थ दण्ड नहीं लगाया गया।

सूचना के साधन

कंपनी के तिमाही, अर्ध–वार्षिक अनअंकेक्षित परिणामों को संबंधित अवधि की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर और कम्पनी के वार्षिक अंकेक्षित परिणामों को 60 दिनों में घोषित किया जाता है जिन्हें सामान्यतः प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट www.mmtclimited.gov.in पर उपलब्ध कराया जाता है।

शेयरधारकों की सूचना

(क) वार्षिक आम बैठक :

कंपनी की 51 वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को 1130 बजे वेट लिफ्टिंग आडिटोरियम, स्पोर्ट्स आथारिटी आफ इंडिया, गेट नं0 19, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, लोदी रोड, नई दिल्ली– 110003 में आयोजित की जायेगी।

(ख) वर्ष 2013–14 के लिए वित्तीय कैलेंडर

प्रथम तिमाही परिणाम (अनअंकेक्षित) 14.08.2014 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

द्वितीय तिमाही परिणाम (अनअंकेक्षित) 14.11.2014 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

तृतीय तिमाही परिणाम (अनअंकेक्षित) 14.02.2015 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

चतुर्थ तिमाही परिणाम (अनअंकेक्षित) 30.05.2015 को अथवा इससे पहले घोषित किए जाएंगे।

वर्ष 2014–15 के वार्षिक अंकेक्षित परिणाम दिनांक 30.05.2015 को या इससे पूर्व लिस्टिंग एग्रीमेंट के वर्तमान लागू प्रावधानों के अनुसार घोषित किए जाएंगे।

(ग) बुक क्लोजर की तिथियाँ :

वार्षिक आम बैठक तथा अंतिम लाभांश की घोषणा के प्रयोजन हेतु दिनांक **12.09.2014** से **18.09.2014** (दोनों दिन शामिल हैं) तक शेयर अन्तरण पुस्तिकाओं तथा सदस्यों के रजिस्टर को बंद रखा गया।

(घ) लाभांश भुगतान – विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त लाभांश का विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	2010–11	2011–12	2012–13
दर	25%	25%	10%
तिथि	27.10.2011	25.10.2012	26.10.2013

(ड.) स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता : कंपनी के शेयर दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के स्टॉक एक्सचेजों के साथ–साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी निरंतर सूचीबद्ध हैं।

(च) बाजार–मूल्य विवरण(डाटा): वर्ष 2013–14 के दौरान मुंबई स्टाक एक्सचेन्ज पर उद्धृत/व्यापार किए गए एमएमटीसी के स्क्रिप का माहवार बाजार भाव आंकड़ा नीचे दिया जा रहा है:

माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)
अप्रैल 2013	243.50	193.35	अक्तूबर 2013	55.20	47.10
मई 2013	279.70	210.20	नवम्बर 2013	57.25	49.90
जून 2013	228.95	102.85	दिसम्बर 2013	54.85	49.70
जुलाई 2013	97.75	41.85	जनवरी 2014	54.75	47.10
अगस्त 2013	54.00	37.15	फरवरी 2014	49.20	45.50
सितम्बर 2013	56.30	45.05	मार्च 2014	55.85	45.50

(छ) रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट(आरटीए) : डिमेटिरियलाइज्ड तथा फिजिकल दोनों प्रकार के शेयरों के लिए कंपनी ने मैसर्स एमसीएस लिमिटेड, एफ 65 ओखला औद्योगिक क्षेत्रा, फेस–1, नई दिल्ली.110020 को अपना रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नियुक्त किया है।

(ज) शेयरों का डिमैटिरियलाइजेशन : सीडीएसएल तथा एनएसडीएल द्वारा आईएसआईएन संख्या आईएनई123एफ01029 के साथ, एमएमटीसी लिमिटेड के शेयर डिमैटिरियलाइज्ड रूप में व्यापार करने हेतु स्वीकृत प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किए गए।

31 मार्च, 2014 को एमएमटीसी लिमिटेड के 100 करोड़ प्रत्येक 1 रुपये फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों में से 90,00,00,000 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं और 9,99,97,879 डिमैटीरियलाइज्ड रूप में अन्य के पास हैं, और केवल 2121 शेयर फिजिकल रूप में रह गये हैं।

(झ) शेयर अंतरण पद्धति : कंपनी के शेयरों को इनके प्रस्तुत किए जाने के अधिकतम 15 दिन की अवधि के अन्दर अन्तरित कर दिया जाता है। डिमैटिरियलाइज्ड रूप में उपलब्ध शेयरों का अन्तरण डिपाजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा इलेक्ट्रोनिक फार्म में प्रोसेस तथा अनुमोदित किया जाता है। दिनांक 31.03.2014 को शेयर अन्तरण का कोई भी मामला लम्बित नहीं था। शेयर अंतरण तथा निवेश संबंधी सभी मामले आरटीए कार्यालय अर्थात एमसीएस लिमिटेड द्वारा देखे तथा प्रोसेस किए जाते हैं। शेयरधारक अंतरण डीड तथा कोई अन्य दस्तावेजों को एमएमटीसी लिमिटेड के आरटीए कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा करा सकते हैं।

(ञ) 31.03.2014 को शेयर होल्डिंग का वितरणः स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीकरण अनुबंध के खंड 35 के अनुसरण में दिनांक 31.3.2014 का शेयरहोल्डिंग के वितरण का विवरण नीचे दिया गया हैः–

शेयरधारक की श्रेणी	शेयरहोल्डर्स की संख्या	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की तुलना में शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
प्रवर्तक की शेयरहोल्डिंग एवं प्रवर्तक समूह			
केन्द्र सरकार	1	90,00,00,000	90.0000
सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग			
म्युचल फंड/यूटीआई	3	1,79,700	0.1797
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	14	1,66,04,250	1.6604
विदेशी संस्थागत निवेशक	2	41,000	0.0041
बीमा कंपनियां	6	5,57,15,680	5.5715
गैर संस्थागत			
कारपोरेट संगठन	1369	72,81,969	0.7282
1 लाख रुपये तक शेयर कैपिटल रखने वाले व्यक्ति	76570	1,93,35,938	1.9335
1 लाख कपड़ा से अधिक शेयर कैपिटल रखने वाले व्यक्ति	3	4,06,774	0.0407
ट्रस्ट व फाउंडेशन	1	7567	0.0007
गैर आवासीय व्यक्ति	624	4,27,122	0.0427
योग	**78593**	**100,00,00,000**	**100**

टिप्पणी : कोई भी जीडीआर/एडीआर/वॉरन्ट/ परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं है।

(ट) शेयरधारकों/अन्य निवेशकों की समस्याएं :–

शेयरधारक/अन्य निवेशक अपनी समस्याएं श्री जी आनन्द नारायणन, सहायक कम्पनी सचिव को ई मेल आईडी ganarayanan@mmtclimited.com पर भेज सकते हैं।

(ठ) पत्राचार का पता :

बोर्ड सचिवालय
एमएमटीसी लिमिटेड, कोर –1, स्कोप कॉम्पलैक्स,
7, इंस्टीट्यूश्नल एरिया, लोदी रोड,
नई दिल्ली –110003.
फोन संख्या : 011– 24361889, फैक्स संख्या : 011–24360724
ई मेलः ganarayanan@mmtclimited.com

एमएमटीसी व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2013–14

हमारे विषय में

यह कंपनी भारत में निगमित और स्थापित हुई है। यह मिनी रत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वाणिज्य, एवं उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर –1 स्कोप काम्पलैक्स, इंस्ट्टीट्यूश्नल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली –110003 भारत में स्थित है। भारत के प्रमुख शहरों एवं बंदरगाहों पर निगम के 11 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ–साथ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एमटीपीएल सिंगापुर) एवं दक्षिण अफ्रीका के जोहंसबर्ग में एक संपर्क कार्यालय भी है।

खनिजों का निर्यात और कीमती धातु, अलौह धातु, कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोल व हाइड्रोकार्बन का आयात कंपनी के प्रमुख कार्यकलाप हैं।

कंपनी के व्यापारिक कार्यकलाप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के देशों में फैले हुए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहला उपक्रम है जिसे निर्यात में अपने लम्बे योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ''फाईव स्टार एक्सपोर्ट हाउस'' का दर्जा दिया गया है।

मुक्त वातावरण में उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने के उद्देश्य से एमएमटीसी ने प्राइवेट पार्टनरशिप के रूट को अपनाते हुए नीलांचल इस्पात निगम, एमएमटीसी पैम्प, शुद्धि, सिकाल, फ्री–ट्रेड, वेयरहाउसिंग प्रा. लि. आदि जैसे विभिन्न संयुक्त उपक्रमों को प्रोन्नत किया है।

कारपोरेट मिशन

भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी एवं एशिया की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी के रूप में एमएमटीसी का लक्ष्य है कि अपने शेयरहोल्डरों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, कर्मचारियों और समाज की संपूर्ण संतुष्टि के साथ–साथ अपने सभी कार्यकलापों में उत्कृष्टता द्वारा टिकाऊ एवं व्यवहार्य वृद्धि दर प्राप्त करते हुए अपनी स्थिति को और बेहतर बनाये।

कारपोरेट उद्देश्य

- विश्व स्तर पर व्याप्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में कार्यशील रहते हुए विशेषकर थोक व्यापार के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर स्वयं को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित करना तथा नियोजित पूंजी से समुचित लाभ उठाना।
- खनिजों, धातुओं तथा बहुमूल्य धातुओं जैसे उत्पादों के व्यवसाय में देश की एकमात्र विशालतम कंपनी के स्थान को बनाये रखना ।
- व्यापार संबंधी संरचना के विकास को प्रोन्नत करना।
- मध्यम व लघु स्तर के उद्योगों को सहायक सेवाएं उपलब्ध करवाना।
- सभी श्रेणी के ग्राहकों को व्यावसायिकता व कुशलता के साथ उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करना।
- वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए कंपनी के भीतर कारगर व्यवस्था स्थापित करना।
- उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाना।

व्यापार दायित्व रिपोर्ट – वित्त वर्ष 2013–14

वर्ष 2012 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारा आरंभ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 55 के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में शीर्ष सौ सूचीबद्ध कंपनियों के लिए वार्षिक व्यापार दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) अनिवार्य कर दी गई है। यद्यपि इस वर्ष एमएमटीसी शीर्ष सौ कंपनियों की सूची में नहीं है फिर भी हम अपनी वार्षिक बीआरआर प्रकाशित कर रहे हैं।

खण्ड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1. कंपनी का कारपोरेट आईडेंटिटी नम्बर (सीआईएन) एल
   51909डीएल1963जी01004033
2. कंपनी का नाम
   एमएमटीसी लिमिटेड
3. पंजीकृत पता
   कोर–1 स्कोप काम्पलेक्स, 7,इंस्ट्टीट्यूश्नल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
4. वेबसाइट
   www.mmtclimited.gov.in
5. ई मेल आईडी
   mmtc@mmtclimited.com
6. रिपोर्ट किया गया वित्त वर्ष
   2013-14
7. क्षेत्र जिसमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक कार्यकलाप कोड–वार)
   ट्रेडिंग

8. 3 प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जिसमें कंपनी निर्माण करती है या उपलब्ध कराती है। (जैसा तुलन पत्र में है)

(i) स्वर्ण

(ii) स्टीम कोयला

(iii) यूरिया

9. ऐसे स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापारिक गतिविधियां चलाई जाती हैं

i. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 का विवरण दें)

सिंगापुर में एक सहायक कंपनी

जोहन्सबर्ग में सम्पर्क कार्यालय

ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या

भारत में 11 क्षेत्रीय कार्यालय

10. निगम द्वारा जिन बाजारों में आपूर्ति की जाती है – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय

एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य–पूर्व, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका

खण्ड ख : कम्पनी का वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (आइएनआर)	1000 मिलियन
2.	कुल कारोबार (आइएनआर)	2,50,746 मिलियन
3.	करोपरांत कुल लाभ – 2013–14 (आइएनआर)	**186 मिलियन**
4.	कारपोरेट समाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल बजटीय व्यय	वर्ष 2012–13 के दौरान कोई लाभ न होने के कारण सीएसआर/एसडी परियोजनाओं के लिए कोई फंड निर्धारित नहीं किया गया। वित्त वर्ष 2013–14 में अग्रेषित अप्रयुक्त राशि का उपयोग सीएसआर तथा एस डी परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया गया।
5.	जयपुर, ओड़िशा में जिन कार्यकलापों पर व्यय किया गया	- 180 युवकों के लिए कौशल विकास एवं जिविकाउपार्जन कार्यक्रम - उड़ीसा में स्कूली बच्चों को एड्स के प्रति जागरूक करना - उत्तराखण्ड के बाढ़पीड़ितों तथा तथा दिल्ली एवं जयपुर के बेघर लोगों के लिए ऊनी कंबलों का वितरण - फैलिन चक्रवात से पीड़ित व्यक्तियों की तकलीफों को कम करने के लिए मुख्य मंत्री राहत कोष में अंशदान - दक्षिण दिल्ली के स्लम क्षेत्रों में रह रहे वंचित बच्चों के लिए साक्षरता प्रमोशन - कारपोरेट कार्यालय तथा दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में ऊर्जा संरक्षण के लिए बिजली के उर्जा कुशल उपकरण लगाना

खण्ड ग : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कम्पनी/कम्पनियां हैं ?

जी हां। एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर (विदेश में सहायक कंपनी)

क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या इंगित करें।

नहीं

2. क्या कोई अन्य व्यक्ति (उदाहरणार्थ अपूर्तिकर्ता, वितरक आदि), जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो उक्त व्यक्तियों की प्रतिशतता को इंगित करें (30% से कम, 30 से 60% तक, 60% से अधिक)

नहीं

खण्ड घ : बीआर सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

क. बी आर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

- डी आई एन संख्या **03368001**
- नाम **श्री राजीव जयदेव**
- पदनाम **निदेशक(कार्मिक)**

ख. बीआर प्रमुख का विवरण

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू है)	
2.	नाम	खुशिन्द्र नाथ
3.	पदनाम	महाप्रबंधक(कार्मिक)
4.	टेलीफोन नं.	011–24381261
5.	ई–मेल आई डी	khushinder@mmtclimited.com

2. सिद्धांतवार(एनबीजी अनुसार)बी आर नीति/नीतियां (हां/नहीं में उत्तर दें)

सिद्धांत 1 – नीतिपरक, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से बिजनेस संचालित किया जाना चाहिए।

सिद्धांत 2 – बिजनेस को ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए जो सुरक्षित होने के साथ– साथ अपने जीवन चक्र के दौरान स्थाई बनी रहें।

सिद्धांत 3 – बिजनेस को सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोन्नत करना चाहिए।

सिद्धांत 4 – बिजनेस को सभी स्टेकहोल्डर्स, विशेषकर पिछड़े, कमजोर एवं अधिकारहीन आदि के हितों के प्रति संवेदनशील एवं जवाबदेह होना चाहिए।

सिद्धांत 5 – बिजनेस को मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए एवं उन्हें प्रोन्नत करना चाहिए।

सिद्धांत 6 – बिजनेस को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा एवं बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

सिद्धांत 7 – जनता एवं नियामक नीतियों को प्रभावित करते समय बिजनेस को जिम्मेदार तरीके से कार्य करना होगा।

सिद्धांत 8 – बिजनेस को वृद्धि एवं समान विकास को प्रोन्नत करना चाहिए।

सिद्धांत 9 – बिजनेस को अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार रूप से व्यवहार करते हुए उन्हें सम्मान देना चाहिए।

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास के लिए..... नीति/नीतियां	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं
2.	क्या नीति संबंधित स्टेक होल्डरों से परामर्श करके बनाई गई?	हां		हां	हां	हां			हां	
3.	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार हैं? यदि हां तो स्पष्ट करें (50 शब्दों में)?	नहीं		नहीं	हां	हां			हां	
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है? यदि हां तो क्या यह एमडी/मालिक/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर की गई है	हां		हां	हां	हां			हां	
5.	क्या कंपनी में कोई/निदेशक/नीति पर नजर रखनेवाले कर्मचारियों की निर्धारित समिति है?	हां		हां	हां	हां			हां	
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए क्या लिंक है?	www. mmtclimited.gov.in www. mmtclimited.com		www. mmtclimited.gov.in www. mmtclimited.com						
7.	क्या नीति आंतरिक व बाहय सभी स्टेक होल्डरों को विधिवत बताई गई हैं?	हां		हां	हां	हां			हां	
8.	क्या कंपनी में नीति/नीतियों को लागू करने के लिए इन–हाउस स्ट्रक्चर हैं?	हां		हां	हां	हां			हां	
9.	क्या कंपनी में स्टेक होल्डरों की नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत को दूर करने के लिए कोई शिकायत दूर करने का मैकेनिज्म है?	हां		हां	हां	हां			हां	
10.	क्या कंपनी ने इस नीति को सुचारू रूप से काम करने के लिए किसी आंतरिक अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आडिट/मूल्यांकन करवाया है?	नहीं		नहीं		हां				

2 ए. यदि क्र.सं. 1 के लिए किसी भी प्रिंसिपल का उत्तर नहीं है तो कृपया उल्लेख करें कि उत्तर क्यों नहीं है (कालम 2 विकल्पों तक टिक करें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।									
2.	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह निर्धारित सिद्धांतों पर बनाई गई नीतियों को बनाकर लागू कर सकें।		✓				✓	✓		✓
3.	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय अथवा श्रम शक्ति के स्रोत उपलब्ध नहीं है।									
4.	ऐसा अगले छः महीनों में कर लेने की योजना है।									
5.	ऐसा अगले एक वर्ष में कर लेने की योजना है।									
6.	अन्य कोई कारण (कृपया उल्लेख करें)									

3. बी आर से संबंधित गवरनेंस

कृपया यह बताएं कि निदेशक मंडल, निदेशक समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किस अंतराल पर कंपनी की बीआर परफारमेंस का जायजा लेती है। 3 मास की अवधि में, 3–6 मास की अवधि में, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से अधिक की अवधि में।

एमएमटीसी का बोर्ड नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही को बैठक करता है। बोर्ड की बैठकों में स्ट्रक्चर एजेंडा पर चर्चा होती है। सभी बड़े मामलों के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ एजेंडा का विस्तार से उल्लेख करते हुए कागजात पहले से ही जारी कर दिए जाते हैं जिससे कि बोर्ड मामले पर समुचित तथा स्वतंत्र निर्णय ले सकें। अन्य मामलों के साथ संगठन के एसडी प्लान पर भी चर्चा की जाती है।

मामलों पर शीघ्र विचारार्थ तथा सही दिशा में निर्णय लेने के लिए बोर्ड ने विशेष भूमिका, दायित्व तथा शक्तियों से निहित विभिन्न समितियों का गठन किया है। शीर्ष प्रबंधन प्रत्येक तिमाही में होने वाली बैठक में संगठन परफारमेंस की व्याख्या करता है। वर्ष 2013–14 के दौरान एमएमटीसी के प्रबंधतंत्र ने निम्नलिखित पर विचार–विमर्श एवं पुनरीक्षा की।

- कारपोरेट योजना /एमओसी एण्ड आई के साथ मसौदा एमओयू
- एचआर से संबंधित मामले
- संयुक्त उद्यमों में निवेश
- बजट
- शेयर के मूल्य तथा एमएमटीसी की शेयरधारिता पेटर्न
- अधिशेष धन की नियुक्ति की स्थिति
- वित्तीय विवरणों/परिणामों को मंजूरी
- सीएसआर/एसडी गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति
- वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक रिपोर्ट/बीआरआर

- **क्या कंपनी बीआर अथवा सस्टेनेबलटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कौन सा हाइपर लिंक उपलब्ध है। यह रिपोर्ट कितने अंतराल पर प्रकाशित की जाती है?**

सेबी के आदेश (मैनडेट) के अनुसार मार्किट कैपिटल के आधार पर 100 शीर्ष कम्पनियों को बीआरआर तैयार करनी होती है। वर्ष 2012–13 के लिए एमएमटीसी ने अपनी पहली बीआरआर तैयार की थी। बीआरआर वार्षिक रिपोर्ट का भाग होती है तथा इसे आफिशियल वेबसाइट www.mmtclimited.gov.in पर देखा जा सकता है।

यद्यपि इस वर्ष एमएमटीसी शीर्ष 100 की सूची में नहीं है फिर भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में एमएमटीसी वर्ष, 2013 के दौरान प्रकाशित की गई बीआरआर, इस बार भी प्रकाशित कर रही है।

संगठन यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कोम्पैक्ट नेटवर्क का सदस्य है तथा नियमित रूप से वार्षिक आधार पर कम्यूनिकेशन आन प्रोग्रेस (सीओपी) जारी करता है। यह यूएनजीसी की वेबसाइट पर सभी स्टेक होल्डरों को उपलब्ध है।

खण्ड ड़– सिद्धांत वार निष्पादन

सिद्धांत 1– व्यापार नैतिकता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही की नीतियों पर आधारित हो।

1. क्या नैतिकता, रिश्वत तथा भ्रष्टाचार से संबंधी नीति केवल कंपनी पर ही लागू रहती है?

जी हां। कंपनी का नैतिक आचार विभिन्न नीति पहलों में परिलक्षित

होता है। यद्यपि कर्मचारियों के आचार, अनुशासन व अपील नियमों के अधीन संगठन के सभी स्तर के कर्मचारी आते हैं तथापि एमएमटीसी के वरिष्ठ प्रबंधन (बोर्ड स्तर के अधिकारियों सहित) के लिए निदेशक मण्डल एवं वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार एवं नैतिक संहिता के रूप में अलग से दिशा निर्देश हैं। इसके अतिरिक्त नीतिगत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ''इंटिग्रिटी पैक्ट''व्हिसलब्लोअर नीति तथा सिटीजन चार्टर जैसी नीतियां भी हैं।

क्या यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/स्पलायरों/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य पर भी लागू होता है?

जी हां, इंटिग्रेटी पैक्ट, सिटीजन चार्टर, स्पलायरों, ठेकेदारों आदि पर भी लागू होता है जबकि कोड ऑफ कंडक्ट तथा विसल–ब्लोअर नीतियां केवल कंपनी के कर्मचारियों के लिए हैं।

2. **पिछले वित वर्ष में स्टेक होल्डरों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उनका कितने संतोषजनक रूप से निपटान प्रबंधतंत्र द्वारा किया गया? यदि कुछ है तो उसका 50 शब्दों में ब्यौरा दें।**

किसी भी स्टेकहोल्डर ने नैतिकता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत नहीं की है।

प्रिंसिपल 2 – व्यापार ऐसे माल तथा सेवाएं प्रदान करें जो कि सुरक्षित तथा अपने जीवन चक्र में टिकाऊ हो।

लागू नहीं। एमएमटीसी केवल ट्रेडिंग कारोबार में है तथा उत्पादन में सीधे रूप से संलग्न नहीं है। तथापि एमएमटीसी जिन उत्पादों में ट्रेड करती है उनकी श्रेष्ठ गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।

प्रिंसिपल 3 –व्यापार कर्मचारियों के कल्याण को उन्नत करने वाला हो।

1. **कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं**

दिनांक 31.3.2014 को कुल कर्मचारी संख्या 1530(निदेशक मण्डल के अधिकारियों को छोड़कर) है।

2. **कृपया अस्थाई/ठेके पर/कैजुअल आधार पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

विभिन्न एजेंसियों/सोसाइटियों से कुल 300 कर्मचारी ठेके पर रखे गए हैं।

3. **कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं**

दिनांक 31.03.2014 को कुल स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या 310 है।

4. **कृपया विकलांग स्थाई कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

विकलांग स्थाई कर्मचारियों की दिनांक 31.03.2014 को संख्या 31 है।

5. **क्या आपके संगठन में प्रबंध तंत्र द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कर्मचारी संघ है।**

जी हां।

6. **इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ में स्थाई कर्मचारियों की सदस्यता का क्या प्रतिशत है।**

100%

7. **कृपया बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से जुड़े पिछले वित वर्ष में प्राप्त शिकायतें तथा इस वित वर्ष में लम्बित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें।**

क्र. सं.	श्रेणी	वितीय वर्ष में प्राप्त शिकयतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लम्बित शिकायतों की संख्या
1.	बाल मजदूरी/ जबरन मजदूरी/ अनैच्छिक मजदूरी	0	0
2.	यौन उत्पीड़न	0	0
3.	पक्षपाती रोजगार	0	0

8. **पिछले वर्ष में आपके निम्नलिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा व कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया।**

- **स्थाई कर्मचारी** – 1530 में से 806 अर्थात 52.68%
- **स्थाई महिला कर्मचारी** – 310 में से 187 अर्थात 60.32%
- **विकलांग कर्मचारी** – 31 में से 27 अर्थात 87.1%

प्रिंसिपल 4 – व्यापार में सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों का, विशेषकर उनका जो कि डिसएडवाटेंज है, असुरक्षित तथा अधिकारहीन हैं, का सम्मान करते हुए जवाबदेह होना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक तथा बाह्य स्टेकहोल्डरों को मैप कर लिया है? हां/नहीं**

जी हां, अपनी विद्यमानता के वर्षों में संगठन ने स्टेकहोल्डरों के विभिन्न ग्रुपों की पहचान की है तथा संपर्क बनाया है– इनमें कर्मचारी, शेयरधारक जैसे आंतरिक हैं तथा बाह्य ग्राहक, समुदाय आदि जैसे बाह्य स्टेकहोल्डर्स शामिल हैं।

2. **उपरोक्त में से क्या कंपनी ने डिसएडवाटेंज असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों की पहचान की है?**

जी हां। संगठन ने समुदाय के असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों की पहचान की है तथा सीएसआर गतिविधियों द्वारा इनसे संपर्क बनाया है।

3. **क्या कंपनी द्वारा डिसएडवाटेंज, असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों के साथ संपर्क बनाने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं? यदि हां तो इसका पचास या अधिक शब्दों में ब्यौरा दें।**

अपने कार्यालयों से संबंधित समुदायों के कल्याण के लिए कार्य करना एमएमटीसी के कार्यकलापों का प्राकृतिक तत्व है। डिसएडवाटेंज असुरक्षित तथा अधिकारहीन स्टेकहोल्डरों को सशक्त बनाने के लिए एमएमटीसी ने दक्षता विकास की पहल के साथ–साथ दिल्ली के स्लम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में साक्षरता को प्रोन्नत किया है । एमएमटीसी बेघर लोगों की कठिनाइयों को कम करने के निरंतर प्रयास कर रही है तथा दिल्ली एवं जयपुर में इसने रैन बसेरों (नाइट शेल्टर्स) में कंबल वितरित किये हैं। फैलिन चक्रवात से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए उड़ीसा सरकार के कार्यों में भी एमएमटीसी ने अंशदान किया है।

प्रिसिंपल 5 – व्यापार में मानव अधिकारों का सम्मान तथा प्रोन्नत किया जाना चाहिए।

1. **क्या कंपनी की मानव अधिकार नीति केवल कंपनी तक ही सीमित है या इसमें ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/अन्य भी शामिल हैं?**

एक सरकारी कंपनी होने के कारण एमएमटीसी भारत के संविधान जिसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का संकल्प है तथा जिसमें विश्वव्यापी मूल मानवाधिकार घोषणा में निदेशित मानव अधिकार महत्ता भी शामिल है, के प्रति निष्ठावान है। एमएमटीसी अपने कार्यस्थलों पर अंर्तष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानव अधिकारों का सम्मान कर उनकी सुरक्षा के सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। यद्यपि निगम के कार्मिक प्रबंधन मैन्युअल अथवा मानवाधिकार नीति में मानवाधिकारों पर कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, फिर भी मैन्युअल कर्मचारियों के लिए मूलभूत मानवाधिकारों की सुविधा सुनिश्चित करता है। एमएमटीसी में कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए "सहायता" के नाम से तीन स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था है। एमएमटीसी की प्रबंधन व्यवस्था में स्वास्थ्य, सुरक्षा, निवास तथा शिक्षा के लिए प्रावधान है। इन सभी को सर्वांगीण रूप से सुनिश्चित करने के लिए एमएमटीसी में पूरी व्यवस्था है।

2. **पिछले वित्त वर्ष में कितने स्टेकहोल्डरों से शिकायतें प्राप्त हुईं तथा इनमें प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का निवारण किया गया?**

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान तीन स्टेकहोल्डरों से शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें दो का निवारण उसी अवधि में संतोषजनक रूप से कर दिया गया था। एक शिकायतकर्ता दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं था तथा उसने और जानकारी मांगी है। संबंधित प्रभाग शिकायत पर कार्यवाही कर रहा है, शीघ्र ही इसका निवारण कर दिया जाएगा।

पिंसिपल 6 – व्यापार में पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण तथा इसके पुनः स्थापित किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

क्योंकि संगठन में निर्माण संबंधी गतिविधियां नहीं हैं अतः यह प्रिंसिपल लागू नहीं होता।

1. **क्या नियम 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी में ही लागू होती है या फिर यह ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओज/अन्य पर भी लागू है?**

संगठन में पर्यावरण पर कोई लिखित नीति नहीं है। तथापि यूएन ग्लोबल काम्पैक्ट का सदस्य होने के नाते हम पर्यावरणीय रूप से जवाबदेह तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2. **क्या कंपनी में जलवायु, बदलाव तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसी पर्यावरण की समस्याओं से निपटने के लिए कोई नीति/उपाय शुरू किए गए हैं? हां/नहीं।यदि उत्तर हां है तो कृपया वैब–पेज का हाइपरलिंक बताएं।**

एमएमटीसी माइनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण द्वारा, जनजाति क्षेत्रों में विकास करके तथा बंदरगाह सुविधाओं द्वारा मूलभूत ढांचे में विकास करके पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन कम्युनिकेशन आन प्रोग्रेस (सीओपी) के माध्यम से इस दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों की यूएन ग्लोबल एक्ट के लिए नियमित रिपोर्ट देता है।

3. **क्या कंपनी संभावी पर्यावरण जोखिमों को पहचान कर उनका मूल्यांकन करती है? हां/नहीं**

यद्यपि संगठन सीधे किसी विनिर्माण से नहीं जुडा है, तथापि यह पर्यावरण के प्रति जवाबदेह तरीके से काम करता है। डी पी ई, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एमएमटीसी अनुपालन करती है। जिसके अनुसार पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित परियोजनाओं की पहचान किए जाने के साथ साथ उनका कार्यान्वयन भी किया जाता है।

4. **क्या कंपनी में क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है। यदि हां तो पचास या अधिक शब्दों में उसका विवरण दें? यदि उत्तर हां है तो यह भी बताएं कि क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट फाइल की गई है?**

जी नहीं।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी ऊर्जा एफीशेंसी, रिन्यूऐबल ऊर्जा आदि पर कोई कदम उठाया है? हां/नहीं यदि हां तो वेब–पेज आदि का हाइपरलिंक बताएं।**

एमएमटीसी कारपोरेट कार्यालय, दिल्ली में उर्जा आडिट करवाने के लिए एमएमटीसी ने मैसर्स एनर्जी एफीशेंसी को सर्विसिज प्रा. लि. को कार्य दिया था तथा उसकी संस्तुतियों के आधार पर सारे संगठन में उर्जा संरक्षण के लिए सभी पुराने बिजली के उपकरणों को उर्जा कुशल स्टार दर्जे के उपकरणों से बदला गया। वर्ष 2013–14 के दौरान कारपोरेट कार्यालय तथा दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय झण्डेवालान में सभी पुराने पंखों, एसी, सीआरटी मानीटर तथा लाइटिंग आदि को नए स्टार रेटिंग उपकरणों से बदल दिया गया।

6 **क्या कंपनी द्वारा रिपोर्ट के इस वित्तीय वर्ष में उत्पन्न उत्सर्जन/वेस्टेज इत्यादि सीपीसीबी/ एसपीसीबी द्वारा दी गई निर्धारित सीमाओं के भीतर रहे हैं?**

लागू नहीं।

7. **वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त ऐसे कारण बताओ/वैधानिक नोटिसों की संख्या जो लंबित है(संतोषजनक उत्तर नहीं दिए गए)**

लागू नहीं।

प्रिसिंपल 7 – व्यापार यदि पब्लिक तथा नियामक नीति को प्रभावित करता है तो एक जिम्मेदार तरीके से करें।

1. **क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड तथा चैम्बर अथवा एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां तो कृपया उन मुख्य संघों का उल्लेख करें जिनसे आपके व्यापार का संबंध है**

क. सीआईआई

ख. फिओ(एफआईईओ)

ग. फिक्की

घ. एसोचैम

2. **क्या आपने जनकल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत/प्रचार किया है? हां/नहीं। यदि हां तो मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्राप बॉक्सः शासन व प्रशासन, आर्थिक सुधार, विस्तृत विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा दीर्घकालिक व्यापार नीति, अन्य)**

संगठन ने उपरोक्त संघों के माध्यम से जन कल्याण से संबंधित मानक के लिए वकालत/प्रचार नहीं किया है।

प्रिसिंपल 8 – व्यापार में विस्तृत वृद्धि तथा यथार्थ बढावा दिया जाना चाहिए

1. **क्या कंपनी के प्रिसिंपल 8 से संबंधित नीतियों के अनुसरण में कार्यक्रमों/पहल/प्रोजेक्ट का उल्लेख किया है? यदि हां तो उसका विवरण**

संगठन वस्तु उत्पादन का कार्य नहीं करता, अतः वह पर्यावरण तथा समाज जहां यह अपने कार्य प्रचालित करता है वहां कोई सीधा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता तथापि संगठन में सीएसआर नीति लागू है। एमएमटीसी ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को अपनाया है। एमएमटीसी में अपनी कमाई के एक भाग को समाज के उत्थान के लिए सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने की एक संरक्षित प्रक्रिया उपलब्ध है। वर्ष 2012–13 के दौरान कोई लाभ न होने के कारण सीएसआर/एसडी परियोजनाओं के लिए कोई फंड निर्धारित नहीं किए गए। तथापि वर्ष 2013–14 के वित्त वर्ष में अग्रेषित अप्रयुक्त राशि का उपयोग एमएमटीसी ने साक्षरता प्रोन्नति, दक्षता विकास तथा प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों के लिए सहायता जैसे क्षेत्रों के सीएसआर तथा एसडी परियोजनाओं में किया है।

2. **क्या कार्यक्रम/प्रोजेक्टस/इन हाउस टीम/अपनी संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी स्ट्रक्चर/अन्य किसी संगठन द्वारा चलाए जाते हैं?**

एमएमटीसी में सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी के लिए बोर्ड स्तर की समिति है जिसमें स्वतंत्र निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक व सहायक कंपनी सचिव सदस्य सचिव हैं। सीएसआर प्रभाग विभिन्न सीएसआर प्रस्तावों की पूरी जांच करता है। फिर ऐसे प्रस्तावों को जो एमओयू में निर्धारित प्रावधानों तथा एमएमटीसी की सीएसआर/एसडी नीतियों में आते हैं को अपनी टिप्पणी के साथ सीएसआर के वार्षिक कार्यान्वयन समिति को भेज देता है। इस प्रकार भेजे गए प्रस्तावों पर सीएसआर समिति विचार करके स्वीकृत प्रस्तावों को कारपोरेशन के सीएमडी के पास अनुमोदन के लिए भेज देती है जो कि इनके लिए अंतिम निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं। इस प्रकार अनुमोदित प्रस्तावों को त्रैमासिक आधार पर कार्यान्वयन के स्टेटस के साथ निदेशक मण्डल को सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

प्रस्ताव के कार्यान्वयन के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सीधी अथवा किसी निजी/सार्वजनिक भागीदार के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर नजर रखते हुए काम करने का निर्देश दिया जाता है। प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जिसका कार्य यह होता है कि वह प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने के लिए निगरानी रखे तथा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बारे में कारपोरेट कार्यालय को रिपोर्ट करें। प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के पश्चात इसका एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी मूल्यांकन किया है?**

प्रभावी मूल्यांकन/सामाजिक लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाता है जिससे कि एमएमटीसी द्वारा चलाई जा रही सीएसआर गतिविधियों का ''सामाजिक–मूल्यांकन'' किया जा सके।

4. **सामुदायिक विकास प्रोजेक्टस में आपकी कंपनी का क्या प्रत्यक्ष अंशदान है ? भारतीय रुपयों में राशि तथा किए गए प्रोजेक्टस का ब्यौरा।**

एमएमटीसी सामुदायिक विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। यद्यपि वर्ष 2012–13 में यहां तक कि कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ फिर भी विगत वर्ष के अग्रेषित सीएसआर के 43.59 लाख रुपए तथा एसडी के 21.13 लाख रुपए वर्ष 2013–14 के दौरान एसडी के कार्यों में प्रयोग किए गए। विभिन्न प्रोजेक्टस का विवरण निम्नलिखित है :–

(i) एनएसडीसी के ''स्किल गैप'' रिपोर्ट में जैसा निर्दिष्ट है, रिटेल प्रबंधन तथा बीपीओ (आईटीईएस) जो दोनों जाजपुर के स्किल गैप हैं, के क्षेत्र में मैसर्स ग्रास एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग सर्विसिज लिमिटेड (एक एनएसडीसी ट्रेनिंग पार्टनर) द्वारा जाजपुर, उड़ीसा में 180 नवयुवकों के लिए कौशल विकास तथा जीवन यापन क्रिएशन प्रोग्राम। इस प्रशिक्षण से प्रशिक्षणार्थियों को 75 प्रतिशत से अधिक रोजगार प्राप्त होगा।

(ii) उड़ीसा में स्कूली बच्चों के बीच एड्स के बारे में जागरूकता लाने के लिए उड़ीसा के एक प्रमुख समाचार पत्र सूर्यप्रवा के साथ एमएमटीसी पार्टनर है।

(iii) उड़ीसा तट से टकराने वाला तथा 14 वर्षों में सबसे अधिक नुकसान करने वाला चक्रवात 'फेलिन' अपने पीछे विनाश के चिह्न छोड़ गया इसके कारण लगभग 90 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, इसने 2.34 लाख घरों को नुकसान पहुचाने के साथ साथ 2400 करोड़ रूपए की धान की फसल बर्बाद की है।

उड़ीसा आपरेशनल क्षेत्र होने के कारण तथा एमएमटीसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील होने के कारण इसने चक्रवात पीड़ितों की कठिनाइयों को कम करने के लिए मुख्य मंत्री के राहत निधि में अंशदान किया है।

(iv) उत्तराखण्ड के बाढ़ प्रभावितों तथा दिल्ली एवं जयपुर के बेघर लोगों को उनी कंबल बांटे गए। उदय फांउडेशन – एक एनजीओ द्वारा यह कार्य एसटीसी, पीईसी, तथा ईसीजीसी की सांझेदारी के साथ किया गया।

(v) एनजीओ सीकेएस फाउंडेशन द्वारा बेगमपुर, मालवीय नगर नई दिल्ली के स्लम क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए साक्षरता प्रोमोशन।

(vi) सारे संगठन में उर्जा संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए गए । एमएमटीसी के स्वामित्व वाले परिसरों में एनर्जी एफिशैंसी सर्विसिज लिमिटेड द्वारा ''एनर्जी आडिट'' किया गया तथा उनकी संस्तुतियों पर कार्यान्वयन किया गया। पुराने बिजली के उपकरणों को उर्जा बचाने वाले स्टार रेटिंग उपकरणों से बदला गया। साथ ही उर्जा कुशलता लाने के लिए उर्जा कुशल लाइटिंग्स लगाईं गईं। उर्जा की खपत में और बचत करने के लिए दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय सोलर पैनल लगाने हेतु उचित भागीदार की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास की पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार किया गया है? कृपया पचास या अधिक शब्दों में उल्लेख करें।**

एमएमटीसी द्वारा चलाए गए प्रोजेक्टों को पेशेवर एजेंसी के असेसमेंट सर्वे द्वारा चुना जाता है।

प्रिसिंपल 9 – व्यापार में ग्राहकों तथा आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क तथा महत्व को जिम्मेवारी के साथ समझना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के अंत तक कितने प्रतिशत ग्राहकों की शिकायतें/उपभोगताओं के मामले लम्बित हैं।

रिपोर्ट की गई अवधि में उक्त प्रकृति की तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

इन तीनों शिकायतों का निराकरण कर दिया गया था, अतः वित्त वर्ष की समाप्ति पर कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी।

2. **स्थानीय कानूनों के अनुसार दी जाने वाली वैधानिक सूचना के अतिरिक्त भी क्या कंपनी अपने उत्पाद के लेबल पर उत्पाद से संबंधी सूचना छापती है? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचना)।**

सांची ब्रांड नाम से एमएमटीसी सिल्वर मेडालियन तथा सिल्वरवेयर की खुदरा (रिटेल) बिक्री करती है। इन वस्तुओं की पैकेजिंग पर संबंधित उत्पाद सूचना दी गई होती है । इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं पर बार कोडिंग भी हैं।

3. **क्या कंपनी के विरूद्ध किसी स्टेकहोल्डर ने अनुचित व्यापारिक गतिविधि, गैर–जिम्मेदाराना विज्ञापन तथा/अथवा गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए पिछले पांच वर्षों में कोई शिकायत की है तथा जो इस वर्ष में भी लम्बित है? यदि हां तो पचास या अधिक शब्दों में उत्तर दें।**

कोई नहीं

4. **क्या आपकी कम्पनी द्वारा कोई उपभोक्ता सर्वे/उपभोक्ता संतुष्टि रूझान किया जाता है?**

एममएटीसी ने निम्नलिखित सर्वे किए हैंः–

''थर्मल कोल की आपूर्ति के संबंध में ग्राहक संतुष्टि'' पर एक सर्वे किया है।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

ऊर्जा संरक्षण: ऊर्जा तथा ईंधन की खपत

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) के अंतर्गत कंपनी नियम(निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रस्तुतीकरण) 1988 के अनुसरण में दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वित वर्ष के लिए ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरणों के प्रकटन की तालिका:—

क्रम संख्या			चालू वर्ष (2013—14)	पिछला वर्ष (2012—13)
1.	बिजली	खरीद (किलोवाट आवर) (वार्षिक न्यूनतम गारंटी पर) कुल लागत(लाख रुपये में) औसत दर (रुपये / किलोवाट आवर)	3,09,012 16.69 5.40	3,09,012 12.38 4.01
2.	कोयला	मात्रा (मी टन) कुल लागत(लाख रुपए में) औसत दर(रुपए प्रति मी टन)	- - -	- - -
3.	डीजल तेल	खरीद (लीटर) कुल लागत (लाख रुपए में) औसत दर(रुपए प्रति लीटर)	- - -	- - -
4.	एलडीओ	खरीद (लीटर) कुल लागत (लाख रुपए में) औसत दर(रुपए प्रति लीटर)	- - -	- - -

जैन कपिला एसोसिएटस
चार्टर्ड एकाउंटेंटस

कारपोरेट गवर्नेंस का अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में
एमएमटीसी लिमिटेड के सदस्यगण,

हमने 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीयन अनुबंध के खंड 49 में कारपोरेट नियमन गवर्नेंस से संबंधित शर्तो के अनुपालन संबंधी जांच की है।

कारपोरेट नियमन की शर्तो का अनुपालन करना प्रबंधतंत्र की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कारपोरेट नियमन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। हमारी जांच न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण है और न ही किसी मत की अभिव्यक्ति है।

हमारे मत व जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित शर्तो के अतिरिक्त कंपनी ने उपर्युक्त सूचीयन करार के अनुसार कारपोरेट नियमन की शर्तों का अनुपालन किया है:

(i) स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जहां निदेशक मंडल के अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक हैं निदेशक मंडल की कुल संख्या से न्यूनतम आधी होने के संबंध में उक्त सूचीयन करार की धारा 49 के पैरा I के उप पैरा ए (ii) का अनुपालन नहीं किया गया।

    तथापि अप्रैल, 2013 से जुलाई, 2013 के दौरान एमएमटीसी के निदेशक मंडल में पांच और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से निगम ने 31 मार्च, 2014 को उक्त शर्त का अनुपालन कर लिया है।

(ii) आधार पर कोड के साथ वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों तथा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों द्वारा अनुपालन की अभिपुष्टि के संबंध में उक्त सूचीयन करार की धारा 49 के पैरा I की उप धारा डी (ii) का अनुपालन नहीं किया गया। उक्त अभिपुष्टि उस अधिकारी(महाप्रबंधक) द्वारा नही की गई है जो अभी सेवा से निलंबित है।

हम यह भी व्यक्त करते हैं कि उक्त अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है और न ही कंपनी द्वारा अपने कार्य संचालन में अपनाई गई कुशलता अथवा गतिशीलता का प्रमाण है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 13 अगस्त 2014

कृते **जैन कपिला एसोसिएटस** के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीयन संख्या 000287एन

हस्ता/–
डी के कपिला
वरिष्ठ भागीदार
एम न. 016905

सी–4, प्रथम तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110 014
फोनः 24313432, 24313422, 23587443 टेलीफैक्सः 24313432
ई–मेलः dkkapila@gmail.com ; वेबसाइटः www.jainkapilaassociates.com

संख्या/No. PDCA-I / ND / CHQ / 29-16 / MMTC / 2014-15 / Vol-II / 328

गोपनीय

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1

दिनांक / Dated 26.8.2014

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
एम०एम०टी०सी० लिमिटेड
सी०जी०ओ० कॉम्पलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली

विषयः कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए एम0एम0टी0सी0 लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए एम0एम0टी0सी0 लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित की जाती हैं। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए और कम्पनी की महासभा में उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार सांविधिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीय,

(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रधान निदेशक

संलग्नः टिप्पणियाँ

तृतीय तल, ए–स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, New Delhi-110002
दूरभाष / Tele: 011-23378473, फैक्स / Fax : 011-23378432

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत महालेखा नियंत्रक व लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए **एमएमटीसी लिमिटेड** के वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी के प्रबंधतंत्र का दायित्व है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत महा नियंत्रक व लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक को कंपनी अधिनियम की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत देने का दायित्व है। ये मत उनके व्यवसायिक निकाय, इस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित होते हैं। यह बात उनकी आडिट रिपोर्ट 29 मई 2014 के माध्यम से किया गया दर्शाई गई है।

मैंने महानियंत्रक व लेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) के अंतर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए **एमएमटीसी लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के चालू दस्तावेजों की सहायता लिए बिना की गई है और यह सांविधिक लेखा परीक्षकों की जांच तथा कंपनी कार्मिक और कुछ लेखा रिकार्डों की चयनित लेखापरीक्षा तक प्राथमिकतः सीमित है। मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत हाईलाईट करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आई हैं और मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबद्ध लेखा परीक्षा रिपार्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं।

<u>लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी</u>

लाभ व हानि आय की तालिका

अन्य आय (नोट संख्या 9)

अन्य गैर–प्रचालन आय रिटन बैक देयता– 57.21 करोड रुपए

निगम के पक्ष में दिसंबर 2011 में पारित किए गए कस्टम, एक्साईज़ तथा सर्विस कर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश के आधार पर रिटन बैक किए गए 25.70 करोड रुपए की राशि इसमें शामिल है। वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के वार्षिक खातों को अंतिम रूप देते समय प्रबंध–तंत्र द्वारा गलती से इस आदेश का संज्ञान नहीं लिया गया। इससे पूर्व वर्षों में गलती अथवा चूक हुई होगी अतः देयता को पूर्वावधि समायोजन द्वारा रिटन बैक किया जाना चाहिए था। यह लेखा मानक–5 के अनुरुप नहीं है जो कंपनीज़ (लेखा मानक) नियम 2006 में विनिर्दिष्ट हैं तथा इसके लिए लाभ व हानि तालिका में पूर्वावधि मदों की प्रकृति तथा राशि का अलग से प्रकटन करना आवश्यक था ताकि वर्तमान लाभ अथवा हानि पर इसका प्रभाव देखा जा सके।

<u>वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी</u>

तुलन–पत्र

परिसंपत्तियां

1. **गैर–चालू परिसंपत्तियां**

   गैर–चालू निवेश (नोट सं. 6.2)–445.66 करोड़ रुपए

उपरोक्त शीर्ष में सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) संयुक्त उपक्रम में 26 प्रतिशत इक्विटी निवेश के 33.80 करोड़ रुपए शामिल हैं। यद्यपि एन्नोर बंदरगाह पर लौह अयस्क टर्मिनल को बनाने तथा प्रचालित करने की परियोजना नवंबर 2010 में पूरी कर ली गई थी फिर भी लौह अयस्क के खनन, परिवहन तथा निर्यात पर प्रतिबंध के कारण वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ नहीं हो सका। नवंबर 2010 से यद्यपि उपरोक्त परियोजना तैयार थी फिर भी एसआईओटीएल ने इसे अपने खातों में केपीटलाईज़ नहीं किया। परिणामस्वरूप नवंबर 2010 के पश्चात प्रशासनिक एवं वित्तीय लागत को अभी भी पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) में बुक किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, किसी मूल्यह्रास का भी प्रावधान नहीं किया गया है। यदि इन लागतों को लाभ व हानि खाते में अंतरित किया जाता तो वर्ष 2013–14 तक एसआईओटीएल की सकल बर्थ पूरी तरह से समाप्त हो जाती।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए गैर–चालू निवेशों की 33.80 करोड़ की राशि को शामिल किए जाने की सत्यता को हम प्रमाणित नहीं कर सकते।

2. चालू परिसंपत्तियां

अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम (नोट संख्या 7.5)– 687.12 करोड़ रुपए

उपरोक्त शीर्ष में भारत सरकार की 15 प्रतिशत अनुदान योजना के अंतर्गत आयात की गई दालों के प्रति वसूली योग्य 19.29 करोड़ रुपए (भारत सरकार जीओआई द्वारा किए गए अधिक भुगतान के ब्याज के लिए काटी गई 2.79 करोड़ रुपए की राशि सहित) शामिल हैं। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय द्वारा इन दावों को अस्वीकार कर दिए जाने के कारण लेखों में प्रावधान किया जाना चाहिए था। इन दावों के प्रति प्रावधान न किए जाने के कारण अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम तथा लाभ में 19.29 करोड़ रुपए की अधिकता परिलक्षित हुई।

भारतीय महानियंत्रक व लेखापरीक्षक
की ओर से

(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रमुख वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
और पदेन सदस्य, आडिट बोर्ड–1,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2014

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के खातों पर सीएंडएजी की टिप्पणियां तथा प्रबंधतंत्र के उत्तर

सीएंडएजी की टिप्पणियां	प्रबंधतंत्र के उत्तर
लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी **लाभ व हानि आय की तालिका** **अन्य आय (नोट संख्या 9)** **अन्य गैर–प्रचालन आय** **रिटन बैक देयता– 57.21 करोड रुपए** निगम के पक्ष में दिसंबर 2011 में पारित किए गए कस्टम, एक्साईज़ तथा सर्विस कर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश के आधार पर रिटन बैक किए गए 25.70 करोड रुपए की राशि इसमें शामिल है। वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के वार्षिक खातों को अंतिम रूप देते समय प्रबंध–तंत्र द्वारा गलती से इस आदेश का संज्ञान नहीं लिया गया। इससे पूर्व वर्षों में गलती अथवा चूक हुई होगी अतः देयता को पूर्वावधि समायोजन द्वारा रिटन बैक किया जाना चाहिए था। यह लेखा मानक–5 के अनुरूप नहीं है जो कंपनीज़ (लेखा मानक) नियम 2006 में विनिर्दिष्ट हैं तथा इसके लिए लाभ व हानि तालिका में पूर्वावधि मदों की प्रकृति तथा राशि का अलग से प्रकटन करना आवश्यक था ताकि वर्तमान लाभ अथवा हानि पर इसका प्रभाव देखा जा सके।	वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान कस्टम, एक्साईज़ तथा सर्विस कर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेशों की पुनरीक्षा की गई थी। तदनुसार प्रबंध–तंत्र द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्ष के दौरान 25.70 करोड रुपए की देयता को राईट बैक कर दिया जाए तथा उक्त लेन–देन के लिए अपनाई गई सामान्य लेखा प्रैक्टिस के अनुरूप 'देयताएं रिटन बैक' में क्रेडिट की गई।
वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी **तुलन–पत्र** **परिसंपत्तियां** **1) गैर–चालू परिसपंत्तियां** **गैर–चालू निवेश (नोट संलग्न 6.2)–445.66 करोड़ रुपए** उपरोक्त शीर्ष में सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) संयुक्त उपक्रम में 26 प्रतिशत इक्विटी निवेश के 33.80 करोड़ रुपए शामिल हैं। यद्यपि एन्नोर बंदरगाह पर लौह अयस्क टर्मिनल को बनाने तथा प्रचालित करने की परियोजना नवंबर 2010 में पूरी कर ली गई थी फिर भी लौह अयस्क के खनन, परिवहन तथा निर्यात पर प्रतिबंध के कारण वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ नहीं हो सका। नवंबर 2010 से यद्यपि उपरोक्त परियोजना तैयार थी फिर भी एसआईओटीएन ने इसे अपने खातों में केपीटलाईज़ नहीं किया। परिणामस्वरूप नवंबर 2010 के पश्चात प्रशासनिक एवं वित्तीय लागत को अभी भी पूंजीगत कार्य प्रगति पर (कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस)	1) एसआईओटीएल द्वारा परियोजना पूरी नहीं होने के कारण लौह अयस्क टर्मिनल चालू नहीं किया जा सका। इसके साथ ही माननीन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लौह अयस्क के खनन, परिवहन तथा निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण किसी वैकल्पिक प्रयोग के लिए परियोजना में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। अतः एसआईओटीएल ने परियोजना को कोयले के आयात को हैंडल करने के लिए टर्मिनल में बदलने का निर्णय लिया जिसके लिए शिपिंग एवं सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के अनुमोदन के लिए आवेदन किया गया है जो अभी भी लंबित है। अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर परियोजना आरंभ करने से पहले आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

(सीडब्ल्यू आईओपी) में बुक किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, किसी मूल्यह्रास का भी प्रावधान नहीं किया गया है। यदि इन लागतों को लाभ व हानि खाते में अंतरित किया जाता तो वर्ष 2013–14 तक एसआईओटीएल की सकल बर्थ पूरी तरह से समाप्त हो जाती। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए गैर–चालू निवेशों की 33.80 करोड़ की राशि को शामिल किए जाने की सत्यता को हम प्रमाणित नहीं कर सकते। **2. चालू परिसंपत्तियां** **अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम (नोट संख्या 7.5)– 687.12 करोड़ रुपए** उपरोक्त शीर्ष में भारत सरकार की 15 प्रतिशत अनुदान योजना के अंतर्गत आयात की गई दालों के प्रति वसूली योग्य 19.29 करोड़ रुपए (भारत सरकार जीओआई द्वारा किए गए अधिक भुगतान के ब्याज के लिए काटी गई 2.79 करोड़ रुपए की राशि सहित) शामिल हैं। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय द्वारा इन दावों को अस्वीकार कर दिए जाने के कारण लेखों में प्रावधान किया जाना चाहिए था। इन दावों के प्रति प्रावधान न किए जाने के कारण अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम तथा लाभ में 19.29 करोड़ रुपए की अधिकता परिलक्षित हुई।	परियोजना में जेबी कंपनी द्वारा किए जाने वाले बड़े निवेश को ध्यान में रखते हुए सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया की आशा की जाती है। चूंकि जेबी कंपनी में निगम का 26 प्रतिशत निवेश दीर्घावधि के लिए है तथा परियोजना के व्यवहार्य होने की आशा है इसलिए इक्विटी निवेश के मूल्य को लागत में दर्शाया गया है जो कि ए एस 13 के प्रावधानों के अनुरूप है। तदानुसार संयुक्त उपक्रम में किए गए 33.80 करोड़ रुपए के 26 प्रतिशत इक्विटी निवेश को गैर–चालू निवेश में शामिल किया गया है। 2) भारत सरकार, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने परामर्श दिया था कि दालों के आयात पर अनुदान संबंधित सभी दावे 31 मार्च 2013 तक निपटा लिए जाएं क्योंकि इस तिथि के पश्चात बजट उपलब्ध नहीं होगा। दिनांक 31 मार्च 2013 से पहले 19.29 करोड़ रुपए के वर्तमान दावे को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था जिसका अभी भी निपटान नहीं हुआ है। इस 19.29 करोड़ रुपए की राशि में दालों के आयात के लिए 15 प्रतिशत अनुदान योजना के अंतर्गत 16.55 करोड़ रुपए की राशि है तथा शेष 2.74 करोड़ रुपए की राशि ब्याज के प्रति अनुचित रूप से काटी गई राशि के रिफंड से संबंधित है। कज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के साथ उचित तरीके से मामले को उठाने के लिए इसे वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है इसलिए दावों के लिए प्रावधान करना अथवा इन्हें वापस लेना जल्दबाजी होगी।

एक नजर में दशक

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	**2014***	2013*	2012*	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
हमारी देनदारियां										
शेयर पूंजी	**1000**	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500
रिजर्व	**12419**	12408	13214	12797	12371	10734	9800	8321	7833	7035
	13419	13408	14214	13797	12871	11234	10300	8821	8333	7535
ऋण	**4129**	14783	34299	60835	51648	43052	31984	11298	5071	3075
अन्य दीर्घ–कालीन देयताए	**99**	191	45							
दीर्घ–कालीन प्रावधान	**1825**	1702	1374							
	19472	30084	49932	74632	64519	54286	42284	20119	13404	10610
हमारी परिसंपत्तियां										
स्थायी परिसंपत्तियां	**2120**	2107	2052	2107	2099	2075	2067	2045	773	744
घटाएं: मूल्यहरास	**1302**	1186	1079	993	874	757	654	519	453	426
निवल स्थायी परिसंपत्तियां	**818**	921	973	1114	1225	1318	1413	1526	320	318
निवेश	**4457**	4697	4673	2831	2729	2316	2550	2550	2210	2210
विविध खर्चे (बट्टे खाते में नहीं डाले गए)	**-**	-	-	-	-	58	22	15	45	82
दीर्घकालीन ऋण व अग्रिम	**768**	1,130	1,095							
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	**15**	17	23							
कार्यरत पूंजी	**11153**	21865	42453	70352	60339	50291	38042	15667	10411	7517
आस्थगित कर परिसंपत्तिया	**2261**	1454	715	335	226	303	257	361	418	483
	19472	30084	49932	74632	64519	54286	42284	20119	13404	10610
हमारी आय										
बिक्री	**250746**	284156	659291	688545	451242	368207	264234	233016	163624	151237
निर्यात	**41270**	29795	20454	36934	32227	45759	39114	34131	29254	30309
आयात	**187135**	209544	610417	633008	399691	306951	204499	186074	117858	110325
घरेलू	**22341**	44817	28420	18603	19324	15497	20621	12811	16512	10603
अर्जित ब्याज	**1378**	2796	6458	4750	5742	7824	2106	1202	1213	3155
अन्य आय	**2795**	2210	4770	2369	2294	2498	1314	902	749	584
	254919	289162	670519	695664	459278	378529	267654	235120	165586	154976
हमारे खर्चे										
विक्रय लागत	**249240**	282985	660483	687260	449463	366966	260732	230964	161716	148821
स्थापना खर्चे	**1895**	2029	1843	1838	1684	1653	1184	883	706	700
प्रशासनिक खर्चे	**471**	482	521	554	461	385	375	327	302	276
वित लागत (प्रदत्त ब्याज शामिल)	**670**	2195	5764	3719	4126	6659	1350	711	818	2851
मूल्यहरास और परिशोधन	**124**	120	120	125	133	126	127	80	42	42
बट्टे खाते में डाले गए विविध खर्चे	**-**	-	-	-	58	18	13	33	41	96
बट्टे खाते में डाले गए/वापिस लिए गए ऋण/दावे/परिसंपत्तिया	**11**	1	3	1	3	143	231	98	191	259
संदिग्ध ऋणों के लिए तथा निवेश/स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्यों में ह्रास हेतु प्रावधान	**13**	63	133	229	19	406	373	95	67	135
असाधारण मदें	**2104**	2444	1002							
अपवादिक मदें	**231**	127	(1)							
	254759	290446	669868	693726	455947	376356	264385	233191	163883	153180

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	**2014***	2013*	2012*	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
हमारी बचत										
वर्ष का लाभ	**160**	(1284)	651	1938	3331	2173	3269	1929	1703	1796
कराधान के लिए प्रावधान	**(42)**	(572)	53	701	1168	772	1241	625	596	691
कर पश्चात् लाभ(पूर्वावधि समायोजन से पूर्व)	**202**	(712)	598	1237	2163	1401	2028	1304	1107	1105
पूर्वावधि समायोजन	**16**	(6)	(109)	21	-	(1)	23	36	24	33
उपयोग हेतु उपलब्ध लाभ	**186**	(706)	707	1216	2163	1402	2005	1268	1083	1072
लाभांश	**150**	100	250	250	450	400	450	250	250	225
लाभांश पर कर	**25**	-	41	41	75	68	76	39	35	31
निरंतर विकास	**-**	2								
कारपोरेट सामाजिक दायित्व	**-**	4								
(रिटेंड) अर्जन	**11**	(812)	416	925	1638	934	1479	979	798	816
सकल लाभ	**3456**	2997	2766	3300	3176	3209	4298	2497	2218	2559
कर पूर्व लाभ	**144**	(1278)	760	1917	3331	2174	3246	1893	1679	1763
कर पश्चात् लाभ	**186**	(706)	707	1216	2163	1402	2005	1268	1083	1072
नेटवर्थ	**13418**	13407	14213	13797	12871	11176	10278	8806	8288	7453
नियोजित पूंजी	**7842**	8003	9127	8645	9725	8557	7471	5895	10731	7835
कार्यरत पूंजी	**11153**	21865	42453	70352	60339	50291	38042	15667	10411	7517
अनुपात										
बिक्री के अनुपात में ओवरहैडस	**0.94**	0.88	0.36	0.35	0.48	0.55	0.59	0.52	0.62	0.65
बिक्री के अनुपात में स्टॉक	**1.23**	3.13	1.40	0.94	4.73	1.57	2.09	0.76	1.52	0.73
बिक्री के अनुपात में व्यापार लाभ	**1.38**	1.05	0.42	0.48	0.70	0.87	1.63	1.07	1.36	1.69
बिक्री के अनुपात में कर पूर्व लाभ %	**0.06**	(0.45)	0.12	0.28	0.74	0.59	1.23	0.81	1.03	1.17
बिक्री के अनुपात में कर पश्चात लाभ %	**0.07**	(0.25)	0.11	0.18	0.48	0.38	0.76	0.54	0.66	0.71
बिक्री के अनुपात में देनदार %	**6.92**	7.83	4.20	3.69	3.44	5.18	5.47	4.80	4.51	4.53
बिक्री के अनुपात में कार्यरत पूंजी %	**4.45**	7.69	6.44	10.22	13.37	13.66	14.40	6.72	6.36	4.97
कार्यरत पूंजी के अनुपात में बिक्री (गुना)	**22.48**	13.00	15.53	9.79	7.48	7.32	6.95	14.87	15.72	20.12
नियोजित पूंजी से वर्ष के लिए लाभ का %	**2.04**	(16.04)	7.13	22.42	34.25	25.39	43.76	32.72	15.87	22.92
नियोजित पूंजी से कर पश्चात् लाभ %	**2.37**	(8.82)	7.75	14.07	22.24	16.38	26.84	21.51	10.09	13.68
नेट वर्थ की तुलना में वर्ष के लिए लाभ %	**1.19**	(9.58)	4.58	14.05	25.88	19.44	31.81	21.91	20.55	24.10
नेटवर्थ की तुलना में कर पश्चात् लाभ %	**1.39**	(5.27)	4.97	8.81	16.81	12.54	19.51	14.40	13.07	14.38
कार्मिकों की संख्या	**1530**	1605	1673	1767	1838	1882	1953	1997	2031	2063
प्रति कार्मिक बिक्री	**163.89**	177.04	394.08	389.67	245.51	195.65	135.30	116.68	80.56	73.31

*आंकडें संशोधित अनुसूची VI के अनुसार है।

निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(₹ मिलियन में)

	2013-14	2012-13	2011-12
स्रोत			
आंतरिक अर्जन			
कर पश्चात् लाभ	**186**	(706)	707
आस्थगित कर समायोजन	**(807)**	(739)	(379)
मूल्यहरास	**1303**	1186	1079
प्रावधान	**8262**	5898	4126
इक्विटी	**1000**	1000	1000
रिजर्व	**12233**	13113	12507
बाह्य अर्जन			
बैंकिंग	**4129**	14783	34299
चालू देयताएं	**26308**	35698	75372
अन्य देयताएं	**2185**	2181	1926
कुल स्रोत	**54799**	72414	130637
उपयोग			
स्थायी परिसंपत्तियां	**2120**	2107	2052
निवेश	**5306**	4895	4721
व्यापार ऋण	**21675**	26596	29591
वस्तुसूची	**3084**	8888	9244
ऋण व अग्रिम	**16433**	14613	56163
नकद व बैंक शेष	**4727**	14600	28531
आस्थगित कर	**1454**	715	335
कुल उपयोग	**54799**	72414	130637

वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों का विवरण

(₹ मिलियन में)

	2013-14		2012-13		2011-12	
निधियों के स्रोत						
आंतरिक अर्जन						
कर पश्चात् लाभ	**186**		(706)		707	
मूल्यह्रास	**124**	**310**	120	(586)	120	827
आस्थगित कर समायोजन		**1454**		715		335
ऋण						
ऋण निधि		**(10,653)**		(19,516)		(26,536)
कुल स्रोत		**(8,889)**		**(19,387)**		**(25,374)**
निधियों का अनुप्रयोग						
स्थायी परिसंपत्तियां		**26**		69		16
निवेश		**169**		174		(1)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		**2261**		1,454		715
अंतिम लांभाश		**150**		100		250
लांभाश कर		**25**		-		41
इनवेंट्री		**(5,805)**		(356)		2,764
विविध देनदार		**(4,903)**		(5,471)		2,332
ऋण व अग्रिम		**(304)**		(17,507)		(33,287)
रोकड़ व बैंक शेष		**(9,874)**		(13,931)		(38,951)
देयताएं		**9481**		15,484		40,245
प्रावधान		**(115)**		597		502
निधियों का कुल अनुप्रयोग		**(8,889)**		(19,387)		(25,374)

मूल्यवर्धन विवरण

(₹ मिलियन में)

	2013-14		2012-13		2011-12	
वर्धित मूल्य		**%**		**%**		**%**
बिक्री तथा अन्य व्यापारिक अर्जन	**252,752**		286,333		663,251	
जोड़ें : अन्य आय	**967**		462		833	
	253,719		286,795		664,084	
घटाएं : प्रयुक्त सामग्री व सेवाओं की लागत	**229,115**		268,238		648,912	
कुल मूल्यवर्धन	**24,604**		**18,557**		**15,172**	
मूल्य वितरण						
प्रचालन खर्चे	**20,185**	**82.04**	15,131	81.54	12,333	81.29
नियोजन लागत	**1,895**	**7.70**	2,029	10.93	1,844	12.15
प्रशासनिक लागत	**609**	**2.48**	648	3.49	530	3.50
प्रावधान	**254**	**1.03**	63	0.34	133	0.88
मूल्यह्रास	**124**	**0.50**	118	0.64	122	0.80
ब्याज (शुद्ध)	**(711)**	**(2.89)**	(598)	(3.22)	(1,553)	(10.24)
असाधारण मदें	**2,104**	**8.55**	2,444	13.17	1,002	6.60
आय कर	**(42)**	**(0.17)**	(572)	(3.08)	53	0.35
लाभांश						
– प्रस्तावित लांभाश	**150**	**0.61**	100	0.66	250	1.65
– लांभाश पर कर	**25**	**0.10**	-	-	41	0.27
रिजर्व एवं अधिशेष से अंतरित	**-**	**-**	(100)	(0.66)	-	-
रिटेंड अर्जन	**11**	**0.04**	(706)	(3.81)	417	2.75
कुल मूल्य वितरण	**24,604**	**100.00**	**18,557**	**100.00**	**15,172**	**100.00**
विश्लेषण						
कर्मचारियों की संख्या	**1,530**		**1,605**		**1,673**	
प्रति कर्मचारी मूल्यवर्धन (₹'000)	**16,081**		11,562		9,069	
नेट वर्थ	**13,418**		13,407		14,213	
नेट वर्थ के प्रति रुपये में मूल्य वर्धन	**1.83**		1.38		1.07	

वस्तुवार निष्पादन

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
निर्यात										
लौह अयस्क	**16703**	9885	3049	19390	19244	27536	26554	19012	21584	21369
मैंगनीज अयस्क / ऑक्साइड	**144**	225	343	575	1019	1064	441	409	469	660
क्रोम अयस्क / कंसन्ट्रेट	**3526**	3781	6160	8076	6269	8274	6904	7964	3191	3354
पिग आयरन	**10992**	2893	9404	8136	4891	5988	5090	5446	3458	3901
स्लैग	**18**							1	1	16
उर्वरक	**2348**	1533	1489	737	805			257		
कृषि उत्पाद	**7539**	11478		20		2411	61	753		620
कच्चा उन			9							
हीरे / रत्न / आभूषण						434		289	291	387
मर्चेंटिंग ट्रेड						50	64			
स्टील / एचआर स्टील क्वायल्स									101	
इंजीनियरिंग उत्पाद										2
अन्य.... (सुनामी कारें)									159	
कुल निर्यात	**41270**	**29795**	**20454**	**36934**	**32228**	**45757**	**39114**	**34131**	**29254**	**30309**
आयात										
धातुएं / आईआरएम										
कॉपर / कॉपर कैथोड्स		101	1334	1240	1549	4688	3678	2691	3104	1128
जिंक	**616**	837	1379	1205	1494	896	1287	1617	955	248
लैड	**19**	47	36	117	90	304	246	750	384	276
टिन	**390**	423	671	1013	522	1047	703	651	373	497
निकल	**754**	567	1393	3304	1042	501	922	1216	561	700
अल्यूमिनियम					11		16	172	228	165
एंटीमनी मेटल	**67**	58		26	8	5	24	10	52	9
स्टील/स्टील स्क्रैप/एचआर क्वायल्स			478	1080	1585	1065	1350	1331	274	100
अन्य		108	583	282	334	282	148	41	145	72
अनुयोग	**1846**	**2142**	**5875**	**8267**	**6635**	**8788**	**8374**	**8479**	**6076**	**3195**

वस्तुवार निष्पादन

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
उर्वरक										
सल्फर	**230**	233	219	142	220	1566	1488	140	160	76
यूरिया	**35969**	11704	48927	14534	14084	30259	37907	14223	5867	4566
डीएपी			1445		574			6346	5904	1505
एमओपी	**1276**	5599	5279	3937	9302	7916	1647	1621	1692	1368
अन्य					4	7				
अनुयोग	**37475**	**17537**	**55870**	**18613**	**24184**	**39748**	**41042**	**22330**	**13623**	**7515**
डायमंड / गोल्ड / एम्राल्ड्स	**84116**	131374	504607	501935	316029	212891	122071	135041	76928	79582
कृषि उत्पाद	**12139**	13777	11843	14922	14638	16695	16160	3581	2726	3354
हाइड्रोकार्बन	**51508**	44688	32196	89229	38203	27364	16481	16296	18087	16585
अन्य	**51**	27	27	43	1	1466	371	347	418	94
कुल आयात	**187135**	**209545**	**610417**	**633008**	**399690**	**306952**	**204499**	**186074**	**117858**	**110325**
घरेलू										
माइका										1
कॉपर / जिंक / ब्रास / अल्यूमि.				18	1195		1633	2142	1492	1101
पिग आयरन / स्लैग / स्टील	**2335**	9805	8273	4180	6352	2791	2738	2806	4381	4420
उर्वरक	**49**	78	87	45	40	68	56	45	41	20
कृषि उत्पाद	**5018**	16041	8459	1294	1245	1042	1621	1610	1180	235
रत्न व आभूषण / चॉदी	**7615**	5379	6821	4918	5274	4118	7921	2369	1990	3113
हाइड्रोकार्बन	**4456**	11659	3475	5870	1753	4023	5255	3318	6893	1655
अन्य	**2868**	1855	1305	2278	3465	3455	1397	521	535	58
कुल घरेलू कारोबार	**22341**	**44817**	**28420**	**18603**	**19324**	**15497**	**20621**	**12811**	**16512**	**10603**
कुल कारोबार	**250746**	**284156**	**659291**	**688545**	**451242**	**368207**	**264234**	**233016**	**163624**	**151237**

देशवार निर्यात

(₹ मिलियन में)

31मार्च को समाप्त वर्ष	2014	2013	2012
अफ्रीका			
इथिओपिया	**2647**	1367	-
सोमालिया	**-**	417	-
	2647	1,784	-
एशिया			
बांग्ला देश	**2223**	1393	-
चीन	**3085**	3899	8820
जापान	**14252**	9148	440
कोरिया	**5886**	6630	1407
मलेशिया	**3623**	841	3210
नेपाल	**2366**	1533	1489
इंडोनेशिया	**1002**	2372	355
फिलिपाईन्स	**426**	-	-
सिंगापुर	**-**	43	1089
ताईवान	**2264**	-	809
थाईलेंड	**3122**	2087	2835
वियतनाम	**314**	-	-
	38563	27945	20454
पश्चिम यूरोप			
स्पेन	**60**	66	-
	60	66	-
कुल निर्यात	**41270**	**29795**	**20454**

देशवार आयात

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014	2013	2012
अफ्रीका			
नामिबिया	**-**	-	10
सूडान गणराज्य	**-**	53	-
दक्षिण अफ्रीका	**9,967**	89,479	87,570
	9,967	**89,532**	**87,580**
एशिया			
चीन	**23,855**	73,853	17,024
वियतनाम	**-**	-	120
इंडोनेसिया	**36,385**	327,455	22,606
जापान	**-**	-	54
मलेशिया	**2,394**	1,444	7,778
म्यांमार	**-**	-	409
हांगकांग	**437**	-	3,464
रूस	**533**	425	14,591
सिंगापुर	**152**	121,810	3,743
ताइवान	**-**	-	25
	63,756	**524,988**	**69,814**
पूर्वी यूरोप			
कजाकिस्तान	**192**	4,373	906
बेलारूस	**-**	55,387	979
रोमानिया	**-**	-	2,555
उज्बेकिस्तान	**-**	-	6
युक्रेन	**-**	692	5,934
	192	**60,451**	**10,380**
मध्य पूर्व			
दुबई	**367**	4,435	47,751
ईरान	**11,332**	44,555	10,953
ओमान	**-**	-	3,622
इजराईल	**-**	-	59
कुवैत	**124**	-	1,167
सउदी अरब	**-**	-	1,552
संयुक्त अरब अमीरात	**4,064**	106,494	2,649
	15,887	**155,483**	**67,753**

(₹ मिलियन में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2014	2013	2012
उत्तरी अमेरिका			
कनाडा	**-**	164	-
संयुक्त राज्य अमेरिका	**1,256**	2,314	334
	1,256	**2,478**	**334**
ओशिनिया			
आस्ट्रेलिया	**8,616**	135,220	139,705
	8,616	**135,220**	**139,705**
पश्चिम यूरोप			
फ्रांस	**-**	-	62
जर्मनी	**-**	-	939
स्वीडन	**16**	301	-
स्विटजरलैंड	**16,154**	109,286	62,821
नार्वे	**395**	448	567
यू के	**44,824**	902,222	162,002
	61,389	**1,012,258**	**226,391**
कुल आयात	**161,063**	**1,980,411**	**601,957**

राजकोष में अंशदान

(₹ मिलियन में)

	2013-14	2012-13	2011-12
केन्द्र सरकार को			
निर्यात शुल्क	**-**	55	1,260
आयात शुल्क	**8,558**	6,569	8,948
उत्पाद शुल्क	**1**	0	-
सेवा कर	**18**	45	64
केन्द्रीय बिक्री कर	**885**	525	288
आय कर (लाभांश पर कर सहित)	**188**	216	895
लाभांश	**90**	248	248
योग	**9,740**	**7,658**	**11,703**
रेलवे तथा बंदरगाहों को			
रेल भाड़ा	**4,782**	3,711	602
रेलवे/बंदरगाहों को प्लाट किराया	**7**	1	3
बंदरगाह प्रभार	**53**	24	99
योग	**4,842**	**3,737**	**704**
राज्य सरकार को			
स्थानीय बिक्री कर/वैट	**2,566**	2,296	6,328
अन्य कर/शुल्क	**105**	37	34
व्यावसायिक कर	**1**	1	1
योग	**2,672**	**2,334**	**6,363**
कुल योग	**17,254**	**13,728**	**18,770**

51 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2013 -14

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए **एमएमटीसी लिमिटेड** (कंपनी) के संलग्न तुलन–पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ व हानि लेखे एवं नगदी प्रवाह विवरण की तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूचना का सारांश देते हुए लेखा परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित कारपोरेट कार्यालय, माइका प्रभाग, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय तथा दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखे शामिल हैं जबकि अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

प्रबंधतंत्र इन वित्तीय विवरणों को जो कि वित्तीय तिथि को, कंपनी की वित्तीय निष्पादन तथा नगदी प्रवाह को कंपनी अधिनियम 1956 (एक्ट) की धारा 211 (3 सी) में दिए गए लेखा मानकों तथा भारत के सामन्यतः स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार सही सही तथा वास्तविक रूप में दर्शाते हैं, तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रबंधतंत्र के इस दायित्व में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व पाए गए डिजाइन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए आंतरिक नियंत्रण को लागू करना तथा बनाए रखना जो कि वित्तीय विवरणों को सही व वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हुए कपटपूर्ण अथवा गलती से दी गई किसी भी आवांछित सामग्री से दूर रखना शामिल है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व है कि हम अपने द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करें। हमने अपना आडिट इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक के अनुसार किया है। इन मानकों की यह आवश्यकता है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए योजना बनाकर आडिट का काम पूरा करें जिससे कि हम वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार के असंगत विवरण का न होने का यथोचित आश्वासन दे सकें।

आडिट की मुख्य भूमिका वित्तीय विवरणों में राशि तथा डिस्क्लोजर के बारे में आडिट साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना है। अपनाई गई प्रक्रियाओं का चयन आडिटरों के विवेक से जिसमें कपटपूर्वक अथवा गलती से वित्तीय विवरणों में मैटीरियल मिसस्टेटमेंट के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है, के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के जोखिमों के मूल्यांकन में आडिट कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार कर उसे सही सही प्रस्तुत करने के लिए बनाए गए आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखकर, परिस्थिति अनुसार आडिट प्रक्रिया को डिजाइन करते हैं जिसमें आडिटरों का उद्देश्य कंपनी के आंतरिक नियंत्रण के प्रभावशाली होने पर मत देना बिल्कुल नहीं होता। आडिट का उद्देश्य प्रयोग की गई आडिट नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा बनाए गए अकाउंटिंग आंकलन की सार्थकता का मूल्यांकन करते हुए वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का समग्र मूल्यांकन होता है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा लिए गए आडिट साक्ष्य हमारे सीमित आडिट मत के आधार के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं।

सीमित मत का आधार

(ए) लंबे समय से बकाया विभिन्न प्रकार के ऋणों/अग्रिमों/दावों तथा इन ऋणों/अग्रिमों/दावों की वसूली की अनिश्चितता/वसूली न होने के कारण जहां कंपनी ने स्वंय इन ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए शत–प्रतिशत प्रावधान किया है वहीं इन ऋणों/अग्रिमों/दावों को बटटे खाते (राईट आफ) में डालने के संबंध में कंपनी ने अपनी नीति का अनुसरण नहीं किया है। तदानुसार इनका प्रभाव आकलन योग्य नही है।

(बी) मुख्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक के पैरा (iv) में जैसा बताया गया है कि अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जिसके अनुवर्ती प्रभाव वर्ष के लेखों पर हो सकते हैं (प्रभाव आकलन योग्य नहीं हैं)

सीमित मत

हमारे विचार से, हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, समिति मत आधार के अनुच्छेद में उल्लिखित मामले के प्रभाव के अतिरिक्त, उपर्युक्त वित्तीय विवरणों में अधिनियम के तहत आवश्यक तथा अपेक्षित ढंग से सूचना दी गई है जो कि भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार एक वास्तविक तथा सही अवलोकन प्रस्तुत करती है।

ए) तुलन पत्र के मामले में कंपनी के क्रियाकलाप दिनांक 31 मार्च, 2014 तक हैं :

बी) लाभ तथा हानि के विवरण के लिए कंपनी को हुआ लाभ उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए है तथा

सी) नगदी प्रवाह विवरण के लिए उस तिथि के लिए उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का नगदी प्रवाह लिया गया है।

विषय का महत्व

ए) नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) द्वारा भुगतान में चूक तथा इसके परिणामस्वरूप एनएसईएल तथा अन्य के विरूद्ध मुम्बई उच्च न्यायालय में विधिक मुकदमा दायर करने के साथ–साथ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) दिल्ली पुलिस में आपराधिक

शिकायत, जिसे सीबीआई मुम्बई को अंतरित किया गया है, के कारण निगम ने दिनांक 15 मई, 2014 तक वसूल किए गए 1.96 मिलियन रुपए की राशि को समायोजित करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2014 को वसूले जाने योग्य कुल 2106.38 मिलियन रुपए के प्रति 2104.42 मिलियन रुपए (गत वर्ष शून्य) का प्रावधान किया है (टिप्पणी संख्या 17 (iii) देखें।

बी) अपने कर्मचारियों को निगम सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। वित वर्ष 2013–14 के लिए कुल 1368.32 मिलियन रुपए बीमाकंक देयता (एक्चूरियल) का प्रावधान किया गया है (नोट संख्या 23 (जी) को देखें)। इस उद्देश्य के लिए निगम के अपने निवेशों को चिहि्नत नहीं किया है तथा कोई कॉरपस भी नहीं बनाया है।

सी) कई मामलों में विविध देनदारों/वसूले जाने वाले दावे, ऋण व अग्रिम/विविध लेनदारों/अन्य देयताओं की पुष्टि नहीं हो पाई है तथा ऐसी पुष्टि हो जाने पर मिलान/समायोजन, यदि कुछ है तो, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है(कृपया नोट सं. 35 देखें)।

डी) पैकेज में दिक्कत के चलते कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में आरएमएस सॉफ्टवेयर सांची आइटमों की सही इन्वेंटरी नहीं बता पा रहा है। सांची इन्वेंटरी का हाथ से लिख कर रिकार्ड भी नहीं रखा गया है।

ई) जीआर–1 फार्म की समय सीमा बढाने के मामले/वेवर/बट्टे खाते में डालने हेतु यदि किसी प्रकार की देयता होगी तो उसका प्रावधान नहीं किया गया है (कृपया नोट सं. 21 का संदर्भ लें)

अन्य कानूनी तथा वैधानिक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 277(4ए) की शर्तों में जारी कंपनी(लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 के अनुसार जैसा अपेक्षित है, हम आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट स्टेटमैंट ऑफ मैटर्स को अनुलग्नक द्वारा दर्शा रहे हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 227(3) के अनुसार अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

ए) हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए हमें जिस प्रकार की भी सूचना तथा स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी वे सभी प्रकार की जानकारी हमें उपलब्ध कराई गई।

बी) सीमित मत पैराग्राफ के तत्वों में वर्णित इफैक्टस ऑफ द मैटर को छोडकर हमारे विचार से एवं जहां तक हमारी जांच द्वारा पाया गया है, कंपनी वैधानिक आवश्यकतानुसार सही सही लेखा बहियां रखती है तथा उन शाखाओं से जहां हम नहीं जा पाए पर्याप्त रिटर्न, जो कि लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक है, हमें प्राप्त हुए हैं।

सी) इस रिपोर्ट में विश्लेषित बैलेंस शीट, लाभ तथा हानि की स्टेटमैंट तथा कैश–फ्लो स्टेटमैंट बुक आफ अकाउंट्स से मेल खाती हैं।

डी) सीमित मत पैराग्राफ के तत्वों में वर्णित इफैक्ट्स ऑफ द मैटर्स को छोडकर हमारे विचार से तुलन पत्र, लाभ तथा हानि का विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण अधिनियम के अनुच्छेद 211(सी) में उल्लिखित लेखा मानकों के अनुसार हैं।

ई) कंपनी मामलों का विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.10. 2003 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 629 (ई) के अनुरूप कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(जी) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

कृते **जैन कपिला एसोशिएटस**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000287एन)

डी के कपिला
(पार्टनर)
(सदस्यता सं. 016905)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2014

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(हमारी उसी तिथि को पैरा 1 के अंतर्गत दी गई अन्य कानूनी तथा वैधानिक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट की धारा के संदर्भ में)

i. स्थाई परिसंपत्तियों के संबंध में

ए) कंपनी ने पूरे विवरणों सहित, मात्रात्मक विवरण तथा स्थाई परिसंपत्तियों को दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखे हैं।

बी) नियमित प्रोग्राम के अनुरूप प्रबंधतंत्र द्वारा कुछ विशेष स्थानों पर स्थाई परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया जा रहा है जबकि हमारी राय में इसके अंतर्गत यथोचित अंतराल में सभी स्थानों की सभी स्थाई परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया जाना चाहिए। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार जिन स्थानों पर वास्तविक सत्यापन किए गए हैं उन सत्यापनों में कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं पाई गई है।

सी) हमारे विचार से पिछले वर्ष बेची गई स्थायी परिसंपत्तियों का कंपनी की स्थायी परिसंपतियों में एक बहुत ही छोटा व नगण्य भाग रहा है जिसका कंपनी के गोइंग कंसर्न स्टेटस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

ii. कंपनी की इन्वेन्ट्रीज के बारे में

ए) जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी की इन्वैन्ट्रीज का प्रबंधतंत्र द्वारा वास्तविक रूप से सत्यापन किया गया है।

बी) हमारे विचार से तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधतंत्र द्वारा इन्वेन्ट्री के वास्तविक रूप से सत्यापन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया को, कंपनी के आकार तथा व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

सी) हमारे विचार से तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार आडिट रिपोर्ट के इम्फासिस ऑफ मैटर (डी) की शर्तों के अनुसार, कंपनी अपनी इन्वैन्ट्रीज का सही रिकार्ड रखती है तथा वास्तविक रूप से सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई विसंगति देखने में नहीं आई है।

iii. कंपनी ने अन्य किसी भी कंपनी, फर्म अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में आने वाली अन्य पार्टियों को न तो कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया और न ही ऐसा ऋण लिया है।

iv. हमारे विचार से तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद के लिए कंपनी के आकार तथा व्यापारिक प्रकृति के अनुसार एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था मौजूद है। ***जहां तक कंपनी द्वारा घरेलू बुलियन लेन देन सहित माल, इन्वैंट्री तथा स्टॉक्स की खरीद एवं बिक्री का संबंध है तो इन्हें इस प्रकार और अधिक सशक्त बनाया जाए ताकि ईआरपी सिस्टम के अद्यतनों अर्थात लेन देन की वास्तविक स्थिति में देरी को रोका जा सके। साथ ही मैन्युअल बीजक भी न बनाया जा सके।***

इसके अतिरिक्त यहां पूर्व वर्णित क्षेत्रों के अलावा, नीचे दिए क्षेत्रों में भी आंतरिक नियंत्रण मैकेनिज्म को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

ए) कंपनी के द्वारा किए गए व्यापार में ईआरपी तथा अदर स्टैंड अलोन इन्वैंट्री (आरएमएस) के बीच आने वाले माल(विशेषकर बुलियन/रिटेल ट्रेड) का समय समय पर मात्रात्मक मिलान करना।

बी) चूंकि यह देखा गया है कि कुछ भूल चूकों के कारण कंपनी को देनदारों/वसूली योग्य राशि/हानियों के प्रति बहुत बड़ा प्रावधान करना पड़ा इसलिए जोखिम का निर्धारण तथा जोखिम प्रबंधन को और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए।

सी) वित्तीय रिकार्डस के अनुसार तथा क्रय इन्पुट/आउटपुट वैट अर्थात वैट रिटर्न के अनुसार विक्रय, क्रय, इनपुट/आउटपुट वैट के संबंध में समय समय पर समायोजन।

v. ऐसा कोई भी लेनदेन नहीं है जिसकी प्रविष्टि कंपनी अधिनियम 456 की धारा 301 के अनुपालन में बनाए गए रजिस्टर में करनी अनिवार्य थी ।

vi. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई डिपोजिट नहीं लिया है। जहां तक अनक्लेम्ड डिपाजिट का संबंध है, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए, 58एए अथवा अन्य संबंधित व्यवस्थाओं का पालन किया है।

vii. कंपनी ने हाल ही में एक विस्तृत आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल बनाया है जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। तथापि हमारी राय में बाहय/आंतरिक

लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यो में कंपनी के आकार तथा बिजनेस की प्रकृति के अनुरूप तथा गुणवत्ता में और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

viii. अधिनियम की धारा 209(1)(डी) के तहत भारत सरकार ने कंपनी द्वारा दी जाने वाली किसी भी सेवा के लिए कोस्ट रिकार्डस लागू करना निर्धारित नहीं किया है।

ix. वैधानिक देयता के लिए हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार :

क) कंपनी ने अविवादित, सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा कराये हैं इनमें भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उप कर तथा अन्य लागू महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल हैं।

ख) भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर के संबंध में अविवादित राशियां देय नहीं थीं तथा 31 मार्च, 2014 को भी ऐसा कोई अन्य सांविधिक देय बकाया नहीं था जोकि देय होने की तिथि से छः माह से अधिक समय तक लंबित हो।

ग) 31 मार्च 2014 को देय आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उप कर जो विवादित होने के कारण जमा नहीं हुए हैं उनका विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

x. 31 मार्च, 2014 को तैयार किए गए वित्तीय विवरण में कंपनी की कोई संचयी हानियां शामिल नहीं हैं। हमारी लेखा परीक्षा के अंतर्गत इस वित्त वर्ष तथा इससे पहले वित वर्ष में कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है।

xi. हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्डों की जांच करने पर तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर होल्डर को पुनर्भगतान करने में किसी भी प्रकार की चूक नहीं की है।

xii हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को जमानत के रूप में गिरवी रखने के आधार पर किसी भी तरह के ऋणों के रूप में गिरवी रखने के आधार पर किसी भी तरह के ऋणों एवं अग्रिमों की स्वीकृति प्रदान नहीं की है, सिवाय इसके कि कर्मचारियों को कुछ ऋण मकान और वाहन को जमानत पर रखकर दिए गए हैं और इस संबंध में उचित दस्तावेज एवं रिकार्ड बनाए गए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त भी कुछ ऋण कार्मिकों को बिना किसी जमानत के दिए जाते हैं।

xiii. हमारी राय में कंपनी चिट फंड अथवा निधि/म्युचुअल लाभ फंड/सोसायटी नहीं है। इसलिए कंपनी पर कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) की धारा 4(xiii) के प्रावधान लागू नहीं होते।

xiv. हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेशों के व्यापार में लेन–देन नहीं करती है। तदनुसार कंपनी पर कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथासंशोधित) की धारा 4 (xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xv. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एक सहयोगी कंपनी) द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए जिन शर्तों व अनुबंधों के अधीन कंपनी द्वारा गारंटी दी गई है वे प्रथम दृष्टि में कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है।

xvi. हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार के सावधि ऋण नहीं लिए हैं। अतः कंपनी पर कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथासंशोधित) की धारा 4 (xvi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xvii. हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि लघु अवधि आधार पर उगाही गई निधियों का दीर्घावधि निवेश में प्रयोग नहीं किया गया है।

xviii. हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में कंपनी ने पार्टियों एवं कंपनियों को किसी प्रकार के अधिमान्य (प्रिफरेंशियल) शेयरों का आबंटन नहीं किया है।.

xix. हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार आडिट रिपोर्ट की अवधि के दौरान वर्ष में कंपनी द्वारा किसी प्रकार के डिबेंचर जारी नहीं किए गए हैं। अतः कंपनी पर कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथासंशोधित) की धारा 4(xix) का प्रावधान लागू नहीं होता।

xx. चूंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम द्वारा किसी प्रकार की राशि नहीं जुटाई है अतः कंपनी पर कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथासंशोधित) की धारा 4 (xx) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xxi. सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप तथा हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारे द्वारा निगम के खातों एवं रिकार्डों की जांच के दौरान यह देखने में आया है कि एवं जैसा कि प्रबंधतंत्र ने सूचित किया है, वर्ष के दौरान निगम में निम्नलिखित मामले धोखाधड़ी (मैटीरियल फ्राड) के हुए हैं:–

एनएसईएल में ट्रेड के प्रति कंपनी द्वारा किए गए भुगतान के प्रति नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड(एनएसईएल) ने 2104.42 मिलियन रुपये की राशि के भुगतान करने में चूक की है। इस ट्रेड के प्रति न तो एनएसईएल के पास और न ही विक्रेता/ऋण लेने वाले की कस्टडी में माल उपलब्ध था। कंपनी ने एनएसईएल तथा अन्य के विरूद्ध मुम्बई उच्च न्यायालय में विधिक मुकदमा दायर किया है, साथ ही आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) दिल्ली पुलिस को अपराधिक शिकायत भी की है। जिसे सीबीआई मुम्बई को अंतरित किया गया है। इस मामले में और जांच की जा रही है।

कृते **जैन कपिला एसोशिएटस**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000287एन)

डी के कपिला
(पार्टनर)
(सदस्यता सं. 016905)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2014

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

अनुलग्नक 'क' के पैराग्राफ 9(सी) में संदर्भित दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2003(यथा संशोधित) में एमएमटीसी लिमिटेड के विनिर्दिष्ट मामलों की तालिका।

कंपनी के रिकार्ड के अनुसार इसके द्वारा देय आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा उपकर जो विवाद के कारण जमा नहीं कराए गए हैं, का विवरण निम्नलिखित है :

चैन्नई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि(रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	8,63,114	1998–99	मद्रास उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	4,43,416	2000–2001	बिक्री कर अपील ट्रिब्यूनल
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	11,52,785	1999–2000	मद्रास उच्च न्यायालय
टीएनजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर, पेनल्टी व ब्याज	1,78,536	2001–02	सहायक आयुक्त(कमी.टैक्स) चैन्नई

मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि(रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	3,08,644	1986–87	संयुक्त आयुक्त, बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	14,96,06,778	1989–90	एमएसटी ट्रिब्यूनल
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	23,30,46,478	1990–91	संयुक्त आयुक्त, बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	28,98,738	1991–92	संयुक्त आयुक्त, बिक्री कर
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	11,14,933	1992–93	एमएसटी ट्रिब्यूनल
बीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	45,03,961	2001–02	संयुक्त आयुक्त, बिक्री कर

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि(रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1,49,770	1989–90	एसटीएटी
एपीजीएसटी	बिक्री कर	29,61,551	1990–91	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	24,02,576	1991–92	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	13,96,269	1992–93	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	17,62,687	1992–93	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	6,30,615	1993–94	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	4,41,446	1993–94	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	2,04,481	1994–95	एसी (एलटीयू)
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर	5,97,266	1995–96	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	38,03,875	1995–96	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	28,80,309	1996–97	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	21,34,306	1996–97	एसटीएटी, विजाग

एपीजीएसटी	बिक्री कर	58,43,100	1997–98	एसटीएटी, विजाग
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर	6,35,504	1997–98	एडीसी (सीटी)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	55,65,147	1998–99	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	39,04,454	1999–2000	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2,52,926	2000–2001	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी	बिक्री कर	2,12,176	2001–2002	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	68,901	2002–2003	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	34,856	2003–2004	एसी (एलटीयू)
एपीजीएसटी	बिक्री कर	1,26,000	2004–2005	एसी (एलटीयू)
वैट	वैट	6,76,058	2006–2007	एसटीएटी
वैट	वैट	71,000	2007–2008	एसी (एलटीयू)
वैट	वैट	5,00,000	2008–2009	एसटीएटी, विजाग
वैट	वैट	11,90,1000	2008–2009	एसटीएटी, विजाग
केंद्रीय उत्पाद व सीमा	सीमा शुल्क	24,11,17,719	2008–09	आयुक्त सीमा एवं उत्पाद शुल्क

भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि(रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	9,58,035	1966–67	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	7,79,135	1977–78	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	26,50,388	1978–79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	34,00,919	1978–79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	1,70,046	1978–79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज दंड	6,53,452	1979–80	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	सी एस टी	33,04,073	1981–82	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	78,46,464	1982–83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	3,16,921	1982–83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	34,83,020	1982–83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज	2,62,819	1982–83	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	79,13,807	1983–84	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	3,29,926	1983–84	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	35,42,822	1983–84	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	86,48,326	1984–85	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर	3,69,294	1984–85	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	57,96,808	1984–85	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	ब्याज	3,57,42,030	1978–79	उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा बिक्री कर	डीईपीबी	14,98,22,308	2006–09	अपर आयुक्त, बिक्री कर उड़ीसा

उड़ीसा बिक्री कर	डीईपीबी	5,08,43,080	2010–12	अपर आयुक्त, बिक्री कर उड़ीसा
ओवीएटी	2009–10 व 2010–11	14,28,18,841	2013–14	अपर आयुक्त, बिक्री कर उड़ीसा
सीएसटी (उड़ीसा)	2009–10 व 2010–11	58,07,05,822	2013–14	अपर आयुक्त, बिक्री कर उड़ीसा
ईटी (उड़ीसा)	डीईपीबी	52,63,10,091	2013–14	अपर आयुक्त, बिक्री कर उड़ीसा
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	8,65,79,704	2003–05	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर एपीलेट ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	14,26,68,189	2003–07	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर एपीलेट ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	2,71,10,861	2007–08	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर एपीलेट ट्रिब्यूनल, भुवनेश्वर
केंद्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	7,19,70,608	2008–10	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर एपीलेट ट्रिब्यूनल
केंद्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	5,56,31,774	2010–11	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर एपीलेट ट्रिब्यूनल, कोलकात्ता
केंद्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	3,23,262	2005–07	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर एपीलेट ट्रिब्यूनल
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	4,99,80,528	2011–12	कमि. सीमा शुल्क, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	23,22,07,821	2009–12	कमि. सीमा शुल्क, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर
केन्द्रीय उत्पाद एक्ट	सेवा कर	52,63,938	2009–11	कमि. सीमा शुल्क, उत्पाद व सेवा कर भुवनेश्वर

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि(रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
आरएसटी अधिनियम	बिक्री कर	1,49,46,540	2003–04	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर 35,49,446/–रुपये विरोधस्वरूप जमा कराए गए।
आरएसटी अधिनियम	बिक्री कर	26,07,605	1999–00	राजस्थान टैक्स बोर्ड
राज वैट अधिनियम	वैट	3,26,47,269	2010–11	केएआर बोर्ड
सीएसटी अधिनियम	सीएसटी	59,92,494	2010–11	केएआर बोर्ड
आरएसटी अधिनियम	वैट	18,01,941	2010–11	एसेसिंग आफिसर
आरएसटी अधिनियम	टर्न ओवर टैक्स	5,32,992	2003–04	हाई कोर्ट

विज़ाग क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि(रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	18,56,325	1968–69	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	26,39,647	1981–82	एडीसी, विज़ाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	6,88,552	1982–83	एडीसी, विज़ाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	17,66,784	1983–84	एडीसी
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	30,00,436	1984–85	एडीसी
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	25,05,806	1985–86	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	2,70,83,841	1986–87	एसटीएटी, विजाग
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	36,45,076	1987–88	एडीसी
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	19,34,139	1991–92	एसी एलटीयू
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	4,79,000	1989–90	एसटीएटी
सीएसटी	बिक्री कर	8,41,695	1994–95	एसी एलटीयू
सीएसटी	बिक्री कर	48,62,340	1995–96	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	बिक्री कर	33,58,889	1996–97	एसटीएटी, हैदराबाद
एपीजीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	25,27,960	1997–98	एसटीएटी, हैदराबाद
सीएसटी	बिक्री कर	104,614	2007–08	एडीसी
केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क	सेवा कर	12,65,26,554	2003–06	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर एपीलेट ट्रिब्यूनल, बंगलौर

कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि(रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
सीएसटी अधिनियम 1956	केंद्रीय बिक्री कर	11,30,858	2005–06	अपीलीय बोर्ड
सीएसटी अधिनियम 1956	केंद्रीय बिक्री कर	77,60,971	2006–07	डीसी अपील
डब्ल्यूबी वैट अधिनियम	बिक्री कर	8,28,126	2008–09	डीसी अपील
सीएसटी अधिनियम 1956	केंद्रीय बिक्री कर	2,05,794	2008–09	डीसी अपील
सीएसटी अधिनियम 1956	केंद्रीय बिक्री कर	8,94,59,926	2010–11	डीसी अपील
डब्ल्यूबी वैट एक्ट	बिक्री कर	15,35,39,348	2010–11	डीसी अपील
सीमा व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सीमा शुल्क	17,48,22,354	2013–14	सीमा व केन्द्रीय शुल्क एपीलेट ट्रिब्यूनल
डब्ल्यूबीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	34,80,508	1996–97	बिक्री कर ट्रिब्यूनल
डब्ल्यूबीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	19,46,837	1997–98	एपीलेट बोर्ड
डब्ल्यूबीएसटी अधिनियम	बिक्री कर	4,55,184	1998–99	बिक्री कर ट्रिब्यूनल
सीमा व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सीमा शुल्क	1,37,09,540	2008–09	कस्टम आयुक्त

कारपोरेट कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि(रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
आयकर अधिनियम	आय कर	5,61,821*	1993–94	एओ
आयकर अधिनियम	आय कर	54,81,338*	1996–97	सीआईटी(ए)/आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	1,02,93,042*	1997–98	एओ
आयकर अधिनियम	आय कर	2,60,66,476*	1999–00	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	1,84,63,021*	2000–01	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	1,17,65,008*	2001–02	सीआईटी(ए)/आईटीएटी/ हाई कोर्ट
आयकर अधिनियम	आय कर	73,04,915*	2002–03	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	11,16,907*	2003–04	एओ
आयकर अधिनियम	आय कर	4,19,85,746*	2004–05	आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	6,94,85,393*	2005–06	एओ
आयकर अधिनियम	आय कर	73,50,191*	2007–08	सीआईटी(ए)/आईटीएटी
आयकर अधिनियम	आय कर	2,79,66,209*	2008–09	एओ
आयकर अधिनियम	आय कर	10,64,92,947*	2009–10	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आय कर	22,41,890*	2010–11	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आय कर	14,48,44,644	1996–97	सीआईटी(ए)
आयकर अधिनियम	आय कर	8,14,90,220	2010–11	सीआईटी(ए)

*राशि जमा करा दी गई है।

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि	विवाद जिस फोरम में विचाराधीन है
दिल्ली वैट	सीएसटी/एलएसटी/ब्याज/ जुर्माना(स्वर्ण संस्मारक मेडालियन	37,45,290	2002–03	आयुक्त,डी वैट
	एलएसटी	11,65,303	1984–85	डीसी अपील
	एलएसटी/सीएसटी	6,57,32,207	1986–87	अपर आयुक्त
	एलएसटी/सीएसटी	4,31,86,549	1987–88	अपर आयुक्त
	एलएसटी/सीएसटी	4,02,96,672	1988–89	अपर आयुक्त
	एलएसटी	61,87,340	1989–90	अपर आयुक्त
	एलएसटी	22,23,198	1990–91	अपर आयुक्त
यू पी वैट	एलएसटी/सीएसटी	6,17,588	1990–91	मुरादाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट
	एलएसटी	4,70,578	1991–92	मुरादाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट
	एलएसटी	2,64,037	1992–93	मुरादाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट
	एलएसटी	1,95,000	1994–95	बिक्री कर अथारिटी, मुरादाबाद
	एलएसटी	1,85,100	1993–94	मुरादाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट

	एलएसटी	16,35,160	1987–88	कानपुर, संयुक्त आयुक्त
	वैट	9,21,383	1993–94	आयुक्त, यूपी वैट
	वैट	12,23,616	1996–97	आयुक्त, यूपी वैट
	वैट ब्याज फार्म 3 बी के नानॅ सबमिशन के लिए(स्वर्ण) व फार्म 3सी1 के नॉन सबमिशन (मेंथा ऑयल)	2,49,828	2007–08	आयुक्त, यू पी वैट
हरियाणा वैट	एलएसटी	4,24,587	1992–93	फरीदाबाद, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़
मध्य प्रदेश वैट	एलएसटी	1,50,004	1999–00	बिक्री कर अथारिटी, इंदौर
	एलएसटी	47,30,692	1998–99	एसेसिंग अथारिटी, इंदौर
कस्टम विभाग, दिल्ली	एसोशिएटस द्वारा गोल्ड लोन के विरूद्ध गोल्ड ज्वैलरी निर्यात नहीं करने पर सीमा शुल्क एवं ब्याज	2,72,67,919	1999–2000	माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के पास लंबित है
कस्टम विभाग, दिल्ली	सीमा शुल्क	2,00,00,000	2006–07	उपायुक्त, कस्टमस
कस्टम विभाग, दिल्ली	सीमा शुल्क	1,50,50,000	2007–08	उपायुक्त, कस्टमस
कस्टम विभाग, दिल्ली	सीमा शुल्क	61,80,000	2008–09	उपायुक्त, कस्टमस
कस्टम विभाग, दिल्ली	सीमा शुल्क	61,80,000	2009–10	उपायुक्त, कस्टमस
एक्साइज डिपार्टमेंट	एक्साइज डयूटी	9,10,439	2010–11	संेंट्रल एक्साइज कमिशनर
एक्साइज डिपार्टमेंट	एक्साइज डयूटी	9,56,76,890	2011–12	संेंट्रल एक्साइज कमिशनर
	योग	**34,48,69,380**		

* विवाद से संबंधित जमा कराई गई राशि : रुपए 85,82,484/–

	वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों के अवलोकन पर प्रबंधतंत्र का उत्तर	
	लेखा परीक्षकों का अवलोकन	**प्रबंध–तंत्र का उत्तर**
1.	**सीमित मत** ए. लंबे समय से बकाया विभिन्न प्रकार के ऋणों/अग्रिमों/दावों तथा इन ऋणों/अग्रिमों/दावों की वसूली की अनिश्चितता/वसूली न होने के कारण जहां कंपनी ने स्वंय इन ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए शत–प्रतिशत प्रावधान किया है वहीं इन ऋणों/अग्रिमों/दावों को बटटे खाते (राईट आफ) में डालने के संबंध में कंपनी ने अपनी नीति का अनुसरण नहीं किया है। तदानुसार इनका प्रभाव आकलन योग्य नही है।	कंपनी की लेखा नीतियों के अनुसार ऋण/अग्रिम/दावों को बटटे खाते में तब डाला जाता है जब लगभग यह मालूम हो जाए कि इसकी वसूली नहीं हो पायेगी। कंपनी पुराने बकायों को बटटे खाते में डालने का प्रयास कर रही है। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेने से पूर्व आंतरिक लेखा परीक्षा, विधि, सतर्कता इत्यादि से आवश्यक क्लीयरेंस लेने में समय लगता है।
	बी. मुख्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक के पैरा (iv) में जैसा बताया गया है कि अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जिसके अनुवर्ती प्रभाव वर्ष के लेखों पर हो सकते हैं(प्रभाव आकलन योग्य नही है)।	नीचे दिए गए विवरण के अनुसार
	प्रमुख लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक का पैरा (iv)	
	जहां तक कंपनी द्वारा घरेलू बुलियन लेन देन सहित माल, इन्वैंट्री तथा स्टॉक्स की खरीद एवं बिक्री का संबंध है तो इन्हें इस प्रकार और अधिक सशक्त बनाया जाए ताकि ईआरपी सिस्टम के अद्यतनों अर्थात लेन देन की वास्तविक स्थिति में देरी को रोका जा सके। साथ ही मैन्युअल बीजक भी न बनाया जा सके।	कंपनी दैनिक आधार पर लेखा–प्रस्तावों को अद्यतन करने का अनुदेश देती है तथा इसको मानीटर भी किया जाता है। मैनुअल बीजक तैयार करना बंद कर दिया है मैनुअल बीजक केवल जब तैयार किए जाते हैं जब वर्तमान ईआरपी सिस्टम सपोर्ट नहीं करता।
	इसके अतिरिक्त यहां पूर्व वर्णित क्षेत्रों के अलावा, नीचे दिए क्षेत्रों में भी आंतरिक नियंत्रण मैकेनिज्म को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।	
	ए. कंपनी के द्वारा किए गए व्यापार में ईआरपी तथा अदर स्टैंड अलोन इन्वैंट्री (आरएमएस) के बीच आने वाले माल(विशेषकर बुलियन/रिटेल ट्रेड) का समय समय पर मात्रात्मक मिलान करना।	ईआरपी रिकार्ड और अन्य रिकार्ड जैसे मैनुअल स्टाक रजिस्टर, वैट, सीएसटी रिटर्न इत्यादि के बीच विक्रय और अंतिम स्टाक का सावधिक मिलान किया जाता है। साल में एक बार स्टॉक का वास्तविक सत्यापन कराया जाता है। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और सांची सिल्वरवेयर जैसे कीमती धातुओं की बिक्री से संबंधित आंकडों को एक अलग स्टैंड अलोन सिस्टम, रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) में रखा जाता है। आरएमएस से दैनिक लेन–देनों के सारांश दैनिक आधार पर ईआरपी सिस्टम में पोस्ट किए जाते हैं। आरएमएस और ईआरपी के बीच समय–समय पर मिलान किया जाता है।
	बी. चूंकि यह देखा गया है कि कुछ भूल चूकों के कारण कंपनी को देनदारों/वसूली योग्य राशि/हानियों के प्रति बहुत बड़ा प्रावधान करना पड़ा इसलिए जोखिम का निर्धारण तथा जोखिम प्रबंधन को और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए।	हाल ही में हुई खामियों को देखते हुए कंपनी ने विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है और इसे निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात सभी संबंधित को सर्कुलेट कर दिया गया है।

	सी. वित्तीय रिकार्डस के अनुसार तथा क्रय इन्पुट/आउटपुट वैट अर्थात वैट रिटर्न के अनुसार विक्रय, क्रय, इनपुट/आउटपुट वैट के संबंध में समय समय पर समायोजन।	वर्ष के दौरान वित्तीय रिकार्डों के वैट तथा सीएसटी रिटर्न के साथ मिलान करने के निर्देश दे दिए गए हैं और लेखा परीक्षकों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर इसकी जांच के लिए परामर्श दिया गया।
2.	**मामले का महत्व**	
	ए. नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) के भुगतान दायित्व में चूक के फलस्वरूप मुम्बई उच्च न्यायालय में एनएसईएल और अन्य के विरूद्ध कानूनी मुकदमा दायर कर दिया है। इसके साथ–साथ आर्थिक अपराध विंग (ईओडब्ल्यू), दिल्ली पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है जिसको सीबीआई, मुम्बई को अंतरण कर दिया गया है। कंपनी ने 31 मार्च 2014 को वसूली योग्य राशि 2106.38 मिलियन रुपये के लिए 2104.42 मिलियन रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि का प्रावधान 15 मई, 2014 तक वसूले गए 1.96 मिलियन रुपये का समायोजन करने के बाद किया है। (देखें टिप्पणी संख्या 17(iii))	एनएसईएल ने 13000 निवेशकों के साथ अपने दायित्व में धोखाधडी की है जिसमें 5600 करोड रुपये शामिल हैं। एक्सचेंज प्लेटफार्म पर व्यापार करने वाले सभी वास्तविक सदस्य स्पाट एक्सचेंज के लिए सरकार द्वारा दी गई छूट के अनुसार यह मानते थे कि एनएसईएल के पास कमोडिटी परिसंपत्ति के रूप में लेन–देन के लिए सुरक्षित है। एनएसईएल कमोडिटी बाजार में निर्दोष सदस्यों के साथ एक्सचेंज द्वारा की गयी एक पूर्व नियोजित धोखाधडी थी। एमएमटीसी ने मुम्बई उच्च न्यायालय में एनएसईएल और 31 अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ बकाया राशि के लिए कानूनी मामला दायर कराया है। एमएमटीसी ने आर्थिक अपराध विंग, दिल्ली पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है जो सीबीआई, मुम्बई को भेज दी गई है। इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। ईओडब्ल्यू मुम्बई भी मामले की जांच कर रही है और उसने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है तथा न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय और रेगुलेटर जैसे एफएमसी द्वारा एनएसईएल की जांच की जा रही है। ईओडब्ल्यू, मुम्बई ने एमपीआईडी अधिनियम के अंतर्गत लगभग 5100 करोड रुपये मूल्य की डिफाल्टर्स की प्रापर्टी अटैच की है और एमपीआईडी कोर्ट ने इस प्रापर्टी को नीलामी की अनुमति दे दी है। अन्य प्रभावित पार्टियों के साथ–साथ एमएमटीसी को एमपीआईडी अधिनियम के अंतर्गत अटैच्ड प्रापर्टी की लिक्विडेशन के माध्यम से बकाया राशि की वसूली की आशा है।
	बी. अपने कर्मचारियों को निगम सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। वित वर्ष 2013–14 के लिए कुल 1368.32 मिलियन रुपए बीमाकंक देयता (एक्चूरियल) का प्रावधान किया गया है (नोट संख्या 23 (जी) को देखें)। इस उद्देश्य के लिए निगम के अपने निवेशों को चिह्नित नहीं किया है तथा कोई कॉरपस भी नहीं बनाया है।	बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 31 मार्च 2014 को सृजित 1368.32 मि.रू. की देयता को 1.1.2007 को सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य के मध्य आबंटित करने की आवश्यकता है। सृजित कोरपस तथा फंड के निवेश के लिए आवश्यक कार्रवाई कोरपस के विभाजन के बाद की जाएगी।
	सी. कई मामलों में विविध देनदारों/वसूले जाने वाले दावे, ऋण व अग्रिम/विविध लेनदारों/अन्य देयताओं की पुष्टि नहीं हो पाई है तथा ऐसी पुष्टि हो जाने पर मिलान/समायोजन, यदि कुछ है तो, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है(कृपया नोट सं. 35 देखें)।	शेष राशि की पुष्टि के लिए उन पार्टियों को पत्र जारी कर दिए गए हैं जो एमएमटीसी की लेखा पुस्तिकाओं में बकाया शेषों की पुष्टि चाहते थे। यह भी उल्लेख किया गया है कि विनिर्दिष्ट तिथि से पूर्व यदि कोई सूचना नहीं मिलती है तो इंगित शेष पुष्टिकर माना जाएगा तथापि पार्टियां सामान्यतः विशिष्ट पुष्टि नही भेजती।
	डी. पैकेज में दिक्कत के चलते कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में आरएमएस सॉफ्टवेयर सांची आइटमों की सही इंवेंटरी नहीं बता पा रहा है। सांची इंवेंटरी को हाथ से लिख कर रिकार्ड भी नहीं रखा गया है।	ईआरपी और आरएमएस में रिकार्ड रखने के अलावा मैनुअल स्टॉक रजिस्टर रखने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान आरएमएस के मामलों को सुलझाया जा रहा है।

	ई. जीआर–1 फार्म की समय सीमा बढाने के मामले/वेवर/बट्टे खाते में डालने हेतु यदि किसी प्रकार की देयता होगी तो उसका प्रावधान नहीं किया गया है (कृपया नोट सं. 21 का संदर्भ लें)	यह 1991–92 से लम्बित जी आर से संबंधित है। देयता यदि कोई होगी तो, इसकी जब भी मांग आएगी तो उसका प्रावधान करते हुए कंपनी द्वारा निपटान कर दिया जाएगा। वर्तमान में इस प्रकार की किसी देयता का निर्धारण नहीं किया जा सकता।
	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	
	आंतरिक लेखा परीक्षा	
	कंपनी ने हाल ही में एक विस्तृत आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल बनाया है जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। तथापि हमारी राय में बाह्य/आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यो में कंपनी के आकार तथा बिजनेस की प्रकृति के अनुरूप तथा गुणवत्ता में और अधिक सुधार की आवश्यकता है।	लेखा परीक्षा की बारंबारता को अर्धवार्षिक से बढ़ाकर त्रैमासिक किया गया है तथा प्रोफेश्नल आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है। लेखा परीक्षा प्रोग्राम के अनुसार लेखा परीक्षा की जाती है जिसका स्कोप बहुत ही विस्तृत है। प्रोफेशनल आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ समन्वय बनाने के लिए तथा दैनिक आधार पर वित्तीय लेन देन की जांच के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में सहयोगी (कनकरंट) आडिटर्स के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग में एक अधिकारी की तैनाती करते हुए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्त बनाया गया है। ये सहयोगी लेखा परीक्षक पाक्षिक आधार पर रिपोर्ट करते हैं। प्रोफेशनल आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा सहयोगी लेखा परीक्षकों की रिपोर्टो की समुचित सुधारात्मक कार्यावाही के लिए भली भांति जांच की जाती है। वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारियों के लिए संदर्भित विभिन्न मामलों पर तीन दिन के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। भविष्य में भी एक नियमित अंतराल पर उक्त प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। प्रोफेशनल लेखा परीक्षकों/सांविधिक लेखा परीक्षकों के परामर्श से आंतरिक लेखा परीक्षा के स्कोप की नियमित पुनरीक्षा की जाती है। एमएमटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम को नियमित आधार पर **'स्पेशल बुलियन आडिट'** के लिए नामित किया जाता है, रिपोर्ट प्राप्त की जाती है तथा समुचित सुधारात्मक कार्रवाईयों की सलाह दी जाती है। मैनुअल के अनुसार आडिट करने के लिए सभी प्रोफेशनल आंतरिक लेखा परीक्षकों को आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा तैयार मैनुअल परिचालित किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा में सुधार हुआ है तथा और अधिक सुधार करने के लगातार प्रयास जारी हैं।
	कपट (फ्राड)	
	एनएसईएल में ट्रेड के प्रति कंपनी द्वारा किए गए भुगतान के प्रति नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड(एनएसईएल) ने 2104.42 मिलियन रुपये की राशि के भुगतान करने में चूक की है। इस ट्रेड के प्रति न तो एनएसईएल के पास और न ही विक्रेता/ऋण लेने वाले की कस्टडी में माल उपलब्ध था। कंपनी ने एनएसईएल तथा अन्य के विरूद्ध मुम्बई उच्च न्यायालय में विधिक मुकदमा दायर किया है, साथ ही आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) दिल्ली पुलिस को अपराधिक शिकायत भी की है। जिसे सीबीआई मुम्बई को अंतरित किया गया है। इस मामले में और जांच की जा रही है।	उपरोक्त 2(क) के उत्तर का संदर्भ लें।

51 वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2013 -14

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

वार्षिक लेखे | 2013-2014

31-03-2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र

(₹ मिलियन में)

	अनुसूची सं.	31-03-2014 को		31-03-2013 को	
इक्विटी व देयताएं					
शेयर धारकों की निधियां	3				
शेयर पूंजी	3.1	**1,000.00**		1,000.00	
रिजर्व एवं अधिशेष	3.2	**12,418.70**	**13,418.70**	12,407.78	13,407.78
गैर चालू देयताएं	4				
अन्य दीर्घावधि देयताएं	4.1	**99.47**		191.18	
दीर्घावधि प्रावधान	4.2	**1,824.95**	**1,924.42**	1,701.94	1,893.12
चालू देयताएं	5				
अल्प अवधि ऋण	5.1	**4,129.45**		14,782.91	
व्यापारिक देय	5.2	**14,574.82**		26,704.05	
अन्य चालू देयताएं	5.3	**11,732.62**		8,994.19	
अल्प अवधि प्रावधान	5.4	**1,190.10**	**31,626.99**	1,198.68	51,679.83
योग			**46,970.11**		**66,980.73**
परिसंपत्तियां					
गैर चालू परिसंपत्तिया	6				
अचल परिसंपत्तियां	6.1				
मूर्त परिसंपत्तियां	6.1.1	**750.49**		864.73	
अमूर्त परिसंपत्तियां	6.1.2	**1.81**		1.64	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6.1.3	**65.43**		54.94	
गैर चालू निवेश	6.2	**4,456.57**		4,697.36	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां(निवल)	6.3	**2,261.56**		1,454.24	
दीर्घावधि ऋण व अग्रिम	6.4	**768.12**		1,129.81	
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	6.5	**14.60**	**8,318.58**	17.43	8,220.15
चालू परिसंपत्तियां	7				
वर्तमान निवेश	7.1	**560.00**		150.03	
इन्वैंट्रीज	7.2	**3,083.62**		8,888.24	
प्राप्य व्यापार	7.3	**17,341.17**		22,240.97	
रोकड़ व बैंक शेष	7.4	**4,726.70**		14,600.51	
अल्पावधि ऋण व अग्रिम	7.5	**6,871.23**		11,141.52	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	7.6	**6,068.81**	**38,651.53**	1,739.31	58,760.58
योग			**46,970.11**		**66,980.73**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं0 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मु.म.प्र.(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)
डी आई एन 02200405

(आनन्द त्रिवेदी)
निदेशक
डीआईएन 01077784

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 1433541

दिनांक : 29.05.2014
स्थान : नई दिल्ली

31-03-2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(₹ मिलियन में)

	अनुसूची सं.	31-03-2014 को समाप्त वर्ष		31-03-2013 को समाप्त वर्ष	
आय					
प्रचालनों से राजस्व	8	**252,695.09**		285,983.59	
अन्य आय	9	**2,223.39**	**254,918.48**	3,179.05	289,162.64
कुल राजस्व			**254,918.48**		**289,162.64**
व्यय					
उपभोग की गई सामग्री की लागत	10	**1,613.10**		2,677.61	
स्टॉक इन ट्रेड का क्रय	11	**221,713.84**		265,089.34	
तैयार माल, प्रगतिशील कार्य तथा स्टाक इन ट्रेड की इन्वेंट्रीज में परिवर्तन	12	**5,727.69**		87.76	
कार्मिक लाभों पर व्यय	13	**1,894.97**		2,029.21	
वित लागत	14	**669.92**		2,194.66	
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय		**124.22**		119.70	
अन्य व्यय	15	**20,695.18**	**252,438.92**	15,671.95	287,870.23
कुल व्यय			**252,438.92**		**287,870.23**
विशिष्ट व असाधारण मदें व कर पूर्व लाभ			**2,479.56**		**1,292.41**
विशिष्ट मदें	16		**230.56**		127.15
असाधारण मदें व कर पूर्व लाभ			**2,249.00**		**1,165.26**
असाधारण मदें	17		**2,104.42**		2,443.64
कर पूर्व लाभ			**144.58**		**(1,278.38)**
कर व्यय					
–चालू कर					
कराधान के लिए प्रावधान		**752.24**		257.23	
पूर्व वर्षो में		**13.24**		(90.09)	
–आस्थगित कर		**(807.32)**	**(41.84)**	(739.28)	(572.14)
अवधि के लिए लाभ			**186.42**		**(706.24)**
प्रत्येक 1 रुपये के अंकित मूल्य पर आय		असाधारण मदों से पूर्व (निवल कर)	असाधारण मदों के बाद (निवल कर)	असाधारण मदों से पूर्व (निवल कर)	असाधारण मदों के बाद (निवल कर)
मूल (₹ में)		**1.58**	**0.19**	**0.94**	**(0.71)**
डाइल्यूटिड (₹ में)		**1.58**	**0.19**	**0.94**	**(0.71)**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।					

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं0 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मु.म.प्र.(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)
डी आई एन 02200405

(आनन्द त्रिवेदी)
निदेशक
डीआईएन 01077784

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 1433541

दिनांक : 29.05.2014
स्थान : नई दिल्ली

31-03-2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014 को समाप्त वर्ष		31-03-2013 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
कर व असाधारण मदों पूर्व लाभ		**2,249.00**		1,165.26
समायोजन के लिए:				
असाधारण मदें	**(2,104.42)**		(2,443.64)	
इंवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	**76.53**		7.39	
मूल्यह्रास व परिशोधन व्यय	**124.22**		118.08	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	**1,020.54**		(194.14)	
मूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(0.71)**		(0.46)	
ब्याज आय	**(1,380.72)**		(2,796.85)	
लाभांश आय	**(32.64)**		(114.51)	
वित लागत	**670.00**		2,198.75	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण/दावे	**10.74**		0.70	
संदिग्ध ऋण/कर्ज व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**12.74**		62.53	
निवेश के मूल्य में ह्रास	**241.10**		-	
प्रावधान जिसकी अव आवश्यकता नहीं	**(103.45)**		(24.42)	
बट्टे खाते में डाली गई देयताएं	**(572.12)**		(150.74)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	**1.19**	**(2,036.99)**	1.38	(3,335.94)
		212.01		(2,170.68)
परिसंपत्तियों व देयताओं में परिवर्तन				
इंवेंट्रीज	**5,728.09**		348.40	
व्यापार प्राप्ति योग्य	**5,008.47**		5 ,433.32	
ऋण व अग्रिम	**4,359.12**		8,849.91	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	**(4,329.49)**		8,536.45	
भुगतान योग्य व्यापार	**(12,603.54)**		(5,948.63)	
अन्य देयताएं	**2,646.73**		(9,191.40)	
प्रावधान	**69.35**	**878.72**	107.24	8,135.28
		1,090.73		5,964.60
प्रदत्त कर		**(524.23)**		(560.74)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**566.50**		5,403.87
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
मूर्त परिसंपत्तियों का क्रय	**(20.71)**		(67.44)	
मूर्त परिसंपत्तियों का विक्रय	**0.79**		1.12	
निवेशों की खरीद	**(0.31)**		(24.49)	
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम	**-**		-	
प्राप्त किया गया ब्याज	**1,380.72**		2,796.85	
प्राप्त किया गया लाभांश	**32.64**	**1,393.13**	114.51	2,820.55
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**1,393.13**		2,820.55
ग. वित पोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	**(10,653.47)**		(19,515.76)	
वित लागत	**(670.00)**		(2,198.75)	
प्रदत्त लाभांश (कर सहित)	**(100.00)**	**(11,423.47)**	(290.56)	(22,005.06)
वित पोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह		**(11,423.47)**		(22,005.06)
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी		**(9,463.84)**		(13,780.64)
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का आरम्भिक शेष		**14,750.54**		28,531.16
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का अंतिम शेष		**5,286.70**		14,750.54

टिप्पणी

1. जहां भी आवश्यक समझा गया, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है।
2. शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुल अर्जित/आस्थगित राशि के लिए समायोजन एवं जमा कारपोरेट कार्यालय में किया गया।
3. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में बैंकों के पास रोकड़ एवं बैंक शेष एवं जमा तथा तीन माह से कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पावधि निवेश शामिल हैं।

	की समाप्ति पर	
	2013-14	2012-13
ए. रोकड़ व रोकड़ समतुल्य		
(क) उपलब्ध चैक व ड्राफ्ट	0.80	563.73
(ख) उपलब्ध रोकड़	0.06	0.02
(ग) बैंकों में उपलब्ध शेष		
– चालू खाते में	53.62	236.06
– कैश क्रेडिट खाते में (डेबिट शेष)	18.55	427.53
– 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	3,201.32	2,683.75
– 3 माह से कम की परिपक्वता वाले अल्प अवधि निवेश	560.00	150.03
बी. अन्य बैंकों में अन्य शेष		
– मार्जिन राशि/लीयन के अंतर्गत	3.00	3.00
– 3 माह से अधिक एवं 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	1,449.22	10,685.30
– 12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	0.13	1.13
कुल	**5,286.70**	**14,750.54**

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं0 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मु.म.प्र.(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)
डी आई एन 02200405

(आनन्द त्रिवेदी)
निदेशक
डीआईएन 01077784

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 1433541

दिनांक : 29.05.2014
स्थान : नई दिल्ली

31-03-2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा नीतियां व टिप्पणियां

ये टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है तथा इन्हें वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाए।

1. सामान्य सूचना

कंपनी भारत में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी है जो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 भारत में स्थित है। कंपनी के अंतर्गत 11 क्षेत्रीय कार्यालय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं तथा इसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर में स्थित है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियां खनिजों का निर्यात तथा बहुमूल्य धातुओं, अलौह धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाईड्रोकार्बन इत्यादि का आयात करना है।

कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका तक फैली हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण को तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा तथा कंपनीज (लेखा मानक) नियम 2006 एवं कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों द्वारा अधिसूचित आवश्यक लेखा मानकों के अनुरूप आन गोईंग रूप में बनाया गया है।

2.2 क्रय तथा विक्रय

क. विक्रेताओं/क्रेताओं के साथ किए गए संविदा/करार के निष्पादन होने अथवा सरकार से आबंटन पत्र प्राप्त होने पर क्रय तथा विक्रय को लेखों में लिया जाता है।

जहां उक्त संविदा/करार/आबंटन का आंशिक रूप से निष्पादन हुआ है तो आंशिक रूप से किए गए निष्पादन को ही क्रय/विक्रय के रूप में लेखों में लिया जाता है।

ख. कुछ मदों के मामले में जिनका आयात निगम द्वारा सरणीकृत है, तथा भारत सरकार द्वारा जारी अनुज्ञप्ति पत्र के प्रति 'सरकारी खाते में' किए गए उनके आयात को निगम के खातों में क्रय/विक्रय में बुक किया गया है।

ग. डिपोजिट के तहत प्राप्त सोना/चांदी

(i) एक नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एग्ज़िम नीति की योजना के अनुसार, निर्यातकों को विक्रय के लिए आउटराइट क्रय आधार पर, खेप स्टॉक से लिया गया सोना/चांदी क्रय में सम्मिलित है।

(ii) घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को लेखों में शामिल करते समय संबंधित मात्रा को कंसाइनमेंट स्टॉक से लिया गया तथा अपूर्तिकर्त्ता के साथ हुए मूल्य निर्धारण को हिसाब से लिया जाता है। वर्ष के अंत में कंपनी के पास डिपोजिट के तहत गोल्ड/सिल्वर के रूप में उपलब्ध स्टॉक को वर्तमान स्टॉक के रूप में हिसाब में लिया जाता है जिसे अनबिल्ड खरीद टाइटिल दिया जाता है और उसे वर्तमान देयताएं मानते हुए अनबिल्ड खरीद के लिए देय राशि दर्शाया जाता है। ऐसा करते समय वर्ष के अंत में प्रचलित बुलियन के मूल्यों को आधार माना जाता है। तथापि डिपाजिट में शेष पर भुगतान की गई कस्टम ड्यूटी को पूर्व प्रदत्त व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

(iii) कन्साइन्मैट स्टॉक से ऋण आधार पर निकाले गए स्वर्ण/चांदी को पार्टियों को दिए गए ऋण के रूप में तथा इसे ऋण व अग्रिम खाते में दर्शाया गया है। विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त स्टॉक के लिए समानुरूप देयता को विविध क्रेडिटर्स के अन्तर्गत दर्शाया गया है। ऋण/विविध क्रेडिटर्स का समायोजन क्रय तथा विक्रय बुक करने के समय किया जाता है।

(iv) रिप्लेनिशमेंट आधार के मामले में मार्जिन राशि अदा करते हुए निर्यातक द्वारा बुक किये गये सोना/चांदी के लिए विदेशी आपूर्तिकारों के साथ मूल्य का निर्धारण करके खरीद बुक की जाती है तथापि निर्यात पूरा हो जाने के बाद माल की वास्तविक डिलीवरी होने पर सेल को बुक किया जाता है।

घ. दस्तावेजों के टाइटल के हस्तांतरण द्वारा आयात के दौरान बिक्री अर्थात माल के भारत की कस्टम सीमा लांघने से पहले क्रेता के पक्ष में माल के टाईटल के दस्तावेजों के हस्तांतरण पर पार सागरीय(हाई सीज़) बिक्री को लेखों में लिया जाता है।

ड. नेशनल स्पॉट एक्सचेंज जैसे कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से किए गए व्यापार जहां पर माल वास्तविक डिलीवरी समर्थित हो के संबंध में क्रय/विक्रय को बुक किया जाता है।

च. लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क के निर्यात के संबंध में गंतव्य भार व विश्लेषण परिणामों के आधार पर अंतिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है जहां ऐसे परिणाम प्रतीक्षित हैं, अनंतिम विक्रय मूल्य पर औसतन आधार 1% की दर पर डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान किया गया है। एफओबीटी आपूर्ति की स्थिति में, जहां खरीद मूल्य पर डीडब्ल्यूए जोखिम, आपूर्तिकर्ता के खाते में है, विक्रय एवं क्रय मूल्य के बीच के अंतर के लिए 1% की दर से प्रावधान किया गया है।

छ. निपटान के मामले लंबित होने की स्थिति में जैसे अर्जित/डिस्पैच/देय डैमरेज इत्यादि कतिपय व्यय/लाभ/हानि को अनंतिम आधार पर खाते में लिया जाता है।

2.3 राजस्व पहचान

राजस्व की पहचान अक्रूअल आधार पर की जाती है सिवाय निम्नलिखित मदों के जिनको लेखों में वास्तविक वसूली के आधार पर शामिल किया जाता है। चूंकि, आईसीएआई द्वारा जारी एएस–9 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी मदों की वसूली, अनिश्चित है :

(i) टारगेट प्लस योजना, आरईपी/एडवांस लाइसेंस, सर्विस टैक्स रिफंड इत्यादि के अंतर्गत टैक्स, ड्यूटी क्रेडिट का अथॉराईजेशन।

(ii) निष्पादन के लिए लंबित डिक्रियां/विवादित देय तथा उन पर ब्याज, यदि कोई हो तो,

(iii) प्राप्त की जाने वाली विलम्बित राशि पर ब्याज जिसकी प्राप्ति अनिश्चित है।

(iv) आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराइटर्स पर निर्धारित की गई क्षति/सर्वेक्षण में पाई गई कमी के कारण कस्टम ड्यूटी की वापसी, तथा आयकर/बिक्री–कर/वैट एवम् इन पर ब्याज की वापसी।

ख. बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकृत होने पर बीमा दावों को लेखों में लिया जाता है।

ग. लाभ व हानि लेखों में दावों की पहचान अक्रूअल आधार पर की जाती है जिसमें सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली ऐसी राशियां, नकद प्रोत्साहन, हानि की प्रतिपूर्ति शामिल है जिनके प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है। चिन्हित दावे जो बाद में संदिग्ध हो गए हैं उनके लिए लाभ व हानि खाते में प्रावधान किया गया है।

2.4 पूर्व प्रदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपए के पूर्व प्रदत्त भुगतान खर्चों को राजस्व खाते में दर्शाया जाता है। सरकारी विभागों, सांविधिक निगमों, विद्युत बोर्डों तथा स्थानीय निकायों में 5000/– रुपए की जमा राशि को भी राजस्व खाते में दर्शाया जाता है।

2.5 अचल परिसंपत्तियाँ

(क) सभी स्थिर परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर दर्शाया जाता है।

(ख) सरकारी/अर्ध सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि मे निर्माण/विकास कार्य पर कंपनी द्वारा किये गये खर्च को 'भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां तथा न ही खर्च को भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां तथा न ही अचल परिसंपत्ति और न ही भूमि कंपनी की परिसंपत्तियां हैं शीर्षक दिया जाता है।

2.6 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में दिए गए प्रावधानों के समान अथवा उससे अधिक है। वर्ष के दौरान अधिग्रहीत/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के अधिग्रहण करने से निपटान करने तक के माह तक किया जाता है। पट्टे की भूमि तथा डब्ल्यूआईएस के अंतर्गत रेलवे वैगन रैक्स का चुकाया गया ऋण भी मूल्यह्रास में शामिल है। लकड़ी के पार्टीशन तथा बनाए गए अस्थायी ढांचे खरीदे/बनाए जाने के वर्ष से ही पूर्णतया मूल्यह्रासित किये जाते हैं। चल परिसंपत्तियॉं जिनका वर्ष के प्रारंभ में रिटन डाउन वैल्यू अथवा वर्ष के दौरान की गई खरीद प्रत्येक मामले में 20,000/– रुपए अथवा इससे कम है तो 1/– रुपए के नाममात्र मूल्य रखकर 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है। मूल्यह्रास की दरें इस प्रकार हैः–

परिसंपत्तियों का नाम	निगम द्वारा अपनाई गई मूल्यह्रास की दरें	अनुसूची 14 में दी गई मूल्यह्रास की दरें
क. सामान्य परिसंपत्तियां		
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10%	6.33%
वे ब्रिज	10%	4.75%
टाइपराइटर्स, मशीनें, पंखे तथा कार्यालय उपस्कर एवं एसी	12.5%	4.75%
वाहन	20%	9.50%
कम्प्यूटर्स (साफटवेयर साहित)	20%	16.21%
पट्टे की भूमि	लीज़ एग्रीमेंट के अनुसार	
वैगन रैक्स	करार/वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम के अनुसार	
पंखों के अतिरिक्त बिजली का सामान	10%	1.63%
जल आपूर्ति, मलवहन तथा निकासी	10%	1.63%
सड़कें तथा पुलिया	2.5%	1.63%
बिल्डिंग तथा फ्लैट्स	2.5%	1.63%
आवासीय फ्लैट(बने बनाए)	5%	1.63%
भंडारगृह/गोदाम	4%	1.63%
ख. निर्माण इकाइयों की परिसंपत्तियां		
फैक्टरी बिल्डिंग	3.34%	3.34%
विद्युत व्यवस्था	4.75%	4.75%
जलापूर्ति	4.75%	4.75%

प्लांट एवं मशीनरी (सामान्य)		
एकल शिफ्ट	4.75%	4.75%
दो शिफ्ट	7.42%	7.42%
तीन शिफ्ट	10.34%	10.34%
प्लांट एवं मशीनरी (विंड मिल सहित) अनवरत प्रक्रिया	5.28%	5.28%
ग. "भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियाँ जिनमें न तो अचल परिसंपत्तियां और न ही भूमि कंपनी की है।"	परिसंपत्तियों की उपयोगिता का जीवन काल या 5 वर्ष जो भी कम हो।	
घ. 20,000/- रुपए मूल्य तक की सभी चल संपत्तियां	20,000/- रुपए की परिसंपत्तियां या इससे कम लागत वाली प्रत्येक चल परिसंपत्तियों के लिए 100%	5000/- रुपए की या इससे कम लागत वाली प्रत्येक चल संपत्ति के लिए 100%
ड. मोबाईल हैंडसैटस को इनके क्रय वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित किया जाता है क्योंकि अधिकारियों द्वारा अपने नाम से खरीदे गए मोबाईल हैंडसेटों, जिन्हें निगम को नहीं लौटाया जाता, की कीमत की प्रतिपूर्ति उनकी पात्रता के अनुरूप की जाती है।		

2.7 निवेश

क. मूल्य में स्थाई मूल्यह्रास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

ख. निम्नतर लागत व उचित मूल्य पर चालू निवेश का मूल्यांकन किया जाता है।

2.8 विदेशी मुद्रा लेन–देन

i. अपरिवर्तनीय भारतीय मुद्रा के मामले में रुपया भुगतान देशों के साथ लेन–देन को विदेशी विनिमय में लेन–देन माना जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों(लम्बित ऋणों अथवा जहाँ वसूली अनिश्चित है को छोड़कर) को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दरों का प्रयोग करते हुए बदला जाता है। सूचित की गई गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि की विनिमय दर पर आंकलित किया जाता है। विनिमय के लाभ/हानि के अंतर को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।

iii. अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में विदेशी मुद्रा में देयता को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटैंटस आफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दर से बदला जाता है। विनिमय के अंतर को परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

iv. फारवर्ड एक्सचेंज संविदा के मामले में प्रीमियम/डिस्काउंट तथा हानि/लाभ की पहचान निम्नलिखित तरीके से की जाएगी।

क. वर्तमान अंडरलाइंग लेन–देन के प्रति फारवर्ड एक्सचेंज अनुबंधों के संबद्ध में, अनुबंध की अवधि के दौरान समानुपातिक रूप से प्रीमियम/डिस्काउंट आनुपातिक रूप से माने जाते हैं। विनिमय दर में अंतर के कारण हानि/लाभ की पहचान (i) अंतिम दर अथवा यदि लेन–देन का निपटान वर्ष के दौरान किया गया है तो निपटान की तिथि को की जाती है तथा (ii) फारवर्ड संविदा के आरंभ की तिथि के पश्चात् विनिमय दर पर अथवा अंतिम सूचित तिथि की विनिमय दर को वर्ष के ट्रेडिंग, लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

ख. पक्की वचनबद्धताओं एवं अधिक संभावना वाले पूर्वानुमानित लेन देन से संबंधित फारवर्ड संविदाओं के संबंध में विनिमय अंतर के कारण हानि को सूचित अवधि, जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन हुआ है, के व्यापारिक, लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है। उक्त संविदाओं के नवीकरण अथवा निरस्तीकरण के कारण होने वाले किसी लाभ अथवा हानि की पहचान उस अवधि की आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है।

ग. भारत से बाहर सहायक कंपनी में निवेश को अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

2.9 खण्डवार रिपोर्टिंग

प्रमुख खण्डः प्रबंधतंत्र द्वारा निगम के निष्पादन का आकलन करते हुए तथा निम्नलिखित व्यापार खंडों/उत्पाद खंडों के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन किया जाता है:–

i. बहुमूल्य धातुएं

ii. धातुएं

iii. खनिज

iv. कृषि उत्पाद

v. कोयला एवं हाइड्रोकार्बन

vi. उर्वरक

vii. सामान्य व्यापार/अन्य

उपरोक्त व्यापार खंडों की पहचान निगम के संगठनात्मक ढांचे के साथ–साथ इन खंडों के विभिन्न जोखिमों तथा लाभों को ध्यान में रखते हुए ए एस–17 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुरूप की जाती है।

गौण खंडः– निगम के ग्राहकों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर गौण खंडों की पहचान की जाती है अर्थात

i. भारत से बाहर

ii. भारत के अंदर(भारत के आंतरिक ग्राहकों द्वारा हाईसीज बिक्री सहित)

2.10 कर्मचारियों को लाभ

i. ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण/उपयोग करना, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ तथा दीर्घ सेवा लाभ जैसे सर्विस अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी तथा कर्मचारी लाभ योजना का प्रावधान इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंटस द्वारा जारी एएस 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii. भविष्य निधि अंशदान, अक्रूअल आधार पर भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा किए जाते हैं।

iii. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर उपदान व नोटिस वेतन का भुगतान वर्ष में खर्च हुए राजस्व में प्रभारित होता है।

2.11 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन

i. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में एक बार किया जाता है और शेष स्टॉक का निर्धारण वर्ष के अंत तक आवश्यक समायोजन के बाद किया जाता है। प्रत्यक्ष सत्यापित स्टॉक को अंतिम शेष के रूप में मान लिया जाता है तथा कमी/अधिकता पर उचित रूप से कार्रवाई की जाती है।

ii. कुछ मामलों में जहाँ स्टॉक हैंडलिंग एजेंट/एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी/प्राइवेट पार्टियों के पास पड़ा है, उन एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर स्टॉक को मान लिया जाता है

2.12 स्टॉक का मूल्यांकन

मार्गस्थ माल सहित इन्वैंट्रीज का मूल्यांकन 31 मार्च को वसूली योग्य मूल्य अथवा लागत के निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। बैक–टू–बैक लेन–देन के संबंध में, लागत व लाभ मार्जिन के आधार पर निवल वसूली योग्य मूल्य निश्चित होता है। मूल्यांकन की विधि निम्नानुसार है:–

क) निर्यात

i) निर्यात स्टॉक का मूल्य–निर्धारण उस स्थान तक जहॉं स्टॉक पड़ा है, किए गए समस्त खर्चों को शामिल करने के बाद किया जाता है। इसी प्रकार वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण बाजार–मूल्य से उन खर्चों को घटाकर किया जाता है, जो खर्च माल को उस स्थान तक पहुँचाने में होगा जिस स्थान पर उसे बेचा जाता है।

ii) निर्यात अनुबंध के अनुसार खनिज अयस्कों का वसूली योग्य मूल्य एफई/एमएन की निम्नतम मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा इसकी तुलना अयस्क के भारित औसत एफई/एमएन मात्रा/भारित औसत नमी मात्रा के भारित औसत मूल्य से की जाती है। लौह अयस्क का भूमिगत स्टॉक इन्वैंट्री में शामिल नहीं है, अतः इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ख) आयात

i) आयातित वस्तुओं के स्टॉक का मूल्य–निर्धारण वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत की गणना करके किया जाता है सिवाय अलौह धातुओं के जहॉं शेष स्टॉक की भारित औसत लागत की गणना जहॉं माल रखा गया है वहॉं तक किए गए सभी व्ययों को शामिल करके किया जाता है। तथापि जहां स्टॉक विशेषतया रखने योग्य है वहां तक किये गये सभी व्ययों को शामिल करके माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है।

ii) पुनः पूर्ति (रिप्लेनिशमेंट) विकल्प के तहत निर्यातकों द्वारा बुक किये गये माल के तहत विदेशी आपूर्तिकारों से खरीदा गया सोना/चॉंदी जिसकी सुपुर्दगी वर्ष के अंत तक नहीं की गयी है कंपनी के स्टॉक के रूप में दर्शाये जाते हैं और लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं।

(ग) घरेलू

i. सोने चांदी के मेडालियन तथा चांदी के सामान का मूल्य वार्षिक आधार पर माल की स्थानीय भारित लागत तथा प्रारंभिक स्टॉक की लागत पर तय किया जाता है। लागत में विनिर्माण/फेब्रीकेशन प्रभार, अपव्यय तथा अन्य प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित है।

ii. तराशे और पॉलिश किये पत्थर, सिक्कों तथा जेवरात (परिष्कृत/अर्धपरिष्कृत) के मामले में क्षति व अन्य प्रत्यक्ष निर्माण के खर्चों की गणना जहॉं माल रखा गया है वहॉं तक किए गए सभी व्ययों को शामिल करके किया जाता है। लागत में अपव्यय तथा अन्य प्रत्यक्ष निर्माण लागत भी शामिल है।

ii. पैकिंग सामाग्री का मूल्यांकन 31 मार्च को निम्नतर लागत अथवा वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

iv. ऋण/फैब्रीकेशन के लिए दिए गए स्टॉक : फेब्रीकेटरों को दिए गए स्टाक को समायोजित किए जाने तक कंपनी का स्टाक माना जाता है।

2.13 पूर्व अवधि समायोजन

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ व हानि, पूर्व अवधि मदों तथा लेखा नीतियों में

परिवर्तन) के प्रावधानों के अनुसार '' पूर्व अवधि समायोजन खाते'' के अंतर्गत पूर्व वर्ष संबंधी व्यय/आय दर्शाए जाते हैं।

2.14 ऋण लागत

(i) व्यापार के सामान्य व्यवहार में किसी अवधि में किए गए व्ययों को उस अवधि के ऋण लागत व्यय के रूप में जाना जाता है।

(ii) ऋण लागत को अधिग्रहण मानने, मान्य परिसंपत्तियों के निर्माण पर लगाई गई लागत, इनके प्रयोग हेतु तैयार होने की तिथि तक उक्त परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में की जाती है। अन्य सभी ऋण लागतों की पहचान, वर्ष में किए गए व्यय के रूप में की जाती है।

2.15 आस्थगित कर

आस्थगित कर को युक्ति–युक्त समय अंतराल, कर योग्य आय तथा लेखा आय जो कि एक अवधि में उत्पन्न हुई हो तथा जिनको एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्सल किया जा सके, के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। आस्थगित कर का निर्धारण परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन–पत्र की तिथि से लागू होने वाले कर की दरों और कर–कानूनों के आधार पर किया जाता है।

2.16 परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों के रख रखाव (कैरिंग) की लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है तथा इस क्षति की हानि को जिस वर्ष इसके क्षतिग्रस्त होने की पहचान होती है उस वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखा अवधियों में पहचानी गई क्षति की हानि को प्रतिवर्तित(रिवर्स) कर दिया जाता है।

2.17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियॉं

(i) प्रावधान

(क) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान वहां रखा जाता है जहां अपनी देय राशि की किसी भी अवधि के लिए वसूली अनिश्चित हो। विगत तीन वर्षों से अधिक बकाया राशियों के लिए (सरकारी देय राशि को छोड़कर) पूर्ण प्रावधान किया जाता है, जब तक कि यह राशि वसूली योग्य मानी जाती है। ऋणों/अग्रिमों/दावों की वसूली जब लगभग अनिश्चित स्थापित हो जाती है तब उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

(ख) अन्य :

(i) प्रावधान तब मान्य है जब

(क) कोई पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर कोई वर्तमान बाध्यता हो ।

(ख) बाध्यताओं के निपटान में संसाधनों का संभावित आउटफ्लो होने की उम्मीद हो तथा

(ग) इस बाध्यता की राशि का ठोस आंकलन किया जा सकता हो।

(ii) किसी एक प्रावधान के समायोजन के लिए आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति की पहचान संविदा प्रावधान के अनुसार की जाती है अथवा जब यह वास्तव में सुनिश्चित हो जाए कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जायेगी, उस स्थिति में की जाती है।

(iii) प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

(iv) आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक परिसंपत्तियां :

(v) आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है परन्तु इन्हें लेखों की टिप्पणियों में दर्शाया जाता हैं। आकस्मिक देयताओं पर ब्याज यदि कोई हो तो, को सामान्यतः लेखों की टिप्पणियों में नहीं दर्शाया जाता क्योंकि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता।

(vi) आकस्मिक परिसंपत्तिंयों की पहचान न तो वित्तीय विवरणों में दी जाती है अथवा न ही इन्हें दर्शाया जाता है।

2.18. परियोजना कार्यान्वयन/निर्माण अवधि के दौरान व्ययों की स्थिति

निर्माण के दौरान व्ययों को पूर्व–प्रचालन व्ययों में शामिल किया जाता है तथा निर्माण/प्रस्थापन पूरा हो जाने पर संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों में दिखाया जाता है।

2.19 प्रचालन पट्टे

परिसंपत्तियों के पट्टों में जहां पर स्वामित्व के दायित्व और लाभ के महत्वपूर्ण हिस्से को पट्टाकर्त्ता अपने पास रखता है उसका वर्गीकरण परिचालन पट्टों के रूप में किया जाता है। परिचालन पट्टों (पट्टाकर्त्ता से प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन को निवल) के अंतर्गत किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान आय विवरणिका में स्ट्रेट लाइन आधार पर लिया जाता है।

आकस्मिक किरायों की पहचान जिस समय पट्टा समाप्त होता है उसी वित्तीय वर्ष की आय विवरणिका में व्यय के रूप में की जाती है। जब परिचालन पट्टे को, पट्टे की अवधि समाप्ति से पहले ही निरस्त किया जाता है तो दण्ड स्वरूप पट्टाकर्त्ता को जो भुगतान करना अपेक्षित होता है, उसे जिस समय पट्टा समाप्त होता है उसे उसी वित्तीय वर्ष के व्यय में दर्शाया जाता है।

2.20 वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में दिए गए हैं तथा जब तक अन्यथा न कहा गया हो सभी मूल्यों को नजदीकी मिलियन में लिया गया है।

दिनांक 31-03-2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3. शेयरधारकों की निधि

3.1 शेयर पूंजी तथा रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या का समायोजन

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
क. अधिकृत				
प्रत्येक 1/– रुपये समतुल्य के इक्विटी शेयर	**1,000,000,000**	**1,000.00**	1,000,000,000	1,000.00
ख. निर्गमित, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त				
आरंभिक शेष	**1,000,000,000**	**1,000.00**	1,000,000,000	1,000.00
जमा				
घटाएं : कटौती				
अंतिम शेष	**1,000,000,000**	**1,000.00**	**1,000,000,000**	**1,000.00**

वर्ष 2010–11 के दौरान, निगम के 5,00,00,000 शेयरों जोकि प्रत्येक 10/– रुपए मूल्य का था को 1/– रुपये प्रत्येक के मूल्य पर 500,000,000 शेयरों में विभाजित किया गया तथा सामान्य अधिशेष रिजर्व से 500 मिलियन रुपए का पूंजीकरण करते हुए 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए।

निगम की एक ही वर्ग की शेयर पूंजी है जिसमें प्रत्येक 1/– रुपए के मूल्य का सामान्य शेयर शामिल है। निगम के संगम अनुच्छेद तथा लागू कानूनों के अनुसार धारकों को निगम के सामान्य शेयर निगम की आम बैठकों की सूचना तथा वोट देने के अधिकार, निगम के समापन होने पर किन्हीं अधिशेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करते हैं। साथ ही, साधारण शेयरों पर घोषित लाभांश प्राप्त करने की पात्रता भी उपलब्ध करवाते हैं।

निगम की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है। अतः इसकी होल्डिंग कंपनी अथवा इसकी सहायक अथवा एसोशिएट्स द्वारा कोई शेयर नहीं रखे गए हैं।

प्रवर्तकों के अतिरिक्त किसी भी शेयरधारक के पास निगम के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं हैं। प्रवर्तकों, अर्थात् भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता दिनांक 31.03.2014 को 900,000,000 शेयर (गत वर्ष 993,312,000 शेयर) की थी।

3.2 रिजर्व एवं अधिशेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
रिजर्व				
पूंजी रिजर्व–आरंभिक शेष	**0.69**		0.69	
जोड़ें: अधिशेष से अंतरित	**-**		-	
अंतिम शेष		**0.69**		0.69
सामान्य रिजर्व –आरंभिक शेष	**5,956.13**		5,956.13	
जोड़ें: अधिशेष से अंतरित	**9.40**		-	
	5,965.53		5,956.13	
घटायें कटौती	**-**		-	
अंतिम शेष		**5,965.53**		5,956.13
संपोषित विकास रिजर्व – आरंभिक शेष	**2.11**		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरित	**-**		2.11	
	2.11		2.11	
घटाएं : कटौती	**2.11**		-	
अंतिम शेष		**-**		2.11
कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व–आरंभिक शेष	**4.36**		-	
जोड़ें : अधिशेष से अंतरित	**-**		4.36	
	4.36		4.36	
घटाएं : कटौती	**4.23**		-	
अंतिम शेष		**0.13**		4.36
अनुसंधान एवं विकास रिजर्व – आरंभिक शेष	**-**			
जोड़ें : अधिशेष से अंतरित	**3.54**			
	3.54			
घटाएं : कटौती	**-**			
अंतिम शेष		**3.54**		
योग (क)		**5,969.89**		**5,963.29**
अधिशेष				
अधिशेष – आरंभिक शेष	**6,444.49**		7,257.19	
जोड़ें : लाभ व हानि विवरण से अंतरित कर पश्चात सकल लाभ	**186.42**		(706.23)	
जोड़ें : कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व	**4.23**		-	
जोड़ें : संपोषित विकास रिजर्व	**2.11**		-	
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	**6,637.25**		6,550.96	
विनियोजन :				
अंतिम लाभांश	**150.00**		100.00	
लाभांश कर	**25.49**		-	
सामान्य रिजर्व	**9.40**		-	
संपोषित विकास रिजर्व	**-**		2.11	
कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व	**-**		4.36	
अनुसंधान एवं विकास कार्य	**3.54**		-	
योग (ख)		**6,448.82**		**6,444.49**
कुल योग क, ख		**12,418.70**		**12,407.78**

वर्ष 2013–14 के दौरान 1/– रुपए मूल्य के प्रत्येक शेयर पर 0.15 रुपए अर्थात कुल 150 मिलियन रुपए के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव है।

4. गैर चालू देयताएं

4.1 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
ट्रेड देय				
– एमएसएमईज के अतिरिक्त	**12.52**		104.38	
– एमएसएमईज	**-**	**12.52**	-	104.38
अन्य				
– बिक्री कर / सीएसटी / सीमाशुल्क	**6.02**		19.95	
– अन्य	**80.93**	**86.95**	66.85	86.80
योग		**99.47**		**191.18**

4.2 दीर्घावधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. कर्मचारी लाभ				
i. छुट्टी नकदीकरण	**238.93**		230.43	
ii. सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	**1,297.34**		1,207.47	
iii. अर्धवेतन अवकाश	**189.51**		165.47	
iv. सेवा अवार्ड	**47.68**		52.39	
v. अनुकम्पा ग्रेच्युटी	**1.97**		2.19	
vi. कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**49.52**	**1,824.95**	43.99	1,701.94
योग		**1,824.95**		**1,701.94**

5. चालू देयताएं

5.1 लघु अवधि ऋण

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. बैंकों से मांग होने पर देय ऋण				
(i) सुरक्षित (इन्वेंट्रीज, ट्रेड प्राप्तियां तथा वर्तमान एवं भविष्य की अन्य चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	**1,760.77**		5,708.77	
(ii) असुरक्षित	**2,368.68**	**4,129.45**	9,074.14	14,782.91
योग		**4,129.45**		**14,782.91**

किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं दी गई है।

बैंकों से कैश क्रेडिट / पैकिंग क्रेडिट खाते / अन्य से ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर भुगतान किया जाना है।

किसी भी ऋण तथा इस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कंपनी ने चूक नहीं की है।

5.2 व्याधपारिक देय

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. विविध लेनदार				
i. एमएसएमईज के अतिरिक्त	**13,136.09**		23,064.74	
ii. एमएसएमईज	**-**	**13,136.09**	-	23,064.74
ख. देय बिल		**1,438.73**		3,639.31
योग		**14,574.82**		**26,704.05**

विविध लेनदारों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से ऋण पर स्ववर्ण लेकर निगम के ग्राहकों को ऋण आधार पर जारी किए गए 173.66 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 2858.08 मिलियन रुपए) के अप्रयोगमूलक मूल्यक का 63 किलोग्राम (विगत वर्ष 1017 किलोग्राम) स्वर्ण शामिल है।

ऐसे कोई भी माइक्रो लघु अथवा मध्यम उदयम नहीं हैं जिनके प्रति निगम की दिनांक 31.03.2014 को 45 दिन से अधिक के बकाए की देनदारी है।

5.3 अन्य चालू देयताएं

(₹ मिलियन में)

		31-03-2014		31-03-2013	
क.	ऋण पर अर्जित परंतु देय नहीं ब्याज		**33.99**		161.12
ख.	अर्जित ब्याज तथा ऋणों पर देय		**1.47**		0.16
ग.	अग्रिम में प्राप्त आय		**0.08**		0.05
घ.	अन्य देय				
	–फारवर्ड कवर से बैंक को देय राशि	**5,541.55**		3,340.24	
	घटायें : प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा	**5,367.13**		-	
		174.42		3,340.24	
	– विविध लेनदार–अन्य	**80.56**		119.29	
	– ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**564.28**		997.79	
	– भुगतान न किए गए लाभांश	**0.13**		0.07	
	– देय डिस्पैच	**21.45**		39.01	
	– देय डेमरेज	**65.67**		84.74	
	– विविध देनदारों में क्रेडिट शेष	**1,358.04**		554.58	
	– सुरक्षा जमा तथा ईएमडी	**426.95**		244.39	
	– करों तथा कर्मचारियों के बकाया के लिए प्रेषित राशि	**2,219.41**		1,065.74	
	– वेतन व भत्ते	**8.93**		9.72	
	– प्रशासनिक व्यय	**139.99**		194.69	
	– बिना बिल के क्रय के लिए देय राशि	**6,022.58**		1,435.09	
	– अन्य (i)	**614.67**	**11,697.08**	747.50	8,832.86
	योग		**11,732.62**		**8,994.19**

(i) पर्यावरण किल्यएरेंस मिलने में देरी के कारण प्रवर्तकों द्वारा परियोजना को बंद करने के निर्णय के परिणामस्वरूप जेबी कंपनी द्वारा किए गए व्यय में एमएमटीसी की हिस्सेदारी के 54.65 मिलियन रुपए (गत वर्ष 54.24 मिलियिन रुपए) शामिल हैं।

5.4 लघु अवधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

		31-03-2014		31-03-2013	
क.	**कर्मचारी लाभ**				
	i. बोनस / निष्पादन संबंधित वेतन	**58.98**		60.60	
	ii. अर्जित अवकाश	**24.04**		44.87	
	iii. सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	**70.98**		78.74	
	iv. अर्धवेतन अवकाश	**24.34**		22.06	
	v. ग्रेच्युवटी	**0.30**		-	
	vi. अधिवर्षिता लाभ	**38.46**		66.46	
	vii. सेवा अवार्ड	**6.82**		4.98	
	viii. अनुकम्पा पर ग्रेच्युटी	**0.40**		0.42	
	ix. कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**10.50**		8.96	
	x. अन्य	**-**	**234.84**	0.02	287.11
ख	**अन्यक**				
	i. कराधान	**778.57**		810.19	
	ii. प्रस्तावित लाभांश	**150.00**		100.00	
	iii. लाभांश वितरण कर	**25.49**		-	
	iv. गंतव्यव भार तथा विश्लेषण जोखिम	**1.20**		1.38	
	v. कारपोरेट सामाजिक दायित्व	**-**	**955.26**	-	911.57
	योग		**1,190.10**		1,198.68

6. गैर–चालू परिसंपत्तियां
6.1 स्थायी परिसंपत्तियां
6.1.1 मूर्त (टैंजीबल) परिसंपत्तियां

(₹ मिलियन में)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास क्षति						सकल कैरिंग लागत	
	1-4-13	जोड़े गए	निपटान किए गए	31-03-14	01-04-13 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्य–ह्रास*	क्षति/(क्षति का निराकरण)	अनुयोग	कटौतियां	31-03-14 को शेष	31-03-14	31-03-13
फ्रीहोल्ड भूमि												
–कार्यालय भवन	3.66	-	-	3.66	-	-	-	-	-	-	3.66	3.66
–स्टॉफ क्वार्टर्स	1.33	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	1.33	1.33
लीज होल्ड भूमि												
–कार्यालय भवन	39.60	-	-	39.60	11.63	0.50	-	12.13	-	12.13	27.47	27.97
–स्टॉफ क्वार्टर्स	2.67	-	-	2.67	1.09	0.03	-	1.12	-	1.12	1.55	1.58
भवन												
–कार्यालय भवन	127.67	-	0.06	127.60	53.07	2.82	3.38	59.28	0.06	59.21	68.39	74.59
–स्टॉयफ क्वार्टर्स	65.72	-	-	65.72	51.83	1.27	-	53.09	-	53.09	12.63	13.89
–जलापूर्ति, मल निकासी												
तथा ड्रेनेज	9.46	0.02	-	9.48	9.34	0.06	-	9.40	-	9.40	0.09	0.12
–विद्युत इस्टॉलेशंस	18.21	0.04	-	18.25	15.86	0.38	0.16	16.40	-	16.40	1.84	2.35
–सड़कें व पुलियां	3.58	-	-	3.58	2.41	0.03	0.77	3.21	-	3.21	0.37	1.17
–आडियो/अग्नि/वातानुकूलन	12.52	0.15	0.43	12.24	12.37	0.05	-	12.41	0.42	12.00	0.24	0.15
संयत्र तथा उपस्कर	796.15	5.97	5.88	796.24	286.55	41.08	6.57	334.20	2.12	332.08	464.16	509.61
फर्नीचर तथा फिक्स्चर्स												
–पार्टिशन	24.97	0.04	1.59	23.41	24.52	0.03	-	24.55	1.59	22.96	0.46	0.46
–अन्य	49.57	1.53	0.55	50.55	46.48	2.06	-	48.54	0.53	48.01	2.54	3.09
वाहन	22.65	0.00	1.08	21.58	20.23	1.32	-	21.55	1.08	20.47	1.10	2.43
कार्यालय उपस्कर	56.73	2.01	1.27	57.48	45.67	3.60	-	49.27	1.24	48.03	9.45	11.06
अन्यय :–												
रेलवे वैगन रैक्स	553.64	-	-	553.64	366.32	55.36	-	421.69	-	421.69	131.96	187.32
बनीहट्टी पर रेलवे लूप लाइन	26.17	-	-	26.17	26.17	-	-	26.17	-	26.17	0.00	0.00
गोदाम	34.11	-	-	34.11	18.04	1.36	-	19.41	-	19.41	14.71	16.07
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर्स	174.37	5.89	2.24	178.02	166.48	5.22	-	171.70	2.22	169.48	8.54	7.89
कुल योग	**2,022.79**	**15.64**	**13.10**	**2,025.34**	**1,158.05**	**115.17**	**10.88**	**1,284.10**	**9.26**	**1,274.85**	**750.49**	**864.73**
विगत वर्ष	**2,023.85**	**12.25**	**13.32**	**2,022.79**	**1,051.23**	**119.48**	**-**	**1,170.71**	**12.66**	**1,158.05**	**864.73**	

(क) कुछ कार्यालयों से कार्यालय की निर्माणधीन भूमि/भवन/फलैटस/पुलियों, सिवरेज व ड्रेनेज की लागत के अंतरिम बिल प्राप्त नहीं हुए हैं तथा लंबित होने के कारण या निर्माणधीन लीज डीड का निष्पादन होने तक इन्हें अस्थायी आधार पर आंका गया है।

(ख) दिल्ली के स्टॉफ क्वार्टर्स के लिए पट्टा धारित भूमि, सड़कें और पुलियां, सिवरेज, ड्रेनेज तथा जल आपूर्ति में वह सभी शामिल हैं जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी) के साथ संयुक्त रूप से लिया गया है।

(ग) आवासीय फ्लैटों में 0.002 मिलियन रुपए (गत वर्ष 0.002 मिलियन रुपए) के कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के 41 शेयर (गत वर्ष 41 शेयर) शामिल हैं। कुल फ्लैटों में जिनका मौलिक मूल्य 31.3.2014 को 4.89 मिलियन रुपए (गत वर्ष 4.89 मिलियन रुपए) है, का अंतरण लंबित है।

(घ) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर बने कार्यालय भवन की लागत 6.24 मिलियन रुपए है (गत वर्ष 6.24 मिलियन रुपए) और मूल्यहृास के लिए 3.45 मिलियन रुपए का प्रावधान है।

(ड़) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर जल आपूर्ति की लागत 0.66 मिलियन रुपए (गत वर्ष 0.66 मिलियन रुपए) है ।

(च) पारादीप में लीजहोल्ड भूमि जिसकी अवधि 20.11.2011 को समाप्त हो गई है पर बने रिहायशी भवन सड़कों व पुलियों तथा बिजली उपकरण व्यवस्थाओं की लागत 11.63 मिलियन रुपए (गत वर्ष 11.63 मिलियन रुपए) है तथा संचित मूल्यहृास 6.30 मिलियन रुपए (गत वर्ष 5.84 मिलियन रुपए) है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने 15 वर्ष के लिए इसके नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। लेकिन सरकार से अंतिम अनुमोदन प्रतीक्षित है।

(छ) क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद से दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय तथा मुम्बई को अंतरित संयंत्र एवं मशीनरी के संबंध में संचित मूल्यहृास के 1.04 मिलियन रुपए तथा 0.98 मिलियन रुपए क्रमशः शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2013 तक अमूर्त परिसंपत्तियों से अंतरित 0.19 मिलियन रुपए का संचित मूल्यहृास भी शामिल है।

ज) निगम ने परिसंपत्तियों की क्षति का निर्धारण किया है तथा परिसंपत्तियों के मूल्य में क्षति/हानि के लिए वर्ष के दौरान 10.88 मिलियन रुपए (गत वर्ष शून्य मिलियन रुपए) का प्रावधान किया है।

6.1.2 अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ मिलियन में)

	सकल ब्लॉक						अमोरटाईजेशन						सकल कैरिंग मूल्य	
	1-4-2013	जोड़े गए	व्यापार द्वारा जोड़े गए	अन्य समायोजन	निपटान	31-03-2014	01-04-2013 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए अमोरटाई–नेशन	क्षति/ (क्षति का निराकरण)	अनुयोग	कटौतियां	31-03-2014 को शेष	31-03-2014	31-03-2013
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	2.05	0.54	-	0.19	-	2.41	0.41	0.38	-	0.79	0.19	0.60	1.81	1.64
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**2.05**	**0.54**	**-**	**0.19**	**-**	**2.41**	**0.41**	**0.38**	**-**	**0.79**	**0.19**	**0.60**	**1.81**	**1.64**
विगत वर्ष	**0.19**	**1.86**	**-**	**-**	**-**	**2.05**	**0.19**	**0.22**	**-**	**0.41**	**-**	**0.41**	**1.64**	

कटौती में दिनांक 31-03-2013 तक मूर्त परिसंपत्तियों में अंतरित 0.19 मिलियन रुपए के संचित मूल्यह्रास शामिल हैं।

6.1.3 प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(₹ मिलियन में)

	परिसंपत्तियां					मूल्यह्रास/क्षति						सकल कैरिंग मूल्य	
	1-4-2013	जोड़े गए	अन्य समायोजन	निपटान	31-03-2014	01-04-2013 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	क्षति/ (क्षति का निराकरण)	अनुयोग	कटौतियां	31-03-2014 को शेष	31-03-2014	31-03-2013
भवन													
–निर्माणाधीन भवन	6.71	-	-	-	6.71	6.71	-	-	6.71	-	6.71	-	-
–विद्युत इंस्टालेशन	6.70	-	-	-	6.70	6.70	-	-	6.70	-	6.70	-	-
–सड़कें व पुलियां	0.47	-	-	-	0.47	0.47	-	-	0.47	-	0.47	-	-
कम्प्यूटर	0.09	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09
संयत्र एवं उपस्कर	13.80	-	-	-	13.80	13.80	-	-	13.80	-	13.80	-	-
गोमिया कोल ब्लाक का विकास	54.86	10.58	-	-	65.43	-	-	-	-	-	-	65.43	54.86
कुल	**82.63**	**10.58**	**0.09**	**-**	**93.12**	**27.69**	**-**	**-**	**27.69**	**-**	**27.69**	**65.43**	**54.94**
विगत वर्ष	**27.69**	**54.94**	**-**	**-**	**82.63**	**27.69**	**-**	**-**	**27.69**	**-**	**27.69**	**54.94**	

MMTC LIMITED
एमएमटीसी लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

6.2 गैर चालू निवेश

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
I. व्यापारिक निवेश				
क) निवेश संपत्ति				
बांद्रा कुर्ला काम्प्लैक्स		**36.31**		36.31
ख) इक्विटी दस्तावेजों में निवेश				
ए) सहायक कंपनियां				
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लि. (प्रत्येक सिंगापुर डालर 1 के 1,4,61,502 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गतवर्ष प्रत्येक सिंगापुर डालर 1 के 1,4,61,502 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**31.45**		31.45
बी) एसोशिएट्स				
i. नीलाचल इस्पाति निगम लि.				
प्रत्येक 10/- रू मूल्य के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गतवर्ष प्रत्येक 10/- रू मूल्य के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	**3,796.85**		3,796.85	
ii. देवोना थर्मल पावर एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.				
प्रत्येक 10/- रू मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गतवर्ष प्रत्येक 10/- रू मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	**0.13**	**3,796.98**	0.13	3,796.98
सी) संयुक्त उपक्रम				
i. ग्रेटर नोएडा इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.				
प्रत्येक 10/- रु. मूल्य के 2600 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/- रु. मूल्य के 2600 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**-**		0.03	
घटाएं : निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**-**		0.03	
	-		0.00	
ii. फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.				
प्रत्येक 10/- रु. मूल्य के 2600 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/- रु. मूल्य के 2600 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**0.03**	0.03	
iii. एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.				
(गत वर्ष प्रत्येक 10/- रु. मूल्य के 17,446,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर) (गत वर्ष प्रत्येक 10/- रु. मूल्य के 17,446,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**174.46**	174.46	
iv. सीकाल आयरन ओर टर्मिनल लि.				
प्रत्येक 10/- रु. मूल्य के 33,800,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/- रु. मूल्य के 33,800,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)		**338.00**	338.00	
v. एमएमटीसी गीतांजली प्रा. लि.				
प्रत्येक 10/– रु. मूल्य के 2,987,400 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/– रु. मूल्य के 2,987,400 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर		**29.87**	29.87	
vi. इंडियन कमोडिटी एक्सटचेंज लि.				
प्रत्यक 5/- रु. मूल्य के 52,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 5/- रु. मूल्य के 52,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**260.00**		260.00	
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**241.10**	**18.90**		
vii. टीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड				
प्रत्येक 10/- रु. मूल्य के 39,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/- रुपए मूल्य के 26,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर		**0.39**	0.26	802.62
डी) अन्य				
i. इंडो फ्रैंच बायोटैक लिमिटेड				
प्रत्येक 10 रुपए मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10 रुपए मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**47.50**		47.50	
घटाएं : निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	**47.50**	**0.00**	47.50	
			0.00	
ii. यूनाईटेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड				
प्रत्येक 10/- रुपए मूल्य के 30,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/- रुपए मूल्य के 30,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**-**	**30.00**	30.00	30.00
ग. अन्य				
इक्विटी के लिए अग्रिम लेकिन आबंटन लम्बित (टीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड)		**0.18**		-
		-		-
योग		**4,456.57**		**4,697.36**

(i) सभी गैर चालू निवेशों का आकलन लागत पर किया गया है लागत में यदि कोई स्थारयी ह्रास है तो इसके प्रावधान को घटा दिया गया है। निगम के कोई उद्धृत निवेश नहीं हैं। अनउद्धृत निवेशों की कुल योग राशि 4708.57 मिलियन रुपए (गत वर्ष 4685.33 मिलियन रुपए) है। निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए 288.60 मिलियन रुपए (गत वर्ष 47.53 मिलियन रुपए) की कुल राशि का प्रावधान किया गया है।

(ii) एन्नोर बंदरगाह पर लौह अयस्क टर्मिनल को बनाने तथा प्रचालन हेतु सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) में एमएमटीसी के संयुक्त उपक्रम में 26 प्रतिशत इक्विटी के रूप में 338.00 मिलियन रुपए (गत वर्ष 338.00 मिलियन रुपए) का निवेश किया है। हालांकि नवम्बर 2010 तक टर्मिनल का निर्माण पूरा हो गया था परन्तु लौह अयस्क के खनन, परिवहन तथा निर्यात पर लगे प्रतिबंधों के कारण तथा कामराजार पोर्ट लिमिटेड(केपीएल) (पूर्ववती एन्नोर पोर्ट) द्वारा कोयले की हैंडलिंग हेतु इस सुविधा में सुधार तथा बदलाव का प्रस्तापव सरकार के विचाराधीन है, इसका अनुमोदन प्राप्ति हो जाने पर कोयले की हैंडलिंग के लिए आवश्यक सुधार 12 माह के अंदर विभिन्न चरणों में किए जाने के पश्चात प्रचालन आरंभ किया जा सकता है।

(iii) इंडियन कमोडिटी एक्स चेंज लिमिटेड में 26 प्रतिशत इक्विटी के लिए किए गए 260 मिलियन रुपए (गत वर्ष 260 मिलियन रुपए) के निवेश के प्रति वर्ष 2013–14 के दौरान आईसीईएक्स की नैटवर्थ में 92.73 प्रतिशत की कमी हो जाने के कारण निवेश के मूल्य में स्थानयी ह्रास के लिए 241.10 मिलियन रुपए (गत वर्ष शून्य मिलियन रुपए) का प्रावधान किया गया है।

6.3 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (सकल)

(₹ मिलियन में)

विवरण	दिनांक 1-4-2013 को आस्थिगित कर परिसंपत्तियां/(देयता)	2013–14 के दौरान क्रेडिट/(चार्ज)	दिनांक 31-03-2014 को आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयता)
मूल्यहरास	(176.69)	17.46	(159.23)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1,612.71	791.18	2,403.89
डीडब्यूनए जोखिम	0.45	(0.45)	-
वीआरएस व्यय	17.60	(0.70)	16.90
आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज	0.16	(0.16)	-
अन्य	0.01	(0.01)	-
कुल	**1,454.24**	**807.32**	**2,261.56**

6.4 दीर्घावधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. सुरक्षित जमा				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	**49.46**		49.46	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	**17.63**		36.73	
III. संदिग्ध	**47.49**		37.45	
अनुयोग	**114.58**		123.64	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**47.49**	**67.09**	37.45	86.19
ख. संबंधित पार्टियों को ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य् सुरक्षित	**-**		-	
II. वसूली योग्य् असुरक्षित	**10.25**		3.56	
III. संदिग्ध	**4.85**		4.85	
अनुयोग	**15.10**		8.42	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**4.85**	**10.25**	4.85	3.56
ग. अन्य ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित				
– पीएसयू/अन्य कम्पनियों को ऋण एवं अग्रिम	**88.38**		2.19	
– अर्जित तथा प्राप्य/अप्राप्य ब्याज	**-**		3.48	
– कर्मचारियों को ऋण	**180.35**		186.86	
II. वसूली योग्य, असुरक्षित				
– पीएसयू/अन्य कम्पनियों को ऋण एवं अग्रिम	**229.60**		210.85	
– अर्जित तथा प्राप्य/अप्राप्य ब्याज	**39.76**		73.09	
– कर्मचारियों को ऋण	**97.63**		91.04	
– अन्य	**55.06**		472.55	
III. संदिग्ध	**2,362.73**		249.90	
अनुयोग	**3,053.51**		1,289.96	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**2,362.73**	**690.79**	249.90	1,040.06
योग		**768.12**		**1,129.81**

उपरोक्त राशि से निगम के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें एकल अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अथवा फार्म या प्राईवेट कम्पनी जिसमें कोई निदेशक पार्टनर है अथवा निदेशक है अथवा सदस्य है, से 0–19 मिलियन रुप, (गत वर्ष 0–70 मिलियन रुप,) की राशि प्राप्य है।

6.5 अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियॉं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
दीर्घावधि ट्रेड प्राप्य				
i. वसूली योग्य (परिसम्पत्तियों की गिरवी/ टाईटल डीडस के गिरवी तथा बैंक गारंटियों से सुरक्षित	**-**		-	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	**14.60**		17.43	
iii. संदिग्ध	**4,117.93**		4,168.52	
अनुयोग	**4,132.53**		4,185.95	
घटाएं– अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्त राशियों के लिए प्रावधान	**4,117.93**	**14.60**	4,168.52	17.43
योग		**14.60**		**17.43**

7. चालू परिसम्पत्तियॉं

7.1 वर्तमान निवेश

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. म्युचुअल फंडों में निवेश (उद्धृत)				
i. आईडीबीआई म्युचुअल फंड लिक्विड फंड (प्रतिदिन लाभांश) शून्य (गत वर्ष प्रत्येक 1000/–रु मूल्य की 15000 यूनिट्स)	**-**		150.00	
ii. एसबीआई प्रीमियम लिक्विड फंड डायरेक्ट प्लान–दैनिक लाभांश प्रत्येक 1003.25 रुपये मूल्य की 558185.8958 यूनिट्स	**560.00**	**560.00**	-	150.00
ख. सरकारी अथवा ट्रस्ट अनुभूतियों में निवेश				
9% सरकारी स्टाक 2013		**-**		0.03
योग		**560.00**		**150.03**

वर्तमान निवेशों का मूल्यांकन निम्नतर लागत तथा उचित मूल्य पर किया जाता है।

31-03-2014 को उद्धृत निवेशों की कुल बाजार लागत 560.00 मिलियन रुपये (गत वर्ष 150 मिलियन रुपये) लागत की तुलना में 560.49 मिलियन रुपये (गत वर्ष 150.05 मिलियन रुपये) है।

अनुद्धृत निवेशों की कुल राशि शून्य मिलियन रुपये (गत वर्ष 0.03 मिलियन रुपये) है

7.2 इन्वैंट्रीज़

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. कच्चा माल	**260.13**		100.48	
ख. तैयार माल	**626.60**		845.32	
ग. स्टॉक –इन–ट्रेड	**2,196.64**		7,941.79	
(843.55 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1996.69 मिलियन रुपये) मूल्य के गुड्स इन ट्रॉंजिट शामिल है।				
घ. पैकिंग सामान	**0.25**	**3,083.62**	0.65	8,888.24
योग		**3,083.62**		**8,888.24**

प्रबंधतंत्र के मूल्यांकन एवं प्रमाणन के अनुसार आंकड़ों को लिया गया है।

31 मार्च 2014 को गुडस इन ट्रॉंजिट सहित इन्वैंगट्रीज का मूल्यांकन निम्नतर लागत अथवा वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। वर्ष के दौरान बाजार मूल्य पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत से कम होने के परिणामस्वरूप 76.53 मिलियन रुपए (गत वर्ष 7.39 मि.रुपए) की हानि हुई है।

7.3 ट्रेड प्राप्य रिसिवेबल्स

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. भुगतान के लिए नियत तिथि से छः माह से अधिक की अवधि के बकाया ट्रेड प्राप्य				
i. वसूली योग्य, सुरक्षित	**2,367.48**		3,969.65	
ii. वसूली योग्य, असुरक्षित	**657.72**		984.60	
iii. संदिग्ध	**202.17**		152.08	
	3,227.37		5,106.34	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**202.17**	**3,025.20**	152.08	4,954.25
ख. अन्य ट्रेड प्राप्य				
i. वसूली योग्य, सुरक्षित	**1,044.46**		5,029.38	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	**13,271.51**		1 2,257.32	
iii. संदिग्ध	**-**		17.10	
	14,315.97		1 7,303.80	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**-**	**14,315.97**	17.10	1 7,286.71
योग		**17,341.17**		**22,240.97**

7.4 रोकड़ तथा बैंक शेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष				
– उपलब्ध चैक्स, ड्राफ्टस		**0.80**		563.73
– उपलब्ध रोकड़		**0.06**		0.02
– बैकों के पास शेष				
क) चालू खाते में	**53.62**		236.06	
ख) कैश क्रेडिट खाते में	**18.55**		427.53	
ग) तीन माह की मूल मैच्यूरिटी के साथ सावधि जमा	**3,201.32**	**3,273.49**	2,683.75	3,347.34
ख. बैंकों के पास अन्य शेष				
– मार्जिन राशि के रूप में/लियन के अर्न्तगत	**3.00**		3.00	
– तीन माह से अधिक तथा 12 माह तक की अवधि की मूल मैच्यूरिटी के सावधि जमा	**1,449.22**		1 0,685.30	
– 12 माह से अधिक अवधि की मूल मैच्यूरिटी में	**0.13**	**1,452.35**	1.13	1 0,689.42
योग		**4,726.70**		**14,600.51**

मार्जिन राशि अथवा ऋणों के लिए सिक्यूरिटी, गारंटी, अन्य बाध्यताओं के रूप में बैंकों के पास 4.76 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 3.00 मिलियन रुपए) शेष है।

भुगतान न किए गए लाभांश के लिए बैंकों के पास शेष में 0.13 मिलियन रुपए(विगत वर्ष 0.07 मिलियन रुपए) शामिल हैं।

भारत के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स द्वारा जारी लेखा मानक–3 के प्रावधानों के अनुरूप "रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष" को "रोकड़ एवं बैंक शेष" में परिवर्तित किया गया है।

7.5 लघु अवधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. अन्य				
i. प्राप्य बिल	**-**		884.39	
घटाएं : डिस्काउंटेड बिल्स	**-**		-	
वसूली योग्य – सुरक्षित		**-**		884.39
ii. रोकड़ अथवा माल के रूप में वसूली योग्य अग्रिम				
वसूली योग्य – सुरक्षित	**251.23**		3,210.55	
वसूली योग्य – असुरक्षित	**5,519.86**		5,610.60	
संदिग्ध	**211.28**		275.00	
	5,982.36		9,096.15	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**211.28**	**5,771.09**	275.00	8,821.14
iii. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम				
वसूली योग्य– सुरक्षित	**-**		-	
वसूली योग्य – असुरक्षित	**167.97**		230.94	
संदिग्ध	**98.26**		35.16	
	266.23		266.11	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**98.26**	**167.97**	35.16	230.95
iv. आयकर (इसमें अग्रिम आयकर, टीडीएस, बकाया रिफंड तथा वैट शामिल हैं)				
वसूली योग्य – असुरक्षित		**932.17**		1,205.04
योग		**6,871.23**		**11,141.52**

निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों (मुख्य महाप्रबंधक तथा कम्पनी सचिव) द्वारा देय 0.12 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 0.10 मिलियन रुपए)

7.6 अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
आस्थगित प्रीमियम	**46.23**		304.22	
बिल न किए गए क्रय के प्रति स्वर्ण/चांदी का स्टॉक	**6,022.58**		1,435.08	
	6,068.81		1,739.31	
घटाएं : संदिग्ध राशि, यदि कोई हो तो, के लिए प्रावधान	**-**	**6,068.81**	-	1,739.31
योग		**6,068.81**		**1,739.31**

8. प्रचालन से राजस्व

(₹ मिलियन में)

	2013-14		2012-13	
क. उत्पादों की बिक्री		**250,706.69**		284,128.92
ख. सेवाओं की बिक्री		**39.62**		27.31
ग. अन्य प्रचालन राजस्व				
– अर्जित डिस्पैच	**1.31**		6.92	
– दावे	**1,903.97**		1,401.32	
– आर्थिक सहायता	**-**		294.86	
– अन्य व्यापारिक आय	**44.87**	**1,950.15**	134.78	1,837.88
		252,696.46		285,994.11
घटाएं :				
घ. आबकारी शुल्क	**1.37**	**1.37**	10.52	10.52
योग		**252,695.09**		**285,983.59**

विगत वर्षों के दौरान एनटीपीसी को आपूर्ति के लिए आयात किए गए कोयले के संबंध में, गतंव्य स्थान पर अंतिम गुणवत्ता विश्लेषण प्राप्त न होने के कारण फाइनल बीजक (इनवायस) जारी किए जाने तक कुछ मामलों में अनंतिम आधार पर बिक्री बुक की गई लाभप्रदता पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि फाइनल बीजक (इन्वायस) जारी होने पर यदि कोई अतंर होगा तो वह आपूर्तिकर्ता के खाते में होगा।

9. अन्य आय

(₹ मिलियन में)

	2013-14		2012-13	
क. ब्याज				
– फिक्स डिपजिट पर ब्याज	**837.47**		1,931.52	
– ग्राहकों की विलम्बित राशि से ब्याज	**29.97**		38.61	
– अन्य	**510.07**	**1,377.51**	826.34	2,796.48
ख. लाभांश				
– सहायक कम्पनी से	**-**		101.76	
– अन्य से	**32.64**	**32.64**	12.75	114.51
ग. अन्य गैर–प्रचालन आय(उक्त आय पर सीधे आरोज्य सकल व्यय)				
– स्टाफ क्वार्टर किराया	**5.88**		5.61	
– विविध प्राप्तियॉ *	**230.86**		110.21	
– रिटन बैक देयताएं	**572.12**		150.74	
– विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन	**4.38**	**813.24**	1.50	268.07
योग		**2,223.39**		**3,179.06**

*गैर करंट निवेश टिप्पणी 6.2 के अंतर्गत बांद्रा कुर्ला काम्पलैक्स मुम्बई की संपत्ति में निवेश से होने वाली 31.24 मिलियन रुपए (गत वर्ष 31.97 मिलियन रुपए) की किराया (रेंटल) आय शामिल है।

10. प्रयुक्त माल की लागत

(₹ मिलियन में)

	2013-14	2012-13
कच्चा माल	1,586.70	2,677.61
कंज्यूमेबल्स	26.40	-
योग	**1,613.10**	**2,677.61**

11. स्टॉक इन–इन्ट्रेड का क्रय

(₹ मिलियन में)

उत्पाद समूह	2013-14		2012-13	
क. क्रय				
बहुमूल्य धातुएं	**83,172.77**		127,402.95	
धातुएं	**14,960.34**		14,602.49	
उर्वरक	**39,647.85**		18,923.20	
खनिज	**22,498.71**		15,141.85	
कृषि उत्पाद	**23,584.47**		38,788.04	
कायेला व हाईड्रोकार्वन	**37,890.66**		50,241.55	
सामान्य व्यापार	**-**	**221,754.80**	9.12	265,109.19
ख. प्राप्त किया गया/वस्तु के रूप में जारी किया गया स्टॉक				
बहुमूल्य धातुएं		**(40.96)**		(19.85)
योग		**221,713.84**		**265,089.34**

12. इन्वैन्ट्रीज में परिवर्तन

(₹ मिलियन में)

	2013-14		2012-13	
क. तैयार माल				
आरंभिक शेष	**946.45**		1,625.58	
अंतिम शेष	**945.09**		946.45	
तैयार माल की इन्वैंट्रीज में परिवर्तन		**1.36**		679.13
ख. स्टॉक–इन–ट्रेड				
आरंभिक शेष	**7,941.08**		7,357.82	
अंतिम शेष	**2,214.75**		7,949.19	
स्टॉक–इन–ट्रेड की इन्वैट्रीज में परिवर्तन		**5,726.33**		(591.37)
योग		**5,727.69**		**87.76**

13. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ मिलियन में)

	2013-14		2012-13	
वेतन तथा भत्ते				
वेतन तथा भत्ते	**1,243.59**		1,174.81	
छुट्टी नकदीकरण	**124.57**		128.95	
वीआर व्यय	**21.84**		28.45	
बोनस	**0.32**		0.62	
निष्पादन संबंधित वेतन	**0.29**		6.25	
चिकित्सा व्यय	**235.41**		448.99	
ग्रुप बीमा	**0.46**		0.16	
डी.एल.आई.एस. में अशंदान	**1.57**	**1,628.05**	1.44	1,789.66
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशंदान				
भविष्य निधि	**96.79**		88.45	
ग्रेच्युटी निधि	**2.68**		31.68	
परिवार पैंशन योजना	**14.39**		12.05	
अधिवर्षिता लाभ	**78.18**	**192.04**	62.77	194.96
स्टाफ कल्याण व्यय		**74.88**		44.59
कुल		**1,894.97**		**2,029.21**

14. वित्त लागत

(₹ मिलियन में)

	2013-14	2012-13
I. ब्याज व्यय	**264.89**	1,407.83
II. विदेशी मुद्रा पर लागू सकल लाभ/हानि	**0.05**	0.37
III. फारवर्ड कांट्रेक्ट पर प्रीमियम	**404.98**	786.46
योग	**669.92**	**2,194.66**

ब्याज व्यय में 23.33 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 1.51 मिलियन रुपए) की राशि शामिल है जोकि अग्रिम आयकर के भुगतान में होने वाली कमी के लिए दी गई है।

15. अन्य व्यय

(₹ मिलियन में)

	2013-14		2012-13	
क. प्रचालन व्यय				
भाड़ा	**6,938.79**		5,415.86	
डेमरेज	**0.29**		1.78	
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	**3,781.06**		2,052.96	
एलसी नेगोशियेशन एवं अन्य प्रभार	**5.66**		11.68	
विनिमय में अंतर (i)	**1,046.41**		(192.64)	
सीमा शुल्क	**8,139.87**		7,351.55	
बीमा	**30.86**		23.94	
गोदाम बीमा	**11.03**		14.00	
प्लॉट तथा गोदाम किराया	**8.47**		4.20	
पैकिंग सामग्री	**221.02**		446.68	
गंतव्यी भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	**1.19**	**20,184.67**	1.38	15,131.40
ख. प्रशासनिक व्यय				
ऊर्जा एवं इंधन	**1.67**		1.24	
किराया	**27.32**		27.50	
दरें एवं कर	**15.39**		16.82	
बीमा	**1.72**		1.54	
भवनों की मरम्मत	**49.45**		36.17	
मशीनों की मरम्मत	**1.42**		1.14	
बिजली एव जल प्रभार	**23.27**		23.16	
विज्ञापन एवं प्रचार	**16.50**		30.37	
पोस्टेज एवं टेलीग्राम	**2.41**		1.54	
टेलीफोन	**16.31**		16.49	
टेलीकम्यूनिकेशन	**5.74**		9.07	
यात्रा	**43.97**		49.29	
वाहन	**19.20**		19.31	
मनोरंजन	**7.06**		6.24	
विधिक	**87.79**		43.45	
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (ii)	**6.35**		5.84	
बैंक प्रभार	**5.68**		4.71	
किताबें एवं पत्रिकाएं	**0.48**		0.57	
ट्रेड	**5.26**		5.01	
मरम्मत एवं नवीकरण	**17.76**		18.10	
कम्पयूटर	**1.15**		0.64	
अंशदान	**3.57**		2.88	
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	**4.09**		5.44	
प्रोफश्नल / कंसलटैंसी	**26.22**		21.35	
सीएसआर तथा स्थायी विकास	**6.34**		18.23	
विनिमय में अंतर	**(21.50)**		(45.39)	
डोनेशन	**-**		-	
सेवा कर	**6.90**		3.07	
पूर्वावधि मदें (iii)	**15.17**		(6.12)	
प्रदर्शनी, मेले एवं बिक्री प्रोमोशन	**17.15**		37.96	
अशोध्य ऋण/दावे/बट्टे खाते में डाली/निकाली गई (विदड्रान) परिसंपत्तियां	**10.74**		0.70	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	**12.74**		62.53	
विविध व्यय	**66.72**	**510.51**	114.54	540.56
कुल		**20,695.18**		**15,671.95**

(i) बी / एल तिथि को अप्रयोगमूलक विनिमय दरों को अपनाने के कारण

(क) आयात के लिए 48.84 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 304.22 मिलियन रुपए) के अस्थगित फारवर्ड प्रीमियम तथा निर्यात के लिए (2.61) मिलियन रुपए (विगत वर्ष शून्य मिलियन रुपए) की पहचान अगले लेखा वर्ष के लाभ हानि खाते में की जाएगी।

(ii) लेखा परीक्षकों को भुगतान

(₹ मिलियन में)

	2013-14	2012-13
लेखा परीक्षकों के रूप में	**3.04**	2.59
कराधान मामलों के लिए	**1.49**	1.15
प्रबंधतंत्र सेवाओं के लिए	**-**	0.03
अन्य सेवाओं के लिए	**1.79**	1.66
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.03**	0.41
योग	**6.35**	**5.84**

(iii) पूर्वावधि मदें

(₹ मिलियन में)

	2013-14	2012-13
व्यय		
विक्रय की लागत	**60.77**	383.52
वेतन एवं मजदूरी	**(0.90)**	-
प्रशासनिक व्यय	**3.03**	0.69
ब्याज	**0.09**	4.09
मूल्यहरास	**-**	(1.62)
अन्य	**29.81**	11.10
अनुयोग	**92.79**	397.77
आय		
बिक्री	**57.34**	349.10
ब्याज	**3.21**	0.38
अन्य प्राप्तियां	**17.08**	54.42
अनुयोग	**77.63**	403.90
कुल	**15.17**	**(6.12)**

16. अपवादिक मदें

(₹ मिलियन में)

	2013-14	2012-13
इन्वैंट्रीज का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के बराबर राइट डाउन करना और उसका रिवर्सल।	76.53	7.39
स्थायी परिसंपत्तियों की मदों का निपटारा	(0.71)	(0.46)
निवेश में स्थाईहरास के लिए प्रावधान	241.10	-
मुकदमों का निपटान	17.10	144.63
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	(103.45)	(24.42)
कुल	**230.57**	**127.15**

17. असाधारण मदें

असाधारण मदें पुनः प्रस्तुत करती हैं:

i. चैन्नै क्षेत्रीय कार्यालय में बुलियन के लेन देन में हुई कुछ चूकों के कारण विगत वर्षो के देनदारों से वसूलीयोग्य राशि के प्रति चार्टर्ड एकाउंटेंटस की फर्म द्वारा की गई विशेष लेखा परीक्षा की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर लेखा खातों में प्रावधान शून्य (विगत वर्ष 155.44 मिलियन रुपए) का प्रावधान किया गया है। 68.40 मिलियन रूपए (गत वर्ष 13.40 मिलियन रुपए) के क्रेडिट शेष तथा 51.00 मिलियन रुपए (गत वर्ष 48.02 मिलियन रूपए) के डेबिट शेष का अभी भी समायोजन किया जाना है परन्तु डेबिट शेष के लिए संपूर्ण प्रावधान किया गया है। कंपनी ने सीबीआई को शिकायत भी की है कि जिन्होंने अब तक दो अलग–अलग एफआईआर दर्ज की हैं तथा विस्तृत जांच भी आरंभ कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी दो पूर्व अधिकारियों तथा दो देनदारों के विरुद्ध प्रिवेंशन आफ मनी लाडरिंग अधिनियम 2002 के अंतर्गत अभियोग लगाया है।

ii. केपीएमजी द्वारा की गई विशेष लेखा परीक्षा के जांच परिणामों के आधार पर हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में बुलियन के लेन देन में हुई कुछ चूकों के कारण विगत वर्षो के देनदारों से वसूली योग्य राशि के प्रति लेखा खातों में शून्य मिलियन रुपए(विगत वर्ष 2288.20 मिलियन रुपए) का प्रावधान किया गया है। निगम ने सीबीआई को शिकायत भी की है तथा उन्होंने एफआईआर दर्ज करके विस्तृत जांच भी शुरू कर दी है।

iii. दिनांक 31.03.2014 को विभिन्न कर्जदारों तथा नेशनल स्पाट एक्सचेंज (एनएसइएल) द्वारा भुगतान में डिफाल्ट करने के कारण कंपनी ने कुल 2106.38 मिलियन रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) की वसूली के विरुद्ध लेखों में 2104.42 मिलियन रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) का प्रावधान किया है। तदोपरांत, दिनांक 15 मई, 2014 तक 1.96 मिलियन रूपए की राशि वसूल की जा चुकी है। कंपनी ने एनएसईएल तथा अन्य के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में मुकदमा भी दायर कर दिया है तथा ईओडब्ल्यू (इकॉनामिक ओफेंस विंग), दिल्ली पुलिस में अपराधिक मामला भी दर्ज किया है जो कि सीबीआई मुंबई को भेज दिया गया है।

18. लाभ व हानि विवरण से संबंधित अतिरिक्त सूचना :–

i. आयात का मूल्य

(₹ मिलियन में)

	2013-14	2012-13
आयातों का सीआईएफ मूल्य		
गुडस इन ट्रेड	**160,033.60**	198,972.04
कच्चा माल	**1,582.76**	2,684.15
कुल योग	**161,616.36**	**201,656.19**

ii. विदेशी मुद्रा में व्यय

(₹ मिलियन में)

व्यय	2013-14	2012-13
ब्याज	**21.41**	773.99
विदेशी कार्यालय	**7.25**	4.91
विदेशी दौरे	**5.50**	8.86
डिस्पैच/डैमरेज	**78.78**	38.62
लीड पोर्ट निगरानी प्रभार	**11.52**	2.59
वाचमैन प्रभार	**-**	0.23
समुद्री भाड़ा	**945.59**	857.75
एजेंसी कमीशन	**-**	2.45
अन्य मामले :-	**1.77**	-
योग	**1,071.82**	**1,689.41**

iii. विदेशी मुद्रा में आय

(₹ मिलियन में)

आय	2013-14	2012-13
निर्यात किए गए माल का एफओबी मूल्य	**39,116.58**	29,792.32
ब्याज और लाभांश	**-**	101.76
डिस्पैच / डेमरेज	**21.96**	23.62
अन्य	**68.02**	88.97
योग	**39,206.56**	**30,006.68**

iv. कच्चा माल, पुर्जों एवं घटकों का उपभोग

(₹ मिलियन में)

अर्जन	2013-14		2012-13	
	कच्चा माल	पुर्जों एवं घटकों का उपभोग	कच्चा माल	पुर्जों एवं घटकों का उपभोग
आयातित				
i. मूल्य	1,582.76	-	2,654.17	-
ii. कुल के प्रतिशत के रूप में	99.75		99.12	-
घरेलू				
i. मूल्य	3.95	-	23.43	-
ii. कुल के प्रतिशत के रूप में	0.25	-	0.88	-
सकल लागत	**1,586.70**	**-**	**2,677.61**	**-**

19. आकस्मिक देयताएं एवं वचनबद्धता (उस सीमा तक जिसका प्रावधान नही)

1. आकस्मिक देयताएँ

क) कंपनी की तरफ से बैंकों द्वारा जारी 3654.78 मिलियन रूपए(पिछले वर्ष 4448.26 मिलियन रूपए) की गारंटियॉ एवं 3361.56 मिलियन रूपए (गत वर्ष 2017.15 मिलियन रूपए) की कारपोरेट गारंटी अनुबंध के निष्पादन के लिए ग्राहक के पक्ष में दी गई है, जिसके विरूद्ध एसोसिएट आपूर्तिकर्ताओं 7152.30 रूपए की बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गई हैं।

ख) एनआईएनएल के ऋणों से संबंधित मूल तथा ब्याज राशि की सुनिश्चितता के लिए वित्तीय संस्थाओं / बैंकों को नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की ओर से निगम द्वारा 13793.70 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 14409.10 मिलियन रूपए) की कारपोरेट गारंटी दी गई है।

ग) कंपनी के विरूद्ध 3652.51 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 2274.05 मिलियन रूपए) के दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया।

घ) कंपनी द्वारा खोले गये साख पत्रों में से 6642.69 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 5606.86 मिलियन रूपए) की राशि बकाया है।

ड.) 2445.44 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 988.89 मिलिय रूपए) की विवादित बिक्रीकर मॉग जिसके लिए 192.94 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 115.96 मिलियन रूपए) जमा कराये गये और 0.74 मिलियन रूपए (पिछले वर्ष 6.74 मिलियन रूपए) बैंक गारंटियों द्वारा वसूले गए।

च) व्यापार सहायक सेवा के संबंध में 809.70 मिलियन रूपए(पिछले वर्ष 486.48 मिलियन रूपए) की सेवा कर मांग।

छ) स्टीम कोल के एक बैकअप सप्लायर ने वर्ष 2011–12 से 2012–13 के दौरान एक कस्टमर को बैक टू बैक आधार पर कोल सप्लाई हेतु बढे रेल भाड़े, अस्वीकृत बैल्ट सैम्पलिंग, रैक रिजेक्शन तथा भुगतान में हुई देरी के लिए ब्याज हेतु 504.30 मिलियन रूपए (विगत वर्ष शून्य रूपए) का दावा किया है जिस पर क्रेता ने बाद में विवाद कर दिया था।

ज) निष्पादन, मूल दस्तावेजों की प्रस्तुति इत्यादि के लिए कस्टम विभाग को बांड प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से कुछ अभी भी बकाया हैं। 31.03.2014 को असमाप्त बांडो की राशि 7615.00 मिलियन रुपए(गत वर्ष 1697.08 मिलियन रुपए) है।

झ) एक पार्टी ने एनआईएनएल के कोकिंग कोल की आंशिक मात्रा के न उठाये जाने के संबंध में दावा किया है जिसकी सुपुर्दगी वर्ष 2008–09 से संबंधित है और जिसके लिए 30 सितंबर, 2009 से 12% वार्षिक ब्याज के साथ 4716.93 मिलियन रुपए (दिनांक 31.03.2014 को 59.92 रुपए की अंतिम विनिमय दर के अनुसार 78.72 मिलियन अमेरिकी डालर बनते हैं) (गत वर्ष 4273.71 मिलियन रुपए) का दावा किया है। एमएमटीसी ने भी वर्ष 2009–10 के लिए कोकिंग कोल की आपूर्ति न किये जाने हेतु प्रति दावा करते हुए पार्टी को नोटिस दिया है। मामला आर्बिटरेशन के पास गया था, यहां कार्यवाही पूरी हो गई है। अवार्ड 21 मई, 2014 को दिया गया है। तीन आर्बिटरेशनों में से दो ने कंपनी के खिलाफ में मैजोरिटी अवार्ड दिया है जबकि एक

आर्बिटरेशन ने कंपनी के पक्ष माइनोरिटी अवार्ड दिया है। अवार्ड के कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है । तथा इस विषय पर कानूनी सलाह प्राप्त होने पर इसे निश्चित सीमा अवधि के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी तथा इस संबंध में कोई भी देनदारी एनआईएनएल के खाते में होगी।

(ञ) कस्टम विभाग ने चालू वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सहयोगी आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से बैक–टू–बैक की शर्तों पर स्थिर मार्जन आधार पर आपूर्ति किए गए स्टीम कोल के आयात पर अंतरीय (डिफरेंसियल) कस्टम डयूटी/ब्याज/दंड के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से 620.17 मिलियन रुपए(पिछले वर्ष 1850.13 मिलियन रुपए) की मांग रखी है। इस विषय में किसी प्रकार की देनदारी बैक–अप क्रेताओं के खाते में डाली जाएगी।

(ट) उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा 96.59 मिलियन रुपए (विगत वर्ष शून्य रूपए) की उत्पाद शुल्क की मांग के लिए कंपनी ने विभाग के पास अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

(ठ) टारगेट प्लस लाइसेंस के विरूद्ध आयात किए गए आरबीडी पॉम आयल के संबंध में 256.99 मिलियन रुपए (गत वर्ष 241.12 मिलियन रुपए) की कस्टम डयूटी/दंड इत्यादि की मांग की है। इसकी स्थायी देयता के संबंध में सीईएलटीएटी द्वारा वसूली पर रोक लगा देने के आदेश के आधार पर तथा प्रथमदृष्टया में ही मामले को कंपनी के हित में देने एवं पहले से ही जमा राशि को छोड देने पर चालू वर्ष के दौरान इसे वापिस कर लिया गया है।

ड) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के खाते में किए गए वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

(ढ) बिक्री कर का निर्धारण पूरा हो जाने पर, कुछ कार्मिकों के विवादित दावे, एजेंटों/कांट्रेक्टरों द्वारा भविष्य निधि को नहीं काटना, विवादित किराया एवं ब्याज/दंड/विधि व्यय इत्यादि के संबंध में आई मांग पर यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो इस बारे में आकस्तिक देयताओं की निर्दिष्ट राशि अनिर्धारित तथा सुविचारित नहीं की गई है।

(ii) वचनबद्धताएं :

(क) पूंजी खातों पर निष्पादित किए गए करारों की अनुमानित राशि 9. 75 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 2.82 मिलियन रुपए) का प्रावधान नही किया गया।

सामान्य अप्रकटन

20. कम्पनी द्वारा बिना बिल के खरीदे गये निम्नलिखित माल को अपने पास जमा रखा गया है और जिसको अन्य चालू परिसम्पतियों(टिप्पणी सं. 7.6) तथा अन्य चालू देयताओं (टिप्पणी सं 5.3) में दिखाया गया है।

(₹ मिलियन में)

मदें	31-03-2014		31-03-2013	
	मात्रा(किग्रा)	मूल्य	मात्रा(किग्रा)	मूल्य
स्वर्ण	2,218.00	5,956.10	434.00	1,354.48
स्वर्णाभूषण	-	5.40	-	6.87
चांदी	1,550.00	61.08	1,475.00	73.74

21. कंपनी ने प्राधिकृत डीलरों से बकाया जीआर–1 फार्मों के संबंध में देय तिथि के बाद वसूली के लिए समय बढ़ाने के लिए/छोड़ने के लिए/बट्टे खाते में डालने के लिये आवेदन किया है। इनका फैसला होने तक देयता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने 19.81 मिलियन रुपए (गत वर्ष 19.81 मिलियन रुपए) का दण्ड लगाया है जिसका प्रतिवाद किया जा रहा है। इसके बावत 0.30 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 0.30 मिलियन रुपए) की राशि जमा करवाई गई है तथा 10.30 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 10.30 मिलियन रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है।

22. हाल के वर्षों में आए व्यापार मॉडल में विभिन्न बदलावों के कारण और नवीनतम सांविधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्तमान ईआरपी पैकेज को बदलने का निर्णय लिया है

23. लेखा मानक –15 (संशोधित) के अधीन कंपनी द्वारा कर्मचारियों को निम्नानुसार लाभ प्रदान किये जाते हैं:–

i. अवकाश नगदीकरण : सेवानिवृत्ति के समय पात्र कर्मचारियों को उनके अर्जित अवकाश व अर्धवेतन अवकाश का नगदीकरण देय है। संचित अर्जित अवकाश का नगदीकरण न्यूनतम 15 दिन का अर्जित अवकाश छोड़कर वर्ष में दो बार करवाया जा सकता है ।

ii. सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) : सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर या ओपीडी के लिये कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक उपचार करवा सकते हैं । दिनांक 01.01.2007 तक सेवानिवृत अथवा दिनांक 01.01.2007 के उपरांत सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के लिए डीपीई ने अलग से कोर स्थापित करने के दिशानिर्देश दिए हैं वर्तमान में कंपनी की सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना है। योजना के अनुसार कंपनी बीमांकित लागत के आधार पर देयताओं का प्रावधान करती है ।

चालू वर्ष के दौरान कंपनी के प्रबंधतंत्र ने ट्रस्ट के माध्यम से एक कोर स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसे वर्ष 2014–15 से कार्यान्वित कर दिया जायेगा तदानुसार कंपनी ने दिनांक 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत कार्मिकों के लिए संशोधित योजना अधिसूचित कर दी है। ट्रस्ट एवं कोर की स्थापना के उपरांत वर्ष 2014–15 से कोर में किए जाने वाले अंशदान को डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित किया जायेगा।

iii. ग्रेच्युटी : सेवानिवृत्ति/सेवा छोड़ने पर सेवाकाल के वर्षों की संख्या के आधार पर समस्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अदायगी कंपनी द्वारा की जाती है जिसकी व्यवस्था एक अलग ट्रस्ट द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है। माइका प्रभाग के कार्मिकों के संबंध में इस योजना की व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है।

iv. दीर्घ सेवा लाभ : कार्मिकों को देय दीर्घ सेवा लाभ निम्नानुसार हैं:–

(क) अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लेने पर कार्मिकों को दीर्घ सेवा के लिए प्रत्येक समाप्त वर्ष हेतु 2500/– रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है।

(ख) सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर, कार्मिक के आश्रितों को एकमुश्त में 50,000/– रुपए राशि की सहानुभूतिशील ग्रेच्युटी देय होती है।

(ग) जिस कार्मिक की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है उस कार्मिक के आश्रितों को अधिवर्षिता की सैद्धांतिक तिथि तक कर्मचारी लाभ परिवार योजना के अंतर्गत भुगतान किया जाता है। मृत्यु के समय 20 वर्षों से कम सेवा करने पर अंतिम देय मूल वेतन व मंहगाई भत्ते का 40% की दर से मासिक लाभ जिसकी अधिकतम सीमा 12000/–रुपए होती है, इसी प्रकार 20 वर्ष अथवा उससे अधिक सेवाकाल पूरा करने वाले के लिए अंतिम देय मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 50% की दर से मासिक लाभ जिसकी अधिकतम सीमा 12000/–रुपए होती है ।

v. भविष्य निधि : वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्रदत्त/भुगतान किए जाने वाले भविष्य निधि के अंशदान की लाभ व हानि विवरण में पहचान की जाती है। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त है। छूट की शर्तों में इस प्रकार का भी प्रावधान है कि अगर ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर के साथ–साथ सांविधिक दर की तुलना में से किसी प्रकार की कमी आ रही हो तो नियोक्ता उसका वहन करके पूरा करेगा। कंपनी को आगे भी निकट भविष्य में किसी प्रकार की बाध्यताओं का पूर्वानुमान नहीं है साथ ही निधि की परिसम्पत्तियों एवं निवेश से प्राप्त रिटर्न अच्छी दिखाई दे रही है।

vi. पेंन्शन योजना – वर्ष के दौरान कंपनी ने परिभाषित अंशदायी सेवानिवृति पेंशन योजना के लिए लाभ व हानि विवरण में 78.17 मिलियन रुपए (गत वर्ष 62.77 मिलियन रुपए) की पहचान की है।

लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार परिभाषित लाभ बाध्यताओं के संबंध में "कर्मचारी लाभ" के अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं :

(क) परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य का मिलान:

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदी–करण	बीमारी छुट्टी नकदी–करण	सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ	दीर्घ सेवा लाभ
(i)	परियोजित लाभ बाध्यताओं का दिनांक 01/04/2013 को वर्तमान मूल्य	756.54	275.30	187.53	1286.21	112.93
(ii)	ब्याज लागत	60.52	23.40	15.94	109.33	
(iii)	वर्तमान सेवा लागत	9.88	12.33	8.76	17.94	
(iv)	प्रदत्त लाभ	59.09	84.14	6.70	64.03	
(v)	बीमांककीय (लाभ/हानि)	(3.14)	36.08	8.32	18.87	3.97
(vi)	31-3-2014 को बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii-iv + v)	764.71	262.97	213.85	1368.32	116.90

(ख) 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण लेखा में दर्शाये गये व्यय :

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदी–करण	बीमारी छुट्टी नकदी–करण	सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ	दीर्घ सेवा अवार्ड
(i)	सेवा लागत	9.88	12.33	8.76	17.94	-
(ii)	ब्याज लागत	60.52	23.40	15.94	109.33	-
(iii	योजनागत परिसंपंतियों पर वास्तविक रिटर्न	66.38	-	-	-	-
(iv)	अवधि के दौरान शुद्ध बीमांककीय (लाभ)/हानि	(3.14)	36.08	8.32	18.87	3.97
(v)	लाभ व हानि खातों में लिए गए व्यय (i+ii-iii+iv)	0.89	71.81	33.03	146.14	3.97

(ग) परियोजित परिसंपतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :

(₹ मिलियन में)

	ग्रेच्युटी
1-4-2013 को योजनागत परिसंपतियों का उचित मूल्य	759.88
योजनागत परिसंपतियों पर वास्तविक रिटर्न	66.38
नियोक्ता द्वारा अंशदान	12.37
प्रदत्त लाभ	59.09
बीमांककीय लाभ/(हानि)	-
31-3-2014 को योजना परिसंपतियों का उचित मूल्य	779.54

(घ) सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना के तहत लाभों के मूल्यांकन के संबंध में संभावित मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट परिवर्तन का प्रभाव : –

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशतता वृद्धि	मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशतता कमी
i)	सेवा लागत व ब्याज लागत के समग्र पर प्रभाव	6.69	(9.68)
ii)	परिभाषित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव	165.35	(135.09)

(ङ) बीमांककीय कल्पनाएं :

क्र. सं.	विवरण	31/3/2014 को
(i)	छूट दर (प्रतिवर्ष)	8.00% -ग्रेच्युट 8.50% - अन्य
(ii)	भविष्य लागत वृद्धि	6.00%- ग्रेच्युट 6.50% - अन्य
(iii)	सेवा निवृति आयु	60 वर्ष
(iv)	मृत्यु संख्या विवरण	आईएएलएम (2006-08)
(v)	निकासी दरें	1% से 3% आयु पर आधारित

च) ग्रेच्युटी के मामले में कंपनी अपनी बाध्यताओं का निपटारा एलआईसी से ली गई पालिसी के माध्यम से करती है तथा खर्चों की पहचान एलआईसी द्वारा किए गए बीमांकिक लागत के आधार पर की जाती है।

छ) दिनांक 31.03.2014 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी की सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ के संबंध में वर्तमान लागत के अनुसार 1368.32 मिलियन रुपए (गत वर्ष 1286.21 मिलियन रुपए) की बाध्यता है, जिसके लिए लेखा मानक–15 के अनुसार देयता का प्रावधान किया है। कंपनी ने 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत एवं 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत हुए कार्मिकों के लिए स्थापित किए जाने वाले कोर(कारप्स) में आबंटन के उद्देश्य से 31.03.2013 को वर्तमान लागत पर बाध्यता की राशि में पुनः बामांकिक मूल्यांकन करवाया है। दिनांक 31.03.2013 को पुनः बीमांकिक मूल्यांकन करने से वर्तमान लागत में बदलाव हुआ है जोकि 1286.21 मिलियन रुपए से 1150.31 मिलियन रुपए हो गया है। तदानुसार दिनांक 31.03.2014 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन को बीमांकिक लाभ तथा हानि के लेखों में शामिल कर लिया गया है।

24. लेखा मानक–17 के अनुसार कंपनी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट योग्य बिजनेस सैगमेंटों में खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला व हाइड्रोकार्बन, उर्वरकों तथा सामान्य व्यापार/अन्यों की पहचान की है। सैकेंडरी सैगमेंटों की पहचान भारत की भीतरी व बाहरी भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। अनुलग्नक क में इसका विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है।

25. लेखा मानक–18 के अंतर्गत संबंधित पार्टियों का प्रकटन (प्रबंधतंत्र द्वारा यथा–निर्धारित एवं प्रमाणित)

(क) संबंधित पार्टियों के नाम एवं संबंध का विवरण :

क) प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक

i.	श्री डी एस ढेसी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii.	श्री वेद प्रकाश	निदेशक
iii.	श्री राजीव जयदेव	निदेशक
iv.	श्री एम जी गुप्ता	निदेशक
v.	श्री आनन्द त्रिवेदी	निदेशक
vi.	श्री पी के जैन	निदेशक (दिनांक 15.05.2013 से)

ख) <u>सहायक कंपनी</u>
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

ग) <u>एसोशिएट</u>
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
देवोना थर्मल पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

घ) <u>संयुक्त उद्यम</u>
फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
हल्दिया फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड
एमएमटीसी पेम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
एमएमटीसी गीतांजली प्राइवेट लिमिटेड
इंडियन कमोटिडी एक्सचेंज लिमिटेड
सिकॅाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड
टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड
ब्लू वाटर आयरन ओर थर्मल प्रा. लि

ख. वर्ष 2013–14 के दौरान लेन–देन का विवरण

(₹ मिलियन में)

विवरण	सहायक कंपनी	एसोशिएट्स	संयुक्त उद्यम	प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक	कुल
माल की खरीद	12125.46	15490.51	5091.56		32707.53
माल की बिक्री	3548.69	10809.91	99.47		14458.07
प्राप्त छूट	16.30				16.30
स्थायी परिसं–पत्तियों की बिक्री					-
प्राप्त लाभांश					-
रोकड़ अथवा ।वस्तु के रूप में ऋण तथा इक्विटी अंशदान सहित वित्त					-
कारपोरेट गारंटी					-
अन्य भुगतान डेमरेज/डिस्पैच					-
अन्य प्राप्तियां डेमरैज/डिस्पैच	2.50				2.50
पारिश्रमिक				18.43	18.43
बकाया शेष					-
प्राप्य	480.12	6489.71		0.28	6970.11
देय	497.52	4.82	1.14		503.48

26. प्रति शेयर अर्जन

विवरण	2013-14		2012-13	
	असामान्य मदों से पूर्व	असामान्य मदों के बाद	असामान्य मदों से पूर्व	असामान्य मदों के बाद
कर पश्चात लाभ (₹ मिलियन में)	1575.55	186.42	944.57	(706.24)
इक्विटी शेयरों की कुल संख्या(मिलियन)	1000	1000	1000	1000
बेसिक और डाइल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹1/- प्रति शेयर)(गत वर्ष अंकित मूल्य ₹1/- प्रति शेयर)	1.58	0.19	0.94	(0.71)

27. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की वित्तीय रिपोर्ट लेखा मानक–27 के अनुसार भारत में निगमित सभी संयुक्त उद्यम कंपनियों में स्वामित्व की हिस्सेदारी, परिसंपत्तियां, देयताएं, आय, व्यय, विविध देयताएं व पूंजीगत अहर्ताएं निम्नानुसार हैं:–

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व का प्रतिशत	निगमन का देश	परिसं–पत्तियां	देयताएं	आय	व्यय	विविध देयताएं	पूंजीगत वचनबद्ध-ताएं
1	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	26	भारत	151.35	148.28	0.50	0.29	10.52	-
2	ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	26	भारत	-	0.02	-	0.01	-	-
3	एमएमटीसी पेंप इंडिया प्रा. लि.	26	भारत	1689.35	1349.34	23352.21	23036.60	10.59	14.10
4	सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	26	भारत	1346.40	1008.48	-	-	0.28	87.36
5	एमएमटीसी गीताजंलि प्रा. लि.	26	भारत	89.53	62.49	82.84	85.71	1.09	-
6	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	26	भारत	91.45	44.63	14.73	36.86	-	-
7	टीएम माइनिंग कं. लिमिटेड	26	भारत	0.02	0.07	-	0.11	-	-
8	ब्लू वाटर आयरन ओर थर्मल प्रा.लि.*	18	भारत	0.17	0.53	-	0.31	-	-

* अन–अंकेक्षित

28. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा विनिर्दिष्ट 'परिसंपत्तियों की हानि' जैसा कि मानक लेखा (ए एस 28) द्वारा वांछित है कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि का मूल्य निर्धारण किया है तथा परिसम्पत्तियों की लागत में क्षतिपूरक हानि के लिए वर्ष के दौरान 10.88 मिलियन रुपए (गत वर्ष शून्य मिलियन रुपए) की राशि का प्रावधान किया है।

29. मानक लेखा – 29 के अनुसार प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार है:–

(₹ मिलियन में)

प्रावधानों का विवरण	1-4-13 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समा-योजन	वर्ष के दौरान वृद्धि	31-03-14 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम	1.38	1.38	1.19	1.20
बोनस/पीआरपी	60.60	2.22	0.60	58.98
अधिवर्षिता लाभ	66.46	106.18	78.18	38.46
कराधान के लिए प्रावधान	810.19	810.19	778.57	778.57
प्रस्तावित लाभांश	100.00	100.00	150.00	150.00
प्रस्तावित लाभांश पर कर	-	-	25.49	25.49

30. अल्प अवधि ऋणों व अग्रिमों के शीर्ष में 931.62 मिलियन रुपए (गत वर्ष 1204.71 मिलियन रुपए) के आयकर में विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए आयकर विभाग की 366.63 मिलियन रुपए (गत वर्ष 357.23 मिलियन रुपए) की विवादित मांग के प्रति आयकर विभाग को भुगतान किए गए 592.96 मिलियन रुपए (गत वर्ष 367.16 मिलियन रुपए) की राशि तथा वित्त वर्ष 2012–13 की आयकर/फ्रिंज लाभ कर देयता के लिए अग्रिम कर/टीडीएस/एफबीटी की 564.99 मिलियन रुपए(गत वर्ष 847.48 मिलियन रुपए) की राशि शामिल है। अतिरिक्त मांग यदि कोई होगी तो उसका प्रावधान अपीलीय कार्यावाही पूरी होने पर कर दिया जाएगा।

31. मिंट चांदी लेन–देन के संबंध में मेसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 284.53 मिलियन रुपए (गत वर्ष 284.53 मिलियन रुपए) की राशि बकाया है जिसके लिए पूर्ण प्रावधान लेखों में किया गया है। कंपनी ने 314.02 मिलियन रुपए (गत वर्ष 314.02 मिलियन रुपए) की वसूली का मामला दायर किया है जिसमें 29.49 मिलियन रुपए (गत वर्ष 29.49 मिलियन रुपए) की विलम्बित ब्याज राशि भी शामिल है जिसे कंपनी के पक्ष में घोषित किया गया है। मै. एआईपीएल ने भी 1671.97 मिलियन रुपए(गत वर्ष 1671.97 मिलियन रुपए) के नुकसान का सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरूद्ध मामला दायर किया है जो विधिक मत के अनुसार मान्य नही है और कार्यवाही की जा रही है।

32. वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान भारत सरकार के निदेशों पर कंपनी ने दालों का आयात किया था। सरकार ने लेंडिड लागत के 15 प्रतिशत तक घाटों की प्रतिपूर्ति और सीआईएफ के 1.2 प्रतिशत की दर से व्यापारिक मार्जन की अनुमति प्रदान की है। वर्ष 2011–12 से इस योजना को बंद कर दिया गया। वर्ष 2011–12 के दौरान 165.53 मिलियन रुपए (गत वर्ष 165.53 मिलियन रुपए) का दावा दायर किया था जो कि 15% की लेंडिड लागत के अनुसार ही था उसकी अभी वसूली होनी बाकी है । इसके अलावा वर्ष 2008–09 के दौरान अतिरिक्त भुगतान पर की गई ब्याज कटौती के लिए भी 27.40 मिलियन रुपए दिखा रखे हैं जिनकी वसूली भारत सरकार से की जानी है।

33. आयातित पोलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोशिएट के विरूद्ध 18.89 मिलियन रुपए(पिछले वर्ष 18.89 मिलियन रुपए) का एक दावा लम्बित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य भुगतानों के रूप में 3.61 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3.61 मिलियन रुपए) को ध्यान में रखते हुए लेखों में 15.28 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष

15.28 मिलियन रुपए) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम को इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेश के लिए लम्बित है। एसोशिएट के विरूद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर किया है। एसोशिएट ने विवाद निपटारा समिति के विचारार्थ एक प्रस्ताव रखा है ।

34. सूचीगत अनुबंध के खंड 32 में अपेक्षित ऋणों की प्रकृति में ऋण व अग्रिमों के संबंध में विवरणः

(क) अग्रिमों (ब्याजमुक्त) के रूप में सहयोगियों को दिए गए ऋण व अग्रिम

ऋणी	31-3-2014 को शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	₹ 0.03 मिलियन (पि.वर्ष ₹ 3.56 मिलियन)	₹ 3.93 मिलियन (पि.वर्ष ₹ 3.56 मिलियन)

(ख) ऋणी के निवेशों का विवरणः शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

35. बकाया राशियों की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र जारी किये गये हैं जिनमें निर्धारित अवधि के भीतर पुष्टि करने या टिप्पणी करने का अनुरोध किया गया है जिसके अभाव में पत्र में दर्शाए गए शेष को पुष्टिकृत माना जाएगा। कुछ मामलों में पुष्टि पत्र प्राप्त हो चुके हैं। यद्यपि किसी पार्टी से विपरीत सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

36. मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष 2011–12 के दौरान एक विदेशी आपूर्तिकार ने माल (कॉपर) की सुपुर्दगी किए बिना बैकिंग चैनलों के माध्यम से 32.63 मिलियन रुपए (गत वर्ष 29.64 मिलियन रुपए) का भुगतान हासिल करने के लिए जाली शिपिंग दस्तावेज दिए। तथापि साख–पत्र के तहत बैंक द्वारा किये जाने वाले भुगतान को रोकने के लिए कम्पनी ने भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने की वचनबद्धता के साथ अंतरिम स्टे ले लिया था। इसी आपूर्तिकार ने धोखे से अन्य कॉपर की शिपमेंट के मास्टर बिल ऑफ लेडिंग हथियाने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने 85.98 मिलियन रुपए (गत वर्ष 85.98 मिलियन रुपए)के माल की सुपुर्दगी लेकर अपने कब्जे में लिया जिसका भुगतान पहले से ही हो चुका है और इसको भारतीय पोर्ट पर प्राप्त कर लिया गया है। जिसका न्यायिक फैसला शीघ्र ही आने की संभावना है। इसके विरूद्ध कंपनी के पास बैकअप कस्टमर की 44.51 मिलियन रुपए की ईएमडी पड़ी है ।

37. हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष 2011–12 के दौरान बैकिंग चैनलों के माध्यम से 37.50 मिलियन रुपये (गत वर्ष 37.50 मिलियन रुपये) लागत के कॉपर की दो शिपमेंटस का जाली बिल ऑफ लेडिंग प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध माल प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी को भारतीय उपभोक्ता से पूरा भुगतान प्राप्त हो जाने के उपरांत विदेशी सप्लायर को साख–पत्र के माध्यम से पूरा भुगतान कर दिया है। कंपनी ने विदेशी सप्लायर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी है।

38. वर्ष 2006 में कंपनी को गोमिया कोल ब्लॉक आबंटित किया गया था, जिसके विकास पर कंपनी ने 65.43 मिलियन रुपए (गत वर्ष 54.86 मिलियन रुपए) की राशि खर्च की थी जिसे 'पूंजी कार्य प्रगति पर' (केपिटल वक्र इन प्रोग्रेस) में दिखाया गया है। ब्लॉक के विकास कार्य में देरी हो जाने की वजह से वर्ष के दौरान कोयला मंत्रालय ने 298.00 मिलियन रुपए की बैंक गारंटी की मांग की है। वर्ष 2002 में ओएनजीसी को गैस एक्सट्रेक्शन के लिए आबंटित किए गए कोल मिथेन ब्लाक (सीबीएम)को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने बीजी की छूट के लिए मामले को कोल मंत्रालय के पास उठाया है। अंतिम निर्णय आना बाकी है।

39. कंपनी ने लेखा नीति सं. 2.17 II (i) को पठन के लिए पुनः परिभाषित किया है ''आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है परंतु लेखों की टिप्पणियां अनिर्धारित होने के कारण प्रकट की जाती हैं ताकि कंपनी में अनुसरण की जा रही लेखा नीतियां स्पष्ट हो सकें।

उपर्युक्त बदलाव कंपनी पर किसी प्रकार का वित्तीय प्रभाव नहीं छोड़ते हैं।

40. ऐसे कोई भी सूक्ष्म (माइक्रो) छोटे व मध्यम उद्यम नहीं हैं जिनके विरूद्ध कंपनी के 31 मार्च, 2014 को 45 दिनों से अधिक देय बकाया शेष है।

41. कंपनीज (लेखा मानक) नियम 2006 का अनुपालन किया गया है। कंपनी के काफी संख्या में लेनदेन व विविध क्रियाकलाप हैं जिनका उक्त नियमों के अंतर्गत कड़ाई से पालन करने से प्रचालन कठिनाइयां आ सकती हैं।

42. लोक उद्यम विभाग भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा स्टाफ कार के लिए 2000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने पर अपने प्रयोग के लिए 1000 किमी. प्रति माह का उपयोग कर सकते हैं।

43. पिछले वर्ष के आंकड़ों का और जहां आवश्यक समझा गया फिर से पुनः वर्गीकरण/सुधार किया गया है।

44. संलग्न लेखा नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं0 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मु.म.प्र.(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)
डी आई एन 02200405

(आनन्द त्रिवेदी)
निदेशक
डीआईएन 01077784

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 1433541

दिनांक : 29.05.2014
स्थान : नई दिल्ली

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क'

वर्ष 2013–14 के लिए खंडवार निष्पादन का विवरण

(आरम्भिक प्रस्तुति)

विवरण	व्यापार खंड					
	बहुमूल्य धातुएं		धातुएं		खनिज एवं अयस्क	
	31 मार्च 14	31 मार्च 13	31 मार्च 14	31 मार्च 13	31 मार्च 14	31 मार्च 13
खंडवार राजस्व						
बाह्य बिक्री						
– भारत में	**91731.34**	136751.69	**4181.21**	11946.75	**2831.84**	1761.27
– भारत के बाहर			**11009.92**	2893.38	**20372.69**	13891.38
योग (क)	**91731.34**	136751.69	**15191.13**	14840.13	**23204.53**	15652.65
अंतर–खण्ड बिक्री						
– भारत में						
– भारत के बाहर						
योग (ख)						
कुल खण्ड राजस्व(क+ख)	**91731.34**	136751.69	**15191.13**	14840.13	**23204.53**	15652.65
समस्त खण्डों के कुल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में प्रत्येक खण्ड का कुल राजस्व	**36.58%**	48.13%	**6.06%**	5.22%	**9.25%**	5.51%
खण्डीय परिणाम						
– भारत में	**1297.23**	722.26	**106.04**	295.59	**80.65**	50.48
– भारत के बाहर			**331.79**	89.89	**577.08**	400.92
कुल खण्डीय परिणाम	**1297.23**	722.26	**437.83**	385.48	**657.72**	451.40
अनिर्धारित आय के निवल का						
अनिर्धारित कारपोरेट व्यय						
प्रचालन लाभ						
ब्याज व्यय						
ब्याज आय						
आय कर						
साधारण कार्यकलापों से लाभ						
असाधारण हानि/लाभ						
निवल लाभ						
अन्य सूचना						
खंड परिसंपत्तियां	**3810.24**	7789.21	**1238.16**	1484.49	**2074.05**	2385.69
अनिर्धारित कारपोरेट परिसंपत्तिया						
कुल परिसंपत्तियां						
खंड देयताएं	**2507.08**	2389.85	**64.73**	355.37	**2337.34**	2422.57
अनिर्धारित कारपोरेट देयताएं						
कुल देयताएं						
खंड पूंजीगत व्यय		0.83				
अनिर्धारित पूंजीगत व्यय						
कुल पूंजीगत व्यय						
खंड मूल्यह्रास	**4.28**	2.22			**55.36**	55.36
अनिर्धारित मूल्य ह्रास						
कुल मूल्यह्रास						
मूल्यह्रास के अलावा						
गैर– रोकड़ व्यय						

(₹ मिलियन में)

व्यापार खंड									
हाइड्रोकार्बन		कृषि उत्पाद		उर्वरक		अन्य		कुल	
31 मार्च 14	**31 मार्च 13**	**31 मार्च 14**	**31 मार्च 13**	**31 मार्च 14**	**31 मार्च 13**	**31 मार्च 14**	**31 मार्च 13**	**31 मार्च 14**	**31 मार्च 13**
55963.48	56368.35	**17157.48**	29821.26	**37523.58**	17615.33	**87.10**	98.96	**209476.04**	254363.61
		7539.37	11475.37	**2348.29**	1532.50			**41270.27**	29792.62
55963.48	56368.35	**24696.85**	41296.63	**39871.87**	19147.83	**87.10**	98.96	**250746.31**	284156.23
55963.48	56368.35	**24696.85**	41296.63	**39871.87**	19147.83	**87.10**	98.96	**250746.31**	284156.23
22.32%	19.84%	**9.85%**	14.53%	**15.90%**	6.74%	**0.03%**	0.03%	**100.00%**	100.00%
510.19	665.82	**222.60**	329.27	**96.78**	82.57	**76.59**	84.51	**2390.09**	2230.50
		144.07	268.05	**12.76**	8.13			**1065.70**	766.99
510.19	665.82	**366.67**	597.32	**109.54**	90.69	**76.59**	84.51	**3455.79**	2997.48
								2319.41	3220.87
								1,136.38	(223.39)
								264.89	1407.83
								1377.51	2796.47
								(41.84)	(572.14)
								2290.84	1737.40
								2104.42	2443.64
								186.42	(706.24)
13318.59	20426.37	**4754.82**	7284.34	**2191.99**	2073.28	**447.37**	499.14	**27835.22**	41942.52
								19134.89	25038.22
								46970.11	66980.73
9825.77	21438.81	**2383.66**	13781.41	**2181.24**	4137.03	**70.23**	195.95	**19370.05**	44720.99
								14181.36	8851.96
								33551.41	53572.95
									0.83
								20.69	68.14
								20.69	68.97
						36.36	36.36	**96.01**	93.95
								28.21	25.75
								124.22	119.70
								270.51	60.41

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क' जारी......

वर्ष 2013–14 के लिए खंडवार निष्पादन का विवरण
(सैकण्डरी प्रकटन)

(₹ मिलियन में)

	भौगोलिक खंड					
	भारत के बाहर		भारत के भीतर		कुल	
	31 मार्च 14	31 मार्च 13	31 मार्च 14	31 मार्च 13	31 मार्च 14	31 मार्च 13
राजस्व खंड						
बाह्य बिक्री	**41,270.27**	29,792.62	**209,476.04**	254,363.61	**250,746.31**	284,156.23
अंतरखण्ड बिक्री	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कुल राजस्व	**41,270.27**	29,792.62	**209,476.04**	254,363.61	**250,746.31**	284,156.23
खण्ड परिणाम	**1,065.70**	766.99	**2,390.09**	2,230.50	**3,455.79**	2,997.48
खण्ड परिसंपत्तियां	**2,333.73**	4,651.48	**25,501.49**	37,291.04	**27,835.22**	41,942.52
पूंजीगत व्यय	**-**	-	**-**	0.83	**-**	0.83

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता के विवरण का अभिन्न अंग

कंपनी अधिनियम 1956 अधिनियम की संशोधित अनुसूची– VI के पैरा 5 के भाग II के अनुसरण में

उपभोगित/खरीद/टर्न ओवर/दी गई सेवाएं – कच्चे माल के मूल्य का 10% या अधिक मूल्य वाला माल

1) उपभोगित कच्चा माल

(मूल्य ₹ मिलियन में)

	2013-14	2012-13
गोल्ड मेडालियन	1,586.70	2,677.61

2) ट्रेडिड माल

(मूल्य ₹ मिलियन में)

	खरीद		बिक्री	
	2013-14 (₹)	2012-13 (₹)	2013-14 (₹)	2012-13 (₹)
सोना (ओजीएल)	73,207	111,942	78,422	116,439
स्टीम कोल	26,776	39,944	43,488	44,899
यूरिया	36,100	13,097	36,200	13,237

3) दी गई सेवाएं

(मूल्य ₹ मिलियन में)

	2013-14 (₹)	2012-13 (₹)
पार्सल हैंडलिंग प्रभार	31.31	27.14
अन्य	8.31	0.17

कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 212 के अनुसरण में सहायक कंपनियों से संबंधित विवरण

(रुपये अमेरिकी डालर मिलियन में)

1.	सहायक कम्पनी का नाम	**एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर**	
		2013-14	**2012-13**
2.	सहायक कंपनी का वित वर्ष दिनांक .... को समाप्त होता है।	**31 मार्च 2014**	31 मार्च 2013
3.	एमएमटीसी लिमिटेड के पास सहायक कंपनी के शेयर		
	i. संख्या	**1461502 1 सिंगापुर + प्रति शेयर**	1461502 1 सिंगापुर + प्रति शेयर
	ii. होल्डिंग की सीमा	**100%**	100%
4.	एमएमटीसी लि. के सदस्यों के सरोकार को प्रभावित करने की सीमा तक सहायक कंपनी के वित वर्ष के लिए कुल निवल लाभ		
	i. 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लि. के लेखों के भीतर लेन देन	**शून्य**	शून्य
	ii. 31 मार्च 2.14 को समाप्त वर्ष के लिए एमएमटीसी लि के बाहर लेन देन(मिलियन डालर में)	**0.06**	2.1
5.	एमएमटीसी के सदस्यों के सरोकार को प्रभावित करने की सीमा तक सहायक कंपनी के पिछले वित वर्ष के लिए कुल निवल लाभ		
	i. 31 मार्च 2014 का समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	**शून्य**	शून्य
	ii. 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएमटीसी के खातों के बाहर लेन (मिलियन डालर में)	**2.1**	1.9

(जी आनन्दनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मुख्य महाप्रबंधक(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)
डीआईएन 02200405

(आनन्द त्रिवेदी)
निदेशक
डीआईएन 01077784

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक
डीआईएन 1433541

51 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2013 -14

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

(सिंगापुर में निगमित पंजीकरण संख्या 199407265 एम)

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

वित्तीय विवरण

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड
निदेशकों की रिपोर्ट
31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

निदेशकगण 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ शेयरधारकों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

निदेशकगण

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि को निम्नलिखित निदेशक कार्यरत हैं –

देपिन्द्र सिंह ढेसी

वेद प्रकाश

राजीव जयदेव

मदन गोपाल गुप्ता

आनंद त्रिवेदी

प्रवीन कुमार जैन (15 मई, 2013 को नियुक्त)

तपस कुमार सेनगुप्ता

विजय कुमार गुप्ता

निदेशकों द्वारा शेयर और डिबेंचर अधिग्रहण करने हेतु व्यवस्था

कंपनी ने न तो वित्तीय वर्ष के अंत में और न ही वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी किसी भी व्यवस्था में हिस्सा लिया जिसका उद्देश्य कंपनी के निदेशकों को कंपनी या अन्य कारपोरेट संस्था के शेयर या डिबेंचर अर्जित करके लाभ पहुंचाया गया हो।

शेयर अथवा डिबेंचरों में निदेशकों का हित

निदेशकों की शेयर हिस्सेदारी रजिस्टर के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यरत निदेशकों की कंपनी या कंपनी से संबंधित निगमों के शेयरों अथवा डिबेंचरों में कोई हिस्सेदारी नहीं थी :

निदेशकों को संविदात्मक लाभ

पूर्व वित्त वर्ष की समाप्ति की अवधि से किसी भी निदेशक ने कंपनी या संबंधित कारपोरेशन जिसका वह निदेशक है या फर्म जिसका सदस्य है या कंपनी जिसमें उसका विशेष वित्तीय हित शामिल है के साथ अनुबंध करने का कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है सिवाय इस रिपोर्ट के साथ संलग्न वित्तीय विवरण में जैसा दर्शाया गया है या उसके लिए ग्राह्य है, सिवाय इसके कि कुछ निदेशकों के संबंधित निगमों के साथ रोजगार संबंध थे और उस हैसियत में उन्होंने पारिश्रमिक प्राप्त किया था।

शेयर विकल्प

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए विकल्प नहीं दिया गया।

विकल्प व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के जारी न किये गए शेयर लेने के लिए कोई शेयर जारी नहीं किए गए।

वित्तीय वर्ष के अंत तक विकल्प के अंतर्गत जारी न किए गए शेयर उपलब्ध नहीं थे।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक

स्वतंत्र लेखापरीक्षक, प्राइसवाटरहाउसकूपर्स एलएलपी, ने पुनः नियुक्ति के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है।

निदेशकों की ओर से

तपस कुमार सेनगुप्ता	**विजय कुमार गुप्ता**
निदेशक	निदेशक

2 मई 2014

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

निदेशकों के मतानुसार,

(क) 31 मार्च 2014 को कंपनी के कार्यकलापों की वास्तविक व स्पष्ट तस्वीर दर्शाने के लिए पृष्ठ संख्या 5 से 24 तक वित्तीय विवरणों को इस प्रकार दिया गया है कि ये इसी तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यापार, इक्विटी में परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह के परिणामों को दर्शा सकें, तथा

(ख) इस विवरण की तिथि को यह विश्वास करने के लिए तर्कसंगत आधार है कि कंपनी अपनी देनदारियों की, उनके देय होने पर, अदायगी करने में समर्थ होगी।

निदेशकों की ओर से

तपस कुमार सेनगुप्ता
निदेशक

विजय कुमार गुप्ता
निदेशक

2 मई 2014

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के शेयरधारकों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए हमने एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों, जो पृष्ठ संख्या 5 से 24 में दिए गए हैं, की लेखापरीक्षा की है जिनमें इसी तिथि को समाप्त वर्ष का तुलन–पत्र, कम्प्रीहेंसिव आय विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण के साथ–साथ महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का संक्षिप्त रूप एवं अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

सिंगापुर कम्पनी अधिनियम ("अधिनियम") तथा सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रबधतंत्र उत्तरदायी है। इन दायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं कि इस प्रकार की आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रणाली तैयार करना व बनाए रखना जो उचित आश्वासन प्रदान कर सके कि परिसंपत्तियों को अनधिकृत उपयोग अथवा विस्थापन क्षति से सुरक्षित रखा गया है और लेनदेन को उचित रूप से अधिकृत किया गया है और उन्हें आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है ताकि लाभ व हानि खाते व तुलनपत्र और संपत्तियों के उत्तरदायित्व को बनाये रखने के लिए सत्य व सही स्थिति प्रकट हो सके।

लेखापरीक्षकों के दायित्व

लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय देना हमारा दायित्व है। लेखापरीक्षा के लिए सिंगापुर मानकों के अनुरूप हमने लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना बनाने के साथ–साथ इस प्रकार लेखापरीक्षा करें ताकि समुचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत रूप में प्रकट नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों तथा प्रकटनों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने की प्रणाली शामिल है। चयनित प्रणाली लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती है जिसमें धोखेबाजी अथवा चूक के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत तथ्यों के जोखिम का आकलन समाहित रहता है। इस प्रकार के जोखिमों का आकलन करते समय उचित लेखा परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उचित तैयारी तथा उचित प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। परन्तु इसका उद्देश्य लागू आंतरिक नियंत्रण के प्रभावीकरण पर अपनी राय देना नहीं होता है। प्रयुक्त लेखा नीतियों तथा प्रबंधतंत्र द्वारा बनाए गए लेखानुमानों की उपयुक्तता के आकलन के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का आकलन करना भी लेखापरीक्षा में शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त तथा उचित आधार हैं।

मत

हमारी राय में, कंपनी के संलग्न वित्तीय विवरण सिंगापुर कंपनी अधिनियम तथा सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के प्रावधानों के अनुरूप उचित रूप से तैयार किये गये हैं तथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के परिणामों, इक्विटी में परिवर्तनों एवं रोकड़ प्रवाह की इसी तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सत्य तथा सही स्थिति दर्शाते हैं।

अन्य विधिक तथा रेगुलेटरी आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हमारे मतानुसार अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक लेखे व अन्य रिकार्ड को कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उचित रूप से रखा है।

प्राइसवाटरहाउसकूपर्स एलएलपी
पब्लिक एकाउंटेंट्स एण्ड सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स

सिंगापुर, 02 मई, 2014

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

कम्प्रीहेंसिव आय विवरण

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
माल की बिक्री		**369,456,359**	600,589,940
अन्य आय–नेट	3	**2,372,421**	5,211,006
शुद्ध मुद्रा विनिमय क्षति		**(228)**	(5,876)
व्यय			
- पुनः बिक्री के लिए की गई खरीद		**(368,808,508)**	(596,057,765)
- कर्मचारी क्षतिपूर्ति	4	**(720,191)**	(1,077,129)
- मूल्यह्रास	12	**(18,322)**	(42,697)
- किराया व्यय–पट्टा प्रचालन		**(287,903)**	(286,630)
- बैंक प्रभार		**(103,919)**	(266,571)
- वित्तीय व्यय	5	**(743,134)**	(2,749,157)
- अन्य व्यय	6	**(1,143,391)**	(2,815,425)
कुल व्यय		**(371,825,368)**	(603,295,374)
आयकर पूर्व लाभ		**3,184**	2,499,696
आयकर क्रेडिट / (व्यय)	7	**61,750**	(388,905)
कर पश्चात लाभ तथा कुल विस्तृत आय		**64,934**	2,110,791

संलग्न टिप्पणियॉं इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

तुलन पत्र

31 मार्च, 2014 को

	टिप्पणी	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
परिसंपत्तियां			
चालू परिसंपत्तियां			
नकद एवं बैंक जमा	8	**15,351,812**	16,361,538
व्यापारिक एवं अन्य प्राप्य	9	**16,704,224**	16,969,566
अन्य चालू परिसंपत्तियां	10	**148,642**	250,323
इन्वेंट्रीज		**5,478**	5,478
		32,210,156	33,586,905
नॉन करेंट परिसंपत्तियाँ			
सहायक कंपनी में निवेश	11	**-**	-
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण	12	**2,357**	20,679
		2,357	20,679
कुल परिसंपत्तियां		**32,212,513**	33,607,584
देयताएं			
चालू देयताएं			
व्यापारिक एवं अन्य देयताएं	13	**8,559,821**	6,165,694
ऋण	14	**8,097,055**	11,642,884
चालू आयकर देयताएं	7	**41,974**	350,277
कुल देयताएं		**16,698,850**	18,158,855
निवल परिसंपत्तियां		**15,513,663**	15,448,729
इक्विटी			
शेयर पूंजी	16	**1,000,000**	1,000,000
रिटेंड लाभ		**14,513,663**	14,448,729
कुल शेयरधारक इक्विटी		**15,513,663**	15,448,729

संलग्न टिप्पणियॉ इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	शेयर पूंजी अमेरिकी डालर	रिटेंड लाभ अमेरिकी डालर	योग अमेरिकी डालर
2014				
वित्तीय वर्ष के आरंभ में		1,000,000	14,448,729	15,448,729
कुल कम्प्रीहेंसिव आय		-	64,934	64,934
वित्त वर्ष के अंत में		**1,000,000**	**14,513,663**	**15,513,663**
2013				
वित्तीय वर्ष के आरंभ में		1,000,000	14,212,636	15,212,636
कुल कम्प्रीहेंसिव आय		-	2,110,791	2,110,791
लाभांश	17	-	(1,874,698)	(1,874,698)
वित्त वर्ष के अंत में		**1,000,000**	**14,448,729**	**15,448,729**

संलग्न टिप्पणियॉं इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

	टिप्पणी	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
कर पश्चात लाभ		**64,934**	2,110,791
के लिए समायोजन			
आय कर(क्रेडिट)/व्यय		**(61,750)**	388,905
मूल्यहरास		**18,322**	42,697
ब्याज आय		**(323,339)**	(399,421)
ब्याज व्यय		**743,134**	2,749,157
		441,301	4,892,129
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन			
व्यापारिक एवं अन्य प्राप्य		**206,067**	15,313,763
अन्य चालू परिसंपत्तियां		**101,681**	(112,557)
व्यापारिक एवं अन्य देय		**4,268,825**	(21,396,824)
प्रचालन कार्यकलापों से प्राप्त/(प्रयोग		**5,017,874**	(1,303,489)
किया गयां) शुद्ध रोकड़		**(246,553)**	(264,342)
प्रदत्त आयकर प्रचालन कार्यकलापों के द्वारा/(प्रयोग किया गया) शुद्ध रोकड़		**4,771,321**	(1,567,831)
निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद		**-**	(6,770)
प्राप्त ब्याज		**382,614**	307,888
निवेश कार्यकलापों से उपलब्ध कराया गया शुद्ध रोकड़		**382,614**	301,118
वित्तीय कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह			
प्रदत्त लाभांश		**(1,874,698)**	(3,031,751)
प्रदत्त ब्याज		**(743,134)**	(2,749,157)
उधार से आमद		**8,097,055**	11,642,884
उधार की अदायगी		**(11,642,884)**	(5,444,217)
वित्तीय कार्यकलापों में उपलब्ध कराया गया/(प्रयोग किया गया) शुद्ध रोकड		**(6,163,661)**	417,759
रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष में शुद्ध कमी		**(1,009,726)**	(848,954)
वित्त वर्ष के आरंभ में रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष		**16,361,538**	17,210,492
वित्त वर्ष के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष	8	**15,351,812**	16,361,538

संलग्न टिप्पणियॉ इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

ये टिप्पणियॉं वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं तथा इन्हें संबंधित वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाए।

1. सामान्य सूचना

कंपनी सिंगापुर में निगमित तथा स्थापित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः– 20, सेसिल स्ट्रीटः 14 – 02/03/04, इक्विटी प्लाजा, सिंगापुर – 049705. कंपनी मुख्यतः खनिजों, धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोल गोल्ड एवं हाइड्रोकार्बन उत्पादों, आभूषण तथा अन्य कमोडिटीज का व्यापार करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

2.1 लेखे तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों ("एफआरएस") के अनुरूप तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के अंतर्गत तैयार किया गया है सिवाय ऐसे मामलों के जिनका नीचे लेखा नीतियों में उल्लेख किया गया है।

एफआरएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंध–तंत्र को कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में अपना निर्णय लेना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष लेखानुमानों तथा अवधारणाओं का प्रयोग भी करना होता है। प्रबंधतंत्र ने मूल्यांकन किया है कि ऐसे किसी अनुमान अथवा निर्णय का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं की राशियों के समायोजन के कारण कोई महत्वपूर्ण जोखिम हो।

वर्ष 2013 में लागू प्रकाशित मानकों की व्याख्या व संशोधन

1 अप्रैल 2013 को कंपनी ने नया अथवा संशोधित एफआरएस अपनाया है तथा एफआरएस ("आईएनटी एफआरएस") की व्याख्या के अनुसार इन्हें उसी दिनांक से लागू करना अनिवार्य है। कंपनी की लेखा नीतियों में यथानुसार परिवर्तन किये गये हैं जो संबंधित एफआरएस तथा आईएनटीएफआरएस प्रावधानों के अनुरूप हैं।

इन नए अथवा संशोधित एफआरएस और आईएनटी एफआरएस को अपनाने से कंपनी की लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है और वर्तमान अथवा पूर्व वित्त वर्षों में रिपोर्ट की गई राशियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए हैं क्योंकि यह कंपनी, भारत में निगमित एमएमटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो सार्वजनिक उपयोग हेतु समेकित वित्तीय विवरण तैयार करती है। एमएमटीसी लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय का पता निम्नवत हैः– कोर – 1, स्कोप काम्प्लेक्स, 7, इस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली भारत–110003

सहायक कम्पनी के लेखों का आधार नोट 2.7 में दिया गया है।

2.2 राजस्व पहचान

सामान्यतः निगम के कार्यकलापों में माल की बिक्री से प्राप्त अथवा प्राप्त होने योग्य प्रतिफल का उचित मूल्य राजस्व में शामिल है। राजस्व को माल व सेवा कर, छूट व डिस्कांउट को घटाकर दर्शाया जाता है।

राजस्व की पहचान निम्नलिखित रूप से की गई हैः

क) माल की बिक्री

माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व की पहचान शिपमैंट शर्तों के अनुरूप उत्पादों की डिलीवरी करने के बाद की जाती है।

ख) ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए की जाती है।

2.3 मुद्रा परिवर्तन

इन वित्तीय विवरणों को यूएस डॉलर में प्रस्तुत किया गया है जो कि कंपनी के लेन देन की मुद्रा है।

युनाइटेड स्टेट्स डालर ("विदेशी मुद्रा") के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा में किए गए लेन–देन को लेन–देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करते हुए यूएस डालर में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार के लेन–देन के निपटान के लिए मुद्रा परिवर्तन के परिणामस्वरूप हुए अंतर को तथा विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को तुलन पत्र की तिथि को बंद हुई दर के अनुसार परिवर्तित करते हुए लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है।

2.4 बैंक शेष

व्यापार तथा अन्य प्राप्य

जमा

बैंक शेष तथा व्यापार व अन्य प्राप्यों और जमा की पहचान आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर की जाती है तथा इसके बाद प्रभावी ब्याज प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए उक्त की पहचान अमोर्टाइज्ड लागत में से यदि कोई संचित हानि हो तो उसे घटाकर की जाती है।

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को यह निर्धारण करती है कि

क्या इन वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई कमी का कोई उपयुक्त प्रमाण है तथा उचित प्रमाण होने की स्थिति में ही इस प्रकार की हानि को मान्यता दी जाती है। देनदारों के बारे में विशेष वित्तीय कठिनाइयां यह होती हैं कि देनदार अपने को दिवालिया घोषित न कर दे तथा भुगतान में डिफाल्ट अथवा अधिक देरी न कर दे। इन सब कारकों को वित्तीय परिसंपत्तियों में हुई हानि के उपयुक्त साक्ष्यों के रूप में माना जाता है।

इन परिसंपत्तियों की कैरिंग राशि में मूल्यहरास का जो तरीका अपनाया जाता है वह है क्षति राशि की गणना कैरिंग राशि तथा भावी रोकड़ प्रवाह के वर्तमान अनुमानित मूल्य की अंतर राशि निकाल कर फिर उसमें से मूल प्रभावी ब्याज दर को डिस्काउंट करके किया जाता है।

इन परिसंपत्तियों को चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है सिवाय उन परिसंपत्तियों के जो तुलन पत्र की तिथि से 12 महीनों के बाद मैच्युर हो रही हैं। इन परिसंपत्तियों को गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया जाता है।

2.5 आयकर

चालू आयकर की पहचान कर प्राधिकरणों को संभावित देय या प्राप्य राशियों के आधार पर की जाती है।

किसी लेन–देन, जो व्यापारिक संयोजन नहीं है तथा जो न तो लेखों को और न ही लेन–देन के समय करयोग्य लाभ व हानि को प्रभावित करता है, में किसी परिसंपत्ति अथवा देयता की आरंभिक पहचान के कारण देय आस्थगित आयकर के अतिरिक्त आस्थगित आयकर की पहचान सभी अस्थायी अंतर की राशियों से की जाती है।

चालू तथा आस्थगित आयकर की पहचान तुलनपत्र की तिथि को अधिनियमित अथवा बाद में अधिनियमित कर कानूनों के अधीन कर दरों पर की जाती है और लाभ व हानि में आय या व्यय के रूप में पहचान की जाती है सिवाय ऐसे व्यापार संयोजन अथवा कारोबार से उत्पन्न कर की सीमा तक की पहचान सीधे इक्विटी में की जाती है। व्यापार संयोजन से होने वाले आस्थगित कर का गुडविल अधिग्रहण करने के बावत समयोजित किया जाता है।

2.6 इन्वेंट्रीज

इंवेंट्रीज, जिसमें रीसेल के लिए रखा माल शामिल होता है, को न्यून लागत तथा नेट प्राप्त होने योग्य मूल्य पर दर्शाया जाता है। लागत का निर्धारण विशिष्ट पहचान विधि के अनुसार किया जाता है। नेट वसूली योग्य मूल्य वह अनुमानित बिक्री मूल्य होता है जिसे सामान्यतः बिजनेस के दौरान माना जाता है तथा इस अनुमानित बिक्री मूल्य में से परिवर्तनीय बिक्री खर्चों को घटाया जाता है।

2.7 सहायक कंपनी में निवेश

सहायक कंपनियां ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी वित्तीय एवं प्रचालन नीतियों का संचालन करने की शक्ति मूल कंपनी के पास होती है जिससे गतिविधियों से प्राप्त लाभ मिले तथा सहायक कंपनी की शेयरहोल्डिंग में मूल कंपनी के पास सामान्यतः आधे से ज्यादा का वोटिंग अधिकार होते हैं। अंतःनिहित वोटिंग अधिकारों की शक्ति एवं प्रभाव वे होते हैं जिनका वर्तमान में प्रयोग किया जा सके अथवा जो कन्वर्टिबल हो जिनका मूल्यांकन इस उद्देश्य से किया जाता है कि क्या कंपनी का किसी अन्य संस्था पर नियंत्रण है।

सहायक कम्पनी में निवेश को लागत में से संचित मूल्यहरास को घटाकर कम्पनी के तुलन पत्र में दर्शाया जाता है। यदि हानि होने के संकेत हों तो निवेश की कैरिंग राशि का मूल्यांकन करके तुरंत इसे वसूली योग्य राशि में दर्ज कर दिया जाता है।

जब किसी निवेश का निपटान किया जाता है तो निपटान से प्राप्त निवल निपटान राशि तथा निवेश की कैरिंग राशि में अंतर को लाभ व हानि में ले लिया जाता है।

2.8 संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण की आरंभिक पहचान लागत के आधार पर की जाती है तथा इसके बाद कैरिंग कॉस्ट तथा संचित मूल्यहरास व संचित हानि को घटाकर की जाती है।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण से संबंधित बाद के खर्च जिसकी पहले ही पहचान कर ली गई है को परिसंपत्ति की कैरिंग राशि में केवल तब ही जोड़ा जाता है जब यह संभावना हो कि आइटम से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा आइटम की लागत की गणना विश्वसनीय तौर पर की जाती है।

संपत्ति, प्लाट तथा उपकरण के मूल्यहरास की गणना स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर की जाती है ताकि संपत्ति, प्लांट व उपकरण की लागत को उसके उपयोग के संभावित 3 वर्षों के अंदर राइट आफ किया जा सके।

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण के शेष मूल्य तथा उपयोग अवधि तरीके के अनुसार उपयुक्त समायोजन द्वारा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को की जाती है। जब परिवर्तन आता है तो किसी संशोधन के प्रभाव को लाभ अथवा हानि में पहचान की जाती है।

संपत्ति, प्लांट व उपकरण के आइटम की बिक्री करने पर नेट बिक्री राशि तथा आइटम की कैरिंग राशि की अंतर राशि को लाभ अथवा हानि में दर्शाया जाता है।

2.9 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों में हानि

संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण और सहायक कंपनियों में निवेश में हानि की समीक्षा उस स्थिति में की जाती है जब कभी ऐसा कोई संकेत हो कि इन परिसंपत्तियों में हानि हो सकती है।

यदि परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि इसकी कैरिंग राशि से कम आंकी जाती है तो परिसंपत्ति की कैरिंग राशि को घटाकर इसकी वसूली योग्य राशि तक लाया जाता है। कैरिंग राशि तथा प्राप्ति योग्य राशि के दौरान अंतर को लाभ अथवा हानि में क्षतिगत हानि के रूप में पहचाना जाता है।

किसी परिसंपत्ति की क्षतिगत हानि को केवल उस स्थिति में रिवर्स किया जाता है यदि पिछले समय निर्धारित की गई हानि के समय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए आकलन में परिवर्तन किया गया हो । परिसंपत्ति की कैरिंग राशि को इसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ाया जाता है बशर्ते कि यह राशि कैरिंग राशि से अधिक न हो। यदि गत वर्षों में परिसंपत्तियों में किसी हानि का निर्धारण नहीं किया गया है उस स्थिति में कैरिंग राशि का (संचित मूल्यहरास को घटाकर) निर्धारण किया जाता है। परिसंपत्ति में हुई क्षतिगत हानि के रिर्वसल की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है।

2.10 व्यापार तथा अन्य देय

व्यापार तथा अन्य देयों की प्रारंभिक गणना उचित मूल्य पर की जाती है तथा इसके बाद प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए अमोर्टाइज्ड लागत पर गणना की जाती है।

2.11 प्रचालन पट्टा भुगतान

प्रचालन पट्टे (पट्टाकर्ता से प्राप्त प्रोत्साहन का समायोजन कर) के अंतर्गत जो भुगतान किया जाता है उसे स्ट्रेट–लाइन के आधार पर पट्टे की अवधि तक लाभ अथवा हानि में लिया जाता है।

2.12 कर्मचारी मुआवजा

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी के अंशदान को उनके देय होने पर कर्मचारी मुआवजा खर्च के रूप में दर्शाया जाता है जब तक परिसंपत्ति के रूप में उनका पूंजीकरण नहीं किया जा सकता।

(ख) कर्मचारी छुट्टी पात्रता

कर्मचारी की वार्षिक छुट्टी की पात्रता की पहचान कार्मिकों द्वारा इसे अर्जित कर लेने पर की जाती है। तुलन–पत्र की तारीख को कार्मिक द्वारा की गई सेवा के परिणामस्वरूप जो वार्षिक छुट्टी अर्जित की जाती है उसके लिए अनुमानित देयता का प्रावधान किया जाता है।

2.13 रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में बैंक तथा कंपनी के पास उपलब्ध रोकड़, वित्तीय संस्थानों के पास सावधि जमा तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। तुलन पत्र में बैंक ओवरड्राफ्ट को चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है।

2.14 उधार लागत :

उधार लागत की पहचान प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

2.15 वित्तीय परिसंपत्तियों व देयताओं का उचित मूल्य अनुमान:

परिशोधित लागत पर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य उनके कैरिंग राशि के लगभग होता है।

2.16 उधार

उधार की पहचान प्रारंभ में उचित मूल्य(लेन–देन लागत समायोजन के बाद) पर की जाती है और बाद में परिशोधित लागत पर की जाती है। यदि लेनदेन से प्राप्त राशि (लेनदेन लागत का समायोजन करके) तथा उनके रिडेमप्शन मूल्य में कोई अंतर रहता है तो इस उधार अवधि के लिए प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग करते हुए उसे लाभ व हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

2.17 लाभांश

कंपनी के शेयरहोल्डर को दिए जाने वाले लाभांश की पहचान उस समय की जाती है जब लाभांश को भुगतान के लिए अनुमोदित किया जाता है

3. अन्य आय–निवल

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
ब्याज आय		
- अल्प अवधि बैंक जमा	**323,339**	399,421
- ग्राहक	**849,934**	2,502,946
	1,173,273	2,902,367
विविध आय	**96,288**	77,732
डेमरेज, डिस्पैच एवं अपर्याप्तता	**1,102,860**	2,230,907
	2,372,421	5,211,006

4. कार्मिक मुआवजा

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
वेतन तथा भत्ते	**505,383**	839,904
परिभाषित अंशदायी योजनाएं जैसे केन्द्रीय भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	**62,224**	72,219
अन्य लाभ	**152,584**	165,006
	720,191	1,077,129

अन्य लाभों में कर्मचारियों को प्रदान किये गये आवासीय परिसर के लिए किराया व्यय राशि शामिल है, जिसकी राशि यूएस डालर 103,960 (2013 यूएस डॉलर 102314) है।

5. वित्त व्यय

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
ब्याज व्यय		
- ट्रस्ट प्राप्तियां तथा बीजक वित्त प्रबंध	**46,713**	171,386
- डिस्काउंट किये गये बिल	**696,421**	2,577,771
	743,134	2,749,157

6. अन्य आय

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
डेमरेज, डिस्पैच एवं अपर्याप्तता	**972,864**	2,491,891
अन्य व्यय	**170,527**	323,534
	1,143,391	2,815,425

7. आयकर

(क) आयकर व्यय

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
लाभ पर देय कर व्यय का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:		
वर्तमान आयकर	**17,923**	238,907
पूर्व वित्तीय वर्षों में किए गए कम/(अधिक) प्रावधान		
चालू आयकर	**(79,673)**	149,998
	(61,750)	388,905

दिनांक 1 अप्रैल 2000 से कम्पनी को ग्लोबल ट्रेडर प्रोग्राम ("जीटीपी") का गौरव (स्टेट्स) प्राप्त था जिसे आगे 1 अप्रैल 2010 से बढ़ाकर 31 मार्च 2015 तक नवीकरण कर दिया गया। जीटीपी स्टेट्स से प्राप्त आय पर 10% की रियायत दर से कर लगाया जाता है। इसके अंतर्गत न आने वाली आय पर 17% (2013:17%) की मानक दर पर कर लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष के लाभ पर आयकर व्यय, कर–पूर्व लाभ पर सिंगापुर स्टेंडर्ड आयकर की दर से निर्धारित आयकर से भिन्न रहता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
आयकर पूर्व लाभ	**3,184**	2,499,696
17% की दर से निर्धारित किया गया कर (2013:17%)	**541**	424,948
उसका प्रभाव		
सिंगापुर कानून से आय छूट में वृद्धि	**(20,489)**	(20,874)
निम्न कर दर के अधीन आय	**24,677**	(146,948)
कर के लिए न घटाने योग्य व्यय	**33,182**	17,622
कर मुक्त आय	**(19,988)**	(35,841)
	17,923	238,907

(ख) चालू आयकर देयताओं में उतार चढ़ाव

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
वित्तीय वर्ष के आरंभ में	**350,277**	225,714
प्रदत्त आयकर	**(246,553)**	(264,342)
चालू वित्तीय वर्ष के लिए लाभ पर देय कर	**17,923**	238,907
पूर्व वित्तीय वर्षों में किए गए कम/(अधिक) प्रावधान	**(79,673)**	149,998
वित्त वर्ष के अंत में	**41,974**	350,277

8. रोकड़ एवं बैंक जमा

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
रोकड़ और बैंक शेष	**324,812**	204,584
बैंकों में सावधि जमा	**15,027,000**	16,156,954
	15,351,812	16,361,538

रोकड़ एवं बैंक जमा निम्नलिखित मुद्रा में वर्गीकृत किये जाते हैं:

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	**15,305,122**	16,339,441
सिंगापुर डालर	**46,690**	22,097
	15,351,812	16,361,538

तुलनपत्र की तिथि को सावधि जमा पर ब्याज दर 1.36% से 2.35% (2013: 0.35% से 3.20%) वार्षिक है जिनकी मैच्युर्टी तारीखें 1.0 महीने से 10.9 महीने (2013: 0.5 महीने से 12 महीने) है।

9. व्यापार एवं अन्य प्राप्य

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
व्यापारिक प्राप्य		
- थर्ड पार्टी	**8,258,880**	703,605
- होल्डिंग कारपोरेशन (नोट 15)	**8,303,033**	16,061,667
प्राप्य ब्याज	**135,911**	195,186
अन्य प्राप्य	**6,400**	9,108
	16,704,224	16,969,566

व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यांकन किया गया है :

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	**16,697,824**	16,960,458
सिंगापुर डालर	**6,400**	9,108
	16,704,224	16,969,566

10. अन्य चालू परिसंपत्तियां

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
जमा	**99,406**	100,000
पूर्व भुगतान	**49,236**	150,323
	148,642	250,323

जमाओं का मूल्यांकन मुख्यतः सिंगापुर डालर में किया जाता है।

11. सहायक कंपनी में निवेश

	2014 US$	2013 US$
उद्धृत न किये गये इक्विटी शेयर, लागत पर	**7,632**	7,632
घटाएँ: मूल्य में कमी के लिए अनुमति	**(7,632)**	(7,632)
	-	-

सहायक कंपनी का ब्यौरा इस प्रकार है :

सहायक कंपनी का नाम	प्रमुख कार्यकलाप	कंपनी के निगमन तथा व्यापार का देश	शेयरधारिता	
			2014 %	2013 %
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल (मास्को) पीटीई लि.	निष्क्रिय	रूस	**100**	100

12. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

	लीजहोल्ड सुधार अमेरिकी डालर	फर्नीचर तथा फिटिंग्स अमेरिकी डालर	कम्प्यूटर उपकरण अमेरिकी डालर	कार्यालय उपकरण अमेरिकी डालर	कुल अमेरिकी डालर
2014					
लागत					
वित्त वर्ष के आरंभ में	71,910	40,537	45,534	21,503	179,484
परिवर्धन	-	-	-	-	-
वित्त वर्ष के अंत में	71,910	40,537	45,534	21,503	179,484
संचित मूल्यहरास					
वित्त वर्ष के आरंभ में	59,920	39,950	39,455	19,480	158,805
मूल्यहरास प्रभार	11,990	293	4,113	1,926	18,322
वित्त वर्ष के अंत में	71,910	40,243	43,568	21,406	177,127
निवल बुक वैल्यू वित्त वर्ष के अंत में	**-**	**294**	**1,966**	**97**	**2,357**
2013					
लागत					
वित्त वर्ष के आरंभ में	71,910	39,657	39,644	21,503	172,714
परिवर्धन	-	880	5,890	-	6,770
वित्त वर्ष के अंत में	71,910	40,537	45,534	21,503	179,484
संचित मूल्यहरास					
वित्त वर्ष के आरंभ में	35,952	32,781	30,571	16,804	116,108
मूल्यहरास प्रभार	23,968	7,169	8,884	2,676	42,697
वित्त वर्ष के अंत में	59,920	39,950	39,455	19,480	158,805
नेट बुक वैल्यू वित्तीय वर्ष के अंत में	**11,990**	**587**	**6,079**	**2,023**	**20,679**

13. व्यापार एवं अन्य देय

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
व्यापारिक देय		
- थर्ड पार्टी	**506,963**	3,895,986
- होल्डिंग कारपोरेशन	**7,978,353**	156,229
अक्रूड प्रचालन व्यय	**74,505**	238,781
देय लाभांश	**-**	1,874,698
	8,559,821	6,165,694

व्यापार एवं अन्य देय राशियों के लिए निम्नलिखित मुद्राओं में मूल्यांकन किया गया है :–

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
अमेरिकी डालर	**8,431,040**	5,543,185
सिंगापुर डालर	**93,306**	590,076
अन्य	**35,475**	32,433
	8,559,821	6,165,694

14. उधार

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
अल्पावधि ऋण	**8,097,055**	11,642,884

उधार की औसत परिपक्वता तुलन पत्र की तिथि से 15 दिन (2013–21 दिन) है।

तुलन–पत्र की तिथि को उधार की ब्याज दर 1.01% (2013–1.10%) है।

15. इमीडिएट तथा अल्टीमेट होल्डिंग कारपोरेशन

कंपनी की इमीडिएट तथा अल्टीमेट होल्डिंग कारपोरेशन एमएमटीसी लिमिटेड है, जो भारत में निगमित है।

16. शेयर पूँजी

कंपनी की शेयर पूंजी में पूर्णप्रदत्त, 1,461,502 (2013:1,461,502) साधारण शेयर, जिसकी राशि अमेरिकी डालर 1,000,000(2013: अमेरिकी डालर 1,000,000) है।

17. लाभांश

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
विगत वित्तीय वर्ष के लिए शून्य अमेरिकी डालर (2013–1.28 अमेरिकी डालर) लाभांश पर प्रति शेयर दी गई अंतरिम छूट (एक टियर)	**-**	1,874,698
	-	1,874,698

18. वचनबद्धताएं

(क) क्रय व विक्रय वचनबद्धताएं

तुलनपत्र की तिथि को माल के क्रय तथा विक्रय संबंधी संविदाओं के अधीन जिन बकाया वचनबद्धताओं को वित्तीय विवरणों में पहचान नहीं की गई है, उनका विवरण नीचे दिया गया है :

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
क्रय वचनबद्धता	**42,837,963**	12,267,004
विक्रय वचनबद्धता	**43,223,414**	12,270,504

(ख) आपरेटिंग लीज़ वचनबद्धता

कंपनी निरस्त न करने योग्य आपरेटिंग लीज़ करार के अंतर्गत आवासीय एवं कार्यालय परिसर लीज पर लेती है। लीज में भिन्न–भिन्न शर्तें एवं नवीकरण के अधिकार होते हैं।

तुलन पत्र की तिथि को निरस्त न करने योग्य प्रचालन लीज के अंतर्गत भविष्य का न्यूनतम लीज भुगतान जिसे देयता नहीं माना गया है, निम्नलिखित रूप से होगा :–

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
एक वर्ष तक	**85,002**	391,769
एक वर्ष से ऊपर परंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं	**-**	85,081
	85,002	476,850

19. संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

वित्तीय विवरणों में अन्यत्र दी गई सूचना के अतिरिक्त कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान सहमत शर्तों पर निम्नलिखित संबंधित पार्टियों से लेन–देन किए गए :–

(क) माल एवं सेवाओं की बिक्री एवं खरीद

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
होल्डिंग कारपोरेशन को बिक्री	**202,947,867**	373,522,408
होल्डिंग कारपोरेशन से खरीद	**59,930,424**	24,390,774

(ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक मुआवजे निम्नानुसार हैं :

	2014 अमेरिकी डालर	2013 अमेरिकी डालर
वेतन एवं अन्य अल्पावधि कर्मचारी लाभ नियुक्ति के बाद लाभ	**281,477**	356,843
परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान	**6,643**	9,923
	288,120	366,766

दर्शाई गई उपरोक्त राशि वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों को भुगतान की गई राशि है।

20. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी के कार्यकलापों को बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा मूल्य जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम तथा लिक्विडिटी जोखिम का खतरा बना रहता है। कंपनी का कुल जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम वित्तीय बाजार की अनिश्चितता पर केन्द्रित रहता है ताकि कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत नीतियों के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन को कार्यान्वित किया जाता है। निदेशक मंडल और होल्डिंग निगम संपूर्ण जोखिम प्रबंधन के साथ–साथ विशिष्ट क्षेत्रों की नीतियों के बारे में भी दिशानिर्देश देते हैं।

(क) बाजार जोखिम

(i) *विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम*

कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम से किसी प्रकार का खतरा नहीं है क्योंकि मुख्य व्यापारिक लेन–देन विदेशी मुद्रा में नहीं किया जाता है।

(ii) *ब्याज दर जोखिम*

ब्याज दर जोखिम मुख्य रूप से आयात व निर्यात के वित्त पोषण के अंतर्गत लघुकालीन ऋणों के संबंध में होता है। कंपनी बाजार ब्याज दरों को ध्यानपूर्वक मॉनीटर करती है ताकि अनुकूल ब्याज अर्जन सुनिश्चित किया जा सके। तुलनपत्र की तिथि को कंपनी को ब्याज दर जोखिम न्यूनतम है।

(iii) *मूल्य जोखिम*

कंपनी का वस्तु मूल्य जोखिम नगण्य है क्योंकि इसके पास कोई महत्वपूर्ण वस्तु वित्तीय दस्तावेज नहीं है।

(ख) उधार जोखिम

बैंक जमा राशियां न ही पूर्व से देय हैं और न ही उनमें कमी आई है बल्कि मुख्यत: ऐसी जमा राशियां हैं जो बैंकों के पास हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स उच्चतर होती हैं क्योंकि इसका निर्धारण इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

कंपनी का उधार जोखिम पर होल्डिंग कारपोरेशन से बकाया राशि को छोड़कर जिसका कंपनी के साथ वसूली का निरंतर अच्छा रिकार्ड रहा है और इसके अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण बल नहीं रहता है। कंपनी की नीतियॉं इस प्रकार की हैं कि वे ये सुनिश्चित करें कि माल की बिक्री उन ग्राहकों को ही की जाये जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों तथा उनका उपयुक्त क्रेडिट इतिहास हो। तुलनपत्र की तारीख को ऐसी कोई संपत्तियां नहीं हैं जो पूर्व से देय हों अथवा उनमें कोई क्षति हुई हो।

(ग) द्रव्यता जोखिम

कंपनी नकदी तथा उपलब्ध फंडिंग के द्वारा द्रव्यता जोखिम का प्रबंध करती हैं जिसके लिए पर्याप्त धन राशि क्रेडिट सुविधा के लिए रखी जाती है जो परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती है।

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य देय एवं उधार और उनकी संविदात्मक परिपक्वताएं एक वर्ष से कम हैं।

घ) पूंजीगत जोखिम

पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी के पास उसकी पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त इक्विटी कैश एवं ऋण दस्तावेज जारी करके अधिकतम कैपिटल स्ट्रक्चर कायम रखा जा सके।

जैसाकि तुलनपत्र में दर्शाया गया है कंपनी शेयरहोल्डर की कुल इक्विटी के आधार पर पूंजी को मानीटर करती है।

कंपनी को किसी प्रकार की बाहरी पूंजी की आवश्यकता नहीं है।

21. नए अथवा संशोधित लेखा मानक और व्याख्या

दिनांक 1 अप्रैल 2014 से आरंभ कंपनी की लेखा अवधि के लिए कंपनी ने अनिवार्य नए लेखा मानकों, संशोधनों व व्याख्याओं को प्रकाशित किया है। कंपनी के अनुमान के अनुसार इन लेखा मानकों, संशोधनों अथवा व्याख्याओं को अपनाने से कंपनी के वित्तीय परिणाम विवरणों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22. वित्तीय विवरणों का अथोराइजेशन

दिनांक 02 मई 2014 को एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

51 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2013-14

एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएमटीसी सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए **एमएमटीसी लिमिटेड** (कंपनी) इसकी सहायक तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित पहचान की कंपनियों (कंपनी इसकी सहायक कंपनियां एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित जोकि एक ग्रुप के रूप में गठित है) के समेकित तुलन–पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित लाभ व हानि लेखे एवं समेकित नगदी प्रवाह विवरण की तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूचना का सारांश देते हुए लेखा परीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

प्रबंधतंत्र इन समेकित वित्तीय विवरणों को जो कि ग्रुप के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित नगदी प्रवाह जोकि लेखा मानकों तथा भारत में सामन्यतः स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार सही सही तथा वास्तविक स्थिति दर्शाते हैं, तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रबंधतंत्र के इस दायित्व में समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व पाए गए डिजाइन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए आंतरिक नियंत्रण को लागू करना तथा बनाए रखना जो कि वित्तीय विवरणों को सही व वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हुए कपटपूर्ण अथवा गलती से दी गई किसी भी आवांछित सामग्री से दूर रखना शामिल है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व है कि हम अपने द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करें। हमने अपना आडिट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक के अनुसार किया है। इन मानकों की यह आवश्यकता है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए योजना बनाकर आडिट का काम पूरा करें जिससे कि हम वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार के असंगत विवरण का न होने का यथोचित आश्वासन दे सकें।

आडिट की मुख्य भूमिका वित्तीय विवरणों में राशि तथा डिस्क्लोजर के बारे में आडिट साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना है। अपनाई गई प्रक्रियाओं का चयन आडिटरों के विवेक से जिसमें कपटपूर्वक अथवा गलती से वित्तीय विवरणों में मैटीरियल मिसस्टेटमेंट के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है, के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के जोखिमों के मूल्यांकन में आडिट कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार कर उसे सही सही प्रस्तुत करने के लिए बनाए गए आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखकर, परिस्थिति अनुसार आडिट प्रक्रिया को डिजाइन करते हैं जिसमें आडिटरों का उद्देश्य कंपनी के आंतरिक नियंत्रण के प्रभावशाली होने पर मत देना बिल्कुल नहीं होता। आडिट का उद्देश्य प्रयोग की गई आडिट नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा बनाए गए अकाउंटिंग आंकलन की सार्थकता का मूल्यांकन करते हुए वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का समग्र मूल्यांकन होता है।

सहायक कंपनी जिसके वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च 2014 को 1936.18 मिलियन भारतीय रूपये तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 22479.37 मिलियन भारतीय रूपये के कुल राजस्व परिलक्षित होते हैं, तथा एसोशिएटस जिनके निवेश की कैरिंग कॉस्ट 3699.43 मिलियन भारतीय रूपये है तथा संयुक्त उपक्रम जिनके वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च 2014 को 3368.27 मिलियन भारतीय रूपये की कुल परिसंपत्तियों में साथ–साथ उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 23450.28 मिलियन भारतीय रूपये परिलक्षित होते हैं तथा इन पर समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है उनके वित्तीय विवरणों की हमने लेखा परीक्षा नहीं की है। इन वित्तिय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है। हमारी राय में इन सहायक कंपनी, एसोशिएटस तथा संयुक्त उपक्रमों के संबंध में शामिल राशियां दूसरे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर ही केवल आधारित हैं।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा लिए गए आडिट साक्ष्य हमारे सीमित आडिट मत के आधार के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं।

सीमित मत का आधार

(ए) लंबे समय से बकाया विभिन्न प्रकार के ऋणों/अग्रिमों/दावों तथा इन ऋणों/अग्रिमों/दावों की वसूली की अनिश्चितता/वसूली न होने के कारण जहां कंपनी ने स्वंय इन ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए 100% प्रावधान किया है वहीं इन ऋणों/अग्रिमों/दावों को बटटे खाते (राईट आफ) में डालने के संबंध में कंपनी ने अपनी नीति का अनुसरण नहीं किया है। तदानुसार इनका प्रभाव आकलन योग्य नही है।

(बी) मुख्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक के पैरा (iv) में जैसा बताया गया है कि अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जिसके अनुवर्ती प्रभाव वर्ष के लेखों पर हो सकते हैं, से संबंधित हमारी जांचः

सीमित मत

हमारे विचार से, हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, समिति मत आधार के अनुच्छेद में उल्लिखित मामले के प्रभाव के अतिरिक्त, तथा सहायक कंपनी, संयुक्त रूप से नियंत्रित पहचान एवं एसोशिएटस के अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा दिए गए वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना के आधार पर उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों में तथा अन्य मैटर पैराग्राफ

में जो नीचे संदर्भित है के तहत आवश्यक तथा अपेक्षित ढंग से सही सूचना दी गई है जो कि भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार है।

(ए) तुलन पत्र के मामले में कंपनी के क्रियाकलाप दिनांक 31 मार्च, 2014 तक हैं :

(बी) लाभ तथा हानि के विवरण के लिए कंपनी को हुआ लाभ उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए है तथा

(सी) नगदी प्रवाह विवरण के लिए उस तिथि के लिए उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का नगदी प्रवाह लिया गया है।

विषय का महत्व

ए नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) द्वारा भुगतान में चूक तथा इसके परिणामस्वरूप एनएसईएल तथा अन्य के विरूद्ध मुम्बई उच्च न्यायालय में विधिक मुकदमा दायर करने के साथ–साथ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) दिल्ली पुलिस में आपराधिक शिकायत, जिसे सीबीआई मुम्बई को अंतरित किया गया है, के कारण निगम ने दिनांक 15 मई, 2014 तक वसूल किए गए 1.96 मिलियन रुपए की राशि को समायोजित करते हुए दिनांक 31 मार्च, 2014 को वसूले जाने योग्य कुल 2106.38 मिलियन रुपए के प्रति 2104.42 मिलियन रुपए (गत वर्ष शून्य) का प्रावधान किया है (टिप्पणी संख्या 17 (iii) देखें।

बी अपने कर्मचारियों को निगम सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। वित वर्ष 2013–14 के लिए कुल 1368.32 मिलियन रुपए बीमाकंक देयता (एक्चूरियल) का प्रावधान किया गया है (नोट संख्या 22 (जी) को देखें)। इस उद्देश्य के लिए निगम के अपने निवेशों को चिहि्नत नहीं किया है तथा कोई कार्पस भी नहीं बनाया है।

सी कई मामलों में विविध देनदारों/वसूले जाने वाले दावे, ऋण व अग्रिम/विविध लेनदारों/अन्य देयताओं की पुष्टि नहीं हो पाई है तथा ऐसी पुष्टि हो जाने पर मिलान/समायोजन, यदि कुछ है तो, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है(कृपया नोट सं. 34 देखें)।

डी पैकेज में दिक्कत के चलते कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में आरएमएस सॉफ्टवेयर सांची आइटमों की सही इन्वेंटरी नहीं बता पा रहा है। सांची इन्वेंटरी का हाथ से लिख कर रिकार्ड भी नहीं रखा गया है।

ई जीआर–1 फार्म की समय सीमा बढाने के मामले/वेवर/बट्टे खाते में डालने हेतु यदि किसी प्रकार की देयता होगी तो उसका प्रावधान नहीं किया गया है (कृपया नोट सं. 20 का संदर्भ लें)

अन्य कानूनी तथा वैधानिक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 227(3) के अनुसार अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

ए हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए हमें जिस प्रकार की भी सूचना तथा स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी वे सभी प्रकार की जानकारी हमें उपलब्ध कराई गई।

बी सीमित मत पैराग्राफ के तत्वों में वर्णित इफैक्टस ऑफ द मैटर को छोडकर हमारे विचार से एवं जहां तक हमारी जांच द्वारा पाया गया है, कंपनी वैधानिक आवश्यकतानुसार सही सही लेखा बहियां रखती है तथा उन शाखाओं से जहां हम नहीं जा पाए पर्याप्त रिटर्न, जो कि लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक है, हमें प्राप्त हुए हैं।

सी इस रिपोर्ट में विश्लेषित बैलेंस शीट, लाभ तथा हानि की स्टेटमैंट तथा कैश–फ्लो स्टेटमैंट बुक आफ अकाउंट्स से मेल खाती हैं।

डी सीमित मत पैराग्राफ के तत्वों में वर्णित इफैक्ट्स ऑफ द मैटर्स को छोडकर हमारे विचार से तुलन पत्र, लाभ तथा हानि का विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण अधिनियम के अनुच्छेद 211(3सी) में उल्लिखित लेखा मानकों के अनुसार हैं।

ई कंपनी मामलों का विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.10.2003 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के अनुरूप कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(जी) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

कृते **जैन कपिला एसोशिएटस**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000287एन)

डी के कपिला
पार्टनर
(सदस्यता सं. 016905)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.05.2014

31-03-2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र

(₹ मिलियन में)

	अनुसूची सं.	31-03-2014 को		31-03-2013 को	
इक्विटी व देयताएं					
शेयर धारकों की निधियां	3				
शेयर पूंजी	3.1	**1,000.00**		1,000.00	
रिजर्व एवं अधिशेष	3.2	**13,501.83**	**1,4501.83**	13,919.90	14,919.90
अल्पसंख्यक हित			**-**		-
गैर चालू देयताएं	4				
दीर्घावधि ऋण	4.1	**929.87**		968.91	
अन्य दीर्घावधि देयताएं	4.2	**166.65**		301.82	
दीर्घावधि प्रावधान	4.3	**1,826.64**	**2,923.16**	1,705.40	2,976.13
चालू देयताएं	5				
अल्प अवधि ऋण	5.1	**4,649.28**		15,825.41	
व्यापारिक देय	5.2	**15,053.22**		24,573.94	
अन्य चालू देयताएं	5.3	**12,177.90**		9,343.28	
अल्प अवधि प्रावधान	5.4	**1,270.97**	**33,151.37**	1,333.95	51,076.58
योग			**50,576.36**		**68,972.61**
परिसंपत्तियां					
गैर चालू परिसंपत्तियां	6				
अचल परिसंपत्तियां	6.1				
मूर्त परिसंपत्तियां	6.1.1	**1,369.69**		1,498.42	
अमूर्त परिसंपत्तियां	6.1.2	**91.28**		140.77	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6.1.3	**1,418.61**		1,257.18	
गैर चालू निवेश	6.2	**3,761.08**		4,579.62	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	6.3	**2,214.07**		1,458.17	
दीर्घावधि ऋण व अग्रिम	6.4	**737.68**		1,100.92	
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	6.5	**18.72**	**9,611.13**	22.08	10,057.16
चालू परिसंपत्तियां	7				
चालू निवेश	7.1	**560.45**		150.87	
इन्वैंट्रीज	7.2	**3,168.36**		9,013.61	
व्यापारिक प्राप्य	7.3	**17,424.86**		19,352.31	
रोकड़ व बैंक शेष	7.4	**6,458.79**		17,055.42	
अल्पावधि ऋण व अग्रिम	7.5	**7,267.72**		11,588.07	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	7.6	**6,085.05**	**40,965.23**	1,755.17	58,915.45
कुल			**50,576.36**		**68,972.61**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं0 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मु.म.प्र.(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)
डी आई एन 02200405

(आनन्द त्रिवेदी)
निदेशक
डीआईएन 01077784

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 1433541

दिनांक : 29.05.2014
स्थान : नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

31-03-2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(₹ मिलियन में)

	अनुसूची सं.	31-03-2014 को समाप्त वर्ष		31-03-2013 को समाप्त वर्ष	
आय					
प्रचालनों से राजस्व	8	**281,422.55**		328,856.15	
अन्य आय	9	**2,399.66**	**283,822.21**	3,337.06	332,193.21
कुल राजस्व			**283,822.21**		332,193.21
व्यय					
उपभोग की गई सामग्री की लागत	10	**1,613.10**		2,677.61	
स्टॉक इन ट्रेड का क्रय	11	**249,552.80**		307,030.16	
तैयार माल, प्रगतिशील कार्य तथा स्टाक इन ट्रेड की इन्वेंट्रीज में परिवर्तन	12	**5,773.45**		242.07	
कार्मिक लाभों पर व्यय	13	**1,996.82**		2,137.50	
वित लागत	14	**859.31**		2,503.17	
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय		**173.22**		165.53	
अन्य व्यय	15	**21,087.65**	**281,056.35**	16,024.79	330,780.83
कुल व्यय			**281,056.35**		330,780.83
विशिष्ट व असाधारण मदें व कर पूर्व लाभ			**2,765.86**		**1,412.38**
विशिष्ट मदें	16		**(10.53)**		127.28
असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ			**2,776.39**		**1,285.10**
असाधारण मदें	17		**2,104.42**		2443.64
कर पूर्व लाभ			**671.97**		**(1,158.54)**
कर व्यय					
- चालू कर					
कराधान के लिए प्रावधान		**753.32**		270.22	
पूर्व वर्षों में		**8.42**		(81.94)	
- आस्थगित कर		**(807.32)**		(739.28)	
संयुक्त उपक्रमों में हित की हिस्सेदारी		**122.46**	**76.88**	17.34	**(533.66)**
एसोशिएटस की हिस्सेदारी से पूर्व वर्ष के लिए लाभ			**595.09**		**(624.88)**
एसोशिएटस से लाभ की हिस्सेदारी से ब्याज					
एसोशिएटस से लाभ की हिस्सेदारी		**(732.84)**		(393.99)	
घटा : गुडविल अमोर्टाइज्ड (एसोशिएटस)		**43.83**	**(776.67)**	87.67	(481.66)
एसोशिएटस की हिस्सेदारी के पश्चात वर्ष के लिए शुद्ध लाभ			**(181.58)**		**(1,106.54)**
1 रुपया मात्र मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर आय		**असाधारण मदों से पूर्व (सकल कर)**	**असाधारण मदों के बाद (सकल कर)**	**असाधारण मदों से पूर्व (सकल कर)**	**असाधारण मदों के बाद (सकल कर)**
मूल (₹ में)		**1.21**	**(0.18)**	**0.54**	**(1.11)**
डाइल्यूटिड (₹ में)		**1.21**	**(0.18)**	**0.54**	**(1.11)**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं0 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मु.म.प्र.(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)
डी आई एन 02200405

(आनन्द त्रिवेदी)
निदेशक
डीआईएन 01077784

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 1433541

दिनांक : 29.05.2014
स्थान : नई दिल्ली

31-03-2014 को समाप्त वर्ष का समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014 को समाप्त वर्ष		31-03-2013 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
कर व असाधरण मदों पूर्व लाभ		**2,776.39**		**1,285.10**
समायोजन के लिए:				
असाधारण मदें	**(2,104.42)**		(2,443.64)	
इंवेंट्रीज के मूल्यांकन पर हानि	**76.53**		7.39	
मूल्यहरास व परिशोधन व्यय	**217.05**		251.69	
निवल विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	**1,042.03**		(194.14)	
मूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(0.71)**		(0.46)	
ब्याज से आय	**(1,448.45)**		(2,954.19)	
लाभांश से आय	**(32.64)**		(12.75)	
वित लागत	**859.31**		2,503.17	
सीडब्ल्यूआईपी के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**-**		-	
बट्टे खाते में डाले गये ऋण/दावे	**10.74**		0.70	
संदिग्ध ऋण/कर्ज व अग्रिमें के लिए प्रावधान	**12.74**		62.53	
संपत्ति के निवेश के मूल्य में हरास	**-**		(1.25)	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं	**(103.45)**		(24.42)	
डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान	**1.19**		1.38	
देयताएं जिनकी अब आवश्यकता नहीं है	**(572.12)**		(150.74)	
		(2,042.20)		(2,954.73)
		734.19		**(1,669.63)**
परिसंपत्तियों व देयताओं में परिवर्तन				
इंवेंट्रीज	**5,768.72**		481.15	
व्यापारिक प्राप्य	**2,010.78**		8,954.84	
ऋण व अग्रिम	**4,410.72**		8,561.29	
अन्य चालू व गैर चालू परिसंपत्तियां	**(4,329.88)**		8,521.59	
व्यापारिक देय	**(10,562.75)**		(8,719.54)	
अन्य देयताएं	**3,271.57**		(8,851.70)	
प्रावधान	**70.46**	**639.62**	118.70	9,066.33
		1,373.81		**7,396.70**
प्रदत्त कर		**(659.38)**		(586.11)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**714.43**		**6,810.59**
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
मूर्त परिसंपत्तियों/अमूर्त परिसंपत्तियों एवं प्रगतिशील कार्य की खरीद	**(210.77)**		(245.89)	
मूर्त परिसंपत्तियों का क्रय	**4.75**		4.26	
निवेशों का क्रय/विक्रय	**(1.42)**		(10.83)	
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम	**(0.13)**		-	
प्राप्त लाभांश	**32.64**		12.75	
प्राप्त ब्याज	**1,448.45**		2,954.19	
समेकन पर गुडविल	**(0.13)**	**1,273.39**	(219.26)	2,495.22
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़ प्रवाह		**1,273.39**		**2,495.22**
ग. वित पोषण गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह				
लिये गये उधार	**(11,215.17)**		(18,787.54)	
वित लागत	**(859.31)**		(2,503.17)	
प्रदत्त लाभांश (कर सहित)	**(100.00)**	**(12,174.48)**	(290.56)	(21,581.27)
वित पोषण गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह		**(12,174.48)**		**(21,581.27)**
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		**(10,186.66)**		**(12,275.46)**
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य का आरंभिक शेष	**17,205.45**		**29,480.91**	
रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य का अंतिम शेष	**7,018.79**		**17,205.45**	

टिप्पणी:

1. जहां भी आवश्यक समझा गया, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है।
2. शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर कुल अर्जित/आस्थगित राशि के लिए समायोजन कारपोरेट कार्यालय में किया गया।
3. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में बैंकों के पास रोकड़ एवं बैंक शेष तथा तीन माह से कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पावधि निवेश शामिल हैं।

	की समाप्ति पर	
	2013-14	**2012-13**
क. रोकड़ व रोकड़ समतुल्य		
(क) उपलब्ध चैक व ड्राफट	**0.80**	563.73
(ख) उपलब्ध रोकड़	**0.11**	0.07
(ग) बैंकों में उपलब्ध शेष		
– चालू खाते में	**73.04**	247.14
– कैश क्रेडिट खाते में (डेबिट शेष)	**18.55**	427.53
– 3 माह तक की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**3,202.82**	2,838.40
– 3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पावधि निवेश	**560.00**	150.03
ख. अन्य : बैंकों के पास अन्य शेष		
– मार्जिन राशि के रूप में/लीयन के अंतर्गत	**3.00**	3.00
– 3 माह से अधिक एवं 12 माह तक की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**2,348.14**	11,409.42
– 12 माह से अधिक अवधि की मूल परिपक्वता वाले आवधिक जमा	**0.13**	1.13
ग. सयुंक्त उपक्रमों में ब्याज की हिस्सेदारी	**812.20**	1,565.00
कुल	**7,018.79**	**17,205.45**

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं0 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मु.म.प्र.(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)
डी आई एन 02200405

(आनन्द त्रिवेदी)
निदेशक
डीआईएन 01077784

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 1433541

दिनांक : 29.05.2014
स्थान : नई दिल्ली

31-03-2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समेकित लेखा नीतियां व टिप्पणियां

ये टिप्पणियां इसका अभिन्न अंग है और संलग्न वित्तीय विवरणों के साथ पठित होनी चाहिए।

1. सामान्य सूचना

कंपनी भारत में निगमित व स्थित है और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कोर–1, स्कोप काम्पलैक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 भारत में स्थित है। कंपनी के भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित 11 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर में है।

कंपनी की प्रमुख गतिविधियां खनिजों का निर्यात और बहुमूल्य धातुओं, अलौह धातुओं, उर्वरकों, कृषि उत्पादों, कोयला तथा हाईड्रोकार्बन इत्यादि का आयात करना है।

कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व, लेटिन अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका के विभिन्न देशों में है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथाओं के गोईंग कंसर्न के रूप में तथा कम्पनीज (लेखा मानक) नियम 2006 एवं कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।

2.2 क्रय तथा विक्रय

क. विक्रेता/क्रेता के साथ की गई संविदा/करार के निष्पादन अथवा सरकार से प्राप्त आबंटन पत्र पर क्रय तथा विक्रय को बुक किया जाता है।

जहां उक्त संविदा/करार/आबंटन का आंशिक निष्पादन हुआ है तो पूरे किए गए कार्य को क्रय/विक्रय के रूप में बुक किया जाता है।

ख. विशेष मदों के मामले में जिनका आयात निगम द्वारा सरणीकृत है, तथा भारत सरकार द्वारा जारी अनुज्ञप्ति पत्र के प्रति 'सरकारी खाते मे' किए गए उनके आयात को निगम के खातों में क्रय/विक्रय में बुक किया गया है।

ग. डिपोजिट के तहत प्राप्त सोना/चांदी

i. एक नामित एजेंसी के रूप में कंपनी द्वारा संचालित एग्ज़िम नीति की योजना के अनुसार, निर्यातकों को विक्रय के लिए आउटराइट क्रय आधार पर, खेप स्टॉक से लिया गया सोना/चांदी क्रय में सम्मिलित है।

ii. घरेलू बिक्री के लिए सोने की खरीद को लेखों में शामिल करते समय संबंधित मात्रा को डिपोजिट से लिया गया तथा अपूर्तिकर्त्ता के साथ हुए मूल्य निर्धारण पर लिया जाता है। वर्ष के अंत में कंपनी में उपलब्ध सोना/चांदी का डिपोजिट के तहत स्टॉक को चालू परिसंपत्तियों में बिना बिल के क्रय किये गये स्टाक के रूप में लिया जाता है और उपलब्ध देयताओं को बिना बिल के क्रयों के लिए देय राशि के रूप में वर्ष के अंत में बुलियन के चालू मूल्य पर लाया जाता है। यद्यपि डिपोजिट में शेष माल के लिए प्रदत्त सीमा शुल्क को पूर्ण प्रदत्त व्ययों के रूप में दर्शाया जाता है।

iii. डिपोजिट के अंतर्गत सोने/चांदी से ऋण आधार पर निकाले गए स्वर्ण/चांदी को पार्टियों को दिए गए ऋण के रूप में तथा इसे ऋण व अग्रिम खाते में दर्शाया गया है। विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त स्टॉक के लिए समानुरूप देयता को विविध क्रेडिटर्स के अन्तर्गत दर्शाया गया है। ऋण/विदेशी क्रेडिटर्स का समायोजन क्रय तथा विक्रय बुक करने के समय किया जाता है।

iv. रिप्लेनिशमेंट आधार के मामले में मार्जिन राशि अदा करते हुए निर्यातक द्वारा बुक किये गये सोना/चांदी के लिए विदेशी आपूर्तिकारों के साथ मूल्य का निर्धारण करके खरीद बुक की जाती है तथापि निर्यात पूरा हो जाने के बाद माल की वास्तविक डिलीवरी होने पर सेल को बुक किया जाता है।

घ. अधिकार के दस्तावेजों के हस्तांतरण (ट्रांसफर आफ डाक्यूमेंटस आफ टाईटल) अर्थात हाईसीज़ बिक्री द्वारा किए गए आयात के दौरान माल के भारतीय कस्टम सीमा में आने से पहले क्रेता के पक्ष में माल के अधिकार के दस्तावेजों के हस्तांतरण किए जाने पर ही बिक्री को बुक किया गया है।

ड. नेशनल स्पॉट एक्सचेंज, जहां माल की वास्तविक डिलीवरी की जाती है, जैसे कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा किए गए लेन देन के संबंध में क्रय/विक्रय को बुक किया गया है।

च. लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क के निर्यात के संबंध में गंतव्य भार व विश्लेषण परिणामों के आधार पर अंतिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है जहां ऐसे परिणाम प्रतीक्षित हैं, अनंतिम विक्रय मूल्य पर औसतन आधार 1% की दर पर डीडब्ल्यूए जोखिम के लिए प्रावधान किया गया है। एफओबीटी आपूर्ति की स्थिति में, जहां खरीद मूल्य पर डीडब्ल्यूए जोखिम, आपूर्तिकर्ता के खाते में है, विक्रय एवं क्रय मूल्य के बीच के अंतर के लिए 1% की दर से प्रावधान किया गया है।

छ) निपटान के मामले लंबित होने की स्थिति में जैसे अर्जित/डिस्पैच/देय डेमरेज इत्यादि कतिपय व्यय/लाभ/हानि को अनंतिम आधार पर खाते में लिया जाता है।

2.3 राजस्व पहचान

क) राजस्व की पहचान अक्रूअल बेसिस पर की जाती है सिवाय निम्नलिखित मदों के जिनको लेखों में वास्तविक वसूली के आधार पर शामिल किया जाता है। चूंकि, आईसीएआई द्वारा जारी एएस–9 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी मदों की वसूली, अनिश्चित है :

i. टारगेट प्लस योजना, आरईपी/एडवांस लाइसेंस, सर्विस टैक्स रिफंड इत्यादि के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट, ड्यूटी क्रेडिट का अथॉराईजेशन।

ii. निष्पादन के लिए लंबित डिक्रियां/विवादित देय तथा उन पर ब्याज, यदि कोई हो तो,

iii. प्राप्त की जाने वाली विलम्बित राशि पर ब्याज जिसकी प्राप्ति अनिश्चित है।

iv. आपूर्तिकर्ताओं/अंडरराइटर्स पर निर्धारित की गई क्षति/सर्वेक्षण में पाई गई कमी के कारण कस्टम ड्यूटी की वापसी, तथा आयकर/बिक्री–कर/वैट एवम् इन पर ब्याज की वापसी।

ख) बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकृत होने पर बीमा दावों को लेखों में लिया जाता है।

ग) लाभ व हानि लेखों में दावों की पहचान अक्रूअल बेसिस पर की जाती है जिसमें सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में प्राप्त होने वाली ऐसी राशियां, नकद प्रोत्साहन, हानि की प्रतिपूर्ति शामिल हैं जिनके प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है। चिन्हित दावे जो बाद में संदिग्ध हो गए हैं उनके लिए लाभ व हानि खाते में प्रावधान किया गया है।

2.4 पूर्व प्रदत्त व्यय

10,000/– रुपए तक के पूर्व प्रदत्त भुगतान खर्चों को प्रत्येक मामले में राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है। सरकारी विभागों, सांविधिक निगमों, विद्युत बोर्डों तथा स्थानीय निकायों में 5000/– रुपए की जमा राशि को भी राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है।

2.5 अचल परिसंपत्तियाँ

(क) सभी अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर दर्शाया जाता है।

(ख) सरकारी/अर्ध सरकारी प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि में निर्माण/विकास कार्य पर कंपनी द्वारा किये गये खर्च को 'भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियां शीर्ष दिया जाता है और न तो अचल परिसंपत्तियाँ और न ही भूमि कंपनी की है' के शीर्ष में कैपिटलाईज किया जाता है।

2.6 मूल्यह्रास

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दिए गए प्रावधानों के समान अथवा उससे अधिक है। वर्ष के दौरान अधिग्रहीत/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के अधिग्रहण करने से निपटान करने तक के माह तक किया जाता है। पट्टे की भूमि तथा डब्ल्यूआईएस के अंतर्गत रेलवे वैगन रैक्स का चुकाया गया ऋण भी मूल्यह्रास में शामिल है। लकड़ी के पार्टीशन तथा बनाए गए अस्थायी ढांचे खरीदे बनाए जाने के वर्ष से ही पूर्णतया मूल्य–हरासित किये जाते हैं। चल परिसंपत्तियाँ जिनका वर्ष के प्रारंभ में रिटन डाउन वैल्यू अथवा वर्ष के दौरान की गई खरीद प्रत्येक मामले में 20,000/– रुपए अथवा इससे कम है तो 1/– रुपए के नाममात्र मूल्य रखकर 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है। मूल्यह्रास की दरें इस प्रकार हैं:–

परिसंपत्तियों का नाम	निगम द्वारा अपनाई गई मूल्यह्रास की दरें	अनुसूची XIV में दी गई मूल्यह्रास की दरें
क. सामान्य परिसंपत्तियां		
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10%	6.33%
वे ब्रिज	10%	4.75%
टाइपराइटर्स, मशीनें, पंखे तथा कार्यालय उपस्कर एवं एसी	12.5%	4.75%
वाहन	20%	9.50%
कम्प्यूटर्स (साफ्टवेयर सहित)	20%	16.21%
पट्टे की भूमि	लीज़ एग्रीमेंट के अनुसार	
वैगन रैक्स	करार/वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम के अनुसार	
पंखों के अतिरिक्त बिजली का सामान	10%	1.63%
जल आपूर्ति, मलवहन तथा निकासी	10%	1.63%
सड़कें तथा पुलियां	2.5%	1.63%
बिल्डिंग तथा लैट्स	2.5%	1.63%
आवासीय फ्लैट (बने बनाए)	5%	1.63%

भंडारगृह/गोदाम	4%	1.63%
ख. निर्माण इकाइयों की परिसंपत्तियां		
फैक्टरी बिल्डिंग	3.34%	3.34%
विद्युत व्यवस्था	4.75%	4.75%
जलापूर्ति	4.75%	4.75%
प्लांट एवं मशीनरी(सामान्य)		
एकल शिफ्ट	4.75%	4.75%
दो शिफ्ट	7.42%	7.42%
तीन शिफ्ट	10.34%	10.34%
प्लांट एवं मशीनरी–अनवरत प्रक्रिया (विंड मिल सहित)	5.28%	5.28%
(ग) ''भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियाँ और न तो अचल परिसंपत्तियां और न ही भूमि कंपनी की है।	परिसंपत्तियों की उपयोगिता का जीवन काल या 5 वर्ष जो भी कम हो।	
घ. ₹ 20,000/- मूल्य तक की सभी चल संपत्तियां	₹ 20,000/- की या इससे कम लागत वाली प्रत्येक सभी चल परिसं-पत्तियों के लिए **100%**	₹5000/- की या इससे कम लागत वाली प्रत्येक चल संपत्ति के लिए **100%**
ड. मोबाईल हैंडसैटस को इनके क्रय वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित किया जाता है क्योंकि अधिकारियों द्वारा अपने नाम से खरीदे गए मोबाईल हैंडसेटों, जिन्हें निगम को नहीं लौटाया जाता, की कीमत की प्रतिपूर्ति उनकी पात्रता के अनुरूप की जाती है।		
च. पांच वर्ष की अवधि में गुडविल अमोर्टाइज्ड हो जाती है।		

2.7 निवेश

क. दीर्घावधि निवेश का मूल्यांकन, मूल्य में स्थाई मूल्यह्रास के लिए प्रावधान घटाकर लागत पर किया जाता है।

(ख) चालू निवेश का मूल्यांकन निम्नतर लागत व उचित मूल्य पर किया जाता है।

2.8 विदेशी मुद्रा लेन–देन

i. अपरिवर्तनीय भारतीय मुद्रा के मामले में रुपया भुगतान देशों के साथ लेन–देन को विदेशी विनिमय में लेन–देन माना जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों(लम्बित ऋणों अथवा जहाँ वसूली अनिश्चित है को छोड़कर) को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दरों का प्रयोग करते हुए बदला जाता है। सूचित की गई गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि की विनिमय दर पर आकलित किया जाता है। विनिमय के लाभ/हानि के अंतर को लाभ व हानि खाते में दिखाया जाता है।

iii. अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में विदेशी मुद्रा में देयता को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊंटैंटस आफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दर से बदला जाता है। विनिमय के अंतर को परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

iv. फारवर्ड एक्सचेंज संविदा के मामले में प्रीमियम/डिस्काउंट तथा हानि/लाभ की पहचान निम्नलिखित तरीके से की गई है।

क. वर्तमान लेन–देन के विरूद्ध फारवर्ड एक्सचेंज अनुबंध के संबद्ध में, अनुबंध की अवधि के ऊपर प्रीमियम/डिस्काउंट आनुपातिक रूप से माने जाते हैं। विनिमय दर में अंतर की वजह से हानि/लाभ के बीच (i) अंतिम दर अथवा यदि लेन–देन का निपटान वर्ष के दौरान किया गया है तो निपटान की तिथि को की जाती है तथा (ii) फारवर्ड संविदा के आरंभ की तिथि के पश्चात् विनिमय दर पर अथवा अंतिम सूचित तिथि की विनिमय दर को वर्ष के ट्रेडिंग, लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

ख. पक्की वचनबद्धताओं एवं अधिक संभावना वाले पूर्वानुमानित लेन देन से संबंधित फारवर्ड संविदाओं के संबंध में विनिमयातंर के कारण हानि को सूचित अवधि, जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन हुआ है, के व्यापारिक, लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है। उक्त संविदाओं के नवीकरण अथवा निरस्तीकरण के कारण होने वाले किसी लाभ अथवा हानि की पहचान उस अवधि की आय अथवा व्यय के रूप में की जाती है।

v भारत से बाहर सहायक कंपनी में निवेश को अधिग्रहण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

2.9 खण्ड रिपोर्टिंग

प्रमुख खण्डः प्रबंधतंत्र द्वारा निगम के निष्पादन का आकलन करते हुए तथा निम्नलिखित व्यापार खंडों/उत्पाद खंडों के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आबंटन किया जाता है:–

i. बहुमूल्य धातुएं
ii. धातुएं
iii. खनिज

iv. कोयला एवं हाइड्रोकार्बन

v. कृषि उत्पाद

vi. उर्वरक

vii. सामान्य व्यापार/अन्य

उपरोक्त व्यापार खंडों की पहचान निगम के संगठनात्मक ढांचे के साथ–साथ इन खंडों के विभिन्न जोखिमों तथा लाभों को ध्यान में रखते हुए ए एस–17 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुरूप की जाती है।

गौण खंडः– गौण खंडों की पहचान निगम के ग्राहकों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर की जाती है अर्थातः

i. भारत से बाहर

ii. भारत के अंदर (भारत में ग्राहकों को हाई सीज बिक्री शामिल है)

2.10 कर्मचारियों को लाभ

i. ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण/उपयोग करना, सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ तथा दीर्घ सेवा लाभ जैसे सर्विस अवार्ड, अनुकंपा ग्रेच्युटी तथा कर्मचारी लाभ योजना का प्रावधान इंस्टीट्यूटर आफ चार्टर्ड एकाऊंटेंटस द्वारा जारी एएस 15(संशोधित) के अनुसार बीमांकक के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii. भविष्य निधि अंशदान, अक्रूअल बेसिस पर भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा किए जाते हैं।

iii. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर उपदान व नोटिस वेतन का भुगतान वर्ष में खर्च हुए राजस्व में प्रभारित होता है।

2.11 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन

i. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में एक बार किया जाता है और शेष स्टॉक का निर्धारण वर्ष के अंत तक आवश्यक समायोजन के बाद किया जाता है। प्रत्यक्ष सत्यापित स्टॉक को अंतिम शेष के रूप में मान लिया जाता है तथा कमी/अधिकता पर उचित रूप से कार्रवाई की जाती है।

ii. कुछ मामलों में जहॉ स्टॉक हैंडलिंग एजेंट/एसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी/प्राइवेट पार्टियों के पास पड़ा है, उन एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर स्टॉक को मान लिया जाता है

2.12 स्टॉक का मूल्यांकन

मार्गस्थ माल सहित इन्वैंट्रीज का मूल्यांकन 31 मार्च को वसूली योग्य मूल्य अथवा लागत के निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। बैक–टू–बैक लेन–देन के संबंध में, लागत व लाभ मार्जिन के आधार पर निवल वसूली योग्य मूल्य निश्चित होता है। मूल्यांकन की विधि निम्नानुसार है :–

(क) निर्यातः

i) निर्यात स्टॉक का मूल्य–निर्धारण उस स्थान तक जहॉं स्टॉक पड़ा है, किए गए समस्त खर्चों को शामिल करने के बाद किया जाता है। इसी प्रकार वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण बाजार–मूल्य से उन खर्चों को घटाकर किया जाता है, जो खर्च माल को उस स्थान तक पहुॅंचाने में होगा जिस स्थान पर उसे बेचा जाता है।

ii) खनिज अयस्कों के संबंध में निर्यात अनुबंध के अनुसार खनिज अयस्कों का वसूली योग्य मूल्य एफई/एमएन की निम्नतम मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा इसकी तुलना अयस्क के भारित औसत एफई/एमएन मात्रा/भारित औसत नमी मात्रा के भारित औसत मूल्य से की जाती है। लौह अयस्क का भूमिगत स्टॉक इन्वैंट्री में शामिल नहीं है, अतः इसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

(ख) आयात

i) आयातित वस्तुओं के स्टॉक का मूल्य–निर्धारण वार्षिक क्षेत्रीय भारित औसत लागत की गणना करके किया जाता है सिवाय अलौह धातुओं के जहॉं शेष स्टॉक की भारित औसत लागत की गणना जहॉं माल रखा गया है वहॉं तक किए गए सभी व्ययों को शामिल करके किया जाता है तथापि जहां स्टॉक विशेषतया रखने योग्य है वहां तक किये गये सभी व्ययों को शामिल करके माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है।

ii) पुनः पूर्ति विकल्प के तहत निर्यातकों द्वारा बुक किये गये माल के तहत विदेशी आपूर्तिकारों से खरीदा गया सोना/चॉंदी जिसकी सुपुर्दगी वर्ष के अंत तक नहीं की गयी है कंपनी के स्टॉक के रूप में दर्शाये जाते हैं और लागत पर मूल्यांकित किये जाते हैं।

(ग) घरेलू

i) सोने चांदी के मेडालियन तथा चांदी के सामान का मूल्य वार्षिक आधार पर माल की स्थानीय भारित लागत तथा प्रारंभिक स्टॉक की लागत पर तय किया जाता है। लागत में प्रभार, छीजन(वेस्टेज) तथा अन्य प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित है।

ii) तराशे और पॉलिश किये पत्थर (परिष्कृत/अर्धपरिष्कृत) तथा स्वर्णाभूषण के संबंध में जहां स्टॉक विशेषतया पहचान योग्य है उस स्थान तक माल उपलब्ध है के समस्त व्ययों सहित माल की वास्तविक लागत की गणना की जाती है।

iii) पैकिंग सामग्री का मूल्यांकन निम्नतर लागत पर या 31 मार्च को प्राप्ति योग्य मूल्य पर की जाती है।

iv) ऋण/फैब्रीकेशन पर स्टॉकः फेब्रीकेटरों के पास स्टॉक के समायोजन होने तक कंपनी का स्टॉक माना जाता है।

2.13 पूर्व अवधि समायोजन

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–5 (अवधि के लिए शुद्ध लाभ व हानि, पूर्व अवधि मद तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन) के प्रावधानों के अनुसार ''पूर्व अवधि समायोजन खाता'' के अंतर्गत पूर्व वर्ष संबंधी व्यय/आय लेखों में दर्शाए जाते हैं ।

2.14 ऋण लागत

(i) व्यापार के सामान्य व्यवहार में किसी अवधि में किए गए व्ययों को उस अवधि के ऋण लागत व्यय के रूप में जाना जाता है।

(Ii) मान्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण पर आरोपित ऋण लागत को इन परिसंपत्तियों के अभीष्ट प्रयोग के लिए तैयार होने की तिथि तक की लागत के एक भाग के रूप में कैपिटलाईज किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों की पहचान, जिस वर्ष में व्यय किये गए हैं उस वर्ष के व्ययों के रूप में की जाती है।

2.15 आस्थगित कर

आस्थगित कर को युक्ति–युक्त समय अंतराल, कर योग्य आय तथा लेखा आय जो कि एक अवधि में उत्पन्न हुई हो तथा जिनको एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्सल किया जा सके, के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। आस्थगित कर का निर्धारण परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन–पत्र की तिथि से लागू होने वाली कर की दरों और कर–कानूनों के आधार पर किया जाता है।

2.16 परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों के लाने–ले जाने की कैरिंग की लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है तथा इस क्षति की हानि को जिस वर्ष इसके क्षतिग्रस्त होने की पहचान होती है उस वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखा अवधियों में पहचानी गई क्षति की हानि को प्रतिवर्तित (रिवर्स) कर दिया जाता है।

2.17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाॅ

(I) प्रावधान

(क) संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान वहां रखा जाता है जहां राशि की किसी भी अवधि के लिए वसूलीकरण अनिश्चित हो। विगत तीन वर्षों की बकाये के लिए (सरकारी देय राशि को छोड़कर) पूर्ण प्रावधान किया जाता है, जब तक कि यह राशि वसूली योग्य मानी जाती है। यह निश्चित हो जाने पर की वसूली नहीं की जा सकती तब ऋण/अग्रिम/दावे राईट–ऑफ किए जाते हैं।

(ख) अन्य :

(i) प्रावधान तब मान्य है जब

क. कोई पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर कोई वर्तमान बाध्यता हो।

ख. बाध्यताओं के निपटान में संसाधनों का संभावित आउटफ्लो होने की उम्मीद हो।

ग. तथा इस बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आंकलन किया जा सकता हो।

(ii) किसी एक प्रावधान के समायोजन के लिए वांछित व्यय की प्रतिपूर्ति की पहचान संविदा प्रावधान के अनुसार की जाती है अथवा जब यह वास्तव में सुनिश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जायेगी, उस स्थिति में की जाती है।

(iii) प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि पर प्रावधानों की पुनरीक्षा की जाती है।

(ii) आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक परिसंपत्तियां :

(i) आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है परन्तु इन्हें लेखों की टिप्पणियों में दर्शाया जाता हैं। आकस्मिक देयताओं पर यदि कोई ब्याज है तो इसे सामान्यतः अनिश्चित लेखा टिप्पणियों में नही दिखाया जाता है।

(ii) आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान न तो वित्तीय विवरणों में दी जाती है अथवा न ही इन्हें दर्शाया जाता है।

2.18. परियोजना कार्यान्वयन/निर्माण अवधि के दौरान व्ययों की स्थिति

निर्माण के दौरान व्ययों को पूर्व–प्रचालन व्ययों में शामिल किया जाता है तथा निर्माण/प्रस्थापन पूरा हो जाने पर संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों में दिखाया जाता है।

2.19 प्रचालन पट्टे

उन संपत्तियों के पट्टे में जिनमें मालिकाना के जोखिम व लाभ का बड़ा भाग पट्टा करने वाले के पास होता है उन्हें प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालन पट्टों के अधीन किये गये भुगतान को (पट्टा करने वाले से प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निबल) पट्टा अवधि के दौरान सीधी लाइन आधार पर आय विवरण में लिया जाता है।

आकस्मिक किराये को उस वित्त वर्ष के आय विवरण में व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें निरस्तीकरण होता है। जब किसी चालू पट्टे को पट्टा अवधि समाप्त होने से पहले निरस्त किया जाता है, तो यदि पट्टाकर्ता को दंड स्वरूप कोई भुगतान करना वांछित हो तो उसे उस वित्त वर्ष के व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें इसे निरस्त किया जाता है।

2.20 वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये में रिपोर्ट किया जाता है और सभी मूल्यों को यदि अन्यथा न लिया जाये तो भारतीय रुपयों में नजदीकी मिलियन रुपयों तक राउंड किया जाता है।

2.21 समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण एमएमटीसी लिमिटेड, इसकी सहायक कंपनी और कंपनी के हित में संयुक्त उपक्रमों से संबंद्ध संयुक्त रूप से नियंत्रण करने वाले घटकों के रूप में हैं।

(क) प्रमुख कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण पंक्ति दर पंक्ति आधार पर जुडे होते हैं जिनको परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्ययों की बुक वेल्यू को आंतरिक समूह शेषों और आंतरिक समूह लेन–देनों को पूरी तरह से हटाकर शामिल किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय मानक (एएस) 21 ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार लाभ अथवा हानि खाता तैयार किया जाता है।

(ख) नान इंटीग्रल विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के निगमन के लिए वित्तीय विवरणों की व्याख्या हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(i) नान इंटीग्रल विदेशी सहायक कंपनी की मौद्रिक एवं गैर–मौद्रिक दोनों प्रकार की परिसंपतियों एवं देयताओं को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस–11 में विनिर्दिष्ट अंतिम दरों का प्रयोग करते हुए बदला जाता है।

(ii) नान इंटीग्रल विदेशी सहायक कंपनी के आय व व्यय मदों की व्याख्या औसत विनिमय दर पर की जाती है।

(iii) परिणामस्वरूप सभी विनिमय शेषों का परिवर्तित विदेशी मुद्रा को रिजर्व में तब तक रखा जाता है जब निवल निवेश का निपटान नहीं हो जाता।

ग) जहां कंपनी के पास सीधे या सहायक कंपनी के माध्यम से 20 प्रतिशत से अधिक इक्विटी होती है वहां इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (लेखा मानकों) 23 ''एकाउंटिंग फार इनवेस्टमेंट इन एसोशिएट इन कन्सोलिडेटिड फाइनेंशियल स्टेटमेंट'' में निर्धारित लेखों के ''इक्विटी मैथड'' का उपयोग करने के लिए शामिल किया जाता है।

घ) कंपनी अपने तथा एसोशिएट के बीच हिस्सेदारी की सीमा तक गैर वसूली लाभ व हानि को घटाने के बाद एसोशिएट की निवल परिसंपत्ति में परिवर्तन को लेखों में शामिल किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर एसोशिएट के लाभ व हानि खाते में शामिल करने योग्य परिवर्तन की सीमा तक लाभ व हानि खाते के माध्यम से और इसके शेष के लिए रिजर्व के माध्यम से शामिल किया जाता है।

ड.) एसोशिएट में हिस्सेदारी की खरीद के समय निवल परिसंपत्तियों के शेष और इसमें निवेश की लागत में अंतर को वित्तीय विवरणों में गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जैसा भी मामला हो, के रूप में पहचान की जाती है।

च) समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रम कंपनियों में कंपनी के हिस्से को शामिल किया जाता है जो लेखों के अनुपातिक समेकन विधि और रिपोर्टिंग के लिए उपयोग में लाई जाती है जिसके द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित तत्व को कंपनी की प्रत्येक परिसंपत्ति, देयता, आय और व्यय की हिस्सेदारी को समेकित वित्तीय विवरणों में पृथक पंक्ति की मद माना जता है।

छ) जहां तक संभव होता है समान परिस्थितियों में लेन–देन व अन्य व्यवहार के लिए एक समान लेखा नीतियों का प्रयोग किया जाता है और ठीक उसी तरह प्रस्तुत किया जाता है जैसे कंपनी के पृथक वित्तीय विवरण ।

31-03-2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर समेकित टिप्पणियां

3. शेयरधारकों की निधि

3.1 शेयर पूंजी तथा रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या का समायोजन

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
क. प्राधिकृत				
प्रत्येक 1/– रुपए समतुल्य के इक्विटी शेयर	**1,000,000,000**	**1,000.00**	1,000,000,000	1,000.00
ख. निर्गमित, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त				
1 अप्रैल 2013 को आरंभिक शेष	**1,000,000,000**	**1,000.00**	1,000,000,000	1,000.00
जोड़े गए			-	-
कटौती		-	-	
31 मार्च, 2014 को अंतिम शेष	**1,000,000,000**	**1,000.00**	1,000,000,000	1,000.00
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी				
कुल		**1,000.00**		**1,000.00**

वर्ष 2010–11 के दौरान, 10/–रुपए प्रत्येक मूल्य के निगम के 5,00,00,000 शेयरों को 1/– रुपए प्रत्येक मूल्य के 500,000,000 शेयरों में विभाजित किया गया तथा सामान्यतः अधिशेष रिजर्व से 500 मिलियन रुपए का पूंजीकरण करते हुए 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए।

निगम के एक ही वर्ग के शेयर हैं जिसमें 1/–रुपए प्रत्येक के मूल्य के सामान्य शेयर हैं। निगम के संगम अनुच्छेद तथा लागू कानूनों के अनुसार धारकों को निगम के सामान्य शेयर निगम की आम बैठकों की सूचना तथा वोट देने के अधिकार, निगम के समापन होने पर किन्हीं अधिशेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करते हैं। साथ ही, साधारण शेयरों पर घोषित लाभांश प्राप्त करने की पात्रता भी उपलब्ध करवाते हैं।

निगम की कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है अतः इसकी होल्डिंग कंपनी अथवा इसकी सहायक अथवा एसोशिएट्स द्वारा कोई शेयर नहीं रखे गए हैं।

प्रवर्तकों के अतिरिक्त किसी भी शेयरधारक के पास निगम के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं हैं। प्रवर्तकों, अर्थात् भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता दिनांक 31.03.02014 को 900,000,000 शेयर (पिछले वर्ष 993,312,000 शेयर) की थी।

3.2 रिजर्व एवं अधिशेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014	31-03-2013
रिजर्व		
पूंजी रिजर्व–आरंभिक शेष	**4.40**	980.98
जोड़ें: अधिशेष से अंतरित	**-**	(980.29)
जोड़ें: संयुक्त उपक्रमों में हिस्सेदारी	**-**	3.71
घटाएं : कटौती	**3.71**	-
अंतिम शेष	**0.69**	4.40
सामान्य रिजर्व –आरंभिक शेष	**6,729.15**	5,980.29
जोड़ें: अधिशेष से अंतरित	**102.14**	748.86
जोड़ें: संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी	**19.17**	
	6,850.46	6,729.15
घटायें : कटौती	**-**	-
अंतिम शेष	**6,850.46**	6,729.15
फारेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व – आरंभिक शेष	**(407.76)**	202.90
जोड़ें: जमा	**442.53**	-
	34.77	202.90
घटायें : कटौती	**-**	610.66
अंतिम शेष	**34.77**	(407.76)
सतत विकास रिजर्व : प्रारंभिक शेष	**2.11**	-
जोड़ें: जमा	**-**	2.11
	2.11	2.11
घटायें : कटौती	**2.11**	-
अंतिम शेष	**-**	2.11
कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व – प्रारंभिक शेष	**4.36**	-
जोड़ें : जमा	**-**	4.36
	4.36	4.36
घटायें कटौती	**4.23**	-
अंतिम शेष	**0.13**	4.36
अनुसंधान व विकास रिजर्व – प्रारंभिक शेष	**-**	-
जोड़ें: जमा	**3.54**	-
	3.54	-
घटायें कटौती	**-**	-
अंतिम शेष	**3.54**	-
कुल (क)	**6,889.59**	**6,332.26**
अधिशेष		
अधिशेष : प्रारंभिक शेष	**7,587.63**	8,800.64
जोड़ें : पिछले वर्ष के लिए पुनर्समूह	**(531.29)**	
जोड़ें : लाभ व हानि विवरण से अंतरित कर पश्चात निवल लाभ	**(345.56)**	(1,173.25)
जोड़ें : लाभ व हानि विवरण से अंतरित संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी	**163.96**	66.71
सतत विकास रिजर्व	**2.11**	-
कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व	**4.23**	-
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	**6,881.08**	7,694.10
विनियोजन :		
अंतिम लाभांश	**150.00**	100.00
लाभांश कर	**25.49**	-
सामान्य रिजर्व में अंतरित राशि	**9.40**	-
सतत विकास रिजर्व	**-**	2.11
कारपोरेट सामाजिक दायित्व रिजर्व	**-**	4.36
अनुसंधान एवं विकास रिजर्व	**3.54**	-
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी	**80.40**	-
अधिशेष – अन्तिम शेष (ख)	**6,612.24**	7,587.63
योग (क+ख)	**13,501.83**	**13,919.90**

वर्ष 2013–14 के दौरान 1/– रुपए मूल्य के प्रत्येक शेयर पर 0.15 रुपए अर्थात कुल 15 करोड रुपए के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव है।

4. गैर चालू देयताएं

4.1 दीर्घावधि ऋण

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी				
क. सुरक्षित	**89.80**		-	
ख. असुरक्षित	**840.07**	**929.87**	968.91	968.91
योग		**929.87**		**968.91**

4.2 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
ट्रेड देय				
– एमएसएमईज के अतिरिक्त	**12.52**		104.38	
– एमएसएमईज	**-**	**12.52**	-	104.38
अन्य				
– बिक्री कर/सीएसटी/सीमाशुल्क	**6.02**		19.95	
– अन्य	**80.93**	**86.95**	66.85	86.80
		99.47		191.18
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**67.18**		110.64
योग		**166.65**		**301.82**

4.3 दीर्घावधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. कर्मचारी लाभ				
i. छुट्टी नकदीकरण	**238.93**		230.43	
ii. सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	**1,297.34**		1,207.47	
iii. अर्धवेतन अवकाश	**189.51**		165.47	
iv. सेवा अवार्ड	**47.68**		52.39	
v. अनुकम्पा ग्रेच्युटी	**1.97**		2.19	
vi. कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**49.52**	**1,824.95**	43.99	1,701.94
		1,824.95		1,701.94
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**1.69**		3.46
योग		**1,826.64**		**1,705.40**

5. चालू देयताएं

5.1 लघु अवधि ऋण

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. मांग होने पर देय ऋण				
बैंकों से				
प सुरक्षित (इन्वेंट्रीज, सुरक्षित ट्रेड प्राप्तियां तथा वर्तमान एवं भविष्य की अन्य चालू परिसंपत्तियों के हाईपोथिकेशन के प्रति)	**2,245.95**		6,342.03	
असुरक्षित	**2,368.68**	**4,614.63**	9,074.14	15,416.17
		4,614.63		15,416.17
संयुक्त् उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**34.65**		409.24
योग		**4,649.28**		**15,825.41**

किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ऋणों की गारंटी नहीं दी गई है।

बैंकों से कैश क्रेडिट/पैकिंग क्रेडिट खाते/अन्य से ऋण लिए गए हैं तथा एक वर्ष के अंदर भुगतान किया जाना है।

किसी भी ऋण तथा इस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कंपनी ने चूक नहीं की है।

5.2 व्यापारिक देय

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. विविध लेनदार				
i. एमएसएमईज के अतिरिक्त	**12,663.08**		19,456.81	
ii. एमएसएमईज	**-**	**12,663.08**	-	19,456.81
ख. देय बिल		**1,438.73**		3,639.31
		14,101.81		23,096.12
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**951.41**		1,477.82
योग		**15,053.22**		**24,573.94**

विविध लेनदारों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से ऋण पर स्वर्ण लेकर निगम के ग्राहकों को ऋण आधार पर जारी किए गए 173.66 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 2858.08 मिलियन रुपए) के अप्रयोगमूलक मूल्य/का 63 किलोग्राम (विगत वर्ष 1017 किलोग्राम) स्वर्ण शामिल है।

5.3 अन्य चालू देयताएं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. ब्याज अर्जित लेकिन ऋणों पर देय नहीं		**33.99**		161.12
ख. ब्याज अर्जित लेकिन ऋणों पर देय		**1.47**		0.16
ग. पहले ही प्राप्त आय		**0.08**		0.05
घ. अन्य देय (प्रकार स्पेष्ट करें)				
–फारवर्ड कवर बैंक को देय राशि	**5,541.55**		13,901.30	
घटायें : प्राप्य विदेशी मुद्रा	**5,367.14**		13,153.80	
	174.41		747.50	
– विविध लेनदार–अन्य	**80.56**		119.29	
– ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**564.53**		998.02	
– अप्रदत्त लाभांश	**0.13**		0.07	
– देय डिस्पैच	**24.71**		49.09	
– देय डेमरेज	**65.67**		84.74	
– विविध देनदारों में क्रेडिट शेष	**1,358.04**		554.59	
– सुरक्षा जमा तथा ईएमडी	**426.95**		244.39	
– करों तथा कर्मचारियों के बकाया के लिए प्रेषित राशि	**2,219.93**		1,068.86	
– वेतन व भत्ते	**9.02**		9.72	
– प्रशासनिक व्यय	**143.08**		199.33	
– बिना बिल के क्रय के लिए देय राशि	**6,022.58**		1,435.09	
– अन्य (i)	**614.67**		3,340.24	
		11,704.28		8,850.93
		11,739.82		9,012.26
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्से दारी		**438.08**		331.02
योग		**12,177.90**		**9,343.28**

(i) पर्यावरण अनुमति मिलने में देरी के कारण प्रवर्तकों द्वारा परियोजना को बंद करने के निर्णय के परिणामस्वरूप संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किए गए व्यय में एमएमटीसी की हिस्सेदारी के 54.65 मिलियन रुपए (गत वर्ष 54.24 मिलियिन रुपए) शामिल हैं।

5.4 लघु अवधि प्रावधान

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. कर्मचारी लाभ				
i. बोनस/निष्पादन संबंधित वेतन	**59.89**		68.01	
ii. अर्जित अवकाश	**24.95**		45.64	
iii. सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा व लाभ	**70.98**		78.74	
iv. अर्धवेतन अवकाश	**24.34**		22.06	
v. ग्रेच्युटी	**0.78**		0.43	
vi. अधिवर्षिता लाभ	**39.20**		66.46	
vii. सेवा अवार्ड	**6.82**		4.98	
viii. अनुकम्पा ग्रेच्युटी	**0.40**		0.42	
ix. कर्मचारी परिवार लाभ योजना	**10.50**		8.96	
x. अन्य	**-**	**237.86**	0.02	295.72
ख. अन्य				
i. कराधान	**781.09**		829.24	
ii. प्रस्तावित लाभांश	**150.00**		201.97	
iii. लाभांश वितरण कर	**25.49**		-	
iv. गंतव्य भार तथा विश्लेषण जोखिम	**1.19**		1.38	
		957.78		1,032.59
		1,195.64		1,328.31
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**75.33**		5.64
योग		**1,270.97**		**1,333.95**

6. गैर–चालू परिसंपत्तियां

6.1 स्थायी परिसंपत्तियां

6.1.1 मूर्त (टैंजीबल) परिसंपत्तियां

(₹ मिलियन में)

	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास/क्षति						सकल कैरिंग लागत	
	1-4-13	जोड़े गए	अन्य समा–योजन	निपटान किए गए	**31-03-14**	**01-04-13** को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्यह्रास*	क्षति/क्षति का निराकरण (रिवर्सल)	अनुयोग	कटौतियां	**31-03-14** को शेष	**31-03-14**	**31-03-13**
फ्रीहोल्ड भूमि													
–कार्यालय भवन	3.66				**3.66**				-		**-**	**3.66**	3.66
–स्टॉफ क्वार्टर्स	1.33				**1.33**				-		**-**	**1.33**	1.33
लीज होल्ड भूमि													
–कार्यालय भवन	39.60			-	**39.60**	11.63	0.50	-	12.13	-	**12.13**	**27.47**	27.97
–स्टॉफ क्वार्टर्स	2.67				**2.67**	1.09	0.03	-	1.12		**1.12**	**1.55**	1.58
भवन													
–कार्यालय भवन	127.67			0.06	**127.61**	53.07	2.82	3.38	59.27	0.06	**59.21**	**68.40**	74.59
–स्टॉफ क्वार्टर्स/रिहायशी फ्लैट	69.63	0.40		-	**70.03**	52.05	1.41	-	53.46		**53.46**	**16.57**	17.58
–जलापूर्ति, मल निकासी तथा ड्रेनेज	9.46	0.02			**9.48**	9.34	0.06	-	9.40		**9.40**	**0.08**	0.12
–विद्युत इस्टालेशंस	18.21	0.04		-	**18.25**	15.86	0.38	0.16	16.40	-	**16.40**	**1.85**	2.35
–सड़कें व पुलियां	3.58				**3.58**	2.41	0.03	0.77	3.21		**3.21**	**0.37**	1.17
–आडियो/आग/वातानुकूलन	12.52	0.15		0.43	**12.24**	12.37	0.05	-	12.42	0.42	**12.01**	**0.23**	0.15
संयत्र तथा उपस्कर	796.15	5.97		5.88	**796.24**	286.55	41.08	6.57	334.20	2.12	**332.08**	**464.16**	509.61
फर्नीचर तथा फिक्चर्स													
–पार्टिशन	24.97	0.04		1.59	**23.42**	24.52	0.03	-	24.55	1.59	**22.96**	**0.46**	0.46
–अन्य	51.72	1.75		0.55	**52.92**	47.23	2.45	-	49.68	0.53	**49.16**	**3.76**	4.49
वाहन	22.65			1.08	**21.57**	20.23	1.32	-	21.55	1.08	**20.47**	**1.10**	2.43
कार्यालय उपस्कर	57.85	2.13	-	1.27	**58.71**	46.28	3.86	-	50.14	1.24	**48.90**	**9.81**	11.58
अन्यः–													
रेलवे वैगन रैक्स	553.64				**553.64**	366.32	55.36	-	421.68		**421.68**	**131.96**	187.32
बनीहट्टी पर रेलवे लूप लाइन	26.17				**26.17**	26.17			26.17		**26.17**	**0.00**	0.00
गोदाम	34.11				**34.11**	18.04	1.37		19.41		**19.41**	**14.70**	16.07
कम्प्यूटर/डाटा प्रोसेसर्स	176.70	6.12	-	2.24	**180.58**	167.89	5.80		173.69	2.22	**171.47**	**9.11**	8.80
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी	682.60	26.92	-	0.44	**709.08**	55.42	40.81		96.23	0.25	**95.98**	**613.10**	627.16
कुल योग	**2,714.89**	**43.54**	**-**	**13.54**	**2,744.89**	**1,216.47**	**157.36**	**10.88**	**1,384.71**	**9.51**	**1,375.20**	**1,369.69**	**1,498.42**
विगत वर्ष	**2,564.14**	**167.76**	**-**	**17.01**	**2,714.89**	**1,072.49**	**157.19**	**-**	**1,229.69**	**13.21**	**1,216.47**	**1,498.42**	

(क) कुछ कार्यालयों से कार्यालय भूमि/भवन/फ्लैट्स/पुलियों सिवरेज व ड्रेनेज की लागत के अंतिम बिलों की प्राप्ति लंबित होने के कारण या निर्माणधीन/लीज डीड का निष्पादन होने तक इन्हें अस्थायी आधार पर आंका गया है।

(ख) दिल्ली के स्टॉफ क्वार्टर्स के लिए पट्टा धारित भूमि, सड़कें और पुलियां, सिवरेज, ड्रेनेज तथा जल आपूर्ति में वह सभी शामिल हैं जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी) के साथ संयुक्त रूप से लिया गया है।

(ग) आवासीय फ्लैटों में 0.002 मिलियन रुपए (गत वर्ष 0.002 मिलियन रुपए) के कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के 41 शेयर (गत वर्ष 41 शेयर) शामिल हैं। कुल फ्लैटों में जिनका मौलिक मूल्य 31.3.2014 को 4.89 मिलियन रुपए (गत वर्ष 4.89 मिलियन रुपए) है, का अंतरण लंबित है।

(घ) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर बने कार्यालय भवन की लागत 6.24 मिलियन रुपए है (गत वर्ष 6.24 मिलियन रुपए) और मूल्यह्रास के लिए 3.45 मिलियन रुपए(गत वर्ष 3.32 मिलियन रुपए) का प्रावधान है।

(ड.) जो भूमि निगम के स्वामित्व में नहीं है उस पर जल आपूर्ति की लागत 0.66 मिलियन रुपए (गत वर्ष 0.66 मिलियन रुपए) है ।

(च) पारादीप में लीजहोल्ड भूमि जिसकी अवधि 20.11.2011 को समाप्ति हो गई है पर बने रिहायशी भवन सड़कों व पुलियों तथा बिजली उपकरण व्यवस्थाओं की लागत 11.63 मिलियन रुपए (गत वर्ष 11.63 मिलियन रुपए) है तथा संचित मूल्यह्रास 6.30 मिलियन रुपए (गत वर्ष 5.84 मिलियन रुपए) है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने 15 वर्ष के लिए इसके नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। लेकिन सरकार से अंतिम अनुमोदन प्रतीक्षित है।

(छ) क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद से क्रमशः दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय तथा मुम्बई को अंतरित संयंत्र एवं मशीनरी के संबंध में संचित मूल्यह्रास के 1.04 मिलियन रुपए तथा 0.98 मिलियन रुपए क्रमशः शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2013 तक अमूर्त परिसंपत्तियों से अंतरित 0.19 मिलियन रुपए का संचित मूल्यह्रास भी शामिल है।

ज) निगम ने परिसंपत्तियों की क्षति का निर्धारण किया है तथा परिसंपत्तियों के मूल्य में क्षति/हानि के लिए वर्ष के दौरान 10.88 मिलियन रुपए (गत वर्ष शून्य मिलियन रुपए) का प्रावधान किया है।

6.1.2 अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ मिलियन में)

	सकल ब्लॉक						अमोरटाईजेशन						सकल कैरिंग मूल्य	
	1-4-13	जोड़े गए	व्यापार संयोजन द्वारा जोड़े गए	अन्य समा-योजन	निपटान	31-03-14	01-04-13 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए अमोर-टाईजेशन	क्षति/क्षति का निराकरण (रिवर्सल)	अनुयोग	कटौतियां	31-03-14 को शेष	31-03-14	31-03-13
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	2.30	0.57		0.19		**2.68**	0.56	0.46		1.02	0.19	**0.83**	**1.84**	1.74
समेकन पर गुडविल (संयुक्त उपक्रम)	25.90	0.13		-	-	**26.03**	21.23	4.28		25.51		**25.51**	**0.52**	4.67
समेकन पर गुडविल (एसोशिएटस)	219.16	0.00				**219.16**	87.67	43.83		131.50		**131.50**	**87.66**	131.50
अन्य														
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी	16.01	0.96			-	**16.97**	13.14	2.57		15.71		**15.71**	**1.26**	2.87
कुल	**263.37**	**1.66**	**-**	**0.19**	**-**	**264.84**	**122.60**	**51.14**	**-**	**173.74**	**0.19**	**173.54**	**91.28**	**140.77**
विगत वर्ष	**42.07**	**222.81**	**-**	**1.51**	**-**	**263.37**	**25.06**	**97.55**	**-**	**122.60**	**-**	**122.60**	**140.77**	

कटौती में दिनांक 31.03.2013 तक मूर्त परिसंपत्तियों में अंतरित 0.19 मिलियन रुपए के संचित मूल्य ह्रास शामिल हैं।

6.1.3 प्रगतिरत पूंजी

(₹ मिलियन में)

	परिसंपत्तियां					मूल्य ह्रास/क्षति						सकल कैरिंग मूल्य	
	1-4-13	जोड़े गए	अन्य समा-योजन	निपटान	31-03-14	01-04-13 को आरंभिक शेष	वर्ष के लिए मूल्य-ह्रास	क्षति/क्षति का निराकरण (रिवर्सल)	अनुयोग	कटौ-तियां	31-03-14 को शेष	31-03-14	31-03-13
भवन													
-निर्माणाधीन भवन	6.71				**6.71**	6.71			6.71		**6.71**	**-**	-
-विद्युत इंस्टालेशन	6.70				**6.70**	6.70			6.70		**6.70**	**-**	-
-सड़कें पुलियां	0.47				**0.47**	0.47			0.47		**0.47**	**-**	-
कम्प्यूटर	0.09	-	0.09		**-**	-			-		**-**	**-**	0.09
संयत्र एवं उपस्कर	13.80		-		**13.80**	13.80			13.80		**13.80**	**-**	-
गोमिया कोल ब्लाक का विकास	54.86	10.58	-		**65.44**	-			-		**-**	**65.44**	54.86
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी	1,202.24	150.93	-	-	**1,353.17**	-			-		**-**	**1,353.17**	1202.24
कुल	**1,284.87**	**161.51**	**0.09**	**-**	**1,446.30**	**27.69**	**-**	**-**	**27.69**	**-**	**27.69**	**1,418.61**	**1,257.18**
विगत वर्ष	**1,208.77**	**173.32**	**-**	**97.23**	**1,284.87**	**27.69**	**-**	**-**	**27.69**	**-**	**27.69**	**1,257.18**	

6.2 गैर चालू निवेश

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
I. व्यापारिक निवेश				
क. निवेश संपत्ति				
बांद्रा कुर्ला काम्पलैक्स		**36.31**		36.31
ख. इक्विटी दस्तावेजों में निवेश				
क) एसोशिएटस				
i. नीलाचल इस्पात निगम लि.				
प्रत्येक 10/–रू. मूल्य के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/– रू. मूल्य के 289,342,744 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**3,796.85**		3,796.85	
जोडें : एसोशिएटस से अब तक आय	**121.74**		854.59	
घटाएं : गुडविल	**219.16**	**3,699.43**	131.50	4,519.94
ii. देवोना थर्मल पावर एण्ड इंफ्रास्टक्चर लि.				
प्रत्येक 10/–रू. मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/– रु. मूल्य के 13,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**0.13**		0.13	
घटाएं : गुडविल	**0.13**	**-**	0.13	-
ग. अन्य				
i. इंडो फ्रैंच बायोटैक लिमिटेड				
प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 4,750, 000 पूर्ण प्रदत्त् इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 10/– रुपये मूल्य के 4,750,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	**47.50**		47.50	
घटाए : निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	**47.50**	**0.00**	47.50	0.00
ii. यूनाईटेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड				
प्रत्येक 1/– रुपए मूल्य के 30,000,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1/– रुपए मूल्य के 30,000,000 पूर्ण प्रदत्त, इक्विटी शेयर)		**30.00**		30.00
घ. इक्विटी के लिए अग्रिम लेकिन आबंटन लम्बित				
– टीएम माईनिंग कंपनी लिमिटेड		**0.13**		-
		3,765.87		4,586.25
II. अन्य निवेश				
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**(4.79)**		(6.63)
योग		**3,761.08**		**4,579.62**

सभी गैर चालू निवेशों का आकलन लागत पर किया गया है लागत में यदि कोई स्थायी ह्रास है तो इसके प्रावधान को घटा दिया गया है। निगम के कोई उद्धत निवेश नहीं हैं। अनउद्धत निवेशों की कुल योग राशि 3874.48 मिलियन रुपए (गत वर्ष 3874.48 मिलियन रुपए) है। निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए 47.50 मिलियन रुपए (गत वर्ष 47.50 मिलियन रुपए) की कुल राशि का प्रावधान किया गया है।

6.3 आस्थगित कर संपतियां (निवल)

दिनांक 31-03-2014 को आस्थगित कर परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(₹ मिलियन में)

विवरण	1-4-2013 को आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयता)	2013-14 के दौरान क्रेडिट / (चार्ज)	31-3-2014 को आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयता)
मूल्यह्रास	(176.69)	17.46	**(159.23)**
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1,612.71	791.18	**2,403.89**
डीडब्यूए जोखिम	0.45	(0.45)	**-**
वीआरएस व्यय	17.60	(0.70)	**16.90**
आईटी विभाग से प्राप्त ब्याज	0.16	(0.16)	**-**
अन्य	0.01	(0.01)	**-**
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी	3.93	(51.42)	**(47.49)**
कुल	**1,458.17**	**755.90**	**2,214.07**

6.4 दीर्घावधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. सुरक्षित जमा				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	**49.46**		49.46	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	**17.63**		36.73	
III. संदिग्ध	**47.49**		37.45	
	114.58		123.64	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**47.49**	**67.09**	37.45	86.19
ख. संबंधित पार्टियों को ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित	**-**		-	
II. वसूली योग्य असुरक्षित	**10.25**		3.56	
III. संदिग्ध	**4.85**		4.85	
	15.10		8.41	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**4.85**	**10.25**	4.85	3.56
ग. अन्य ऋण व अग्रिम				
I. वसूली योग्य सुरक्षित				
-पीएसयू / अन्य कम्पनियों को ऋण एवं अग्रिम	**88.38**		2.19	
-अर्जित तथा प्राप्य / अप्राप्य ब्याज	**-**		3.48	
-कर्मचारियों को ऋण	**180.35**	**268.73**	186.86	192.53
II. वसूली योग्य, असुरक्षित				
-पीएसयू / अन्य कम्पनियों को ऋण एवं अग्रिम	**173.09**		156.03	
-अर्जित तथा प्राप्य / अप्राप्य ब्याज	**29.72**		63.04	
-कर्मचारियों को ऋण	**97.63**		91.04	
-अन्य	**55.07**		472.56	
III. संदिग्ध	**2,362.73**		248.31	
	2,718.24		1,030.98	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	**2,362.73**	**355.51**	248.31	782.67
		701.58		1,064.95
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**36.10**		35.97
योग		**737.68**		**1,100.92**

उपरोक्त राशि से निगम के निदेशकों अथवा अन्य अधिकारियों अथवा उनमें एकल अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से अथवा फार्म या प्राईवेट कम्पनी जिसमें कोई निदेशक पार्टनर है अथवा निदेशक है अथवा सदस्य है, से 0–19 मिलियन रूप, (गत वर्ष 0–70 मिलियन रुपए) की राशि प्राप्य है।

6.5 अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियॉं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. दीर्घावधि ट्रेड प्राप्य				
i. वसूली योग्य(परिसम्पत्तियों की गिरवी/टाईटल डीडस के गिरवी तथा बैंक गारंटियों से सुरक्षित)	**-**		-	
ii. वसूली योग्य असुरक्षित	**14.60**		17.43	
iii. वसूली योग्य संदिग्ध	**4,117.93**		4,168.52	
	4,132.53		4,185.95	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्य के लिए प्रावधान	**4,117.93**	**14.60**	4,168.52	17.43
ख. अन्य		**-**		-
		14.60		17.43
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**4.12**		4.65
योग		**18.72**		**22.08**

7. चालू परिसम्पत्तियॉं

7.1 वर्तमान निवेश

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. म्युचुअल फंडों में निवेश (उद्धृत)				
आईडीबीआई म्युचुअल फंड–लिक्विड फंड (प्रतिदिन लाभांश) शून्य (गत वर्ष प्रत्येक 1000/–रु. मूल्य की 15000 यूनिट्स)	**-**		150.00	
एस बी आई प्रीमियर लिक्विट फंड डायरेक्ट प्लान–दैनिक लाभांश प्रत्येक 1003.25 रुपये मूल्य की 558185.8958 यूनिटस (गत वर्ष शून्य)	**560.00**	**560.00**	-	150.00
ख. सरकारी अथवा ट्रस्ट अनुभूतियों में निवेश				
9% सरकारी स्टाक 2013		**-**		0.03
		560.00		150.03
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**0.45**		0.84
योग		**560.45**		**150.87**

वर्तमान निवेशों का मूल्यांकन निम्नतर लागत तथा उचित मूल्य पर किया जाता है।

31–03–2014 को उद्धृत निवेशों की कुल बाजार लागत 560.00 मिलियन रुप, (गत वर्ष 150 मिलियन रुपये) लागत की तुलना में 560.00 मिलियन रुपये (गत वर्ष 150.00 मिलियन रुपये) है।

अनुद्धृत निवेशों की कुल राशि 0.45 मिलियन रुपये (गत वर्ष 0.87 मिलियन रुपये) है

7.2 इन्वैंट्रीज़

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. कच्चा माल	**260.13**		100.48	
ख. तैयार माल	**626.60**		845.59	
ग. स्टॉक –इन–ट्रेड (843.55 मिलियन रुपए मूल्य के गुड्स इन ट्रॉजिट शामिल हैं।) (गत वर्ष 1996.69 मिलियन रुपए)	**2,196.97**		7,942.09	
घ. अन्य (स्पष्ट करें)	**0.25**	**3,083.95**	0.65	8,888.81
		3,083.95		8,888.81
संयुक्त उपक्रमों में हितों की हिस्सेदारी		**84.41**		124.80
योग		**3,168.36**		**9,013.61**

प्रबंधतंत्र के मूल्यांकन एवं प्रमाणन के अनुसार आंकड़ों को लिया गया है।

31 मार्च 2014 को गुडस इन ट्रॉजिट सहित इन्वैंट्रीज का मूल्यांकन निम्नतर लागत अथवा वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। वर्ष के दौरान बाजार मूल्य पर अंतिम स्टॉय का मूल्यांकन लागत से कम होने के परिणामस्वरूप 76.53 मिलियन रुपए (गत वर्ष 7.39 मि.रुपए) की हानि हुई है।

7.3 ट्रेड प्राप्य (रिसिवेबलस)

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. भुगतान के लिए नियत तिथि से छः माह से अधिक की अवधि के बकाया ट्रेड प्राप्य				
i. सुरक्षित – वसूली योग्य	**2,367.48**		3,969.65	
ii. असुरक्षित – वसूली योग्य	**669.79**		1,062.09	
iii. संदिग्ध	**202.17**		152.08	
	3,239.44		5,183.82	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**202.17**	**3,037.27**	152.08	5,031.74
ख. अन्य ट्रेड प्राप्य				
i. सुरक्षित – वसूली योग्य	**1,044.46**		12,674.14	
ii. असुरक्षित – वसूली योग्य	**13,276.44**		1,632.30	
iii. संदिग्ध	**-**		17.10	
	14,320.90		14,323.54	
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**-**	**14,320.90**	17.10	14,306.44
		17,358.17		19,338.18
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**66.69**		14.13
योग		**17,424.86**		**19,352.31**

7.4 रोकड़ तथा बैंक शेष

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
क. रोकड़ तथा रोकड़ समकक्ष				
- उपलब्ध चैक्स, ड्राफ्टस		**0.80**		563.73
- उपलब्ध रोकड़		**0.11**		0.07
- बैंकों में शेष				
i. चालू खाते में	**73.04**		247.14	
ii. कैश क्रेडिट खाते में (डेबिट शेष)	**18.55**		427.53	
iii. तीन माह की मूल मैच्यूरिटी के साथ सावधि जमा	**3,201.32**	**3,292.91**	2,838.40	3,513.07
ख. बैंकों के पास अन्य शेष				
- मार्जिन राशि/लियन के रूप में	**3.00**		3.00	
- तीन माह से अधिक तथा 12 माह तक की अवधि की मूल मैच्यूरिटी के सावधि जमा	**2,349.64**		11,409.42	
- 12 माह से अधिक अवधि की मूल मैच्योरिटी	**0.13**	**2,352.77**	1.13	11,413.55
		5,646.59		15,490.42
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**812.20**		1,565.00
योग		**6,458.79**		**17,055.42**

मार्जिन राशि अथवा ऋणों के लिए सिक्यूरिटी, गारंटी, अन्य बाध्यताओं के रूप में बैंकों के पास 4.76 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 3.00 मिलियन रुपए) शेष हैं।

भुगतान न किए गए लाभांश के लिए बैंकों के पास शेष में 0.13 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 0.07 मिलियन रुपए) शामिल हैं।

भारत के इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी लेखा मानक–3 के प्रावधानों के अनुरूप "रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष" को "रोकड़ एवं बैंक शेष" में परिवर्तित किया गया है।

7.5 लघु अवधि ऋण व अग्रिम

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
अन्य				
i. प्राप्य बिल	**-**		884.39	
घटाएं : डिस्काउंटेड बिल	**-**		-	
सुरक्षित – वसूली योग्य		**-**		884.39
ii. रोकड़ अथवा माल के रूप में वसूली योग्य अग्रिम				
सुरक्षित – वसूली योग्य	**254.18**		3,221.16	
असुरक्षित – वसूली योग्य	**5,534.33**		5,624.71	
संदिग्ध	**211.28**		275.00	
	5,999.79		9,120.87	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	**211.28**	**5,788.51**	275.00	8,845.87
iii. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम				
सुरक्षित – वसूली योग्य	**-**		-	
असुरक्षित – वसूली योग्य	**167.97**		230.94	
संदिग्ध	**98.26**		35.16	
	266.23		266.10	
घटाएं : अशोध्य व संदिग्ध ऋण व अग्रिमों के लिए प्रावधन	**98.26**	**167.97**	35.16	230.94
iv. आयकर (अग्रिम आयकर, टीडीएस तथा वैट सहित देय रिफंड)				
असुरक्षित – वसूली योग्य		**932.17**		1,205.04
		6,888.65		11,166.24
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**379.07**		421.83
योग		**7,267.72**		**11,588.07**

निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों (मुख्य महाप्रबंधक तथा कम्पनी सचिव) द्वारा देय 0.12 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 0.10 मिलियन रुपए)

7.6 अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियॉं

(₹ मिलियन में)

	31-03-2014		31-03-2013	
आस्थगित प्रीमियम	**46.22**		304.22	
बिल न किए गए क्रय के प्रति स्वर्ण/चांदी का स्टॉक	**6,022.58**		1,435.09	
	6,068.80		1,739.31	
घटाएं : संदिग्ध राशि, यदि कोई हो तो, के लिए प्रावधान	**-**	**6,068.80**	-	1,739.31
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**16.25**		15.86
योग		**6,085.05**		**1,755.17**

8. प्रचालन से राजस्व

(₹ मिलियन में)

	2013-14		2012-13	
क. उत्पादों की बिक्री		**257,340.51**		294,350.20
ख. सेवाओं की बिक्री		**39.62**		27.31
ग. अन्य प्रचालन राजस्व				
– अर्जित डिस्पैच	**9.11**		43.61	
– दावे	**1,903.97**		1,401.32	
– आर्थिक सहायता	**0.00**		294.86	
– अन्य व्यापारिक आय	**108.78**		219.32	
	2,021.86		1,959.11	
घटाएं :				
घ. उत्पाद शुल्क	**1.37**	**2,020.49**	10.52	1,948.59
		259,400.62		296,326.10
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**22,021.93**		32,530.05
योग		**281,422.55**		**328,856.15**

विगत वर्षों के दौरान एनटीपीसी को आपूर्ति के लिए आयात किए गए कोयले के संबंध में, गतंव्य स्थान पर अंतिम गुणवत्ता विश्लेषण प्राप्त न होने के कारण फाइनल बीजक (इनवायस) जारी किए जाने तक कुछ मामलों में अनंतिम आधार पर बिक्री बुक की गई। लाभप्रदता पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि फाइनल बीजक(इन्वायस) जारी होने पर यदि कोई अतंर होगा तो वह आपूर्तिकर्ता के खाते में होगा।

9. अन्य आय

(₹ मिलियन में)

	2013-14		2012-13	
क. ब्याज				
– फिक्स डिपजिट पर ब्याज	**857.02**		1,953.23	
– ग्राहकों की विलम्बित राशि से ब्याज	**81.36**		174.63	
– अन्य	**510.07**	**1,448.45**	826.34	2,954.20
ख. लाभांश				
– अन्य		**32.64**		12.75
ग. अन्य गैर प्रचालन आय (उक्त आय पर सीधा आरोप्य सकल व्यय)				
– स्टाफ क्वार्टर किराया	**5.88**		5.61	
– विविध प्राप्तियॉं*	**231.65**		114.44	
– रिटन बैक देयताएं	**572.12**		150.74	
– विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन	**4.38**		1.50	
घटाएं: विदेशी मुद्रा घाटा	**-**	**814.03**	-	272.29
		2,295.12		3,239.24
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**104.54**		97.82
योग		**2,399.66**		**3,337.06**

* नोट 6.2 के अंतर्गत दिखाए गए 'गैर चालू निवेश' में बांद्रा कुर्ला काम्पलैक्स से किराया आय 31.24 मिलियन रुपए (गत वर्ष 31.97 मिलियन रुपए) भी शामिल है।

10. प्रयुक्त माल की लागत

(₹ मिलियन में)

	2013-14	2012-13
कच्चा माल	1,586.70	2,677.61
कंज्यूमेबल्स	26.40	-
	1,613.10	2,677.61
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी	-	-
योग	1,613.10	2,677.61

11. स्टॉक इन ट्रेड का क्रय

(₹ मिलियन में)

उत्पाद समूह	2013-14		2012-13	
क. क्रय				
बहुमूल्य धातुएं	84,441.94		104,987.17	
धातुएं	15,094.38		16,136.06	
उर्वरक	39,616.24		29,567.70	
खनिज	22,534.98		15,655.22	
कृषि उत्पाद	27,281.96		50,586.50	
कोयला व हाईड्रोकार्बन	37,961.80		58,137.75	
सामान्य व्यापार/अन्य	-	226,931.30	9.12	275,079.52
ख. माल के रूप में प्राप्त/जारी किया गया स्टॉक				
बहुमूल्य धातुएं		(40.96)		(19.85)
		226,890.34		275,059.67
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		22,662.46		31,970.49
योग		249,552.80		307,030.16

12. इन्वैन्ट्रीज में परिवर्तन

(₹ मिलियन में)

	2013-14		2012-13	
क. तैयार माल				
आरंभिक शेष	946.75		1,625.85	
अंतिम शेष	945.42		947.02	
तैयार माल की इन्वैंट्रीज में परिवर्तन		1.33		678.83
ख. स्टॉक–इन–ट्रेड				
आरंभिक शेष	7,941.08		7,357.82	
अंतिम शेष	2,214.75		7,949.19	
स्टॉक–इन–ट्रेड का इन्वैट्रीज में परिवर्तन		5,726.33		(591.37)
		5,727.66		87.46
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		45.79		154.61
योग		5,773.45		242.07

13. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ मिलियन में)

	2013-14		2012-13	
वेतन व मजदूरी				
वेतन तथा भत्ते	**1,286.42**		1,215.16	
छुट्टी नकदीकरण	**124.57**		129.16	
वीआर व्यय	**21.83**		28.44	
बोनस	**(4.07)**		12.78	
निष्पादन संबंधित वेतन	**0.29**		6.25	
चिकित्सा व्यय	**235.63**		449.16	
ग्रुप बीमा	**0.46**		0.16	
डी.एल.आई.एस. में अशंदान	**1.57**	**1,666.70**	1.44	1,842.55
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अशंदान				
भविष्य निधि	**100.55**		92.38	
ग्रेच्युटी निधि	**2.67**		31.77	
परिवार पैंशन योजना	**14.49**		12.37	
अधिवर्षिता लाभ	**78.18**	**195.89**	62.77	199.29
स्टाफ कल्याण व्यय		**75.92**		45.90
		1,938.51		2,087.74
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**58.31**		49.76
योग		**1,996.82**		**2,137.50**

14. वित्त लागत

(₹ मिलियन में)

	2013-14	2012-13
I. ब्याज व्यय	**309.81**	1,557.22
II. अन्य ऋण लागत	**-**	-
III. विदेशी मुद्रा पर लागू सकल लाभ/हानि	**0.05**	0.37
IV. फारवर्ड कांट्रेक्ट पर प्रीमियम	**404.99**	786.46
	714.85	2,344.05
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी	**144.46**	159.12
योग	**859.31**	**2,503.17**

ब्याज व्यय में अग्रिम आयकर के भुगतान में कमी के लिए भुगतान किए गए 23.33 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 1.51 मिलियन रुपए) शामिल हैं।

15. अन्य व्यय

(₹ मिलियन में)

	2013-14		2012-13	
क. प्रचालन व्यय				
भाड़ा	**7,057.95**		5,416.68	
डेमरेज	**2.45**		50.43	
क्लियरिंग, हैंडलिंग, डिस्काउंट एवं अन्य प्रभार	**3,838.65**		2,141.36	
एलसी नेगोशियेशन एवं अन्य प्रभार	**5.66**		26.17	
विनिमय में अंतर (i)	**1,046.41**		(192.64)	
सीमा शुल्क	**8,139.87**		7,351.55	
बीमा	**30.99**		26.14	
गोदाम बीमा	**11.03**		14.00	
प्लॉट तथा गोदाम किराया	**8.47**		4.20	
पैकिंग माल	**221.02**		446.68	
गंतव्यी भार एवं विश्लेषण जोखिम के लिए प्रावधान	**1.19**	**20,363.69**	1.38	15,285.95
ख. प्रशासनिक व्यय				
स्टोर्स तथा स्पेयर पार्टस का उपभोग	**-**		-	
ऊर्जा एवं इंधन	**1.67**		1.24	
किराया	**44.73**		43.34	
दरें एवं कर	**15.39**		16.81	
बीमा	**1.77**		1.59	
भवनों की मरम्मत	**49.45**		36.16	
मशीनों की मरम्मत	**1.42**		1.14	
बिजली एव जल प्रभार	**23.42**		23.36	
विज्ञापन एवं प्रचार	**16.51**		30.59	
प्रिटिंग एवं स्टेशनरी	**6.59**		7.33	
पोस्टेज एवं टेलीग्राम	**2.54**		1.70	
टेलीफोन	**16.31**		16.49	
टेलीकम्यूनिकेशन	**7.26**		10.94	
यात्रा	**44.31**		50.05	
वाहन	**19.20**		19.31	
मनोरंजन	**7.54**		7.83	
विधिक	**87.79**		43.71	
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (ii)	**7.79**		8.02	
बैंक प्रभार	**12.10**		5.12	
किताबें एवं पत्रिकाएं	**0.48**		0.57	
ट्रेड	**5.27**		5.01	
मरम्मत एवं नवीकरण	**17.76**		18.28	
कम्पयूटर व्यय	**1.15**		0.64	
अंशदान	**4.54**		4.95	
प्रशिक्षण सेमिनार तथा कान्फ्रेंस	**4.09**		5.44	
प्रोफेशनल/कंसलटैंसी	**29.01**		23.31	
सीएसआर तथा स्थाई विकास	**6.34**		18.23	
विनिमय में अंतर	**(21.49)**		(45.07)	
सेवा कर	**6.90**		3.07	
पूर्वावधि मदें (iii)	**15.17**		(5.52)	
प्रदर्शनी, मेले एवं बिक्री प्रोमोशन	**17.15**		37.96	
अशोध्य ऋण/दावे/बट्टे खाते में डाली गई/अशोध्य एवं	**10.74**		0.70	
संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	**12.74**		62.53	
विविध व्यय	**68.87**	**544.51**	119.80	574.63
		20,908.20		15,860.58
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी		**179.45**		164.21
कुल		**21,087.65**		**16,024.79**

(i) बी/एल तिथि को अप्रयोगमूलक विनिमय दरों को अपनाने के कारण

(क) आयात के लिए 48.84 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 304.22 मिलियन रुपए) के आस्थगित फारवर्ड प्रीमियम तथा निर्यात के लिए (2.61) मिलियन रुपए (विगत वर्ष शून्य मिलियन रुपए) की पहचान अगले लेखा वर्ष के लाभ हानि खाते में की जाएगी।

(ii) लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई राशि

(₹ मिलियन में)

	2013-14	2012-13
लेखा परीक्षकों के रूप में	**4.48**	4.77
कराधान मामलों के लिए	**1.49**	1.15
कंपनी के विधि मामलों के लिए	**-**	-
प्रबंधतंत्र सेवाओं के लिए	**-**	0.03
अन्य सेवाओं के लिए	**1.79**	1.66
व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.03**	0.41
कुल	**7.79**	**8.02**

(iii) पूर्वावधि मदें

(₹ मिलियन में)

	2013-14	2012-13
व्यय		
विक्रय की लागत	**60.77**	383.52
वेतन एवं मजदूरी	**(0.90)**	-
प्रशासनिक व्यय	**3.03**	0.69
ब्याज	**0.09**	4.09
मूल्यह्रास	**-**	(1.03)
अन्य	**29.81**	11.10
अनुयोग	**92.80**	398.37
आय		
बिक्री	**57.34**	349.10
ब्याज	**3.21**	0.38
अन्य प्राप्तियां	**17.08**	54.42
अनुयोग	**77.63**	403.90
कुल (निवल)	**15.17**	**(5.52)**

16. अपवादिक मदें

अपवादिक मदों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(₹ मिलियन में)

	2013-14		2012-13	
इन्वेंट्रीज का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के बराबर राइट डाउन करना और उसका रिवर्सल	**76.53**		7.39	
रिस्ट्रक्चरिंग लागत के लिए किसी प्रावधान का रिवर्सल	**-**		-	
स्थायी परिसंपत्तियों की मदों का निपटारा	**(0.71)**		(0.46)	
दीर्घावधि निवेशों का निपटारा	**-**		-	
पूर्वकाल से लागू विधायी परिवर्तन	**-**		-	
मुकदमेवाजी का निपटारा	**17.10**		144.63	
प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है	**(103.45)**		(24.42)	
निवेश संपत्ति के मूल्य में गिरावट	**-**		-	
संयुक्त उद्यमों में हितों की हिस्सेदारी	**-**	**(10.53)**	0.14	127.28
कुल		**(10.53)**		127.28

17. असाधारण मदें

असाधारण मदें पुनः प्रस्तुत करती हैंः

i. चैन्नै क्षेत्रीय कार्यालय में बुलियन के लेन देन में हुई कुछ चूकों के कारण विगत वर्षो के देनदारों से वसूलीयोग्य राशि के प्रति चार्टर्ड एकाउंटैंटस की फर्म द्वारा की गई विशेष लेखा परीक्षा की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर लेखा खातों में प्रावधान शून्य (विगत वर्ष 155.44मिलियन रुपए) का प्रावधान किया गया है। 68.40 मिलियन रूपए (गत वर्ष 13.40 मिलियन रुपए) के क्रेडिट शेष तथा 51.00 मिलियन रुपए (गत वर्ष 48.02 मिलियन रूपए) के डेबिट शेष का अभी भी समायोजन किया जाना है परन्तु डेबिट शेष के लिए संपूर्ण प्रावधान किया गया है। कंपनी ने सीबीआई को भी शिकायत की है जिन्होंने अब तक दो अलग–अलग एफआईआर दर्ज की हैं तथा विस्तृत जांच भी आरंभ कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी दो पूर्व अधिकारियों तथा दो देनदारों के विरुद्ध प्रिवेंशन आफ मनी लांडरिंग अधिनियम 2002 के अंतर्गत अभियोग लगाया है।

ii. केपीएमजी द्वारा की गई विशेष लेखा परीक्षा के जांच परिणामों के आधार पर हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में बुलियन के लेन देन में हुई कुछ चूकों के कारण विगत वर्षो के देनदारों से वसूली योग्य राशि के प्रति लेखा खातों में शून्य मिलियन रुपए(विगत वर्ष 2288.20 मिलियन रुपए) का प्रावधान किया गया है। निगम ने सीबीआई को भी शिकायत की है तथा उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के साथ–साथ विस्तृत जांच भी आरंभ की है।

iii. दिनांक 31.03.2014 को विभिन्न कर्जदारों तथा नेशनल स्पाट एक्सचेंज (एनएसइएल) द्वारा भुगतान में डिफाल्ट करने के कारण कंपनी ने कुल 2106.38 मिलियन रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) की वसूली के विरुद्ध लेखों में 2104.42 मिलियन रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) का प्रावधान किया है। तदोपरांत, दिनांक 15 मई, 2014 तक 1.96 मिलियन रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। कंपनी ने एनएसईएल तथा अन्य के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में मुकदमा भी दायर कर दिया है तथा ईओडब्ल्यू (इकॉनामिक ओफेंस विंग), दिल्ली पुलिस में अपराधिक मामला भी दर्ज किया है जो कि सीबीआई मुंबई को भेज दिया गया है।

18. आकस्मिक देयताएं एवं वचनबद्धता(उस सीमा तक जिसका प्रावधान नही)

1. आकस्मिक देयताऍं

क) कंपनी की तरफ से बैंकों द्वारा जारी 3654.78 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 4448.26 मिलियन रुपए) की गारंटियॉं एवं 3361.56 मिलियन रुपए (गत वर्ष 2017.15 मिलियन रुपए) की कारपोरेट गारंटी अनुबंध के निष्पादन के लिए ग्राहक के पक्ष में दी गई है, जिसके विरुद्ध एसोशिएट आपूर्तिकर्ताओं से 7152.30 रुपए की बैक–अप गारंटियां प्राप्त की गई हैं।

ख) एनआईएनएल के ऋणों से संबंधित मूल तथा ब्याज राशि की सुनिश्चितता के लिए वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) की ओर से निगम द्वारा 13793.70 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 14409.10 मिलियन रुपए की कारपोरेट गारंटी दी गई है।

ग) कंपनी के विरूद्ध 3652.51 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 2274.05 मिलियन रुपए) के दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया।

घ) कंपनी द्वारा खोले गये साख पत्रों में से 7496.56 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 6142.11 मिलियन रुपए) की राशि बकाया है।

ड.) 2445.44 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 988.89 मिलियन रुपए) के विवादित बिक्रीकर मॉंग जिसके लिए 192.94 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 115.96 मिलियन रुपए) जमा कराये गये और 0.74 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 6.74 मिलियन रुपए) बैंक गारंटियों द्वारा पूरे किए गए।

च) व्यापार सहायक सेवा के संबंध में 809.70 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 486.48 मिलियन रुपए) की सेवा कर मांग।

छ) स्टीम कोल के एक बैकअप सप्लायर ने वर्ष 2011–12 से 2012–13 के दौरान एक कस्टमर को बैक टू बैक आधार पर कोल सप्लाई हेतु बढे रेल भाड़े, अस्वीकृत बैल्ट सैम्पलिंग, रैक रिजेक्शन तथा भुगतान में हुई देरी के लिए ब्याज हेतु 504.30 मिलियन रूपए का दावा किया है जिसे कस्टमर ने विवाद करार दिया है।

ज) निष्पादन, मूल दस्तावेजों की प्रस्तुति इत्यादि के लिए कस्टम विभाग को बांड प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से कुछ अभी भी बकाया हैं। 31.03.2014 को असमाप्त बांडो की राशि 7615.00 मिलियन रुपए (गत वर्ष 1697.08 मिलियन रुपए) है।

झ) एक पार्टी ने एनआईएनएल के कोकिंग कोल की आंशिक मात्रा के न उठाये जाने के संबंध में नोटिस जारी किया है जिसकी सुपुर्दगी वर्ष 2008–09 से संबंधित है और 4716.93 मिलियन रुपए (दिनांक 31.03.2014 को 59.92 रूपए की अंतिम विनिमय दर के अनुसार 78.72 मिलियन अमेरिकी डालर बनते हैं) (गत वर्ष 4273.71 मिलियन रुपए) का 30 सितंबर, 2009 से 12% वार्षिक ब्याज का दावा किया है, व जिसका खंडन किया गया है क्योंकि यह मान्य नहीं है। एमएमटीसी ने भी वर्ष 2009–10 के लिए कोकिंग कोल की आपूर्ति न किये जाने हेतु प्रति दावा करते हुए पार्टी को नोटिस दिया है। मामला मध्यस्थ के पास विचाराधीन था, जिसकी कार्यवाही अब पूरी हो चुकी है। अवार्ड 21 मई, 2014 को प्राप्त हो गया है। तीन में से दो मध्यस्थों ने अधिकांश अवार्ड को कंपनी के विरूद्ध ही दिया है और तीसरे मध्यस्थ ने आंशिक अवार्ड को कंपनी के पक्ष में दिया है। अवार्ड की कानूनी आधार पर जांच की जा रही है और कानूनी सलाह के अनुसार ही इसे निर्धारित अवधि के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें अगर किसी प्रकार की देयता होगी तो इसे एनआईएनएल के खाते में से दिया जाएगा।

(ञ) कस्टम विभाग ने चालू वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सहयोगी आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से बैक–टू–बैक की शर्तों पर स्थिर मार्जन आधार पर पावर कंपनियों को आपूर्ति किए गए स्टीम कोल के आयात पर अंतरीय कस्टम ड्यूटी/ब्याज/दंड इत्यादि के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय से 620.17 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 1850.13 मिलियन रुपए) की मांग रखी है। अगर कस्टम ड्यूटी की किसी प्रकार की देयता होगी तो इसे बैकअप सप्लायर के खाते से दिया जाएगा।

(ट) उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा 96.59 मिलियन रूपए (गत वर्ष शून्य मिलियन रूपए) की उत्पाद शुल्क की मांग के लिए कंपनी ने विभाग के पास अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

(ठ) टारगेट प्लस लाइसेंस के विरूद्ध आयात किए गए आरबीडी पॉम आयल के संबंध में 256.99 मिलियन रूपए (गत वर्ष 241.12 मिलियन रूपए) की कस्टम डयूटी/दंड इत्यादि की मांग की है। इसकी स्थायी देयता के संबंध में सीईएलटीएटी द्वारा वसूली पर रोक लगा देने के आदेश के आधार पर तथा प्रथमदृष्टया में ही मामले को कंपनी के हित में देने एवं पहले से ही जमा राशि को छोड देने पर चालू वर्ष के दौरान इसे वापिस कर लिया गया है।

ड) कुछ मामलों में आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल की गई राशि भारत सरकार के खाते में किए गए वस्तु व्यापार से संबंधित है और इसे भारत सरकार से वसूल किया जाना है।

(ढ) बिक्री कर का निर्धारण पूरा हो जाने पर, कुछ कार्मिकों के विवादित दावे, एजेंटों/कांट्रेक्टरों द्वारा भविष्य निधि को नहीं काटना, विवादित किराया एवं ब्याज/दंड/विधि व्यय इत्यादि के संबंध में आई मांग पर यदि कोई अतिरिक्त देयता बनती है तो इस बारे में आकस्मिक देयताओं की निर्दिष्ट राशि अनिर्धारित तथा सुविचारित नहीं की गई है।

(ण) परीक्षित/गैर–परीक्षित लेखा विवरणों के आधार पर संयुक्त उद्यमों की आकस्मिक देयताओं में हिस्सेदारी 22.49 मिलियन रुपए (गत वर्ष 137.46 मिलियन रुपए)।

(त) परीक्षित/गैर–परीक्षित लेखा विवरणों के आधार पर सहयोगियों की आकस्तिक देयताओं में हिस्सेदारी 3525.79 मिलियन रुपए (गत वर्ष 3002.84 मिलियन रुपए)।

(ii) वचनबद्धताएंः

(क) पूंजी खातों पर निष्पादित किए गए करारों की अनुमानित राशि 9.75 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 2.82 मिलियन रुपए) का प्रावधान नही किया गया।

(ख) संयुक्त उद्यमों के परीक्षित/गैर परीक्षित लेखा विवरणों के आधार पर पूंजी खातों पर निष्पादित नहीं किए गए करारों की अनुमानित राशि की हिस्सेदारी 101.46 मिलियन रूपए (गत वर्ष 49.94 मिलियन रूपए) का प्रावधान नहीं किया गया।

(ग) सहयोगियों के परीक्षित/गैर परीक्षित लेखा विवरणों के आधार पर पूंजी खातों पर निष्पादित नहीं किए गए करारों की अनुमानित राशि की हिस्सेदारी 1164.56 मिलियन रूपए (गत वर्ष 1710.02 मिलियन रूपए) का प्रावधान नहीं किया गया।

सामान्य प्रकटन

19. कम्पनी द्वारा बिना बिल के खरीदे गये निम्नलिखित माल को अपने पास जमा रखा गया है और जिसको अन्य चालू परिसम्पतियों(टिप्पणी सं. 7.6) तथा अन्य चालू देयताओं (टिप्पणी सं 5.3) में दिखाया गया है।

(₹ मिलियन में)

मदें	31-03-2014		31-03-2013	
	मात्रा(किग्रा)	मूल्य	मात्रा(किग्रा)	मूल्य
स्वर्ण	2,218.00	5,956.10	434.00	1,354.48
स्वर्णाभूषण	-	5.40	-	6.87
चांदी	1,550.00	61.08	1,475.00	73.74

20. कंपनी ने प्राधिकृत डीलरों से बकाया जीआर–1 फार्मों के संबंध में देय तिथि के बाद वसूली के लिए समय बढ़ाने के लिए/छोड़ने के लिए/बट्टे खाते में डालने के लिये आवेदन किया है। इनका फैसला होने तक देयता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने 19.81 मिलियन रुपए (गत वर्ष 19.81 मिलियन रुपए) का दण्ड लगाया है जिसका प्रतिवाद किया जा रहा है। इसके बावत 0.30 मिलियन रुपए (विगत वर्ष 0.30 मिलियन रुपए) की राशि जमा करवाई गई है तथा 10.30 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 10.30 मिलियन रुपए) की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है।

21. हाल के वर्षों में आए व्यापार मॉडल में विभिन्न बदलावों के कारण और नवीनतम सांविधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्तमान ईआरपी पैकेज को बदलने का निर्णय लिया है।

22. लेखा मानक –15 (संशोधित) के अनुसार कंपनी द्वारा कर्मचारियों को निम्नानुसार लाभ प्रदान किये गये हैंः–

i. अवकाश नगदीकरण : नौकरी उपरांत पात्र कर्मचारियों को उनके अर्जित अवकाश व अर्धवेतन अवकाश का नगदीकरण देय है। संचित अर्जित अवकाश का नगदीकरण न्यूनतम 15 दिन का अर्जित अवकाश छोड़कर वर्ष में दो बार करवाया जा सकता है ।

ii. सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) : सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर या ओपीडी के लिये कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक उपचार करवा सकते हैं। दिनांक 01.01.2007 तक सेवानिवृत अथवा दिनांक 01.01.2007 के उपरांत सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के लिए डीपीई ने अलग से कोर स्थापित करने के दिशानिर्देश दिए हैं वर्तमान में कंपनी की सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना है। योजना के अनुसार कंपनी बीमांकित लागत के आधार पर देयताओं का प्रावधान करती है ।

चालू वर्ष के दौरान कंपनी के प्रबंधतंत्र ने ट्रस्ट के माध्यम से एक कोर स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसे वर्ष 2014–15 से कार्यान्वित कर दिया जायेगा तदानुसार कंपनी ने दिनांक 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत कार्मिकों के लिए संशोधित योजना अधिसूचित कर दी है। ट्रस्ट एवं कोर की स्थापना के उपरांत वर्ष 2014–15 से कोर में किए जाने वाले अंशदान को डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित किया जायेगा ।

iii. ग्रेच्युटी : सेवानिवृत्ति/सेवा छोड़ने पर सेवाकाल के वर्षों की संख्या के आधार पर समस्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अदायगी कंपनी द्वारा की जाती है जिसकी व्यवस्था एक अलग ट्रस्ट द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है। माइका प्रभाग के कार्मिकों के संबंध में इस योजना की व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा एलआईसी के माध्यम से की जाती है।

iv. दीर्घ सेवा लाभ : कार्मिकों को देय दीर्घ सेवा लाभ निम्नानुसार हैंः–

(क) अधिवर्षिता/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लेने पर कार्मिकों को दीर्घ सेवा के लिए प्रत्येक समाप्त वर्ष हेतु 2500/– रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है।

(ख) सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर, कार्मिक के आश्रितों को एकमुश्त में 50,000/– रुपए राशि की सहानुभूतिशील ग्रेच्युटी देय होती है।

(ग) जिस कार्मिक की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है उस कार्मिक के आश्रितों को अधिवर्षिता की सैद्धांतिक तिथि तक कर्मचारी लाभ परिवार योजना के अंतर्गत भुगतान किया जाता है। मृत्यु के समय 20 वर्षों से कम सेवा पूरी करने पर अंतिम देय मूल वेतन व मंहगाई भत्ते का 40% की दर से मासिक लाभ जिसकी अधिकतम सीमा 12000/–रु. होती है, इसी प्रकार 20 वर्ष अथवा उससे अधिक सेवाकाल पूरा करने वाले के लिए अंतिम देय मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 50% की दर से मासिक लाभ जिसकी अधिकतम सीमा 12000/–रु. होती है।

v. भविष्य निधि : वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्रदत्त/भुगतान किए जाने वाले भविष्य निधि के अंशदान की लाभ व हानि विवरण में पहचान की जाती है। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त है। छूट की शर्तों में इस प्रकार का भी प्रावधान है कि अगर ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर के साथ–साथ सांविधिक दर की तुलना में से किसी प्रकार की कमी आ रही हो तो नियोक्ता उसका वहन करके इसे पूरा करेगा। कंपनी को आगे भी निकट भविष्य में किसी प्रकार की बाध्यताओं का पूर्वानुमान नहीं है साथ ही निधि की परिसम्पत्तियों एवं निवेश से प्राप्त रिटर्न अच्छी दिखाई दे रही है।

vi. पेंशन योजना – वर्ष के दौरान कंपनी ने परिभाषित अंशदायी सेवानिवृति पेंशन योजना के लिए लाभ व हानि विवरण में 78.17 मिलियन रुपए (गत वर्ष 62.77 मिलियन रुपए) की स्वीकृति दी है! लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार परिभाषित लाभ बाध्यताओं के संबंध में ''कर्मचारी लाभ'' के अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं :

(क) परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य का समाधान :

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदी–करण	बीमारी छुट्टी	सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ	दीर्घ सेवा लाभ
(i)	परियोजित लाभ बाध्यताओं का दिनांक 1-4-2013 को वर्तमान मूल्य	756.54	275.30	187.53	1,286.21	112.93
(ii)	ब्याज लागत	60.52	23.40	15.94	109.33	
(iii)	वर्तमान सेवा लागत	9.88	12.33	8.76	17.94	
(iv)	प्रदत्त लाभ	59.09	84.14	6.70	64.03	
(v)	बीमांककीय (लाभ/हानि)	(3.14)	36.08	8.32	18.87	3.97
(vi)	31-3-2014 को बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii-iv + v)	764.71	262.97	213.85	1,368.32	116.90

(ख) 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण लेखा में दर्शाये गये व्यय :

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित छुट्टी नकदी–करण	बीमारी छुट्टी	सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ	दीर्घ सेवा अवार्ड
(i)	सेवा लागत	9.88	12.33	8.76	17.94	-
(ii)	ब्याज लागत	60.52	23.40	15.94	109.33	-
(iii	योजनागत परि-सपंतियों पर वास्तविक रिटर्न	66.38	-	-	-	-
(iv)	अवधि के दौरान शुद्ध बीमांककीय (लाभ)/हानि	(3.14)	36.08	8.32	18.87	3.97
(v)	लाभ व हानि खातों में लिए गए व्यय (i+ii-iii+iv)	0.89	71.81	33.03	146.14	3.97

(ग) परियोजित परिसंपतियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :

(₹ मिलियन में)

	ग्रेच्युटी
1-4-2013 को योजनागत परिसंपतियों का उचित मूल्य	759.88
योजनागत परिसंपतियों पर वास्तविक रिटर्न	66.38
नियोक्ता द्वारा अंशदान	12.37
प्रदत्त लाभ	59.09
बीमांककीय लाभ/(हानि)	-
31-3-2014 को योजना परिसंपतियों का उचित मूल्य	779.54

(घ) सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना के तहत लाभों के मूल्यांकन के संबंध में संभावित मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट परिवर्तन का प्रभावः–

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशतता वृद्धि	मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशतता कमी
i)	सेवा लागत व ब्याज लागत के समग्र पर प्रभाव	6.69	(9.68)
ii)	परिभाषित लाभ बाध्यताओं पर प्रभाव	165.35	(135.09)

(ड.) बीमांककीय कल्पनाएं :

क्र. सं.	विवरण	31/3/2014 को
(i)	छूट दर (प्रतिवर्ष)	8.00% - ग्रेच्युटी 8.50% - अन्य
(ii)	भविष्य लागत वृद्धि	6.00%- ग्रेच्युटी 6.50% - अन्य
(iii)	सेवा निवृति आयु	60 वर्ष
(iv)	मृत्यु संख्या विवरण	आईएएलएम (2006-08)
(v)	निकासी दरें	आयु पर आधारित 1% से 3%

च) ग्रेच्युटी के मामले में कंपनी अपनी बाध्यताओं का निपटारा एलआईसी से ली गई पालिसी के माध्यम से करती है तथा खर्चो की पहचान एलआईसी द्वारा किए गए बीमांकिक लागत के आधार पर की जाती है।

छ) दिनांक 31.03.2014 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी की सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ के संबंध में वर्तमान लागत के अनुसार 1368.32 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1286.21 मिलियन रुपये) की बाध्यता है, जिसके लिए लेखा मानक–15 के अनुसार देयता का प्रावधान किया है। कंपनी ने 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत एवं 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत हुए कार्मिकों के लिए स्थापित किए जाने वाले कोर(कारप्स) में आबंटन के उद्देश्य से 31.03.2013 को वर्तमान लागत पर बाध्यता की राशि में पुनः बामांकिक मूल्यांकन करवाया है। दिनांक 31.03.2013 को पुनः बीमांकिक मूल्यांकन करने से वर्तमान लागत में बदलाव हुआ है जोकि 1286.21 मिलियन रुपये से 1150.31 मिलियन रुपये हो गया है। तदानुसार दिनांक 31.03.2014 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन को बीमांकिक लाभ तथा हानि के लेखों में शामिल कर लिया गया है।

23. लेखा मानक–17 के अनुसार कंपनी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट योग्य बिजनेस सैगमेंटों में खनिजों, बहुमूल्य धातुओं, धातुओं, कृषि उत्पादों, कोयला व हाइड्रोकार्बन, उर्वरकों तथा सामान्य व्यापार/अन्यों की पहचान की है। सैकेंडरी सैगमेंटों की पहचान भारत की भीतरी व बाहरी भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। अनुलग्नक क में इसका विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है।

24. लेखा मानक–18 के अंतर्गत संबंधित पार्टियों का प्रकटन (प्रबंधतंत्र द्वारा यथा–निर्धारित एवं प्रमाणित)

(क) संबंधित पार्टियों के नाम एवं संबंध का विवरण :

क) <u>प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक</u>

i.	श्री डी एस ढेसी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii.	श्री वेद प्रकाश	निदेशक
iii.	श्री राजीव जयदेव	निदेशक
iv.	श्री एम जी गुप्ता	निदेशक
v.	श्री आनन्द त्रिवेदी	निदेशक
vi.	श्री पी के जैन	निदेशक (15-05-2013 से)
vii.	श्री तपस कुमार सेनगुप्ता	प्रबन्ध निदेशक, एमटीपीएल
viii.	श्री विजय कुमार गुप्ता	निदेशक, एमटीपीएल

ख) <u>सहायक कंपनी</u>
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर

ग) <u>एसोशिएट</u>
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
देवोना थर्मल पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

घ) <u>संयुक्त उद्यम</u>
फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
हल्दिया फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
इंटिग्रेटिड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड
एमएमटीसी पेम्प इंडिया प्रा. लिमिटेड
एमएमटीसी गीतांजली प्राइवेट लिमिटेड
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड
सिकॅाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड
टीएम माइनिंग कंपनी लिमिटेड
ब्लू वाटर आयरन ओर थर्मल प्रा. लि.

वर्ष 2013–14 के दौरान लेन–देन का विवरण

(₹ मिलियन में)

विवरण	एसोशिएट्स	सहायक कंपनी	उद्यम के प्रमुख कार्मिक	कुल
माल की खरीद	15,490.51	3,767.75		19,258.26
माल की बिक्री	10,809.91	73.61		10,883.52
स्थायी परिसं–पत्तियों की बिक्री				
प्राप्त लाभांश				
रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में ऋण तथा इक्विटी अंशदान सहित वित्त				
कारपोरेट गारंटी				
अन्य भुगतान डेमरेज/डिस्पैच				
अन्य प्राप्तियां डेमरेज/डिस्पैच				
पारिश्रमिक			28.28	28.28
बकाया शेष				
प्राप्य	6,489.71		0.28	6,489.99
देय	4.82	0.84		5.66

25. प्रति शेयर अर्जन

विवरण	2013-14		2012-13	
	असाधारण मदों से पूर्व	असाधारण मदों से पश्चात	असाधारण मदों से पूर्व	असाधारण मदों से पश्चात
कर पश्चात लाभ(₹ मिलियन में)	1207.55	(181.58)	544.26	(1106.54)
इक्विटी शेयरों की कुल संख्या (मिलियन)	1000	1000	1000	1000
बेसिक और डाइल्यूटिड प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 1/- प्रति शेयर) (गत वर्ष अंकित मूल्य ₹ 1/- प्रति शेयर)	1.21	(0.18)	0.54	(1.11)

26. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संयुक्त उद्यमों में स्वामित्व की वित्तीय रिपोर्ट लेखा मानक–27 के अनुसार भारत में निगमित सभी संयुक्त उद्यम कंपनियों में स्वामित्व की हिस्सेदारी, परिसंपत्तियां, देयताएं, आय, व्यय, विविध देयताएं व पूंजीगत अहर्ताएं निम्नानुसार हैं:–

(₹ मिलियन में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व का प्रतिशत	निगमन का देश	परिसं–पत्तियां	देयताएं	आय	व्यय	विविध देयताएं	पूंजीगत वचन–बद्धताएं
1	फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	26	भारत	151.35	148.28	0.50	0.29	10.52	0.00
2	ग्रेटर नौएडा इंटिग्रेटिड वेयर हाउसिंग प्रा. लि.	26	भारत	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00
3	एमएमटीसी पेंप इंडिया प्रा. लिमि.	26	भारत	1,689.35	1,349.34	23,352.21	23,036.60	10.59	14.10
4	सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	26	भारत	1,346.40	1,008.48	0.00	0.00	0.28	87.36
5	एमएमटीसी गीताजंलि प्रा. लि.	26	भारत	89.53	62.49	82.84	85.71	1.09	0.00
6	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	26	भारत	91.45	44.63	14.73	36.86	0.00	0.00
7	टीएम माइनिंग कंपनी लि.	26	भारत	0.02	0.07	0.00	0.11	0.00	0.00
8	ब्लू वाटर आयरन ओर थर्मल प्रा. लि.*	18	भारत	0.17	0.53	0.00	0.31	0.00	0.00

* अन–अंकेक्षित

27. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा विनिर्दिष्ट 'परिसंपत्तियों की हानि' जैसा कि मानक लेखा (ए एस) 28 द्वारा वांछित है कंपनी ने परिसंपत्तियों की हानि का मूल्य निर्धारण किया है तथा परिसम्पत्तियों की लागत में क्षतिपूरक हानि के लिए वर्ष के दौरान 10.88 मिलियन रुपये (गत वर्ष शून्य मिलियन रुपये) की राशि का प्रावधान किया है।

28. मानक लेखा – 29 के अनुसार प्रावधानों का समाधान निम्नानुसार है:–

(₹ मिलियन में)

प्रावधानों का विवरण	01-04-13 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समा–योजन	वर्ष के दौरान वृद्धि	31-03-14 को अंतिम शेष
गंतव्य भार व विश्लेषण जोखिम	1.38	1.38	1.19	1.19
बोनस/पीआरपी	68.01	4.34	(3.78)	59.89
अधिवर्षिता लाभ	66.46	105.44	78.18	39.20
कराधान के लिए प्रावधान	829.24	801.47	753.32	781.09
प्रस्तावित लाभांश	201.97	201.97	150.00	150.00
प्रस्तावित लाभांश पर कर	0.00	0.00	25.49	25.49

29. अल्प अवधि ऋणों व अग्रिमों के शीर्ष में 931.62 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1204.71 मिलियन रुपये) के आयकर में विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए आयकर विभाग की 366.63 मिलियन रुपये (गत वर्ष 357.23 मिलियन रुपये) की विवादित मांग के प्रति आयकर विभाग को भुगतान किए गए 357.23 मिलियन रुपये (गत वर्ष 293.80 मिलियन रुपये) की राशि तथा वित्त वर्ष 2011–12 व 2012–13 की आयकर/फ्रिंज लाभ कर देयता के लिए अग्रिम कर/टीडीएस/एफबीटी की 847.48 मिलियन रुपये (गत वर्ष 1031.98 मिलियन रुपये) की राशि शामिल है। अतिरिक्त मांग यदि कोई होगी तो उसका प्रावधान अपीलीय कार्यावाही पूरी होने पर कर दिया जाएगा।

30. मिंट चांदी लेन–देन के संबंध में मेसर्स एआईपीएल के विरूद्ध 284.53 मिलियन रुपये (गत वर्ष 284.53 मिलियन रुपये) की राशि बकाया है जिसके लिए पूर्ण प्रावधान लेखों में किया गया है। कंपनी ने 314.02 मिलियन रुपए (गत वर्ष 314.02 मिलियन रुपये) की वसूली का मामला दायर किया है जिसमें 29.49 मिलियन रुपए (गत वर्ष 29.49 मिलियन रुपये) की विलम्बित ब्याज राशि भी शामिल है जिसे कंपनी के पक्ष में घोषित किया गया है। मै. एआईपीएल ने भी 1671.97 मिलियन रुपए(गत वर्ष 1671.97 मिलियन रुपये) के नुकसान का सरकारी मिंट/एमएमटीसी के विरूद्ध मामला दायर किया है जो विधिक मत के अनुसार मान्य नही है और कार्यवाही की जा रही है।

31. वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान भारत सरकार के निदेशों पर कंपनी ने दालों का आयात किया था। सरकार ने लेंडिड लागत के 15 प्रतिशत तक घाटों की प्रतिपूर्ति और सीआईएफ के 1.2 प्रतिशत की दर से व्यापारिक मार्जन की अनुमति प्रदान की है। वर्ष 2011–12 के दौरान 165.53 मिलियन रुपये (गत वर्ष 165.53 मिलियन रुपये) का दावा दायर किया था जो कि 15% की लेंडिड लागत के अनुसार ही था उसकी अभी वसूली होनी बाकी है। इसके अलावा वर्ष 2008–09 के दौरान अतिरिक्त भुगतान पर की गई ब्याज कटौती के लिए भी 27.40 मिलियन रुपए दिखा रखे हैं जिनकी वसूली भारत सरकार से की जानी है। वर्ष 2011–12 से इस योजना को बंद कर दिया गया।

32. आयातित पोलिएस्टर खराब होने के कारण एक एसोशिएट के विरूद्ध 18.89 मिलियन रुपए(पिछले वर्ष 18.89 मिलियन रुपए) का एक दावा लम्बित है जिसके लिए ईएमडी और अन्य भुगतानों के रूप में 3.61 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 3.61 मिलियन रुपये) को ध्यान में रखते हुए लेखों में 15.28 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 15.28 मिलियन रुपये) का प्रावधान रखा है। कंपनी ने कस्टम को इसका परित्याग करने का अनुरोध किया जो निर्णय आदेश के लिए लम्बित है। एसोशिएट के विरूद्ध आपराधिक व सिविल सूट दायर किया है। एसोशिएट ने विवाद निपटारा समिति के विचारार्थ एक प्रस्ताव रखा है ।

33. सूचीगत अनुबंध के खंड 32 में अपेक्षित ऋणों की प्रकृति में ऋण व अग्रिमों के संबंध में विवरण:

(क) अग्रिमों (ब्याजमुक्त) के रूप में सहयोगियों को दिए गए ऋण व अग्रिम

ऋणी	31-03-2014 को शेष	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	₹ 0.03 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 3.56 मि.)	₹ 3.93 million (पिछले वर्ष ₹ 3.56 मि.)

(ख) ऋणी के निवेशों का विवरणः शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य)

34. बकाया राशियों की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र जारी किये गये हैं जिनमें निर्धारित अवधि के भीतर पुष्टि करने या टिप्पणी करने का अनुरोध किया गया है जिसके अभाव में पत्र में दर्शाए गए शेष को पुष्टिकृत माना जाएगा। कुछ मामलों में पुष्टि पत्र प्राप्त हो चुके हैं। यद्यपि किसी पार्टी से विपरीत सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

35. मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष 2011–12 के दौरान एक विदेशी आपूर्तिकार ने माल (कॉपर) की सुपुर्दगी किए बिना बैकिंग चैनलों के माध्यम से 32.63 मिलियन रुपये (गत वर्ष 29.64 मिलियन रुपये) का भुगतान हासिल करने के लिए जाली शिपिंग दस्तावेज दिए। तथापि साख–पत्र के तहत बैंक द्वारा किये जाने वाले भुगतान को रोकने के लिए कम्पनी ने भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने की वचनबद्धता के साथ अंतरिम स्टे ले लिया था। इसी आपूर्तिकार ने धोखे से अन्य कॉपर की शिपमेंट के मास्टर बिल ऑफ लेडिंग हथियाने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने 85.98 मिलियन रुपये (गत वर्ष 85.98 मिलियन रुपये)के माल की सुपुर्दगी लेकर अपने कब्जे में लिया जिसका भुगतान पहले से ही हो चुका है और इसको भारतीय पोर्ट पर प्राप्त कर लिया गया है। जिसका न्यायिक फैसला शीघ्र ही आने की संभावना है। इसके विरूद्ध कंपनी के पास बैकअप कस्टमर की 44.51 मिलियन रुपए की ईएमडी पड़ी है ।

36. हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ष 2011–12 के दौरान बैकिंग चैनलों के माध्यम से 37.50 मिलियन रुपये (गत वर्ष 37.50 मिलियन रुपये) लागत के कॉपर की दो शिपमेंटस का जाली बिल ऑफ लेडिंग प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध माल प्राप्त नहीं हुआ था। कंपनी को भारतीय उपभोक्ता से पूरा भुगतान प्राप्त हो जाने के उपरांत विदेशी सप्लायर को साख–पत्र के माध्यम से पूरा भुगतान कर दिया है। कंपनी ने विदेशी सप्लायर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु कर दी है।

37. वर्ष 2006 में कंपनी को गोमिया कोल ब्लॉक आबंटित किया गया था, जिसके विकास पर कंपनी ने 65.43 मिलियन रुपये (गत वर्ष 54.86 मिलियन रुपये) की राशि खर्च की थी जिसे 'पूंजी कार्य प्रगति पर' (केपिटल वर्क इन प्रोग्रेस) में दिखाया गया है। ब्लॉक के विकास कार्य में देरी हो जाने की वजह से वर्ष के दौरान कोयला मंत्रालय ने 298.00 मिलियन रुपये की बैंक गारंटी की मांग की है। वर्ष 2002 में ओएनजीसी को गैस एक्सट्रेक्शन के लिए आबंटित किए गए कोल मिथेन ब्लाक (सीबीएम)को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने बीजी की छूट के लिए मामले को कोल मंत्रालय के पास उठाया है। अंतिम निर्णय आना बाकी है ।

38. कंपनी ने लेखा नीति सं. 2.17 II(i) को पुनः परिभाषित किया है जिसके अनुसार अब "आकस्मिक देयताओं की पहचान नहीं की जाती है परंतु लेखों की टिप्पणियों में प्रकट की जाती हैं। आकस्मिक देयताओं पर यदि कोई ब्याज है तो अनिर्धारित होने के कारण इसे लेखों की टिप्पणियों में सामान्यतः प्रकट नहीं किया जाता है ताकि कंपनी में अनुसरण की जा रही लेखा नीतियां स्पष्ट हो सकें।

उपर्युक्त बदलाव कंपनी पर किसी प्रकार का वित्तीय प्रभाव नहीं छोड़ते हैं।

39. ऐसे कोई भी सूक्ष्म (माइक्रो) छोटे व मध्यम उद्यम नहीं हैं जिनके विरूद्ध कंपनी के 31 मार्च, 2014 को 45 दिनों से अधिक देय बकाया शेष है ।

40. कंपनीज (लेखा मानक) नियम 2006 का अनुपालन किया गया है। कंपनी के काफी संख्या में लेनदेन व विविध क्रियाकलाप हैं जिनका उक्त नियमों के अंतर्गत कड़ाई से पालन करने से प्रचालन कठिनाइयां आ सकती हैं। अगर किसी तरह का परिवर्तन किया गया है तो इसे कंपनी की लेखा नीतियों में दिखाया गया है।

41. लोक उद्यम विभाग भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा स्टाफ कार के लिए 2000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने पर अपने प्रयोग के लिए 1000 किमी. प्रति माह का उपयोग कर सकते हैं ।

42. समेकित वितीय विवरण में शामिल सहायक कंपनियों, एसोशिएटस तथा संयुक्त उदयम् की सूची इस प्रकार हैः –

सहायक कंपनी का नाम	निगमन का देश	31-03-2014 को स्वामित्व की हिस्सेदारी का अनुपात
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि.	सिंगापुर	100%

एसोशिएट कंपनी का नाम	निगमन का देश	31-03-2014 को स्वामित्व की हिस्सेदारी का अनुपात
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	भारत	49.78%
देवोना पावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	भारत	26.00%

संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन का देश	31-03-2014 को स्वामित्व की हिस्सेदारी का अनुपात
ग्रेटर नोएडा इंटीग्रेटिड वेयरहाउसिंग प्रा.लि.	भारत	26.00%
फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा. लि.	भारत	26.00%
एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि	भारत	26.00%
सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	भारत	26.00%
एमएमटीसी गीतांजलि प्रा.लि.	भारत	26.00%
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.	भारत	26.00%
टीएम माइनिंग कंपनी लि.	भारत	26.00%

ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि. के लेखों को समेकन में विचार नहीं किया गया क्योंकि ब्लू वाटर आयरन ओर टर्मिनल प्रा. लि. की पूंजी / इक्विटी में किसी प्रकार का अंशदान नहीं दिया।

43. सहायक कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड का विवरण इस प्रकार है–

सहायक कंपनी का नाम	निगमन का देश	31-03-2014 को स्वामित्व की हिस्सेदारी का अनुपात
एमएमटीसी ट्रांसनेशनल (मास्को) प्रा. लि.	रूस	100%

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल (मास्को) प्रा. लि. की हैसियत एक निष्क्रिय कंपनी के रूप में है और इसमें किए गए निवेश को इसकी होल्डिंग कंपनी एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लि. ने इसे क्षीण कर दिया है।

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

44. संयुक्त उद्यम / एसोशिएट / सहयोगी कंपनी का प्रचालन विभिन्न वातावरण में होने के कारण संयुक्त उद्यम / एसोशिएट सहयोगी कंपनियों की लेखा नीतियां कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही लेखा नीतियों से अलग हैं। इसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

विवरण	संयुक्त उद्यम / एसोशिएट / सहायक कंपनी का नाम	लेखा नीतियां		एमएमटीसी की हिस्सेदारी का अनुपात (सकल राशि)
		एमएमटीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम / एसोशिएट / सहायक कंपनी	
मूल्यहरास एवं परिशोधन	नीलाचल इस्पात निगम लि.	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv के अंतर्गत दी गई दरें समान या इससे अधिक हैं	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर	मात्रा योग्य नहीं
	सिकॉल आयरन ओर टर्मिनल लि.	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत दी गई दरें समान या इससे अधिक हैं	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर	मात्रा योग्य नहीं
	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि.	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv के अंतर्गत दी गई दरें समान या इससे अधिक हैं	कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची xiv के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी गीतांजलि प्रा.लि.	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत दी गई दरें समान या इससे अधिक हैं	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत दी गई दरें समान या इससे अधिक हैं	कंपनी अधिनियम की अनुसूची xiv के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी ट्रासनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	मूल्यहरास की दरें एमएमटीसी लि. की लेखा नीतियों के अनुसार हैं	मूल्यहरास 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रभारित	लेखों में मूल्यहरास एवं परिशोघन के लिए 0.35 मिलियन रु. अधिक प्रभारित किए गए
इनवेंट्री मूल्यांकन	एमएमटीसी ट्रासनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	भारित औसत लागत	विशिष्ट पहचान विधि	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी गीतांजलि प्रा.लि.	भारित औसत लागत	वेंडर–वार औसत आधार और एफआईएफओ आधार पर	मात्रा योग्य नहीं
	एमएमटीसी पैम्प इंडिया प्रा. लि.	भारित औसत लागत	एफआईएफओ आधार पर	मात्रा योग्य नहीं
विदेशी मुद्रा विनिमय	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	गैर मौद्रिक मदें लेन–देन विनिमय दर की तिथि को रिपोर्ट की जाती हैं	वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में लेन–देन के समायोजन की तिथि को प्रचलित दर पर पूंजीगत व्यय राजस्व की पहचान की जाती है	मात्रा योग्य नहीं
	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड	लाभ व हानि खाते में चार्ज की गई स्थाई परिसंपत्तियों की देयताओं के संबंध में विनिमय अंतर	ऐसी परिसंपत्तियों की ले जाई गई राशियों में परिसंपत्तियों से संबंध देयताओं के संबंध में विनिमय अंतर का समायोजन किया जाता है	मात्रा योग्य नहीं
वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार	एमएमटीसी ट्रासनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	सिंगापुर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड	मात्रा योग्य नहीं

विवरण	संयुक्त उद्यम/एसोशिएट/सहायक कंपनी का नाम	लेखा नीतियां		एमएमटीसी की हिस्सेदारी का अनुपात (सकल राशि)
		एमएमटीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम/एसोशिएट/सहायक कंपनी	
राजस्व पहचान	एमएमटीसी ट्रासनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	एक्रूवल आधार पर लाभांश की पहचान	प्रभावी ब्याज विधि पर ब्याज आय की पहचान	मात्रा योग्य नहीं
	सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड	नगद आधार पर ब्याज आय की पहचान	समय अनुपात आधार पर लाभांश आय की पहचान	मात्रा योग्य नहीं
व्यापार व अन्य प्राप्तियां	एमएमटीसी ट्रासनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	प्रभावी ब्याज विधि के प्रयोग से परिशोधन लागत	मात्रा योग्य नहीं
व्यापार व अन्य प्राप्तियां	एमएमटीसी ट्रासनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	प्रभावी ब्याज विधि के प्रयोग से परिशोधन लागत	मात्रा योग्य नहीं
टर्मिनल लाभ	एमएमटीसी ट्रासनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	परिभाषित लाभ योजना	परिभाषित अंशदान योजना	मात्रा योग्य नहीं
वित्तीय परिसंपत्तियां व देयताएं	एमएमटीसी ट्रासनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	प्रभावी ब्याज विधि के प्रयोग से परिशोधन लागत	मात्रा योग्य नहीं
उधारी	एमएमटीसी ट्रासनेशनल प्रा. लि. सिंगापुर	इंडियन जीएएपी	प्रभावी ब्याज विधि के प्रयोग से परिशोधन लागत	मात्रा योग्य नहीं

45. पिछले वर्ष के आंकड़ों का और जहां आवश्यक समझा गया फिर से पुनः वर्गीकरण/सुधार किया गया है।

46. संलग्न लेखा नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन कपिला एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ आर सं 000287 एन

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सीए डी के कपिला)
पार्टनर
एम नं0 016905

(जी आनंदनारायणन)
सहायक कंपनी सचिव

(विजय पाल)
मु.म.प्र.(वि.व ले.)

(एम जी गुप्ता)
निदेशक(वित्त)
डी आई एन 02200405

(आनन्द त्रिवेदी)
निदेशक
डीआईएन 01077784

(डी एस ढेसी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन 1433541

दिनांक : 29.05.2014
स्थान : नई दिल्ली

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क'

वर्ष 2013–14 के लिए खंडवार निष्पादन का विवरण

(आरम्भिक प्रस्तुति)

विवरण	व्यापार खंड					
	बहुमूल्य धातुएं		धातुएं		खनिज एवं अयस्क	
	31 मार्च 14	31 मार्च 13	31 मार्च 14	31 मार्च 13	31 मार्च 14	31 मार्च 13
खंडवार राजस्व						
बाह्य बिक्री						
– भारत में	**113,686.46**	168,692.48	**4,181.21**	11,946.75	**2,831.84**	1,761.27
– भारत के बाहर	**2,592.97**		**11,278.83**	3,211.13	**20,410.78**	13,900.33
योग (क)	**116,279.43**	168,692.48	**15,460.04**	15,157.88	**23,242.62**	15,661.60
अंतर–खण्ड बिक्री						
– भारत में						
– भारत के बाहर						
योग (ख)						
कुल खण्ड राजस्व(क+ख)	**116,279.43**	168,692.48	**15,460.04**	15,157.88	**23,242.62**	15,661.60
समस्त खण्डों के कुल राजस्व की प्रतिशतता के रूप में प्रत्येक खण्ड का कुल राजस्व	**41.62%**	76.80%	**5.53%**	3.54%	**8.32%**	1.69%
खण्डीय परिणाम						
– भारत में	**1,900.91**	1,113.46	**106.04**	295.59	**80.65**	50.48
– भारत के बाहर	**0.06**		**347.02**	95.65	**579.44**	402.82
कुल खण्डीय परिणाम	**1,900.97**	1,113.46	**453.06**	391.24	**660.09**	453.30
अनिर्धारित आय के निवल का						
अनिर्धारित कारपोरेट व्यय						
प्रचालन लाभ						
ब्याज व्यय						
ब्याज आय						
आय कर						
साधारण कार्यकलापों से लाभ						
असाधारण हानि/लाभ						
निवल लाभ						
अन्य सूचना						
खंड परिसंपत्तियां	**3,809.94**	7,787.49	**1,257.94**	1,568.91	**2,074.05**	2,415.06
अनिर्धारित कारपोरेट परिसंपत्तिया						
कुल परिसंपत्तियां						
खंड देयताएं	**2,507.03**	2,388.13	**81.99**	397.91	**2,337.34**	2,422.57
अनिर्धारित कारपोरेट देयताएं						
कुल देयताएं						
खंड पूंजीगत व्यय		0.83				
अनिर्धारित पूंजीगत व्यय						
कुल पूंजीगत व्यय						
खंड मूल्यह्रास	**5.31**	2.22			**55.36**	55.36
अनिर्धारित मूल्यह्रास						
कुल मूल्यह्रास						
मूल्य ह्रास के अलावा गैर–रोकड़ व्यय						

(₹ मिलियन में)

व्यापार खंड									
हाइड्रोकार्बन		कृषि उत्पाद		उर्वरक		अन्य		कुल	
31 मार्च 14	31 मार्च 13	31 मार्च 14	31 मार्च 13	31 मार्च 14	31 मार्च 13	31 मार्च 14	31 मार्च 13	31 मार्च 14	31 मार्च 13
55,963.48	56,368.35	**17,157.48**	29,821.26	**37,523.58**	17,615.33	**95.06**	112.72	**231,439.11**	286,318.16
74.78	974.56	**11,247.52**	15,504.13	**23,25.09**	6,999.27			**47,929.97**	40,589.41
56,038.26	57,342.91	**28,405.00**	45,325.39	**39,848.67**	24,614.60	**95.06**	112.72	**279,369.08**	326,907.57
56,038.26	57,342.91	**28,405.00**	45,325.39	**39,848.67**	24,614.60	**95.06**	112.72	**279,369.08**	326,907.57
20.06%	5.49%	**10.17%**	3.65%	**14.26%**	8.75%	**0.03%**	0.07%	**100.00%**	100.00%
510.19	665.82	**222.60**	329.27	**96.78**	82.57	**76.57**	88.53	**2,993.74**	2,625.72
2.54	6.90	**164.93**	286.53	**23.52**	192.71			**1,117.51**	984.61
512.73	672.72	**387.53**	615.80	**120.30**	275.28	**76.57**	88.53	**4,111.25**	3,610.33
								3,250.17	4203.86
								861.08	(593.53)
								309.81	1,557.22
								1,448.45	2,954.19
								76.88	(533.66)
								1,922.84	1337.10
								2,104.42	2,443.64
								(181.58)	(1,106.54)
13,318.49	20,149.42	**4,756.11**	4,813.71	**2,189.17**	2,649.38	**447.31**	499.14	**27,853.01**	39,883.11
								22,723.35	29,089.50
								50,576.36	68,972.61
9,825.49	20,953.01	**2,379.26**	10,998.04	**2,184.50**	4,424.86	**70.17**	195.95	**19,385.78**	41,780.47
								16,688.75	12,272.25
								36,074.53	54,052.72
									0.83
								206.44	464.32
								206.44	465.15
						36.36	36.36	**97.04**	93.95
								76.18	159.25
								173.22	253.20
								29.42	60.41

लेखों की टिप्पणियों का अनुलग्नक 'क' जारी......

वर्ष 2013–14 के लिए खंडवार निष्पादन का विवरण
(सैकण्डरी प्रकटन)

	भौगोलिक खंड					
	भारत के बाहर		भारत के भीतर		कुल	
	31 मार्च 14	31 मार्च 13	31 मार्च 14	31 मार्च 13	31 मार्च 14	31 मार्च 13
राजस्व खंड						
बाह्य बिक्री	**47,929.97**	40,589.41	**231,439.11**	286,318.16	**279,369.08**	326,907.57
अंतरखण्ड बिक्री	**-**	-	**-**	-	**-**	-
कुल राजस्व	**47,929.97**	40,589.41	**231,439.11**	286,318.16	**279,369.08**	326,907.57
खण्ड परिणाम	**1,117.51**	984.61	**2,993.74**	2,625.72	**4,111.25**	3,610.33
खण्ड परिसंपत्तियां	**2,333.73**	2,593.80	**25,519.28**	37,289.31	**27,853.01**	39,883.11
पूंजीगत व्यय	**-**	-	**-**	0.83	**-**	0.83

लेखा परीक्षक

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने अपने पत्र सं0 सीए.वी/सीओवाई/केन्द्र सरकार एमएमटीसी (11)/551 दिनांक 22 अगस्त, 2013 के द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अधीन वित्त वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति संबंधी सूचना दी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

सांविधिक लेखा परीक्षक		**क्षेत्र**
जैन कपिला एंड एसोसिएटस्	-	उप क्षेत्रीय कार्यालयों सहित क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली
नई दिल्ली	-	कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली (विदेश कार्यालयों सहित), माइका प्रभाग के कार्यालय का सभी शाखाओं के लेखों का समेकन व विलय

शाखा लेखा परीक्षक

राजेश के झुनझुनवाला एंड कंपनी, कटक	-	उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय
जी के चोकसी एंड कंपनी, अहमदाबाद	-	उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय
सुंदर श्रिनि एंड श्रीधर, बंगलोर	-	उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित बंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय
कैलाश चंद जैन एंड कंपनी, मुम्बई	-	उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय
सी एन हुन्नरगीकर एंड कंपनी, बेलगाम	-	उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित गोवा क्षेत्रीय कार्यालय
चतुर्वेदी एंड कंपनी,	-	उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित कोलकात्ता क्षेत्रीय कार्यालय
कोलकात्ता	-	कोलकात्ता, अभ्रक नगर, झुमरीतलैया व गिरिडिह के माइका प्रभाग
सी रामाचन्द्रन एंड कंपनी, हैदराबाद	-	उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय
भंडावत एंड कंपनी, अजमेर	-	जयपुरक्षेत्रीय कार्यालय
आनन्द एंड पोन्नपन,	-	उप कार्यालय व वितरण केद्रों सहित
चेन्नई	-	गुडूर का माइका प्रभाग चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय,
बाशा एंड नरसिम्हन, विशाखापटनम	-	उप कार्यालय व वितरण केन्द्रों सहित विशाखापटनम क्षेत्रीय कार्यालय

एमएमटीसी के बैंकर्स

1. स्टेट बैंक आफ इंडिया
2. केनरा बैंक
3. एचडीएफसी बैंक
4. बैंक आफ इंडिया
5. इंडियन बैंक
6. बैंक ऑफ बड़ौदा
7. बैंक आफ महाराष्ट्र
8. यूनियन बैंक आफ इंडिया
9. स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक
10. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
11. पंजाब नेशनल बैंक
12. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर
13. इंडियन ओवरसीज बैंक
14. विजया बैंक
15. आईडीबीआई बैंक
16. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
17. देना बैंक
18. ड्यूश बैंक
19. इंडसइंड बैंक
20. ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
21. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
22. एक्सिस बैंक
23. आईसीआईसीआई बैंक
24. आई एन जी वैश्य बैंक
25. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर
26. इलाहाबाद बैंक
27. यूको बैंक
28. डेवलोपमेंट क्रेडिट बैंक
29. करूर वैश्य बैंक
30. बी.एन.पी. परिबास
31. येस बैंक
32. बैंक ऑफ टोकियो
33. डी बी एस
34. सिंडीकेट बैंक
35. कोटक महिन्द्रा बैंक
36. बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया
37. आरबीएस
38. एएनजेड बैंक
39. एचएसबीसी बैंक

एमएमटीसी कार्यालय

कारपोरेट कार्यालय

एमएमटीसी लिमिटेड, कोर–1, स्कोप कांप्लेक्स 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110 003
फोन : 91-11-24662200, ई–मेल : mmtc@mmtclimited.com
वेबसाइट : www.mmtclimited.gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तरी क्षेत्र	**दिल्ली** झण्डेवालान ज्वैलरी काम्पलेक्स, एफ 8–11, झण्डेवालान फलैटेड फैक्टरी काम्पलेक्स, रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली – 110 055 फोनः 011-23623950, 23623952, 23670408, फैक्सः 011-23633175, 2371369 ई–मेलः head_jjc@mmtclimited.com **एसआरओ / एफओः आगरा, अम्बाला, कानपुर, लुधियाना**
	जयपुर अरिहंत टॉवर्स–II सांगानेरी गेट के सामने, टेलीफोन एक्सचेंज, आगरा रोड जयपुर–302003 फोनः 0141-2601882, 2601386, फैक्सः 0141-2618294 ई–मेलः head_jaipur@mmtclimited.com
दक्षिण क्षेत्र	**चेन्नई** 6 चेन्नई हाउस, एसप्लेनेड, चेन्नई–600108 फोनः 044-25341942, 25341938 फैक्सः 044-25340544 ई–मेलः head_chennai@mmtclimited.com **एसआरओ / एफओः कोची**
	बंगलुरू शिक्षक सदन, भूतल, के.जी. रोड, बगंलुरू– 560002 फोनः 080-22244605, 22278592, 22290745, फैक्सः 080-22272043 ई–मेलः head_bangalore@mmtclimited.com **एसआरओ / एफओः बेलारी, गजेन्द्रगढ़**
	विज़ाग एमएमटीसी भवन, पोर्ट एरिया, विशाखापटनम–530035 (आन्ध्र प्रदेश) फोनः (पीबीएक्स) : 0891-2562771, 2562909, फैक्सः 0891-2561761, 2562611 ई–मेलः head_ vizag@mmtclimited.com **एसआरओ / एफओः काकीनाडा़**
	हैदराबाद एमएमटीसी लिमिटेड, # 9-1-76 से 77/1/B, तीसरा तल, एस.डी. रोड, सिकन्दराबाद 500003 पीबीएक्सः 2772 5400, फैक्सः 2780 403038 Direct Nos. ई–मेलः head_hyderabad@mmtclimited.com
पूर्वी क्षेत्र	**कोलकाता** एनआईसी बिल्डिंग, चतुर्थ एवम् पंचम तल, 8 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता – 700001 फोनः 033-22101079, 22421252, 22421261 फैक्सः 033-22424292 ई–मेलः head_kolkata@mmtclimited.com **एसआरओ / एफओः हल्दिया, जमशेदपुर, राँची**
	भुवनेश्वर आलोक भारती काम्पलेक्स, सातवां तल, शहीद नगर, भुवनेश्वर – 751007 (उड़ीसा) फोनः 0674-2546848, 25844876, 2544783 फैक्सः 0674-2546847 ई–मेलः head_bhubaneswar@mmtclimited.com, mmtcbbsr@mmtclimited.com **एसआरओ / एफओः पारादीप, बड़बिल**

क्षेत्रीय कार्यालय

पश्चिम क्षेत्र	**मुम्बई** एमएमटीसी हाउस, सी–22, ई ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई – 400 051 फोनः 022-26572437, 26594100, 26573193 फैक्सः 022-26572541, 26570131, 26573193 ई–मेलः head_mumbai@mmtclimited.com **एसआरओ/एफओः शीपज्, बीडीबी**
	अहमदाबाद 2, नगीनदास चैम्बर्स, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380014 फोनः (पीबीएक्स) 079-40244712, 27545563, 27540643, 27543796, फैक्सः 079-27543739 ई–मेलः head_ahmedabad@mmtclimited.com
	गोवा कुलासो बिल्डिंग, स्वतंत्रा पथ, वास्को–द–गामा, गोवा – 403802 फोनः (पीबीएक्स) 0832-2513450, 2512521, फैक्सः 0832-2513283, 2517089 ई–मेलः head_ goa@mmtclimited.com
प्रोन्नत प्रोजेक्ट	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, प्रथम मंजिल एनैक्सी, ईपीकोल हाउस, जनपथ, भुवनेश्वर–751022 फोनः 0674-2543231, फैक्सः 0674-2541763
विदेशी कार्यालय	**सिंगापुर** एमएमटीसी ट्रांसनेशनल पीटीई लिमिटेड, 20 सीईसीआईएल स्ट्रीट, # 14-03/04, सिंगापुर एक्सचेंज, सिंगुपर – 049705, फोनः 0065-65385313 पीबीएक्सः 2276567, 2276517 फैक्सः 0065-64385327 ई–मेलः info@mtpl.com.sg
	जोहान्सबर्ग एमएमटीसी लिमिटेड, प्रथम तल, सेंडटोन ऑफिस टॉवर, सीएनआर रिवोनिया रोड और 5जी स्ट्रीट, सेंडहर्ट एक्सटेंशन 3, सेंडटोन, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रिका फोनः 0027723286739 ई–मेलः jvnrao@mmtclimited.com

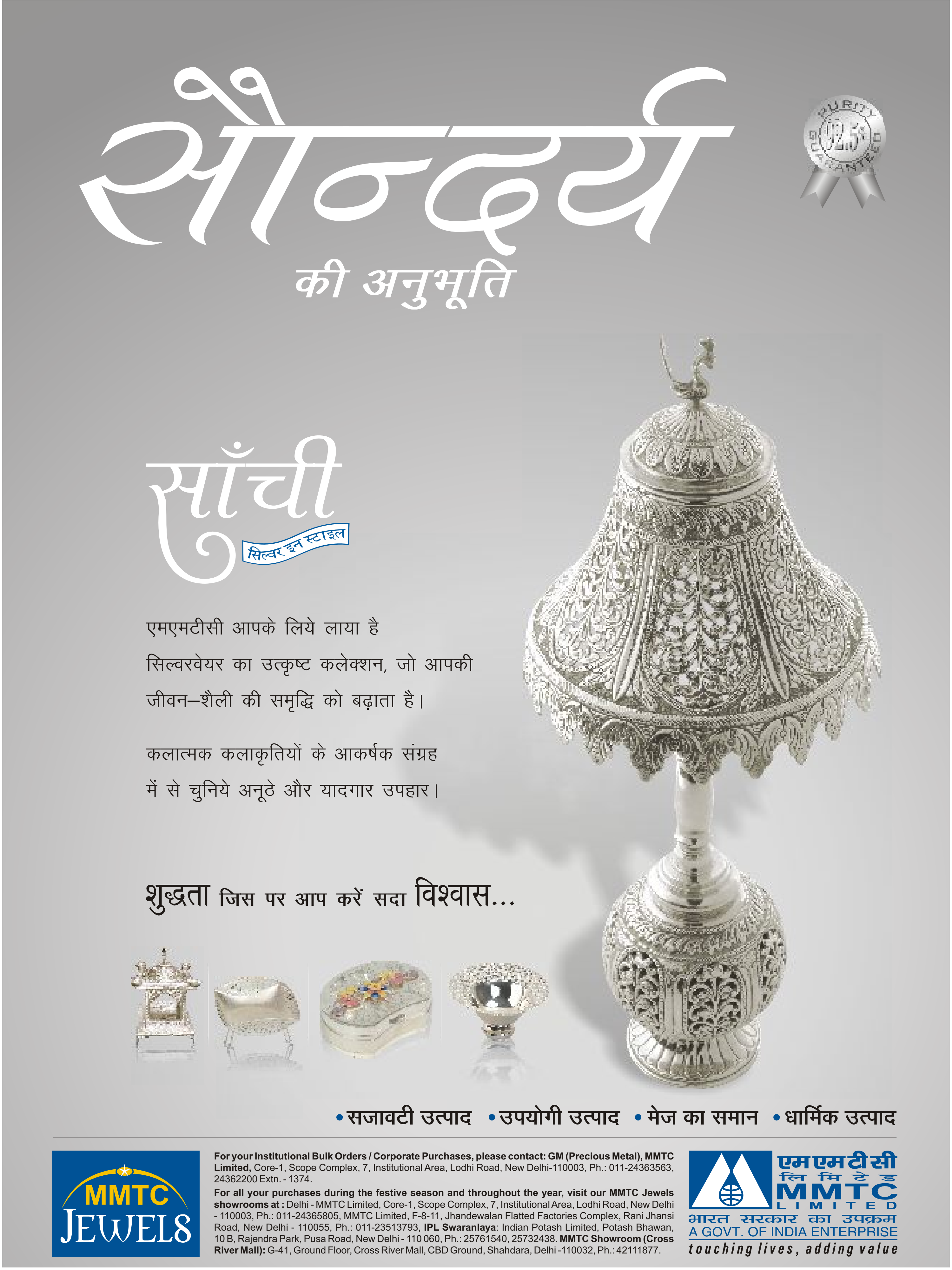

For nearest MMTC showroom / stockists and enquiries call our **All India Toll Free No. 1800 1800 000** (9 am to 9 pm)
For exciting display of Sanchi Silverware & Medallions log on to **www.mmtcretail.com**

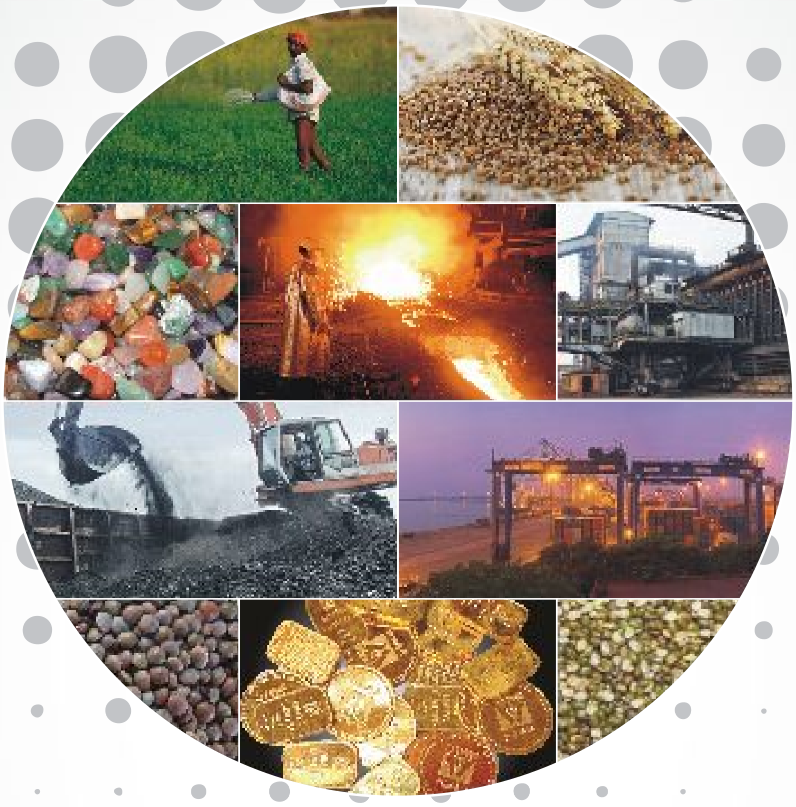

एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value

कारपोरेट कार्यालय
नई दिल्ली

एमएमटीसी लिमिटेड की ओर से
एम.जी. गुप्ता, निदेशक (वित्त)
द्वारा प्रकाशित
कारपोरेट कम्युनिकेशन्स प्रभाग
द्वारा निर्मित एवं मुद्रित

CORPORATE OFFICE
New Delhi

Published by
M.G. Gupta, Director (Finance)
on behalf of **MMTC Limited**
Produced & Printed by
Corporate Communications Division

Designed & Produced by Nirman Advertising Pvt. Ltd., Ph.: 011-24328510-11